खण्ड-394, अंक-7
बुधवार, 27 पौष, शक संवत् 1911
(17 जनवरी, 1990 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(दसवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 1990)

खण्ड 394 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

1990

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	छ
प्रश्नोत्तर	1
श्री शैलेन्द्र कुमार एवं रघुराज प्रसाद उपाध्याय तथा अन्य कतिपय सदस्यों को आज की कार्यवाही तक निलम्बित किये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	49
निलम्बित सदस्यों की वापसी तथा अल्पसूचित तारांकित प्रश्न 2 से सम्बन्धित बन्दूकों आदि के लाइसेंसों पर लगाये गये प्रतिबन्धों को हटाकर सच्चरित्र नागरिकों को लाइसेंस दिये जाने के सम्बन्ध में आज ही चर्चा कराये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	50
विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री श्याम सिंह के निधन पर शोकोद्गार ..	52
विधायक निवास बी ब्लाक दारुलशफा में पीने के पानी में प्रदूषण होने के सम्बन्ध में सूचना	54
नियम 301 की सूचनायें	54
जनपद देवरिया की चीनी मिल रामकोला के बन्द किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	55
लखनऊ खण्ड ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा के अधिशासी अभियन्ता द्वारा की जा रही मनमानी के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	55
उत्तर प्रदेश सचिवालय डिस्पेंसरी के प्रभारी डा0 पंचम सिंह द्वारा दवाइयों के वितरण में धांधली या मनमानी किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	56
जनपद बाराबंकी के परहेना देवा के ग्राम मानपुर राह में ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जों के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	57
प्रदेश के सभी कर्मचारियों को बोनस दिये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	57
जनपद बुलन्दशहर के स्याना क्षेत्र के किसानों के गन्ने की बिक्री न हो पाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	58
उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग इलाहाबाद द्वारा कृषि अर्थशास्त्र के प्राध्यापकों के चयन में की गयी अनियमितताओं के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	58
जनपद इलाहाबाद के चायल निर्वाचन क्षेत्र में पीने के पानी का संकट उत्पन्न होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	59
जनपद गाजियाबाद की तहसील मोदीनगर में तापीय विद्युत परियोजना में कृषकों की अधिगृहीत भूमि का मुआवजा न दिये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	59

जनपद देवरिया की सेवरही स्थित चीनी मिल द्वारा गन्ना काश्तकारों का शोषण किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 60

फैजाबाद जिलान्तर्गत क्षेत्र मिल्कीपुर की अम्बेनीगंज बाजार की सड़कों की दुर्व्यवस्था के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 60

लखनऊ के महानगर स्थित रहीमनगर क्षेत्र में सड़क एवं बिजली व्यवस्था किये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 61

पत्रकार श्री राजपति यादव का अपहरण किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 61

जनपद बाराबंकी के कतिपय ब्लाकों में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत घोटाला किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 61

जनपद देवरिया में ब्लाक भलुअनी के सहकारी गोदामों से क्रय की गई यूरिया के छिड़काव से फसलों की बर्बादी के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 62

जनपद आगरा में अशुद्ध जलापूर्ति तथा व्याप्त गन्दगी के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 62

जनपद वाराणसी के गंगापुर क्षेत्र में सिंचाई व्यवस्था हेतु नलकूपों के निर्माण कराये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 62

लखनऊ चौक पुलिस द्वारा जनता के उत्पीड़न के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 63

प्रदेश के राजकीय चिकित्सालयों में स्थित पदों को भरे जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 63

जनपद अल्मोड़ा में पेयजल संकट के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. 64

जनपद आजगढ़ की सदर तहसील में नहरों में पानी की कमी से फसलों को क्षति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 64

प्रदेश में कृषि विभाग के कर्मचारियों को केन्द्र के समान वेतन दिये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 65

जनपद प्रतापगढ़ में बकुलहई नदी द्वारा जल भराव से फसलों की बुआई प्रभावित होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 65

ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम की समीक्षा की समन्वय समिति के पदाधिकारियों को हटाये जाने की मांग को संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. 65

जनपद सीतापुर के खैराबाद तथा परसेंड़ी ब्लाकों में सिंचाई साधनों के अभाव के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 66

जनपद अल्मोड़ा में द्वाराहाट ब्लाक के डोटल गांव में निर्बल वर्ग आवास व जवाहर रोजगार योजना में की गयी धांधली के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 66

जनपद इलाहाबाद के शास्त्री सेतु के फीस उगाही ठेकेदार के विरुद्ध भ्रष्टाचार के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 67

जनपद फिरोजाबाद के चूड़ी व्यवसाय के मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी निर्धारित किये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 67

जनपद फैजाबाद के बीकापुर क्षेत्र के खराब राजकीय नलकूपों को ठीक कराये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 68

जनपद प्रतापगढ़ के थाना मान्धाता में दो सगे भाइयों की हत्या व आतंक के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 68

जनपद मुरादाबाद की तहसील सम्भल को जिला बनाये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 69

जनपद गोरखपुर के पनियरा क्षेत्र में राप्ती नदी पर रेगुलेटर बनाये जाने में लापरवाही के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 69

आगरा महानगर में पीने के पानी में प्रदूषण होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 69

जनपद इलाहाबाद के शहर पश्चिमी क्षेत्र तथा चायल क्षेत्र में पीने के पानी का संकट उत्पन्न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 70

जनपद इलाहाबाद के बारा विधान सभा क्षेत्र में इन्दिरा तथा निर्बल आवास निर्माण योजना में घोटाले के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. 70

जनपद बरेली के आंवला क्षेत्र में डिग्री कालेज खोले जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 71

बरेली महानगर के मलूकपुर चौराहे पर स्थित मन्दिर निर्माण के मामले में सांसद एवं अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों की अनावश्यक गिरफ्तारी से उत्पन्न जनाक्रोश के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 71

जनपद बलिया के बिल्थरा रोड बरवे में नयी तहसील मुख्यालय की स्थापना की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 71

जनपद अलीगढ़ की इगलास तहसील में राजकीय कन्या हायर सेकेन्डरी स्कूल खोले जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 72

जनपद बरेली से पीलीभीत मार्ग पर नवाबगंज स्थान पर राजकीय बस स्टापेज की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 72

यू0ए च0 एम0 चिकित्सालय कानपुर में एक्स-रे प्लान्ट को अप्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा चलाये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 73

प्रदेश के सम्भागीय परिवहन कार्यालयों में गैर तकनीकी अधिकारियों द्वारा मोटर वाहनों के फिटनेस तथा चालक लाइसेन्स दिये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 73

लखनऊ शहर की विद्युत आपूर्ति व्यवस्था में गड़बड़ी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 74

लखनऊ महानगर की अलीगंज स्थित आवास विकास कालोनी तथा शेखुपुरा एवं कुर्सी रोड के स्थित भूमि पर अवैध कब्जा किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 74

जनपद सोनभद्र में धान-क्रय केन्द्र खोले जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 74

आगरा महानगर की विद्युत आपूर्ति व्यवस्था ठीक कराये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 75
वाराणसी महानगर में पेयजल संकट उत्पन्न होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 75
जनपद गोण्डा में कुवांना नदी पर पुल की नीलामी की जमानत धनराशि की वापसी के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 76
जनपद अलीगढ़ के सिकन्दराराऊ-क्षेत्र में पेय जल संकट के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 76
जनपद अलीगढ़ के खैर क्षेत्र में यमुना नदी के कटाव द्वारा ग्रामीणों की क्षति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 76
जनपद जालौन की नहरों में पानी के अभाव के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 77
जनपद मऊ की तहसील मुहम्मदाबाद गोहना अन्तर्गत मैसही नदी के पुल के जर्जर होने से खतरा उत्पन्न होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. 77
जनपद गोरखपुर में बाला बाबा के घाट पर पुल निर्माण की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 78
जनपद इटावा की तहसील विधूना में बरसाती जलभराव वाले नालों की सफाई की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 78
जनपद बांदा की तहसील नरैनी के नालों की सफाई कराये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 79
जनपद इलाहाबाद में राजकीय आस्थान की भूमि पर अवैध कब्जों के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 79
प्रदेश में गन्ने की पेराई की समुचित व्यवस्था कराये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 79
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में अराजक तत्वों के जमाव से भय एवं आतंक की स्थिति उत्पन्न होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. 80
झांसी नगर की पेयजल समस्या के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 80
जनपद सीतापुर के थाना बिसवां में पुलिस द्वारा उत्पीड़न किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 81
जनपद उन्नाव में राज्य सेक्टर की सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 81
मऊ जिलान्तर्गत थाना घोसी में श्री रामसूरत यादव की हत्या होने से जनता में उत्पन्न भय एवं आतंक के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 82
जनपद पिथौरागढ़ के मुनस्यारी क्षेत्र में परगनाधिकारी द्वारा अनियमितता किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 82
मथुरा नगर में पेय जल संकट उत्पन्न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 82
जनपद सुल्तानपुर की टाउन एरिया कादीपुर निकट नाले पर स्थित जर्जर पुल का निर्माण कराये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 83

जनपद बाराबंकी में विद्युत वितरण खण्ड को संबंधित विद्युत सामग्री शीघ्र उपलब्ध कराये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. 83

कानपुर महानगर में सीवर जाम होने से गन्दगी तथा पेयजल संकट उत्पन्न होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 83

कांग्रेस (आई) के सदस्य श्री देवकुमार यादव द्वारा दिनांक 11-1-90 को शोकोद्गार व्यक्त करते समय अपने को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य बताये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न 84

विधान मण्डल सत्र के दौरान सदन के बाहर एक समारोह में मुख्य मंत्री द्वारा मण्डल आयोग संबंधी नीति विषयक घोषणा किए जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न 86

उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड लखनऊ की पंचम षष्ठम सप्तम; अष्टम् वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा विवरण (वर्ष 1978-79, 1979-80, 1980-81 एवं 1981-82) (सदन के पटल पर रखा गया) 87

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (सातवां संशोधन) नियमावली, 1990 (सदन के पटल पर रखी गयी) 88

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (सदस्यों का अनुमेलन) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 1988 (सदन के पटल पर रखी गयी) 88

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1990 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) 88

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1990 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) .. 89

उत्तर प्रदेश मंत्री और राज्य विधान मण्डल अधिकारी और सदस्य सुख-सुविधा विधि (संशोधन) विधेयक, 1990 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) .. 89

श्री मुईद अहमद व श्री इम्तियाज मोहम्मद खां द्वारा दी गयी विशेषाधिकार की सूचना के संबंध में जानकारी की मांग 89

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद के प्रबन्ध बोर्ड में कार्य करने के लिये विधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव (जारी) .. 91

रुड़की विश्वविद्यालय की सीनेट चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्व विद्यालय कानपुर, गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय] पन्त नगर तथा नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय फैजाबाद के प्रबन्ध बोर्ड में कार्य करने के लिए सदस्यों के नाम निर्देशन हेतु श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत किए जाने का प्रस्ताव (जारी) 91

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्व विद्यालय, फैजाबाद के प्रबन्ध बोर्ड में कार्य करने के लिए विधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत) .. 92

रुड़की विश्व विद्यालय की सीनेट, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्व] विद्यालय, कानपुर, गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंत नगर तथा नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्व विद्यालय फैजाबाद, के प्रबन्ध बोर्ड में कार्य करने के लिए सदस्यों के नाम निर्देशन हेतु श्री अध्यक्ष] को प्राधिकृत किए जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत) 92

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (स्वीकृत) .. 92

वक्तव्य की प्रतियां न बंटने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न 123

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं 123

प्रदेश के सहायता प्राप्त महाविद्यालयों तथा माध्यमिक विद्यालयों में तदर्थ आधार पर नियुक्त शिक्षकों के विनियमितीकरण के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य 123

जनपद आगरा के तहसील एत्मादपुर के कई गांवों में पेय जल संकट उत्पन्न होने तथा थाना बड़हलगंज, जिला गोरखपुर की पुलिस द्वारा श्री निर्विकार त्रिपाठी की हत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में होने वाले वक्तव्यों का स्थगन 125

उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, 1990 .. .. (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) .. 125

बन्दूकों आदि के लाइसेंसों पर लगाए गए प्रतिबन्धों को हटाये जाने विषयक आज की कार्य सूची के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न--2 नत्थी (क) के सम्बन्ध में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा 125

दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी के जंगली जानवरों द्वारा समीपवर्ती गांवों की फसलों को नष्ट किये जाने के सम्बन्ध में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा (जारी) 140

आज की कार्य सूची के मद संख्या 17 से संबंधित थाना बड़हलगंज, जिला गोरखपुर की पुलिस द्वारा श्री निर्विकार त्रिपाठी की हत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर शासन द्वारा वक्तव्य न आने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न 141

दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी के जंगली जानवरों द्वारा समीपवर्ती गांवों की फसलों को नष्ट किये जाने के सम्बन्ध में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा 142

सदन को सुचारु में संचालित किये जाने में सहयोग हेतु विधान सभाध्यक्ष/अधिकारियों व कर्मचारियों तथा सदस्यों को आभार 143

श्री देवकुमार यादव सदस्य विधान सभा द्वारा जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक बांदा तथा कतिपय अन्य अधिकारियों के विरुद्ध दिये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय 144

सदन को अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित किये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत) 145

नत्थियां 146

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 17-1-1990

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप लखनऊ, में 11 बजे दिन में अध्यक्ष श्री हरी किशन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :–

अमीर आलम खां, श्री	मुजफ्फरनगर
अरविन्द कुमार, श्री	ललितपुर
अरुण कुमार सिंह मुन्ना, श्री	नैनीताल
करन चन्द्र सिंह, श्री	जौनपुर
काशी सिंह ऐरी, श्री	पिथौरागढ़
कुंवर रेवतीरमण सिंह उर्फ मणि जी, श्री	इलाहाबाद
गोमती यादव, श्री	आजमगढ़
चन्द्र शेखर, श्री	वाराणसी
जयशंकर पाण्डेय, श्री	फैजाबाद
ज्ञानेन्द्र स्वरूप, श्री	मथुरा
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
दीप नारायन, श्री	आजमगढ़
देवेन्द्र कुमार सिंह, श्री	ललितपुर
भोलानाथ, श्री	बलिया
मंत्री प्रसाद नैथानी, श्री	टिहरी गढ़वाल
रणजीत सिंह जूदेव, श्री	झांसी
राजनाथ सोनकर शास्त्री, श्री	गाजीपुर
रामपाल वर्मा, श्री	हरदोई
राम सिंह सैनी, श्री	हरिद्वार
राम स्वरूप वर्मा, श्री	कानपुर
वीर अभिमन्यु सिंह, श्री	फतेहपुर
शिवराज सिंह चौहान, श्री	मैनपुरी
समीउल्ला, श्री	गोण्डा
हर नारायण सिंह, श्री	रायबरेली

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

बुधवार, दिनांक 17 जनवरी, 1990

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी–

मान्यवर, बी-ब्लाक में एक जान लेवा स्थिति पैदा हो गयी है . . .

श्री अध्यक्ष–

विद्यार्थी जी आप कृपया बैठें, पहले प्रश्न हो जाने दें इसके बाद जीरो आवर भी होता है । प्रश्नों के बाद आप अपनी बात कह लें । (व्यवधान) मैं इस समय विद्यार्थी जी की बात सुनने को तैयार नहीं हूं । जब समय आए तब आप अपनी बात कहें ।

प्रदेश के कृषि अधीनस्थ सेवा कर्मचारियों की हड़ताल एवं उनकी प्रमुख मांगें

****1–श्री हरीश कुमार गंगवार तथा श्री सुरेश कुमार खन्ना–**

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि 2 नवम्बर, 89 से लगातार हड़ताल पर चले आ रहे प्रदेश के 26000 अधीनस्थ कृषि सेवा कर्मचारियों की प्रमुख मांगें क्या हैं ? उनकी हड़ताल से कृषि उत्पादन पर दुष्प्रभाव पड़ने की सम्भावना को देखते हुए, हड़ताल समाप्त कराने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

ग्राम्य विकास मंत्री (श्रीमती सुखदा मिश्रा)–

दिनांक 2 नवम्बर, 89 से हड़ताल पर गए अधीनस्थ कृषि सेवा कर्मचारियों की प्रमुख सात मांगें संलग्नक में दर्शायी गयी हैं । हड़ताल दिनांक 27-12-89 को समाप्त हो गयी है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 146 पर)

श्री हरीश कुमार गंगवार–

मान्यवर, सात मांगों में से तीन मांगें प्रमुख हैं । यह तीन मांगें इस प्रकार हैं:–

1–कृषि प्राविधिकों को संगठन द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के आधार पर केन्द्र के समान वेतनमान दिए जायें ।

2–टू-टायर प्रणाली लागू करते हुए अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग-3 को मृत वर्ग (डाइंग कैडर) घोषित किया जाय ।

3–अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग–1 को राजपत्रित पद घोषित किया जाय ।

मैं जानना चाहता हूं कि इन तीनों मांगों के संबंध में अब तक सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा–

जहां तक केन्द्र सरकार के समान वेतन देने का प्रश्न है वह मुश्किल है क्योंकि यहां कोई पद ऐसे नहीं हैं जिनकी तुलना केन्द्रीय सरकार के पदों से की जाय । समता समिति ने भी इसी कारण पद से पद के बराबर वेतन देने में कठिनाई व्यक्त की है और यह सम्भव नहीं हो पा रहा है ।

जहां तक दूसरा बिन्दु है जिसमें डाइंग कैडर घोषित करने की बात कही गयी

है, वह भी अभी सम्भव नहीं है । यह बात सही है कि कृषि क्षेत्र में विकास हो रहा है और तकनीकी लोगों की आवश्यकता, इस क्षेत्र में है । इसी दृष्टि से इस पर विचार भी किया जा रहा है । यह तीन कैडर से दो कैडर में करना एकदम सम्भव नहीं है, लेकिन धीरे-धीरे इस पर सरकार विचार करेगी ।

जहां तक तीसरा प्रश्न है, इस पर भी विचार किया जा रहा है ।

श्री हरीश कुमार गंगवार–

मान्यवर, अधीनस्थ कृषि सेवा के कर्मचारी मजबूर होकर हड़ताल पर निकले और सरकार ने उनसे एक समझौता किया । सरकार अगर उस समझौते के अनुसार उनकी मांगों को शीघ्र नहीं मानेगी तो कहीं ऐसा न हो कि उन कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने के लिए फिर मजबूर होना पड़ जाये । इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार कोई ऐसा आश्वासन दे, एक महीना या दो महीना में सरकार इन कर्मचारियों के मामले में कोई निर्णय अवश्य ले लेगी ।

श्रीमती सुखदा मिश्रा–

जैसा कि हमने अभी माननीय सदस्य से कहा और उत्तर भी दिया कि जहां तक पहले और दूसरे प्रश्न का सवाल है, अभी सम्भव नहीं है और जब यह सम्भव नहीं है तो किसी प्रकार का निर्णय लेना भी सम्भव नहीं है । मुझे आशा है कि उन्होंने पहले जो बात की थी उसके तहत सभी बातें हुई थीं । मुझे आशा है कि वे हड़ताल पर नहीं जायेंगे और जो कुछ उनके लिए सम्भव होगा, सरकार अवश्य करेगी ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

कृषि कर्मचारियों और कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश श्री ऋषि राम शर्मा के बीच एक समझौता हुआ, जिसके अनुसार उनकी हड़ताल की अवधि का वेतन तुरन्त दे दिए जाने की बात कही गयी थी लेकिन अभी तक यह वेतन क्यों नहीं दिया गया ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा–

चुनाव के दौरान बहुत से नेताओं से, अधीनस्थ कृषि सेवा कर्मचारियों की जिनकी संख्या 26 हजार थी और जिन्होंने आन्दोलन किया था, यह बात हुई थी कि अगर हमारी सरकार बनती है तो आपकी सहायता करेंगे, दो-तीन बार बात हुई, बीच में उन्होंने वापस लेने से मना कर दिया, 27-12-89 को उन्होंने हड़ताल वापस ली और उसके बाद भी वार्तालाप चलता रहा । जो भी सरकार के नियम हैं उनके अन्तर्गत उनकी तनख्वाह का प्रबन्ध करेंगे और कोई उत्पीड़न उनके खिलाफ नहीं होगा ।

श्री जनार्दन प्रसाद आंभा–

विभाग के लोगों की बराबर मांग रही है और जनप्रतिनिधियों की भी इच्छा है, हड़ताल में भी मांग की थी कि कृषि विभाग को तकनीकी विभाग मान लिया जाय । मैं जानना चाहता हूं कि तकनीकी विभाग न मानने के क्या कारण हैं और इसमें क्या कठिनाई है ? क्या आश्वासन देंगी कि उनको टेक्नीकल विभाग घोषित कर दिया जायगा ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा–

घोषित करने की बात नहीं है । इसमें धीरे-धीरे बी0 एस-सी0 (एग्री0) को लेंगे क्योंकि तकनीकी क्षेत्र कृषि विभाग में भी बढ़ रहा है । आगे जब लोगों को सेलेक्ट करेंगे तो बी0 एस-सी0 (एग्री0) को ही लेंगे । यह काम धीरे-धीरे होगा ।

श्री पंचानन राय–

उन्होंने कहा कि चूंकि समान पद केन्द्र सरकार में नहीं हैं इसलिये केन्द्र के समान वेतन देना सम्भव नहीं है । मैं जानता हूं कि राज्य में बहुत से पद एसे हैं जो केन्द्र में नहीं हैं । इसीलिये समता समिति गठित हुई थी कि पद से पद की समतुल्यता निर्धारित कर सके । मैं जानना चाहता हूं कि हड़ताल की अवधि का वेतन देने में क्या कठिनाई है और अभी तक वेतन न देने का क्या कारण है?

श्रीमती सुखदा मिश्रा–

जहां तक समता समिति द्वारा पद से पद की समतुल्यता करने का प्रश्न है, समता समिति का यह फैसला है कि केन्द्र में एसे कोई पद नहीं मिले हैं, जिनके बराबर का वेतन उनको दिया जा सके । यही कारण है कि यह वेतन नहीं दिया जा रहा है ।

श्री पंचानन राय–

मान्यवर, मैंने दो सवाल किये थे । हड़ताल की अवधि के वेतन के बारे में इन्होंने नहीं बताया । जहां तक पद से पद की समतुल्यता का प्रश्न है बहुत से एसे पद हैं जो केन्द्र में नहीं हैं जैसे ग्राम सेवक वहां नहीं होता है, लेखपाल नहीं होता है, फिर भी उनको किसी न किसी पद के समतुल्य माना गया । फिर यह कहना कहां तक समीचीन है कि चूंकि केन्द्र में समतुल्य पद नहीं मिले हैं, इसलिये केन्द्र का वेतनमान नहीं देंगे? दूसरी बात जब खुद समझौता किया कि हड़ताल अवधि का वेतन देंगे तो न देने का क्या कारण है?

श्रीमती सुखदा मिश्रा–

बहुत से एसे पद निकले हैं जो कि भारत सरकार में हैं लेकिन प्रदेश सरकार में नहीं हैं । जो एसे पद हैं उसमें कृषि विभाग का ही प्रश्न नहीं हैं वहां पर भी उनको पद से पद का वेतन नहीं दिया गया है । कोई विशेष कारण नहीं है, आम पालिसी है बहुत से विभागों में एसा हुआ है कि पद से पद नहीं मिले हैं जिसके कारण वेतन नहीं मिला है इसीलिये उनको भी नहीं मिला है ।

और जहां तक दूसरे प्रश्न का सवाल है कि वेतन उनको हड़ताल के समय का भी देना है, सरकार की इस सम्बन्ध में अब तक जो पालिसी रही है, हम वही रखेंगे । मैंने पहले भी कहा है कि उनका किसी प्रकार का उत्पीड़न नहीं किया जायेगा, आप इस प्रकार से सशंकित न हों ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, माननीया मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में मैं जानना चाहता हूं कि जैसा कि अभी इन्होंने उत्तर दिया है उसके बिन्दु संख्या 6 को आप देखने का कष्ट करें । इस तरह की विसंगति पूरे उत्तर प्रदेश में है कि जो कृषि के डिप्लोमा होल्डर्स हैं उनकी मांग रही है कि कम से कम एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट में उन्हें वरीयता मिलनी चाहिए। डिप्लोमा होल्डर्स को कहीं नौकरी नहीं मिलती है, उनकी मांग है कि कृषि विभाग में उनको वरीयता दी जाय । इसमें कोई वित्तीय संकट की बात नहीं है तो इसको न मानने का क्या कारण है? अभी जैसे कि मा0 पंचानन राय जी ने प्रश्न किया, मैंने भी समता समिति की रिपोर्ट को देखा है, जहां वे पद से पद की बराबरी नहीं कर पाये हैं उनको किसी न किसी पद से जोड़ने की चेष्टा की है । तो सन्दर्भित पद को किस

पद के साथ जोड़ा गया है? यदि ऐसा नहीं है तो फिर इस मामले को विसंगति समिति में सौंप कर इसे किसी न किसी पद के साथ जुड़वाने की कृपा करेंगी?

श्रीमती सुखदा मिश्रा–

मान्यवर, माननीय सदस्य तो स्वयं अनुभवी हैं और जानते हैं कि जैसे कि मैंने कहा कि कोई पद ऐसा नहीं है जो कि केन्द्र सरकार में भी नहीं है इसलिये उनको उसके समान वेतन नहीं मिल पाया है । कई पद हैं जिनमें केन्द्र सरकार के साथ पद से पद नहीं मिलता था, उसमें वेतन नहीं मिला है । जरूरी नहीं है उसे नजदीक लाकर, पद से पद मिलाकर वेतन मिला है, यह सही नहीं है ।

(अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 के पुकारे जाने पर)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, बिन्दु संख्या 6 के बारे में उत्तर दिला दें ।

श्री अध्यक्ष–

अल्पसूचित तारांकित एक प्रश्न का समय केवल 10 मिनट का होता है । अभी दूसरा प्रश्न होना शेष है उसमें 6 सदस्यों के नाम हैं प्रश्न पूछने के लिये इस बात का भी आप ध्यान रखें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, माननीया मंत्री जी बोलने जा रही थीं ।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, मा0 मंत्री जी उत्तर दे दीजिये ।

श्रीमती सुखदा मिश्रा–

मैंने कहा कि जिस आधार पर विकास हो रहा है कृषि विभाग का उसी आधार पर हम उनको एडजस्ट करते जायेंगे और आवश्यक होगा तो वरीयता अवश्य देंगे ।

प्रदेश में बन्दूकों आदि के लाइसेंन्सों पर लगाये गये प्रतिबन्ध को हटाये जाने की मांग

**2–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री अमर पाल सिंह, श्री बृजेन्द्र सिंह, श्री अनुग्रह नारायण सिंह, श्री राम सेवक सिंह तथा श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य–

क्या सरकार पिछली कांग्रेसी सरकार द्वारा बन्दूकों आदि के लाइसेंन्सों पर लगाये गये प्रतिबन्धों को हटा कर सभी सच्चरित्र नागरिकों को उनकी प्रार्थना पर लाइसेन्स प्रदान करने का आदेश जारी करेगी और इस बारे में प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

नियोजन मंत्री (श्री शतरुद्र प्रकाश)–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अपराधों में आग्नेयास्त्रों के प्रयोग की प्रवृत्ति के कारण भारत सरकार द्वारा आयुद्ध नियमावली में संशोधन करके अनिवार्य प्रतिबंध लगाये गये हैं ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में निवेदन करना चाहूंगा कि तीस साल के सक्रिय राजनीतिक जीवन में न तो मैंने कभी शैडो लिया और न अस्त्र-शस्त्र का

लाइसेंस ही लिया। लेकिन पिछले दो दशकों में राजनीति के साथ अपराधियों का और अपराधियों के साथ राजनीति का जो राष्ट्रीयकरण हुआ है उसमें अवैध अस्त्र-शस्त्र का भी उत्पादन हुआ है और कुटीर उद्योग-धंधे का रूप इसमें ले लिया है जिसके अंतर्गत आम नागरिक महसूस करता है और वह अपने को निरीह पा रहा है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन सारी परिस्थितियों को जानते हुए विगत कांग्रेस सरकार के द्वारा अस्त्र-शस्त्र पर जो प्रतिबंध लगाया गया था उसको पुनरीक्षित करके केन्द्र सरकार से इसे हटवाने का प्रयास करेंगे क्योंकि काश्मीर जैसे दंगाग्रस्त क्षेत्र में इसका प्रतिबंध नहीं है, यहां आम नागरिकों को इससे प्रतिबन्धित किया गया था । हमारी सरकार नागरिकों को आजादी देने के लिये वचन-बद्ध है तो अपने कमिटमेंट को ध्यान में रखते हुए क्या माननीय मंत्री जी इस नीति पर पुनर्विचार करने हेतु संस्तुति केन्द्र सरकार से करने की कृपा करेंगे?

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, माननीय तिवारी जी समाजवादी विचारों में आस्था रखते हैं और यह सरकार भी समाजवादी विचारधारा पर आस्था रखती है (शोर) . . .

एक सदस्य–

आज बताया है आपने कि आप लोग इस विचारधारा के हैं, इससे पहले तो आपने कहा नहीं . . . . . (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

इस प्रश्न से समाजवादी आस्था से क्या सम्बन्ध है (शोर होने पर) कृपया शांत रहें, मा0 मंत्री जी अपना उत्तर दे रहे हैं, उसे पूरा कर लेने दीजिये

श्री शतरुद्र प्रकाश–

तो मान्यवर, मैं कहना चाह रहा था कि आप सभी लोग इस बात से सहमत होंगे कि हम लोगों को मिलकर एक ऐसे समाज की संरचना करनी है, जो हिंसा में, आगजनी में और लूट-पाट में विश्वास न रखती हो, लेकिन यह सही है कि आज समाज में बढ़ती हुयी हिंसा को व अन्य खराबियों को रोकने का दायित्व भी सरकार का है और एक आम आदमी की जान व माल की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सरकार की ही है, इस पर कड़ाई से पालन किया जा रहा है और समाज में हथियारों के बल पर ही सुरक्षा करने का जो मस्तिष्क में यकीन बन रहा है, उसे कम किया जाए । साथ ही जैसा कि माननीय तिवारी जी ने कहा है, उस पर सरकार द्वारा पूरी तरह से विचार विमर्श हो रहा है और आज भी विचारों का दरवाजा इस सरकार ने खोल रखा है ।

श्री बृजेन्द्र सिंह–

लाइसेन्स नवीनीकरण में मान्यवर, आपकी क्या नीति है, जो देश व प्रदेश के लिए लाइसेन्स दिए गए थें, वह अब कम करके मात्र जनपदों के लिए किए जा रहे हैं और ऐसी स्थिति में यदि कोई आदमी जो लाइसेंस होल्डर है, देश व प्रदेश में बाहर जाता है तो क्या उसकी जान की सुरक्षा की कोई वैकल्पिक व्यवस्था यह सरकार करने जा रही है, इस सम्बन्ध में आपकी क्या नीति है?

श्री शतरुद्र प्रकाश–

हमारी नीति क्या है, इस संबंध में मैंने पहले भी स्पष्ट किया था कि कोई नई नीति नहीं है, जो भी मार्गदर्शन हमें केन्द्र सरकार द्वारा दिया गया है, उसी के

हिसाब से यहां पर पालन हो रहा है कि जिले में जिले स्तर पर, प्रदेश में प्रदेश स्तर तथा केन्द्र में केन्द्र स्तर पर । इस बारे में केन्द्र द्वारा मार्ग दर्शन सन् 1989 में दिए गये थे और उस समय केन्द्र में राजीव गांधी की सरकार केन्द्र में थी .....

(घोर व्यवधान)

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि पंजाब व जम्मू कश्मीर की सरकारों ने अपने यहां के बढ़ते हुए अपराधों को देखकर हथियारों के लाईसेंस आपेन कर देने के नियम बनाए हैं, जबकि मेरी जानकारी के अनुसार इनके आस-पास के प्रदेशों ने भी जैसे हरियाणा है व मध्य प्रदेश है,. ने भी लाईसेंस आपेन कर दिए हैं, उसी तरह से क्या यह उत्तर प्रदेश सरकार भी आम पब्लिक की सुरक्षा हेतु, हिंसा, लूट व आगजनी आदि पर काबू पाने हेतु कोई नियम बनाने पर विचार करेगी क्योंकि यहां की पुलिस यहां के 1-1 नागरिकों की सुरक्षा कैसे कर पाएगी और जैसा कि आन्ध्र में मा0 रामा राव की सरकार भी शहरियों की सुरक्षा हेतु हथियारों के लाईसेंस दे रही है, मान्यवर, तो क्या इसी तरह से उत्तर प्रदेश में लोगों को अपनी निजी सुरक्षा के लिए लाइसेंस जारी करने का कष्ट करेंगे, भारत सरकार की जो नीति नवीनीकरण की है उससे लोगों को परेशान किया जा रहा है और उसके कारण भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, उसको देखते हुए क्या उत्तर प्रदेश सरकार भारत सरकार को अपनी संस्तुति करेगी?

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, प्रश्न को स्पष्ट करवा दें, तो अच्छा रहेगा ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं कह रहा हूं कि जिनका प्रश्न है, वह बोल लें, फिर आप स्पष्टीकरण लें ।

(व्यवधान)

अभी दो माननीय सदस्य बाकी हैं, उन्हें भी आप अनुपूरक प्रश्न पूंछने दें ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, मेरा प्रश्न माननीय मंत्री जी समझ नहीं पाये हैं, आप उसका उत्तर दिलवा दें । (कोई उत्तर नहीं दिया गया) ।

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं जिन व्यक्तियों के यहां पर डकैतियां पड़ी हैं, हत्यायें हुई हैं, वारदातें हुई हैं, उनकी सुरक्षा के लिए क्या आप लाइसेंस देने की कृपा करेंगे और नवीनीकरण में सुविधा प्रदान करेंगे?

एक सदस्य–

मान्यवर, इस पर चर्चा करा दें ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य चर्चा की बात कर रहे हैं, तो आज सदन का अंतिम दिन है । इस बात का भी ध्यान रहे ।

(व्यवधान)

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

आप लोग कृपया बैठ जायें । माननीय सदस्य रुचि ले रहे हैं । मैं बोल रहा हूं, तो आप बैठ जायें । आप अपनी रुचि दिखा रहे हैं, इसमें जन मानस की सुरक्षा का प्रश्न है । आप इस पर चर्चा की मांग कर रहे हैं, लेकिन आज सदन का अंतिम दिन है ।

(व्यवधान)

एक सदस्य–

चर्चा होनी चाहिए । आज ही चर्चा करा दी जाय ।

(कई सदस्यों के पुनः खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

यह उचित नहीं है । मैंने अपनी बात समाप्त नहीं की और आप सभी खड़े हो गये और बोलने लगे । मेरी बात तो समाप्त हो जाने दें । माननीय मंत्री जी को नहीं बोलने दे रहे हैं और न मुझे ही बोलने दे रहे हैं । आप सभी माननीय सदस्य कृपया बैठ जायें ।

(व्यवधान)

आप लोग कृपया बैठ जायं ।

(कई सदस्य खड़े होकर एक साथ बोलते रहे)

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, हम तो बैठे हैं । सदन को व्यवस्थित कर दें ।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें और शान्त हो जायं । कितनी बार आप उसी बात को बोलेंगे । . . . (व्यवधान) जो आप कह रहे हैं वह कार्यवाही का भाग नहीं बनेगा । आप सुन लें । मंत्री जी, बैठ जायं । जो माननीय सदस्य यह मांग कर रहे हैं कि इस पर चर्चा हो । उसके संबंध में मुझे यह कहना है कि चर्चा के लिए पहला नियम यह है कि उसके लिए सूचना होनी चाहिए, वह अभी नहीं है । आज सदन का अंतिम दिन है । अगर आपकी चर्चा स्वीकार भी होती है तो वह लैप्स हो जायेगी । यह भी आप जानकारी कर लें । कम से कम पुराने सदस्यों को तो इस नियम की जानकारी होनी चाहिए । जो आपकी भावना है उसी के अनुरूप यही सम्भव है कि आप शांत हो जायं और आपके प्रश्नों का उत्तर मंत्री जी दें । आप नियमों की जानकारी रखें ।

एक सदस्य–

हम स्पष्टीकरण चाहते हैं ।

श्री अध्यक्ष–

मैं स्पष्टीकरण के लिए पहला अवसर श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी को दूंगा । दूसरे में श्री अनुग्रह नारायण सिंह को अवसर दूंगा और उसके बाद आपको दूंगा ।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

मान्यवर, आप परम्परा देख लें

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अगर आपकी इस प्रश्न पर रुचि है तो आप माननीय मंत्री जी की बात सुनें । शांत हो जायं ।

श्री शारदा प्रताप शुक्ल–

मान्यवर, यह नीति विषयक बात है । पिछली सरकार ने रोक लगाकर गड़बड़ कर रखी है . .

(व्यवधान)

(श्री सुन्दर लाल के खड़े होकर कुछ कहने पर)

श्री अध्यक्ष–

सुन्दरलाल जी, मुझे आपकी भावना का विशेष ख्याल है । आप हमारे साथ पहले भी विधायक रहे हैं । आपकी भावना का ख्याल करना पड़ेगा । आप शांत हो जायं । तिवारी जी को सुन लें ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

श्रीमन्, पहले तो जो आपने कहा कि आज इस सत्र का अंतिम दिन है इसलिए चर्चा सम्भव नहीं है । मैं इसके बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि आपकी जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, उनका अगर आप प्रयोग करना चाहेंगे तो किसी इस प्रकार के जनहित के मामले में नियम 49 के अंतर्गत आधे घन्टे की चर्चा आज ही स्वीकार कर सकते हैं । उसमें किसी तरह की पाबन्दी नहीं होगी ।

श्री अध्यक्ष–

मैं इसमें व्यवस्था देता हूं ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

श्रीमन्, सुन लें । अगर आप चर्चा न कराना चाहें तो यह जनहित से जुड़ा हुआ सवाल है । मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा कि आप सदन को आश्वासन दिला दें । जो लाइसेन्सों के नवीनीकरण की प्रक्रिया है और जो व्यावहारिक कठिनाई है पुराने लाइसेंसों का आज नवीनीकरण नहीं हो रहा है । मंत्री जी ने कहा कि पुलिस के जरिये सुरक्षा करेंगे । मंत्री जी, अपराधों के आंकड़े देख लें और देख लें कि उसके हिसाब से पुलिस की संख्या कितनी है और आबादी के अनुपात में एक पुलिस कितनी आबादी पर आती है ? क्या वह व्यावहारिक रूप में सम्भव होगा या नहीं ? सही बात यह है कि पिछली सरकार ने जिनको अपनी साया से भी डर हो गया था उस मनोवैज्ञानिक डर से प्रभावित होकर उन्होंने यह प्रतिबन्ध लगाया है । हमने व्यवस्था परिवर्तन का वचन दिया है तो क्या पिछली सरकार का मार्ग दर्शन ही व्यवस्था परिवर्तन का रास्ता होगा? अगर नहीं तो इस पर पुनर्विचार करने में मंत्री जी को क्या परेशानी है कि सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये फिर से विचार करने का आश्वासन देंगे ?

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, माननीय रवीन्द्र नाथ तिवारी जी ने दो प्रश्न किये है । एक तो नियम 49 के बारे में है दूसरा पुनर्विचार करने के बारे में इजाजत दे तो मैं दोनों का उत्तर साथ-साथ दे दूं ।

श्री अध्यक्ष–

चौधरी वीरेन्द्र जी का भी यही प्रश्न है जिसका उत्तर नहीं आया ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, नियम 49 का जहां तक प्रश्न है माननीय तिवारी जी विद्वान सदस्य हैं । चर्चा का जहां तक सवाल है उसमें यह है कि किसी भी प्रश्न के बारे में जब उत्तर से व्यापक जानकारी नहीं हो पाये तो आधे घंटे के लिए चर्चा मांगी जाती है और उसके लिए एक व्याख्यात्मक टिप्पणी लिखी जाती है ।

(व्यवधान)

श्री शारदा प्रताप शुक्ल–

मान्यवर, जरा सुन लें . . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

पहले मंत्री जी का जबाब आने दें ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मैं आपका ध्यान नियम 49 (3) की ओर आकर्षित करना चाहता हूं उसमें साफ लिखा है "कोई सदस्य जो ऐसा विषय उठाना चाहते हों, उस दिन से, जिस दिन वे उस विषय को उठाना चाहते हों, तीन दिन पूर्व सचिव को उसकी लिखित सूचना भेजेंगे और इस विषय या उन विषयों का जिनको वे उठाना चाहते हों, संक्षेप में उल्लेख करेंगे ।

(व्यवधान)

श्री शारदा प्रताप शुक्ल–

[x x x]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी के अतिरिक्त किसी सदस्य का कोई वाक्य नहीं लिखा जायेगा ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

जहां तक पुनर्विचार करने का प्रश्न है माननीय तिवारी जी ने जो प्रश्न किया है कि कांग्रेस की नीतियों का क्रियान्वयन न जारी रखना चाहते हैं तो मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं और सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस सरकार की अपनी नीति है और किसी सरकार की नीतियों की यह नकल नहीं करेगी । इसलिए किसी सवाल पर पुनर्विचार करना होगा तो खुले दिमाग से बदली हुई परिस्थितियों में नये संदर्भ में आज के माहौल को देखते हुए तथा सब लोगों की सुरक्षा का प्राविधान करने तथा कानून व्यवस्था को चुस्त बनाने के लिए इस सवाल पर विचार करेंगे । स्वस्थ वातावरण में करेंगे ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं स्वयं एक प्रश्न करना चाहता हूं (व्यवधान) एक जानकारी मंत्री जी से करना चाहता हूं । जो मंत्री जी ने अभी कहा उसे पूरा मैं सुन नहीं पाया शोरगुल में क्या आपने यह कहा कि स्वस्थ परम्परा में इस पर विचार करेंगे ?

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

यह तो आप ही व्यवस्था दें गे और शोर को भी आप ही कम करें गे और आप जो व्यवस्था दें गे उसे हम सिर झुका कर मानें गे यह हमारा उत्तरदायित्व है । लेकिन जो नीति प्रतिपादित की गयी है या जो नियमों में संशोधन किया गया है यह केन्द्र द्वारा किया गया है क्योंकि आयुध अधिनियम केन्द्र का है और 1989 में केन्द्र ने इसमें संशोधन किया . . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप शांत रहिये (कई सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगे) मंत्री जी का जबाब आने दीजिए उसके उपरान्त आप बोलें, शुक्ला जी आप जरा सुन लें । जो बात मैं जानना चाहता हूं उसको सुनने तो दें ।

(कई सदस्यों के खड़े होकर जोर-जोर से बोलने पर)

यह आप लोगों का व्यवहार उचित नहीं है । पुराने सदस्य भी खड़े हैं । मैं निवेदन करूंगा कि बैठ जायं । जो मंत्री जी बात कह रहे हैं उसको मैं स्वयं नहीं सुन पा रहा हूं । आप लोग शांतिपूर्वक बैठ जायं ।

(घोर व्यवधान)

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, केन्द्र सरकार द्वारा जो संशोधन किया गया उसके परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश सरकार ने नीतियों का निर्धारण किया है । मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार . . .

(शोर)

श्री अध्यक्ष–

यदि चर्चा की मांग करना है तो लिखित दें (घोर व्यवधान) मैं निवेदन करता हूं कि आप लोग अपना-अपना स्थान ग्रहण करें (घोर व्यवधान) अपना स्थान ग्रहण यदि नहीं करते हैं तो मैं 10 मिनट के लिए सदन को स्थगित करता हूं ।

(तत्पश्चात् 11 बजकर 37 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष ने 10 मिनट के लिए स्थगित कर दी । 11 बजकर 47 मिनट पर मार्शल ने सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 12 बजे तक के लिए और बढ़ा दिया है । सदन की कार्यवाही 12 बजे श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री कल्याण सिंह–

अध्यक्ष महोदय, आग्नेयअस्त्रों का लाइसेंस देने पर, नवीनीकरण के लाइसेंस पर पूरा सदन चिंतित है और आन्दोलित है । यह सदन जन-जीवन से जुड़ा है उनकी सुरक्षा और जिन्दगी से जुड़ा है । इस सवाल के दो खण्ड हैं । एक तो नये शस्त्रों के लाइसेन्स की स्वीकृति का और पुराने शस्त्रों के लाइसेंस के नवीनीकरण का । मान्यवर, जहां तक लाइसेंस पर रोक लगाने का प्रश्न है इसके दो परिणाम सामने आ रहे हैं, जो वैध हथियार रखना चाहते हैं वह वैध हथियार नहीं रख पा रहे हैं । जन-जीवन

खतरे में पड़ गया है । मान्यवर, जो अधिकार जिलाधिकारी को प्राप्त था कि वह जिला अथवा प्रान्तों का, पूरे देश का लाइसेंस नवीनीकरण कर देते थे । नयी नीति के तहत जिले के लाइसेंस जिले में नवीनीकरण हो रहे हैं । अखिल भारतीय सीमा को प्रदेश की सीमा तक किया जा रहा है । नये लाइसेंस अच्छे आदमियों को देने के लिए केन्द्र से कोई प्रबन्ध नहीं किया जा रहा है । यह फैसला राज्य सरकार का है, तो क्या राज्य सरकार फिर से लाइसेंस स्वीकार करने की प्रणाली पर विचार करेगी उसमें कोई फैसला करेगी । दूसरी बात केन्द्र ने कोई बन्दिश लगाई है तो क्या सरकार केन्द्र को यह संस्तुति करेगी कि लाइसेंस के नवीनीकरण के ऊपर जो प्रतिबन्ध लगा है उसको समाप्त किया जाय । अधिकारियों को ऐसे अधिकार दिए जाएं ताकि लाइसेंस की स्वीकृत में दिक्कत न पड़े । मैं पुरानी बात नहीं कर रहा हूं, हम चाहते हैं कि नयी सरकार नये सिरे से इन महत्वपूर्ण सवालों पर कदम उठाने के लिए तैयार हो ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, मैं कल्याण सिंह जी का आदर करता हूं । जो परिस्थितियां हैं सचमुच में कठिनाई की हैं, कठिनाई क्या है यह माननीय सदस्य जानते हैं कुछ विसंगतियां आ गई हैं लाइसेंस के संबंध में, उसको कोई अस्वीकार नहीं कर सकता है। मान्यवर, 24 जनवरी, 1989 को केन्द्र सरकार ने जो आयुद्ध नियमावली है लाइसेंस देने की उसमें संशोधन कर दिया है । संशोधन करके 3 प्राविधान कर दिये हैं । जिलाधिकारी को जिले स्तर पर यह अधिकार दिया गया है कि आप जिला स्तर पर लाइसेंस दे सकते हैं । राज्य सरकार को राज्य स्तर पर अधिकार दिया गया है और देश भर के लिये केन्द्र सरकार दे सकती है । इससे बड़ी विसंगति आ गयी है, सरकार भी इसको महसूस करती है । लेकिन जो पुरानी नीति है, नियम हैं उस पर पुनर्विचार करेंगे तो उलझ जायेंगे । पुरानी बातों को हमने छोड़ दिया है, पीछे देखना हमारा काम नहीं है । आज क्या है, भविष्य में क्या होगा, हम इसको देख रहे हैं । जो विसंगतियां आयी हैं उनको देखने की आवश्यकता पड़ रही है । हम केन्द्र सरकार को इस बात से अवगत करायेंगे और जो विसंगतियां नवीनीकरण तथा लाइसेन्स देने के संबंध में हैं उन सबको दूर करने का प्रयास करेंगे ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने से शोर)

श्री अध्यक्ष–

अब पूर्ण आश्वासन आ गया है

श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है ।

श्री अध्यक्ष–

पूर्ण आश्वासन आ गया है, मैं अब अवसर नहीं दूंगा । माननीय कल्याण सिंह जी आपकी दोनों बातों का उत्तर आ गया है ।

(तथा "क" प्रश्न सं0 1 पुकारे जाने पर ।) (शोर)

श्री पंचानन राय–

मेरा एक प्रश्न है ।

(श्री महेश चन्द्र अग्रवाल एवं श्री ओम प्रकाश गुप्त सदन के फ्लोर पर आ गये ।)

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, जवाब साफ नहीं आया है । जो उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रतिबन्ध लगाया है उस पर जवाब दिलवा दें ।

(कई सदस्यों के खड़े होकर शोर करने पर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यगण अपना आचरण ठीक करें । अपने स्थान पर जायं ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, जवाब दिलवा दें ।

श्री अध्यक्ष–

पहले आप अपने स्थान पर जायं तभी कोई उत्तर दिया जायेगा ।

(तत्पश्चात् श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल एवं ओम प्रकाश गुप्ता अपने-अपने स्थान पर वापस चले गये ।)

श्री पंचानन राय–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश के अन्दर दूसरे राज्यों के तमाम लाइसेंसधारी हथियार लिये घूम रहे हैं जिसमें खासतौर से अराजक तत्व हैं । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो बाहर के राज्यों के लाइसेंस हैं उनको जब्त करने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न लाइसेंस देने और रिनूअल का था, यह दूसरा प्रश्न हो गया, यह मूल प्रश्न का अनुपूरक प्रश्न है ही नहीं ।

(व्यवधान के मध्य)

मैं ऐसा अनुभव कर रहा हूं कि माननीय सदस्य सदन को चलने नहीं देना चाहते हैं । माननीय संसदीय कार्य मंत्री, जो मा0 सदस्य सदन को चलने नहीं दे रहे हैं, आप इनको इंगित करें ।

(घोर व्यवधान)

पूरा आश्वासन आ गया, मंत्री जी ने उत्तर दे दिया ।

(कई सदस्यों के खड़े होकर बोलने पर)

पूरा दल खड़ा है, मैं किसकी बात सुन लूं ?

(शोर के मध्य श्री पंचानन राय के खड़े होने पर)

मैं ऐसी अनुमति नहीं देता, माननीय पंचानन राय जी खड़े हैं ।

(व्यवधान)

सदन को चलाने के लिए सुचारु रूप से जो कुछ नियम के अन्तर्गत होगा, उसे मैं करूंगा ।

श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, स्पष्ट उत्तर आ गया होता तो सदन में यह उत्तेजना न होती । मैं फिर आपके माध्यम से बहुत स्पष्ट सवाल पूछ रहा हूं । अभी मंत्री जी ने उत्तर दिया कि नई परिस्थितियों में नई आवश्यकता को देखते हुए इन विसंगतियों को दूर करेंगे और केन्द्र सरकार से कहेंगे कि जो कठिनाइयां आ रही हैं, वह दूर की जायं ?

(2) केन्द्र सरकार को आप अपनी स्पष्ट संस्तुति कब तक भेज देंगे और जब तक आपकी संस्तुति पर केन्द्र सरकार से कोई उत्तर नहीं आ जाता है, तब तक आप इतनी अवधि और बढ़ायेंगे ?

(3) जो राज्य सरकार ने रोक लगा रखी है, इसमें केन्द्र का कोई लेना-देना नहीं है । अराजक तत्वों के पास हथियारों की कोई कमी नहीं है, तो क्या यहां पर अच्छे लोगों को सरकार लाइसेंस देने पर विचार करेगी ?

श्री शतरुद्र प्रकाश–

माननीय, मैं बहुत स्पष्ट उत्तर देने की कोशिश करूंगा ।

(श्री पंचानन राय के खड़े होने पर घोर व्यवधान)

माननीय कल्याण सिंह जी ने नवीनीकरण के संबंध में एक निश्चित प्रश्न किया है और सचमुच नवीनीकरण को लेकर बहुत दिक्कत आ रही है, केन्द्र सरकार ने जो मार्ग दर्शन दिये हैं उन्हीं के अनुरूप राज्य सरकार ने भी कुछ नीतियों का प्रतिपादन किया है और कुछ निर्देश दिये हैं । उसमें जिलाधिकारियों को कहा गया है कि जिनके भी पुराने लाइसेंस हैं, जब वह नवीनीकरण के लिए आयें, उनको जिला स्तर तक सीमित रखते हुए नवीनीकरण दे दें और अगर प्रदेश स्तर का हो, तो उस स्तर का नवीनीकरण दे दिया जाय और जो देश स्तर का हो, तो उसे केन्द्र सरकार के पास भेज दिया जाय । यह स्पष्ट निर्देश मान्यवर, 10 मार्च, 1989 द्वारा कतिपय श्रेणियों के.....

(श्री रघुवर दयाल वर्मा के खड़े होने पर व्यवधान)

अरे सुन तो लीजिए, कल मंत्री हो जाओगे, सुन तो लीजिए।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

एक मिनट मान्यवर, सुन लीजिए।

(घोर व्यवधान)

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मेरी बात तो सुन लीजिए। माननीय कल्याण सिंह जी के प्रश्न का उत्तर तो मुझे देने दीजिए।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कोई उत्तर सुनना नहीं चाहता हूं। माननीय मंत्री जी, आपसे निवेदन है कि तारांकित प्रश्न संख्या–1 का उत्तर आप दें। मैं पहले बुला चुका हूं।

(व्यवधान)

श्री बृजेन्द्र सिंह–

प्रश्न संख्या–2 का उत्तर नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष–

मैं नत्थी "ख" के प्रश्न संख्या एक को कह रहा हूं, मंत्री जी आप उनका उत्तर दें जिन माननीय सदस्यों की इच्छा यह है कि वे सदन नहीं चलने देंगे यह उचित नहीं है (घोर व्यवधान) कृपया मेरी सहायता करें।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, नत्थी ''क'' का 2 चल रहा है।

श्री अध्यक्ष–

नत्थी ''ख'' का पहला चल रहा है मैंने राजेन्द्र गुप्त जी को बुलाया है। वे खड़े भी हो चुके हैं।

(घोर व्यवधान)

माननीय मंत्री जी पहले प्रश्न संख्या 2 का कोई उत्तर नहीं देंगे और जो इस तरह से बोलेंगे उनकी बात भी नहीं लिखी जायेगी। राजेन्द्र गुप्त जी खड़े हो गये हैं माननीय मंत्री जी उसका उत्तर दें।

[बुधवार दिनांक 17 जनवरी, 1990 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

प्रदेश के उद्योग शून्य जिलों में औद्योगीकरण का पुनः निर्धारण

*1–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में ऐसे कौन-कौन से जिले हैं जो उद्योग शून्य तथा उद्योग की दृष्टि से पिछड़े जिले माने जाते हैं? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उपरोक्त कोटि में जिलों के विभाजन का आधार क्या है? क्या कई वर्ष पूर्व निर्धारित वर्तमान औद्योगिक वर्गीकरण का पुनर्निर्धारण किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)–

उत्तर प्रदेश में 42 जनपदों को भारत सरकार द्वारा पिछड़ा घोषित किया गया है। उनमें से 11 जनपद उद्योग शून्य जनपदों तथा पर्वतीय दूर दराज क्षेत्र के 4 जनपदों को शामिल करते हुए श्रेणी ''ए'' में 15 जनपदों को रखा गया है। 6 जनपदों को श्रेणी ''बी'' में तथा 21 जनपदों को श्रेणी ''सी'' में रखा गया है। वर्गीकृत श्रेणी ''ए'', ''बी'' तथा ''सी'' जनपदों की सूची संलग्न है।

औद्योगिक रूप से शून्य एवं पिछड़े जनपदों का वर्गीकरण भारत सरकार द्वारा किया जाता है। वर्गीकरण के अनुसार ''ए'' श्रेणी में वे जनपद रखे गये हैं जहां जिला उद्योग केन्द्र की वर्ष 1979-80 के एक्शन प्लान के अनुसार कोई मध्यम या भारी उद्योग न लगा हो तथा पर्वतीय दूर दराज के 4 जनपदों को स्पेशल रीजन जनपद मानते हुए उन्हें श्रेणी ''ए'' में रखा गया है। ''बी'' श्रेणी में उन जनपदों को रखा गया है जिनमें 1 अप्रैल, 1983 के पूर्व 1 अक्टूबर, 1970 से केन्द्रीय पूंजी उपादान योजना लागू थी तथा जिन्हें श्रेणी ''ए'' में नहीं रखा गया था। ''सी'' श्रेणी में वे जनपद रखे गये जिनमें 1 अक्टूबर, 1970 से केवल कन्शेशनल फाइनेन्स की सुविधा अनुमन्य थी।

शून्य उद्योग जनपद तथा पिछड़े जनपदों का वर्गीकरण भारत सरकार के द्वारा किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रदेश सरकार के स्तर पर वर्तमान वर्गीकरण का पुनर्निधारण करना सम्भव नहीं है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 147 पर)

(मंत्री जी द्वारा लिखित उत्तर पढ़े जाने पर।)

(घोर व्यवधान)

नोट :–तारा0 प्रश्न संख्या 1 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

बदायूं जनपद में साम्प्रदायिक दंगों से प्रभावित व्यक्तियों को आर्थिक सहायता

*2–श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य–

क्या गृह मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि 28 सितम्बर, 1989 को बदायूं नगर में भड़के दंगे में कितने व्यक्तियों की जानें गयीं, कितने घायल हुए तथा कितनी सम्पत्ति की हानि हुई ? शासन द्वारा मृत व्यक्तियों के परिवारों को एवं जिनकी सम्पत्ति नष्ट हुई, उनको क्या आर्थिक सहायता दी गई ? क्या अभी मुआवजा मांगने वालों के प्रार्थना पत्र शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उन पर निर्णय कब तक ले लिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्राप्त सूचना के अनुसार बदायूं नगर में दिनांक 28-9-89 को हुए साम्प्रदायिक दंगे में मृत, घायल एवं सम्पत्ति की अनुमानित क्षति का विवरण निम्नवत है :–

मृतकों की संख्या	घायलों की संख्या	सम्पत्ति की अनुमानित क्षति
31	187	रु0 4.5 करोड़

उपरोक्त दंगे से पीड़ित व्यक्तियों को शासन द्वारा अब तक रु0 34.37 लाख की धनराशि उपलब्ध कराई गई :–

27 मृतकों के आश्रितों को–	रु0 15 लाख
घायल व्यक्तियों को–	रु0 84,500/-
सम्पत्ति की क्षति की मद में–	रु0 18,53,290/-

एक मृतक के आश्रित की जांच की जा रही है । तीन मृतकों की शिनाख्त अब तक नहीं हो सकी है ।

वर्तमान में सम्पत्ति की क्षति के लम्बित 52 दावों के अतिरिक्त 1044 लूट के मामलों, जिनमें स्थानीय पुलिस द्वारा जांच की जा रही है, में भी नियमानुसार आर्थिक सहायता वितरित किये जाने के निर्देश जिलाधिकारी को दे दिये गये हैं ।

उत्तर प्रदेश में मण्डी समिति का गठन तथा अध्यक्ष पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया

*3–श्री गुलाब सिंह (मिर्जापुर)–

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मण्डी समिति उत्तर प्रदेश के किन जनपदों में चुनाव हुए हैं तथा किन जनपदों में समिति का गठन मनोनयन द्वारा किया गया है ? क्या सरकार यह भी बताएगी कि अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति हेतु क्या प्रक्रिया अपनायी जायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

उत्तर प्रदेश के किसी जनपद में मण्डी समिति के चुनाव नहीं कराये गये हैं और न ही समिति का गठन मनोनयन द्वारा किया गया है ।

संगठित समिति का अध्यक्ष नहीं होगा बल्कि समिति नियत रीति से अपने उत्पादक सदस्यों में से अपने सभापति और उप सभापति का निर्वाचन करेगी ।

वाराणसी में मुहर्रम के अवसर पर हुए दंगे की जांच हेतु गठित समिति की रिपोर्ट की जानकारी

*4–श्री अमर नाथ यादव–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 12-12-78 को वाराणसी नगर में मुहर्रम के अवसर पर हुए दंगे की जांच के लिए कोई समिति गठित की गयी थी ? यदि हां, तो जांच के लिए संदर्भित मुद्दे क्या थे ? क्या समिति की कोई रिपोर्ट शासन को प्राप्त हुयी है ? यदि हां, तो क्या है और कौन लोग दोषी पाये गये है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं । अन्य प्रश्न नहीं उठते ।

प्रदेश में आठवीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत समस्त ग्रामों का विद्युतीकरण किये जाने का प्रस्ताव

*5–श्री राम स्वरूप वर्मा–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या सरकार ने कोई ऐसी योजना बनाई है जिसमें पांच वर्ष के अन्दर प्रदेश के प्रत्येक गांव को बिजली देने का लक्ष्य है ? यदि हां, तो उसकी रूप रेखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां । आठवीं पंचवर्षीय योजना (1990-95) के अन्तर्गत प्रदेश के सभी ग्रामों का केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की परिभाषानुसार विद्युतीकरण करने का प्रस्ताव है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में व्यक्तिगत शस्त्रों के लाइसेन्स और उनके नवीनीकरण के लिए नई प्रणाली लागू किए जाने की मांग

*6–श्री राज किशोर सिंह, डा0 दिनेश जौहरी तथा श्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि व्यक्तिगत शस्त्रों के लाइसेंस और उनके नवीनीकरण के लिए सरकार ने नई प्रणाली लागू की है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्रदेश की वर्तमान सरकार के गठन के बाद व्यक्तिगत शस्त्रों के लाइसेंस और उनके नवीनीकरण की कोई भी नई प्रणाली नहीं लागू की गई है ।

जनपद फतेहपुर के अमौसी ब्लाक में गोवध के अभियोग में गिरफ्तार व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही

*7–श्री कल्यान सिंह–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला फतेहपुर के ब्लाक अमौसी कस्बे में गो हत्या होने की रिपोर्ट पुलिस चौकी में माह सितम्बर, 1989 में दर्ज करायी गयी ? यदि हां, तो वह पूरी घटना क्या है ? क्या इस घटना को लेकर कुछ शान्ति प्रिय नागरिकों द्वारा प्रदर्शन किया गया है ? यदि हां, तो क्या शासन द्वारा गो हत्या करने वालों को गिरफ्तार किया गया और उनके विरुद्ध कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां।

प्राप्त सूचनानुसार श्री श्याम बिहारी, निवासी अमौली, थाना चांदपुर, जिला फतेहपुर द्वारा थाना चांदपुर पर दिनांक 9-9-89 को सायं लगभग 7.10 बजे 4 नामांकित व्यक्तियों के विरुद्ध गाय काटने व उनमें से 2 व्यक्तियों द्वारा उसका मांस बेचने की लिखित सूचना दिए जाने पर एक अभियोग अन्तर्गत धारा 58 गोवेध निवारण अधिनियम पंजीकृत किया गया। घटना को लेकर लोगों द्वारा दुकानों को बन्द कराने का प्रयास किया गया। गोबध की घटना से संबंधित अभियोग में 2 नामजद अभियुक्तों को पुलिस द्वारा उसी दिन गिरफ्तार किया गया तथा शेष दो ने न्यायालय में आत्म-समर्पण किया। विवेचनोंपरान्त सभी अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है।

जनपद बांदा के दस्यु प्रभावित क्षेत्रों में मानक से अधिक पुलिस बल लगाये जाने की मांग

*8–डा0 सुरेन्द्र पाल वर्मा–

क्या गृह मंत्री बतायेंगे कि बांदा जनपद के दस्यु प्रभावित क्षेत्र होने के बावजूद भी वहां मानक से कम पुलिस बल है ? यदि हां, तो पुलिस बल की संख्या मानक के अनुसार क्या है तथा मौजूदा समय में पुलिस बल की संख्या क्या है ? क्या बांदा जनपद की विशेष परिस्थिति को ध्यान में रखकर पुलिस बल की संख्या मानक से अधिक स्थायी रूप से बढ़ा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

बांदा जनपद में वर्तमान पुलिस बल शासन द्वारा स्वीकृत पुलिस बल के अनुसार है। यह सही है कि वर्तमान पुलिस बल नागरिक पुलिस बल हेतु पुलिस कमीशन 1960-61 तथा सशस्त्र पुलिस बल हेतु पियर्स कमेटी 1944-45 और यातायात पुलिस बल हेतु दिल्ली पुलिस कमीशन की संस्तुतियों के मानक की तुलना में कम है।

बांदा जनपद में वर्तमान में पुलिस बल तथा ऊपर लिखित कमीशनों की संस्तुतियों के अनुसार पुलिस बल का जो नियतन आता है, वह संलग्न सूची में दिया गया है।

बांदा जनपद की परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में वहां मानक से अधिक पुलिस बल की आवश्यकता पर विचार किया जा रहा है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 148 पर)

*9–हरद्वार दूबे–

[दूसरे गुरुवार में ता0 प्र0 सं0 6 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

उत्तर प्रदेश में राज्य विद्युत परिषद् द्वारा विद्युत उत्पादन को सुधारने का प्रयास

*10–श्री शिव प्रताप शुक्ला–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में इस समय कितने मेगावाट विद्युत उत्पादन हो रहा है ? उसमें ताप और पन विद्युत का उत्पादन कितना है ? क्या यह सही है कि रिहन्द जलाशय का जल स्तर गत वर्ष की तुलना में इस समय बहुत ही कम है ? यदि हां, तो जल स्तर को पूरा करने के लिए क्या प्रयास किया जा रहा है ? विद्युत उत्पादन में सुधार के लिए सरकार कौन सा उपाय कर रही है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् में औसतन विद्युत उत्पादन निम्नवत हो रहा है :

	दिसम्बर 1989	जनवरी 1990 (प्रथम सप्ताह)
तापीय	1640 मे0 वा0	1700 मे0 वा0
जल विद्युत	470 मे0 वा0	440 मे0 वा0
कुल	2110 मे0 वा0	2140 मे0 वा0

गत वर्ष 1-1-1989 को रिहन्द जलाशय के 862.2 फीट स्तर के समक्ष इस वर्ष 1-1-1990 को इसका स्तर 851.8 फीट है ।

रिहन्द जल-स्तर में कमी को ध्यान में रखते हुये, रिहन्द विद्युत गृह से उत्पादन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है तथा इससे सांय एवं प्रातः पीक समय में ही आवश्यकतानुसार उत्पादन किया जाता है ।

बन्द तापीय इकाईयों को शीघ्र ही चालू करने के प्रयास किये जा रहे हैं ।

जनपद जालौन के उरई चुर्खी मार्ग पर बाईपास बनाकर भारी वाहनों के गुजरने की व्यवस्था

*11–श्री देव कुमार यादव–

क्या गृह मंत्री को इस बात की जानकारी है कि जनपद जालौन (उरई) में राष्ट्रीय मार्ग-25 एवं उरई चुर्खी मार्ग के बीच बाईपास सन् 1988 में ही बनकर तैयार हो गया था एवं 30 मई, 1988 को उसका (बाईपास का) असाधारण गजट में प्रकाशन भी हो चुका था ताकि कानपुर-झांसी मार्ग का यातायात (भारी वाहन ट्रक एवं बस) शहर उरई के अन्दर से न गुजर कर बाईपास से गुजरे ? क्या यह सही है कि यातायात पुलिस की लापरवाही की वजह से यातायात (भारी वाहन) बाई पास से नहीं गुजर रहा है जिसके परिणाम स्वरूप अब तक कई दुर्घटनायें हो चुकी हैं ? यदि हां, तो सरकार तुरन्त बाई पास से वाहनों के आवागमन की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्राप्त सूचना के अनुसार बाईपास अभी तक पूर्ण रूप से निर्मित नहीं हो पाया है। उरई-चुर्खी राष्ट्रीय मार्ग-25 के मध्य बाईपास के एक किलोमीटर पर गोहानी नाले पर निर्मित पुल के निर्माण का गजट दिनांक 30-5-88 द्वारा पथकर की दरों/शर्तों और निबन्धों के निर्धारण की अधिसूचना प्रकाशित की गयी थी । इसका तात्पर्य यह बिलकुल नहीं है कि कानपुर-झांसी मार्ग का समस्त ट्रैफिक बाईपास के मध्य निर्मित उरई-चुर्खी मार्ग से ही गुजरे ।

यह कथन सही नहीं है कि यातायात पुलिस की लापरवाही से यातायात (भारी वाहन) बाइपास से नहीं गुजर रहा है और कई दुर्घटनायें हो चुकी है । बाईपास के पूर्ण रूप से निर्मित हो जाने पर भारी वाहनों का इससे निकलना संभव हो सकेगा ।

जनपद पीलीभीत के बिलसण्डा के पुलिस अधिकारियों को पुरस्कृत किये जाने पर विचार

*12–श्री हरीश कुमार गंगवार–

क्या सरकार को ज्ञात है कि 26-10-89 को जिला पीलीभीत की पुलिस ने मुठभेड़ के उपरान्त थाना बिलसण्डा क्षेत्र में 5 कुख्यात आतंकवादियों को कई विदेशी आधुनिक शस्त्र व भारी मात्रा में कारतूसों सहित पकड़ा था ? यदि हां, तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण सफलता को प्राप्त करने वाले पुलिस कर्मचारियों व अधिकारियों को क्या पारितोषिक दिया गया ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां, जनपद पीलीभीत के थाना बिलसण्डा के पुलिस ने मुठभेड़ एवं गोलाबारी के उपरांन्त पांच कुख्यात आतंकवादियों को अत्याधुनिक विदेशी शस्त्रों सहित गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की ।

सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों को पुरस्कृत किये जाने का प्रकरण अभी पुलिस उप महानिरीक्षक, बरेली परिक्षेत्र बरेली के यहां विचाराधीन है ।

प्रदेश में विद्युत उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत चोरी

*13–श्री विजय सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री को ज्ञात है कि प्रदेश में अधिकांश विद्युत उपभोक्ताओं के घरों में लगे हुये मीटरों की डिब्बी को सील न किये जाने के कारण रोजाना लाखों यूनिट बिजली की चोरी की जाती है ? क्या मंत्री जी सभी उपभोक्ताओं के मीटरों की नीचे की डिब्बी को सील किये जाने के आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

जब दबिशों के कारण कोई ऐसा मामला प्रकाश में आता है तो उस पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है ।

मीटरों को सील करने के आदेश पहले से ही है फिर भी संबंधित अधिकारियों को इस विषय में पुन: पत्र द्वारा निर्देश दे दिये गये है ।

जनपद मुरादाबाद के श्री दामोदर सिंह पुत्र चौ0 किशन सिंह भूतपूर्व विधायक की मृत्यु की जांच

*14–श्री मोहम्मद रिजवानुल हक–

क्या गृह मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि श्री दामोदर सिंह पुत्र श्री चौ0 किशन सिंह भू0 पू0 विधायक मुरादाबाद की अस्वाभाविक मृत्यु संदिग्ध परिस्थितियों में अप्रैल, 1989 में हो गयी जिसकी सूचना पर थानाध्यक्ष भोजपुर श्री राजेन्द्र सिंह ने बिना पंचायत नामा भरे तथा बिना पोस्टमार्टम कराये दाह संस्कार की अनुमति दे दी थी ? यदि हां, तो क्या सरकार इस हत्या के प्रकरण की जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं । प्राप्त सूचना के अनुसार श्री दामोदर सिंह पुत्र श्री चौ0 किशन सिंह भू0 पू0 विधायक मुरादाबाद की मृत्यु दिनांक 21-3-89 को टी0 बी0 की लम्बी बीमारी

तथा शराब पीने के कारण स्वाभाविक रूप से हुई । इस सम्बन्ध में सहायक पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद द्वारा जांच की गई । थानाध्यक्ष, भोजपुर के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं हुई । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

अतारांकित प्रश्न

जनपद बदायूं में हुए दंगे की जांच आख्या

1—श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य—

क्या गृह मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि 28 सितम्बर, 89 को बदायूं में हुए दंगे की जांच कर रहे आयुक्त की आख्या शासन को मिल गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसे पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी नहीं । शेष का प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद बदायूं में विद्युत आपूर्ति किये जाने की मांग

2—श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य—

क्या ऊर्जा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि बदायूं नगर में 20 से 30 नवम्बर, 89 तक विद्युत की सप्लाई प्रति दिन कितने घंटे रही ? क्या बदायूं नगर में विद्युत की आपूर्ति अन्य नगरों से कम रही है ? यदि हां, तो कम सप्लाई के क्या कारण हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

दिनांक 20-11-89 से 30-11-89 तक बदायूं नगर को केवल निम्न दिनों को छोड़ कर प्रणाली में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार निर्धारित 24 घंटे प्रतिदिन विद्युत आपूर्ति की गई :—

दिनांक	बदायूं नगर को की गई विद्युत आपूर्ति (घंटों/दिन में)
21-11-89	22 1/2
23-11-89	21 1/4
27-11-89	22
30-11-89	21 3/4

उपरोक्त दिनों में बदायूं नगर की विद्युत आपूर्ति में जो कमी आयी वह आपात कालीन कटौती के कारण थी, जो प्रणाली को पूर्ण क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिये की गई । यह विद्युत कटौती न केवल बदायूं नगर में की गई वरन इस स्तर के अन्य नगरों में भी की गई ।

उपरोक्त विद्युत आपूर्ति में स्थानीय दोष के कारण हुए व्यवधान शामिल नहीं है ।

3—श्री पंचानन राय—

[दिनांक 11-1-90 को अता0 प्र0 सं0 15 द्वारा उत्तरित]

सेवा निवृत्त श्री राम सरन निगम, मैकेनिक कार्यालय कृषि रक्षा अधिकारी, कानपुर के देय अवशेषों का भुगतान

4–श्री राम पाल वर्मा–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि श्री राम सरन निगम, मैकेनिक, कार्यालय कृषि रक्षा अधिकारी, कानपुर को अचानक 24 मार्च, 1987 को सेवा-निवृत्त करके फरवरी, 1987 से सेवा-निवृत्त माना जा रहा है ? यदि हां, तो क्या श्री निगम के पेंशन व जी0 पी0 फण्ड के प्रकरण महालेखाकार को भुगतान हेतु भेज दिये गये हैं ? यदि हां, तो किस तिथि को ? यदि नहीं, तो क्यों ? सरकार श्री निगम को देय बकाये का भुगतान तथा उल्लिखित प्रकरण महालेखाकार को भिजवाना कब तक सुनिश्चित करेगी ? क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि श्री निगम को सेवा-निवृत्त पर उपार्जित अवकाश के नकदीकरण का भुगतान व 1 से 24 मार्च, 87 तक के परिश्रम के मूल्यांकित वेतन का भुगतान क्यों और किन परिस्थितियों में नहीं किया गया है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जी हां ।

दिनांक 8-7-88 को

प्रश्न नहीं उठता ।

सेवा निवृत्त पर 66 दिन के उपार्जित अवकाश के नगदीकरण का भुगतान दिनांक 29-12-87 को किया जा चुका है । सेवा-निवृत्त के उपरान्त दिनांक 1-3-87 से 24-3-87 तक का वेतन नियमानुसार देय नहीं है ।

श्री छेदी पुत्र रामदास तथा श्री साहब बख्श व श्री रामतीरथ पुत्रगण श्री छेदी निवासी पूरे सुमेरपुर जनपद फैजाबाद के विरुद्ध चोरी से फल तोड़े जाने विषयक पत्र पर कार्यवाही

5–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1989 के पहले मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–144 के उत्तर के संदर्भ में गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या दोनों पक्षों ने पुलिस के माध्यम से आपस में लिखित सुलह किया है ? यदि हां, तो उस पर किस-किस के हस्ताक्षर हैं ? क्या यह सही है कि मूलरूप से प्रार्थी व सम्पत्ति के मालिक श्री रामनेवल के हस्ताक्षर उक्त सुलह नामे पर नहीं हैं और वास्तविक रूप से समझौता नहीं हुआ है, जिससे विपक्षीगण कटहल के वृक्ष पर अवैध कब्जा बनाये हुए हैं तथा श्री राम नेवल को जान से मार डालने पर आमादा हैं ? क्या मंत्री जी प्रश्नगत मामले में गम्भीरता से जांच कराकर विपक्षीगणों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही कराने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सुलहनामें पर सर्वश्री तेजबहादुर सिंह, छेदी, साहब बख्श, महराबदीन तथा श्री रामनाथ निवासीगण पूरे सुमेरपुर के हस्ताक्षर हैं । श्रीराम नेवल के उस पर हस्ताक्षर उस समय इसलिए नहीं हुए थे, क्योंकि वह उस समय होमगार्ड की ट्रेनिंग के सिलसिले में बाहर गया हुआ था ।

कटहल के पेड़ के स्वामित्व के बारे में अभी तक विवाद है और निर्विवादरूप से श्रीराम नेवल का उस पर स्वामित्व मान लेना वैधानिक न होगा । प्रश्नगत पेड़ के तीन दावेदार है । सही मालिक एवं उसके स्वामित्व निर्धारण हेतु राजस्व विभाग को लिखा गया है ।

श्री राम नेवल की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्थानीय पुलिस द्वारा निरोधात्मक कार्यवाही की जा चुकी है तथा उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु स्थानीय पुलिस को निर्देशित कर दिया गया है ।

श्री दयानन्द पाण्डेय पुत्र स्व0 श्री राम पाल पाण्डेय, पंजाब नेशनल बैंक, लखनऊ के शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही

6–श्री अकबर हुसैन बाबर–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दि019-7-89 के प्रश्नकर्ता के पत्र के साथ दयानन्द पाण्डेय, पुत्र स्व0 श्री राम पाल पाण्डेय, पंजाब नेशनल बैंक, लखनऊ का शिकायती पत्र प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो शिकायती पत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर मुल्जिमानों के विरुद्ध व प्रश्रय देने वाले पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही सुनिश्चित करायी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

प्रश्नगत प्रार्थना-पत्र की जांच तहसीलदार, सदर सुल्तानपुर द्वारा कराई गई, जिसमें पाया गया कि दयानन्द पाण्डेय के घर से निकलने वाली नाली को बन्द कर दिया गया है इस संबंध में 133 सी0आर0पी0 सी0 की कार्यवाही परगना मजिस्ट्रेट सदर के न्यायालय में विचाराधीन है। सशर्त (कन्डीशनल) आदेश पारित हो चुका है।

दूसरा विवाद आबादी के भूमि से संबंधित है । जिसके निस्तारण हेतु प्रार्थी को दीवानी न्यायालय में कार्यवाही करने का सुझाव दिया गया है ।

तीसरा मामला आपसी तनाव से संबंधित है जिसमें पुलिस अधीक्षक सुल्तानपुर को वैधानिक कार्यवाही के लिए निर्देशित किया गया है ।

श्री दयानन्द के आवेदन पत्र में स्थानीय पुलिस के विरुद्ध कोई आरोप नहीं अंकित किये गये । अतः पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

परगनाधिकारी, खलीलाबाद, बस्ती द्वारा मुहर्रम के जुलुस पर लाठी चार्ज कराने के आरोप की जांच

7–श्री अकबर हुसैन बाबर–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दि0 20-9-88 जो परगनाधिकारी, खलीलाबाद, बस्ती के विरुद्ध मोहर्रम के जुलूस पर लाठी चार्ज कराने के संबंध में है, जिसकी प्राप्ति की स्वीकृति संयुक्त सचिव गृह–7 के पत्र दि0 16-1-89 द्वारा प्रश्नकर्ता को प्राप्त हुई है, की जांच रिपोर्ट शासन को कब प्राप्त हुई ? क्या जांच अधिकारी ने प्रश्नकर्ता से इस संबंध में सम्पर्क किया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

सन्दर्भित जांच रिपोर्ट शासन को प्राप्त नहीं हुई ।

जी नहीं । अवगत कराया गया है कि ऐसा इसलिये नहीं किया कि मा0 सदस्य के पत्र में जांच अधिकारी से मा0 सदस्य से भी सम्पर्क करने की अपेक्षा नहीं की गई थी ।

जनपद बांदा की तहसील व थाना अतर्रा पर पुलिस निरीक्षक तथा क्षेत्राधिकारी की नियुक्ति की मांग

8--डा0 सुरेन्द्र पाल वर्मा--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जनपद के अतर्रा तहसील मुख्यालय के थाना अतर्रा में पुलिस निरीक्षक तथा तहसील मुख्यालय में पुलिस क्षेत्राधिकारी की नियुक्ति न होने के क्या कारण है? क्या जनहित को ध्यान में रखकर अविलम्ब उक्त नियुक्ति कर दी जायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जनपद बांदा की नव सृजित अतर्रा तहसील मुख्यालय के लिए क्षेत्राधिकारी तथा थाना अतर्रा के लिए निरीक्षक के पदों के सृजन के अभाव में क्षेत्राधिकारी एवं निरीक्षक की नियुक्ति नहीं की गई। जनहित को ध्यान में रखते हुए अतर्रा थाने का पर्यवेक्षण क्षेत्राधिकारी, नरैनी द्वारा किया जा रहा है तथा थाने पर वरिष्ठ उप निरीक्षक को थाना प्रभारी के रूप में नियुक्त किया गया है।

जनपद बांदा में अधिक समय से कार्यरत उपाधीक्षकों के स्थानान्तरण की मांग

9--डा0 सुरेन्द्र पाल वर्मा--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जनपद में कितने-कितने ऐसे पुलिस उप अधीक्षक हैं जिनकी नियमतः तैनाती की अवधि पूरी हो जाने के बाद भी वे बांदा जनपद में कार्यरत हैं? क्या ऐसे अधिकारियों का अविलम्ब स्थानान्तरण जनपद के बाहर किया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जनपद बांदा में ऐसे केवल दो पुलिस उपाधीक्षक सर्वश्री गोरखनाथ राय तथा तहसीलदार सिंह तैनात हैं जिनमें श्री गोरखनाथ राय दिनांक 31-7-86 से तथा श्री तहसीलदार सिंह दिनांक 26-12-86 से नियुक्त हैं।

उक्त दोनों अधिकारियों के उपयुक्त प्रतिस्थानी की व्यवस्था होने पर उन्हें निकट भविष्य में बांदा से अन्यत्र स्थानान्तरित कर दिया जायेगा।

जिला मजिस्ट्रेट लखनऊ के कार्यालय में नवीनीकरण हेतु लम्बित लाइसेन्सों के निस्तारण की मांग

10--श्री राज किशोर सिंह--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित जिलाधिकारी कार्यालय में आग्नेयास्त्रों के लाइसेन्स रिन्यूवल हेतु कितने मामले सरकारी कर्मचारियों के लम्बित हैं? मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार थाने में रिपोर्ट लग जाने के बाद रिन्यूवल में व्यवधान डाले जाने

का औचित्य क्या है? क्या दोषी कर्मचारी के विरुद्ध सरकार कोई कार्यवाही सुनिश्चित करायेगी तथा संबंधित व्यक्तियों का आर्म्स लाइसेन्स रिन्यूवल कराकर कब तक उपलब्ध करा देगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ के कार्यालय में सरकारी कर्मचारियों के आग्नेयास्त्र के लाइसेंस नवीनीकरण के सात मामले लम्बित हैं, जिनमें शस्त्र निरीक्षण एवं नवीनीकरण शुल्क की औपचारिकताएं पूर्ण नहीं हैं। इन औपचारिकताओं की पूर्ति के बाद लाइसेंस तुरन्त नवीनीकृत कर दिये जायेंगे।

सरकारी कर्मचारियों के 109 अनुज्ञाप नवीनीकरण के उपरान्त जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में उपलब्ध है जिनको वापस लेने के लिए सूचना संबंधित अनुज्ञापियों को भेज दी गई है।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

11–श्री अमरनाथ यादव–

[दिनांक 11-1-90 को अता0 प्र0 सं0 32 द्वारा उत्तरित]

जनपद सुल्तानपुर के थाना कोतवाली देहात के विरुद्ध श्री आदित्य कुमार दुबे के शिकायती पत्र पर जांच

12–श्री राज किशोर सिंह–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 8-7-89 को श्री आदित्य कुमार दुबे, नि0 बेलासदा, थाना कोतवाली देहात सुल्तानपुर ने एस0 पी0 सुल्तानपुर को थाना-ध्यक्ष, थाना कोतवाली देहात के कृत्यों के विरुद्ध शिकायती पत्र प्रेषित किया था ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर कोई कार्यवाही सुनिश्चित कराई गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

मामले की जांच क्षेत्राधिकारी, बाद द्वारा कराई गई । जांच से थानाध्यक्ष द्वारा अभद्र व्यवहार किये जाने के आरोप निराधार पाये गये । दो सशस्त्र कांसटेबिल उस क्षेत्र में भेजे गये थे उनको श्री दुबे की सुरक्षा हेतु निर्देशित कर दिया गया था । यही सूचना प्रार्थी श्री आदित्य कुमार दुबे को 7-7-89 को जब वे थाने गये थे, उनको दी गई थी ।

जनपद फैजाबाद के अकबरपुर में श्री पवन पाण्डेय के आपराधिक गिरोह एवं कतिपय स्थानों पर घटित वारदातों का विवरण

13–श्री अकबर हुसैन बाबर–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री पवन पाण्डेय पुत्र जगमोहन पाण्डेय, कस्बा व थाना-अकबरपुर, फैजाबाद का अपराधियों का कोई गिरोह है ? यदि हां, तो उस गिरोह के कौन-कौन सदस्य हैं ? वर्ष 1989 में इस गिरोह द्वारा फैजाबाद जनपद के राजे सुल्तानपुर थाना टांडा, जलालपुर थाना, अकबरपुर थाना और व्यवाने थाने में की गई वारदातों का विवरण क्या है ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां ।

इस गिरोह के 18 सदस्य हैं, जिनके नाम निम्न हैं :-

1--पवन पाण्डेय
2--राकेश दुबे
3--प्रदीप खुराना
4--राम सूरत पाण्डेय
5--छोटे उर्फ धीरेन्द्र पाण्डेय
6--महेन्द्र सिंह
7--राजेश कुमार
8--प्रेम सिंह उर्फ पप्पू सिंह
9--उदयभान सिंह
10--आशू उर्फ सैम्सन इंसाई
11--अशोक कुमार सिंह
12--अफजाल
13--रमाशंकर सिंह
14--मदन मोहन उपाध्याय
15--मदन मोहन पाण्डेय
16--शिवपूजन
17--अनिरुद्ध सिंह
18--वीरेन्द्र नाथ

सूची संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 149 पर)

सब विद्युत स्टेशन नेवादा, वाराणसी का निर्माण एवं विद्युत आपूर्ति

14--श्री उन्दल--

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सब विद्युत स्टेशन नेवादा ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी दो वर्षों से अर्धनिर्मित है और उसी को 3/4 माह से चलाया जा रहा है ? क्या यह सही है कि नहिया फीडर को भी चालू नहीं किया गया और मंगारी कस्बे की लाइन रात को काट दी जाती है ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी कि उक्त विद्युत स्टेशन का निर्माण दो वर्ष तक क्यों नहीं पूर्ण कराया गया और मंगारी फीडर को रात को भी बिजली सप्लाई न करने का क्या कारण है ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी नहीं । उप केन्द्र का निर्माण हो चुका है । केवल कर्मचारियों के आवास और सड़क का निर्माण शेष है ।

उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये दिनांक 7-10-1989 से इस उपकेन्द्र से उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की जा रही है ।

निर्माण सामग्री के अभाव के कारण नहिया फीडर अभी तक चालू नहीं हुआ है । नेवादा विद्युत उपकेन्द्र पर विद्युत उपलब्ध रहने पर मंगारी कस्बे को बराबर आपूर्ति की जाती है ।

संसाधनों की कमी के कारण नेवादा उपकेन्द्र पर कर्मचारियों के आवास तथा सड़क के निर्माण का कार्य नहीं कराया जा सका है । कभी-कभी आकस्मिक कटौती के कारण मंगारी फीडर को रात में विद्युत उपलब्ध नहीं हो पाती है ।

जनपद आजमगढ़ विकास खण्ड अजमतगढ़ के गांवों में विद्युतीकरण की मांग

15–श्री पंचानन राय–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के अजमतगढ़ विकास खण्ड में कौन-कौन से गांव ऐसे हैं जिनका विद्युतीकरण नहीं हुआ है ? इनका विद्युतीकरण कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

आजमगढ़ जिले के आजमगढ़ विकास खण्ड में निम्न गांवों में विद्युतीकरण हेतु खम्भे बिछाकर विद्युतीकरण अभी तक नहीं हुआ है जिनकी सूची संलग्न है ।

इन ग्रामों का विद्युतीकरण संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 151 पर)

जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड हरैया में विद्युतीकरण की मांग

16–श्री पंचानन राय–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के हरैया विकास खण्ड में कौन-कौन से ऐसे गांव हैं जिनका विद्युतीकरण अभी नहीं हुआ है ? इनका विद्युतीकरण कब तक करके विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कर दी जायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद आजमगढ़ के हरैया विकास खण्ड में कुल 148 ग्रामों का एल0 टी0 लाइन बिछाकर विद्युतीकरण नहीं हो पाया है, जिनकी सूची संलग्न है । इन ग्रामों का विद्युतीकरण संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

(देखिए नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 156 पर)

जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड बिलरियागंज में विद्युतीकरण एवं विद्युत आपूर्ति की मांग

17–श्री पंचानन राय–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में बिलरियागंज विकास खण्ड में कौन-कौन से ऐसे गांव हैं जिनका विद्युतीकरण नहीं हुआ है अथवा जिनमें विद्युतीकरण हेतु खम्भे गाड़ दिए गए हैं किन्तु तार नहीं खींचे गए हैं ? इन गांवों में खम्भे कब गाड़े गए थे और तार न खींचे जाने के क्या कारण हैं ? इन गांवों में विद्युत आपूर्ति कब तक सुनिश्चित कर दी जायेगी तथा विद्युतीकरण हेतु शेष रहे ग्रामों का विद्युतीकरण कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद आजमगढ़ के बिलरिया गंज विकास खण्ड में एल0 टी0 लाइन बिछाकर 180 ग्रामों का विद्युतीकरण नहीं हो पाया है । जिनकी सूची संलग्न है ।

जिन ग्रामों में विद्युतीकरण हेतु खम्भे गाड़ दिये गये हैं वहां खम्भे गाड़ने की दिनांक भी संलग्न सूची में अंकित है । इन ग्रामों में तार उपलब्ध न होने कारण नहीं खींचा जा सका है ।

इन ग्रामों तथा शेष ग्रामों का विद्युतीकरण तार तथा संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

(देखिए नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 161 पर)

जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड अजतमगढ़ में विद्युतीकरण एवं विद्युत आपूर्ति की मांग

18–श्री पंचानन राय–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के अजतमगढ़ विकास खण्ड में कौन-कौन से एसे गांव हैं जिनमें विद्युतीकरण हेतु खम्भे गाड़ दिए गए हैं किन्तु तार नहीं खींचे गए हैं ? इन गांवों में खम्भे कब गाड़े गए थे और तार न खींचे जाने के क्या कारण हैं ? इन गांवों में विद्युत आपूर्ति कब तक सुनिश्चित कर दी जायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

आजमगढ़ जिले के अजमतढ़ विकास खण्ड में निम्न गांवों में विद्युतीकरण हेतु खम्भे गाड़ दिये गये हैं किन्तु तार नहीं खीचे गये हैं :–

(1) टेकनगाढ़ा
(2) धाधरा

इन गांवों में खम्भे वर्ष 1987-88 में गाड़े गये थे परन्तु तार उपलब्ध न होने के कारण नहीं खीचे जा सके ।

इन ग्रामों का विद्युतीकरण संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

जिला फैजाबाद के अकबरपुर में कतिपय व्यक्तियों के विरुद्ध शिकायती पत्र की जांच रिपोर्ट

19–श्री अकबर हुसैन बाबर–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 26-9-88 जो दिनांक 12-9-88 श्री राम सेवक ग्राम खानपुर सुलेमानपुर पी0 सी0 अकबरपुर श्री राम, मेवालाल व अन्य दस के विरुद्ध की गई शिकायत के संबंध में है, जिसकी प्राप्ति की स्वीकृति संयुक्त सचिव गृह-7 के पत्र दिनांक 24-11-88 द्वारा प्रश्नकर्ता को प्राप्त हुई है, की जांच रिपोर्ट शासन को प्राप्त हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्रश्नगत प्रार्थना-पत्र की जांच की गयी, जिसमें यह विदित हुआ कि वादी व विपक्षी गण ने आपस में सुलह कर ली थी अतः स्थानीय पुलिस द्वारा इस प्रकरण में अन्य कार्यवाही की आवश्यकता नहीं पाई गयी थी ।

जिला फैजाबाद के थाना महराजगंज में पंजीकृत अपराधों की सी0 आई0 डी0 द्वारा जांच

20–श्री अकबर हुसैन बाबर–

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजीकृत अपराध सं0-475/87, धारा-307/323, भा0 द0 वि0 थाना महराजगंज, जनपद फैजाबाद की जांच सी0 बी0 (सी0 आई0 डी0) को सौंपी गई है ? यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम है और अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही करने में विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

मु0 अ0 सं0 475/87, थाना महराजगंज, जनपद फैजाबाद में धारा 387/323 भा0 दं0 वि0 का नहीं, बल्कि धारा 307 का है; और इसका चेकअप अपराध शाखा द्वारा किया गया है ।

अपराध शाखा द्वारा चेकअप से स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही विवेचना सही दिशा में पाई गई ।

अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही में वास्तव में कोई विलम्ब हुआ है, यह अभी स्थापित नहीं हो सका है ।

जनपद बदायूं के थाना कोतवाली के उपनिरीक्षक की गोली से श्री अर्जुन नामक हरिजन की मृत्यु से संबंधित नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही

21–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि थाना कोतवाली बदायूं में कार्यरत एक दरोगा की गोली से अर्जुन नामक बाल्मीकि हरिजन की हत्या 21-12-88 को की गई थी तथा जिसकी प्रथम सूचना 21-12-88 को थाना कोतवाली बदायूं में भी लिखाई गई ? यदि हां, तो इस बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? नामजद अभियुक्तों को अभी तक गिरफ्तार न किए जाने का क्या कारण है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

दिनांक 21-12-88 को श्रीमती विराज देवी निवासी लोटनपुरा ने थाना कोतवाली पर सूचना दी कि उस दिन दोपहर को उप निरीक्षक अनिल कुमार यादव एक सिपाही के साथ उसके घर पर आए और उससे जबरदस्ती करने लगे । जब मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो गये तो उप निरीक्षक ने गोली चला कर अर्जुन नामक एक व्यक्ति को घायल कर दिया । इस सूचना के आधार पर मु0 अ0 सं0 873 ए/88 धारा 452-354, 307-323 भा0 दं0 वि0 उप निरीक्षक अनिल कुमार यादव व एक सिपाही नाम पता अज्ञात सूरत शिनाख्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया । अर्जुन की मृत्यु हो जाने पर उपर्युक्त मुकदमें में धारा 302 भा0 दं0 वि0 की बढ़ोत्तरी की गई ।

उपर्युक्त अभियोग की विवेचना अभी प्रचलित है । अभियुक्त अनिल कुमार यादव ने दिनांक 28-7-89 को न्यायालय में आत्म समपर्ण कर दिया जिसकी उसी दिन जमानत हो गई है ।

जनपद फैजाबाद के थाना कुमारगंज की पुलिस के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं अनुसूचित जाति के साथ किए गए उत्पीड़न संबंधी जांच

22–श्री गजराज सिंह–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि फैजाबाद जनपद के थाना कुमारगंज की पुलिस द्वारा किए गए भ्रष्टाचार एवं अनुसूचित जाति उत्पीड़न की जांच कराने विषयक भूतपूर्व विधायक श्री मित्रसेन यादव तथा अन्य विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित पत्र के साथ श्री भोला पुत्र स्व0 श्री करिया अनुसूचित जाति (पासी) निवासी ग्राम-पालपुर, थाना कुमारगंज जनपद फैजाबाद का प्रार्थना पत्र दिनांक 21 फरवरी, 1989 मंत्री जी को प्राप्त हुआ है? क्या यह सही है कि उस पर तत्कालीन गृह मंत्री जी ने आई0 जी0 भ्रष्टाचार निवारण संगठन उत्तर प्रदेश को जांच के आदेश दिए थे जिसकी कार्यालय रजिस्टर संख्या 864 बी0 आई0 पी0 एच0-एम0/89 दिनांक 2 मार्च, 1989 है ? यदि हां, तो प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट से अब तक कौन-कौन से तथ्य प्रकाश में आये हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जी हां ।

भ्रष्टाचार निवारण संगठन की प्रारम्भिक जांच में आरोप संगठन के कार्य क्षेत्र से सीधे संबंधित न होने के कारण इन आरोपों की गहनतापूर्वक जांच हेतु प्रकरण अपराध अनुसंधान विभाग को अभिदिष्ट कर दिया गया था । अपराध शाखा की जांच के अनुसार थाना-कुमारगंज, जनपद-फैजाबाद पर पंजीकृत अभियोग अप0 सं0–182/88, धारा 363/366 भा0 द0 वि0 जो प्रार्थी श्री भोला के भाई सर्वश्री जगलाल व मोहन लाल के विरुद्ध पंजीकृत हुआ है, जांच से सही पाया गया, और यह अभियोग स्थानीय पुलिस द्वारा चालान किया गया है और सत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिया गया है ।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अपने बहनोई-राम औतार, निवासी ग्राम-कबीरपुर, थाना-खण्डासा, जनपद-फैजाबाद के द्वारा एक रिपोर्ट अपनी चौपाल फूंके जाने की लिखाने व पुलिस द्वारा कार्यवाही न करने की बात लिखी है । जांच से यह ज्ञात हुआ कि जब अभियोग अपराध संख्या–182/88, धारा–363/366 भा0द0वि0 के अन्तर्गत लड़की की बरामदगी पुलिस ने राम औतार के घर पर जाकर की तो उन्होंने स्वयं अपने छप्पर में आग लगा ली और अभियोग 5 दिवस के पश्चात् पंजीकृत कराया, जो जांच से झूठा पाया गया। छप्पर फूंकने की घटना का अभियोग अपराध नं0-10/89, धारा-143/436 भा0द0वि0 का थाना-खण्डासा में पंजीकृत हुआ है जिसमें 15-3-89 को स्थानीय पुलिस द्वारा अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की जा चुकी है ।

जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र निधासन में विद्युतीकरण के संबंध में दिए गए पत्र पर कृत कार्यवाही

-श्री निरवेन्द्र कुमार–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद-लखीमपुर-खीरी के 72-निधासन विधान सभा क्षेत्र के विद्युतीकरण से सम्बन्धित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 14-12-89 पर शासन स्तर से क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

मुख्य अभियन्ता (लखनऊ क्षेत्र) को मामले में जांच करके शीघ्र कार्यवाही करने हेतु निर्देशित कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सोनभद्र के राबर्ट्सगंज मोटर समिति के अध्यक्ष द्वारा पुलिस ज्यादती संबंधी शिकायती पत्र की जांच

24–श्री राजकिशोर सिंह–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि अध्यक्ष, राबर्ट्सगंज मोटर समिति जनपद-सोनभद्र का शिकायती प्रार्थना पत्र दिनांक 5-10-88 तत्संबंधी अभिलेखों सहित जो स्थानीय पुलिस ज्यादती से संबंधित है, शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो कथित शिकायतों के लिए प्रथम दृष्ट्या दोषी कौन है व दोषी पुलिस के विरुद्ध अब तक कौन सी कानूनी कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिह यादव–

जी हां ।

प्राप्त सूचनानुसार शिकायती प्रार्थना पत्र में अंकित आरोपों की जांच से पुष्टि नहीं हुयी तथा कोई पुलिसकर्मी दोषी नहीं पाया गया । अतः उनके विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद के अकबरपुर में कार्यरत उपनिरीक्षक व सिपाही द्वारा हरिजन लड़की के साथ किये गये बलात्कार की जांच

25–श्री अकबर हुसैन बाबर–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दि0 24-7-89 जिसकी प्राप्ति की सूचना ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक फैजाबाद ने दी है जिसमें अकबरपुर में नियुक्त उप निरीक्षक पुलिस श्री हरिश चन्द्र चौधरी एवं चौबे सिपाही द्वारा ग्राम उदयपुर की एक हरिजन लड़की के साथ चौकी में बलात्कार किए जाने की शिकायत की गई थी और जिसके साथ लड़की के पिता का प्रार्थना पत्र भी संलग्न था, के आधार पर आरोपित पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्रश्नगत शिकायती-पत्र की मांग क्षेत्राधिकारी अकबरपुर से कराई गई । अब तक की जांच से प्रार्थी द्वारा पुलिस कर्मियों के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं हो सकी है । अतः कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं किया गया परन्तु लड़की के पिता जगराम द्वारा ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक फैजाबाद को दिये गये अन्य प्रार्थना-पत्र दिनांक 19/09/89 पर थाना-बेवाना, जनपद फैजाबाद में मु0 अ0 सं0 145/89 अन्तर्गत धारा 363/366 भा0द0वि0 का अभियोग काशीराम, हरीराम निवासी उदयपुर, थाना–बेवाना के विरुद्ध पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है ।

जनपद फैजाबाद के मण्डी समिति अकबरपुर के सचिव के विरुद्ध शिकायती पत्र की जांच

26–श्री अकबर हुसैन डाबर–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र दि0 18-3-88, 4-5-88 व 7-5-88 को मण्डी समिति अकबरपुर, जनपद फैजाबाद के सचिव आदि के विरुद्ध है, की जांच किस अधिकारी से कराई गई तथा क्या जांच अधिकारी ने प्रश्नकर्ता से सम्पर्क किया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 18-3-88 तथा 4-5-88 में की गई शिकायतों की जांच सम्भागीय उप निदेशक (प्रशा0) गोरखपुर द्वारा करायी गई है । दिनांक 7-5-88 का पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, तथा जांच अधिकारी द्वारा प्रश्नकर्ता से लखनऊ में दिनांक 23-2-89 को सम्पर्क स्थापित किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आजमगढ़ स्थित रौनापार विद्युत उपकेन्द्र में नियमित विद्युत आपूर्ति की मांग

27–श्री पंचानन राय–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में स्थित रौनापार विद्युत उप केन्द्र में अलग-अलग फीडरों से माह अक्टूबर तथा नवम्बर, 89 में प्रतिदिन कितने-कितने घण्टे विद्युत की आपूर्ति की गयी है तथा अनियमित विद्युत आपूर्ति के क्या कारण हैं ? नियमित आपूर्ति करने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद आजमगढ़ में स्थित रौनापार विद्युत उपकेन्द्र पर विभिन्न फीडरों से माह अक्टूबर तथा नवम्बर 1989 में प्रतिदिन औसत विद्युत आपूर्ति निम्नवत् रही :–

फीडर	अक्टूबर, 1989	नवम्बर, 1989
पूर्व फीडर	15.6 घन्टे	18.2 घन्टे
पश्चिम फीडर	15.6 घन्टे	18.2 घन्टे
दक्षिण फीडर	15.6 घन्टे	18.2 घन्टे
विश्व बैंक फीडर	15.5 घन्टे	16.8 घन्टे

आपूर्ति सामान्यत निर्धारित अवधि से अधिक की गयी है । कभी-कभी लाइनों में ब्रेकडाउन तथा आकस्मिक क्षति के कारण आपूर्ति अनियमित हो जाती है ।

बेकडाउनों को यथाशीघ्र अटेन्ड किया जाता है ।

जनपद आजमगढ़ स्थित जीयनपुर विद्युत उपकेन्द्र में नियमित विद्युत आपूर्ति की मांग

28–श्री पंचानन राय–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद में स्थित जीयनपुर विद्युत उप केन्द्र से अलग-अलग फीडरों से माह अक्टूबर तथा नवम्बर, 89 में प्रतिदिन कितने-कितने घन्टे विद्युत की आपूर्ति की गयी है ? क्या सरकार बतायेगी कि इस अनियमित विद्युत आपूर्ति के क्या कारण हैं और नियमित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

आजमगढ़ जनपद में स्थित जीयनपुर विद्युत उप केन्द्र पर विभिन्न फीड़रों से माह अक्टूबर तथा नवम्बर 1989 में प्रतिदिन औसत विद्युत आपूर्ति निम्नवत् रही :–

फीडर	अक्टूबर 89	नवम्बर 89
पूर्व फीडर	21·1	16·5
पश्चिम फीडर	18·4	16·2
उत्तर फीडर	21·3	16·6
नहर फीडर	21·3	21·2

विद्युत आपूर्ति सामान्यतः निर्धारित अवधि से अधिक की गयी है । कभी-कभी लाइनों में ब्रेकडाउन और आकस्मिक कटौती के कारण विद्युत आपूर्ति में व्यवधान हो जाता है । ब्रेक डाउनों को यथाशीघ्र अटेंड किया जाता है तथा लाइनों का अनुरक्षण किया जाता है ।

जनपद आजमगढ़ के ब्लाक हरैया के हैदराबाद गांव में विद्युत उप केन्द्र बनाये जाने की मांग

29–श्री पंचानन राय–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में हरैया ब्लाक के हैदराबाद गांव में 33/11 के0 वी0 विद्युत उप केन्द्र के निर्माण का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसका निर्माण कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कृषि विपणन विभाग में श्रेणी-2 के अधिकारियों का संविलियन करके अलग-अलग संवर्ग बनाने की मांग

30–श्री राम स्वरूप वर्मा–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि कृषि विपणन विभाग में विकल्प देने वाले श्रे-2 के अधिकारियों को कृषि विपणन विभाग में शामिल कर उनका संवर्ग अभी तक

कृषि विभाग से अलग क्यों नहीं किया गया है ? इसके लिए कौन जिम्मेदार है ? क्या सरकार कृषि विपणन विभाग में संविलियन का विकल्प देने वाले अधिकारियों का संवर्ग अलग करना चाहती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

कृषि विपणन निदेशालय की स्थापना 14 जुलाई, 1976 में हुई थी । इस निदेशालय की स्थापना के साथ ही पृथक कृषि विपणन संवर्ग की स्थापना हो गयी । परन्तु कृषि/कृषि विपणन निदेशालयों के अधिकारियों से विकल्प प्राप्त करने की कार्यवाही अंशतः पूर्ण हो पाई । अतः शासनादेश दिनांक 5 जनवरी, 1990 द्वारा कृषि निदेशालय/कृषि विपणन निदेशालय के समस्त श्रेणी–1 तथा 2 के अधिकारियों से एक माह के अन्दर विकल्प देने के आदेश जारी कर दिये गये हैं । विकल्प प्राप्त होने पर ही निर्णय लिया जायेगा ।

कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियमों में संशोधन की मांग

31–श्री राम स्वरूप वर्मा–

क्या सरकार कृषि विपणन निदेशक के कृषि सचिव को सम्बोधित अ0 शा0 पत्रांक-कृ0 वि0 नि0-4986/1998 दिनांक 31-12-86 के अनुसार कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम में संशोधन की सिफारिश की गयी है? यदि हां, तो कब तक उक्त संशोधन कर दिया जायेगा? यदि नहीं तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां।

प्रदेश में स्वतन्त्र रूप से गठित कृषि विपणन निदेशालय द्वारा उ0 प्र0 कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम, 1964 के प्रभावी कार्यान्वयन, वर्गीकरण (एगमार्क एवं वाणिज्यिक) विपणन परिज्ञान, विपणन विकास, विपणन प्रसार, प्रशिक्षण तथा सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है। कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 के अन्तर्गत विनियमन लागू करने का प्राविधान मण्डी परिषद् में निहित है। मण्डी परिषद् के द्वारा विनियमन को लागू किया जा रहा है। अतः उ0 प्र0 कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 में संशोधन करने का प्रश्न नहीं उठता।

कृषि विपणन विभाग को कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम लागू करने का कार्य सौंपने की मांग

32–श्री राम स्वरूप वर्मा–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 15 से 17-1-86 तक विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, भारत सरकार की स्थापना की स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर आयोजित कृषि विपणन के राष्ट्रीय सम्मेलन की संस्तुति संख्या–1(5) के अनुसार सरकार कृषि विपणन विभाग को कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 के लागू करने का कार्य सौंपेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्रदेश में स्वतंत्र रूप से कृषि विपणन निदेशालय का गठन किया जा चुका है जो उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम, 1964 के प्रभावी कार्यान्वयन, वर्गीकरण (एगमार्क एवं वाणिज्यिक) विपणन परिज्ञान, विपणन विकास, विपणन प्रसार, प्रशिक्षण तथा सर्वेक्षण का कार्य कर रहा है। कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम 1964 के अंतर्गत विनियमन लागू करने का प्राविधान मंडी परिषद् में निहित है । मंडी परिषद् के द्वारा विनियमन को लागू किया जा रहा है। अतः उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम, 1964 के अंतर्गत विनियमन के कार्यक्रम कृषि विपणन विभाग को सौंपने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद के श्री पवन पांडे गैंग के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा जांच की मांग

33–श्री अकबर हुसैन बाबर–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, फैजाबाद को प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 19-5-89 जो पवन पाण्डेय गैंग के विरुद्ध था और जिसकी प्राप्ति की सूचना दिनांक 7 जून, 1989 को अर्द्धशासकीय पत्र संख्या–सी एस0 टी0 100/डी0 एम0 89 द्वारा दी गयी है, की जांच किस अधिकारी द्वारा कराई गयी है और अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्रश्नगत पत्र की जांच अपर पुलिस अधीक्षक, फैजाबाद द्वारा करायी गयी थी, जांच से प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोप प्रमाणित नहीं हुए । अतः कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद चमोली के थाना ऊखीमठ की पुलिस द्वारा कतिपय मामले की विवेचना

34–श्री राज किशोर सिंह–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चमोली जनपद के थाना ऊखीमठ की पुलिस द्वारा दिनांक 23-2-88 को कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के सदस्य तथा किसान सभा के कार्यकर्ता श्री गोविन्द सिंह नि0 ग्राम कविलठा, थाना ऊखीमठ सहित एक अन्य युवक भगवती प्रसाद नि0 ग्राम परकण्डो, थाना ऊखीमठ को चमोली में गिरफ्तार कर कई दिनों तक देहरादून आदि जगहों पर रखा गया तथा यातनायें दी गईं और दिनांक 26-2-88 को तिलवाड़ा में ऊखीमठ मन्दिर की चोरी में फर्जी गिरफ्तारी दिखाई गई? क्या यह सही है कि चोरी के उक्त मामले में पुलिस द्वारा न्यायालय में अंतिम रिपोर्ट पेश की गई है ? यदि हां, तो इसके लिए दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्राप्त सूचना के अनुसार चमोली जनपद के थाना ऊखीमठ की पुलिस द्वारा दिनांक 20-2-88 को ग्राम कन्डारा निवासी श्री गोविन्द सिंह रावत तथा श्री भगवती प्रसाद को

संवैद्धानिक रूप से खिड़कियों चलाते हुए उपकरण सहित गिरफ्तार किया गया तथा इनके विरुद्ध धारा 51-52-63 कापी राइट एक्ट व 7 सिनेमा एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 21-2-88 को दोनों अभियुक्तों को रिमांड में जेल भेजा गया। न्यायालय द्वारा दोनों की जमानत 23-2-88 को स्वीकार की गई ।

उपर्युक्त के अतिरिक्त ऊखीमठ के मंदिर में चोरी के प्रकरण में थाना ऊखीमठ की पुलिस द्वारा श्री गोविन्द सिंह रावत तथा श्री प्रताप सिंह को दिनांक 26-2-88 को गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि प्रारंभिक विवेचना में इनका चोरी में हाथ होना पाया गया था। विवेचनोपरान्त इनके विरुद्ध अभियोग चलाये जाने हेतु पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध न होने के कारण दिनांक 24-7-88 को अंतिम रिपोर्ट प्रेषित की गई जो न्यायालय द्वारा दिनांक 25-1-89 को स्वीकार की गई।

दूसरे प्रकरण की जांच पुलिस उपाधीक्षक द्वारा भी कराई गई तो पूर्व में की गई विवेचना व गिरफ्तारी का सही होना पाया गया । परन्तु विवेचक श्री शिशुपाल सिंह राठौर के विरुद्ध दुर्व्यवहार की शिकायत पाई जाने पर उन्हें विभागीय कार्यवाही के उपरान्त चरित्र पंत्रिका में दुश्चरित्र लेख अंकित कर दण्डित कर दिया गया है।

जनपद उन्नाव के अंतर्गत पुरवा कस्बे के पीरजादीगढ़ी मुहल्ले में कतिपय व्यक्तियों द्वारा किये गये अतिक्रमण को हटाये जाने की मांग

35–श्री राज किशोर सिंह–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव के अन्तर्गत पुरवा कस्बे के मोहल्ला पीरजादी गढ़ी के सार्वजनिक स्थल का बुद्धिलाल, शिव कुमार, पुत्रगण लाल आदि ने अतिक्रमण कर लिया है ? क्या यह सही है कि अतिक्रमण हटवाने के आदेश ए0 डी0 एम0 उन्नाव ने 31-3-89 को एस0 पी0 को दिए हैं ? यदि हां, तो पुरवा पुलिस द्वारा आदेशों का अनुपालन कर अतिक्रमण क्यों नहीं हटवाया गया ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

नहीं, बल्कि सत्य यह है कि एस0 डी0 एम0 उन्नाव ने मोहल्ला पीरजादी गढ़ी में शिवमन्दिर के पास श्री बुद्धिलाल द्वारा बनवायी जा रही दीवार को तत्काल रुकवाने हेतु नायब तहसीलदार पुरवा को आदेश दिये थे ।

थाना पुरवा पर अतिक्रमण की सूचना प्राप्त होने पर नायब तहसीलदार व पुलिस ने मौके पर जाकर जितनी दीवार बनी थी उसे तुड़वा दिया, साथ ही यह हिदायत भी कर दी थी कि पुनः दीवार का निर्माण न किया जाये । तब से अब तक दीवार पुनः नहीं बनाई गयी है । अतः आदेशों का पालन पूर्णरूप से किया गया है ।

जनपद आजमगढ़ को जीयनपुर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक के विरुद्ध शिकायतों की जांच

36–श्री पंचानन राय–

क्या गृह मंत्री बनाने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद में जीयनपुर कोतवाली के किन-किन प्रभारी निरीक्षकों के विरुद्ध वर्ष 1989 में शिकायतें शासन एवं विभाग को प्राप्त हुई हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि प्रमुख शिकायतें क्या हैं तथा क्या इनकी जांच कराई गई है ? यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

आजमगढ़ जनपद में जीयनपुर कोतवाली के एक मात्र प्रभारी निरीक्षक श्री शिवनन्दन सिंह के विरुद्ध वर्ष 1989 में शिकायतें शासन एवं विभाग को प्राप्त हुई ।

प्रमुख शिकायतों में रिश्वत लेने, आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों को अपने आवास पर बैठाने, पत्रकार के साथ अभद्र व्यवहार, हत्या के अभियोग में प्रभावी कार्यवाही न करने तथा अपराधियों के घर पर दावत खाने के आरोप थे ।

जी हां, जांच से श्री सिंह के विरुद्ध लगाये गये आरोप असत्य पाये गये ।

जनपद आजमगढ़ के जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र में नया थाना खोले जाने का प्रस्ताव

37–श्री पंचानन राय–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद में स्थित जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र में कितने गांव हैं और उनकी जनसंख्या क्या है ? क्षेत्र की जनसंख्या को देखते हुए इसकी सीमा के अन्दर क्या दूसरे नये थाने खोलने के प्रस्ताव हैं ? यदि हां, तो उन पर कब तक निर्णय ले लिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद आजमगढ़ में स्थित जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के अन्तर्गत कुल 341 गांव हैं और इसकी जनसंख्या वर्ष 1981 की जनगणना के आधार पर 1,41,392 है ।

जीयनपुर कोतवाली की सीमा के अन्दर बिलरियागंज में नया थाना स्थापित किये जाने का प्रस्ताव शासन में प्राप्त हुआ है, जो शासन के विचाराधीन है और शीघ्र ही निर्णय ले लिया जायेगा ।

जनपद गोण्डा के विकास खण्ड गैसड़ी में जल निकासी की योजना

38–श्री अकबाल हुसैन–

क्या कृषि मंत्री को ज्ञात है कि जनपद गोण्डा के विकास खण्ड गैसड़ी में ग्राम डीहरूम सिंह के जल भराव के जल निष्कासन की योजना में भूमि संरक्षण विभाग द्वारा नाली निर्मित की जा रही है ? यदि हां, तो उस पर कितना कार्य हुआ है ? यह कार्य शासन कब तक पूरा करा देगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां आर0 एल0 ई0 जी0 पी0 योजनान्तर्गत जल निकास नाली निर्मित की जा रही है ।

नवम्बर, 1989 तक 1.05 किलोमीटर लम्बी नाली का निर्माण हो चुका है ।

ग्राम प्रधान डीहरूप सिंह के द्वारा सर्वेक्षण अनुसार यह कार्य न लिए जाने पर आपत्ति की गई है । इस पर कार्य रोक दिया गया है । उप निदेशक से जांच कराई जा रही है जांचोपरान्त यथास्थिति कार्य शीघ्र पूरा किया जायगा ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद गोरखपुर में बनकट मतदान केन्द्र पर बूथ कैपचरिंग तथा अन्य अनियमितताओं के विरुद्ध कार्यवाही

39—श्री केदार नाथ सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विधान सभा क्षेत्र संख्या—184 पिपराइच, जनपद गोरखपुर के आराजी बनकट मतदान केन्द्र पर मतदान के दिन 22 नवम्बर, 89 को कांग्रेस (आई) के ब्लाक प्रमुख श्री राम नेवास उपाध्याय आदि कुछ लोगों द्वारा मतदान केन्द्र पर कब्जा करने तथा पीठासीन अधिकारी को मारने पीटने की लिखित शिकायत स्वयं पीठासीन अधिकारी द्वारा थाना पिपराइच, जिला गोरखपुर में 22 नवम्बर, 89 को दी गई है ? क्या यह सच है कि चुनाव से पूर्व तत्कालीन क्षेत्रीय विधायक की संस्तुति पर थानाध्यक्ष श्री आर0 आर0 पाल को पिपराइच में नियुक्त किया गया है ? यदि हां, तो सम्पूर्ण स्थिति क्या है और ऐसे गम्भीर शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां ।

जी नहीं ।

पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रश्नगत मामले में मु0 अ0 सं0 145/89 धारा 147/332/323/504/(7) एफ0 भा0 द0 वि0 तथा 136 (2) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, विरुद्ध बृज मोहन पुत्र राम अधार, राजेन्द्र भारती पुत्र रामहित सा0 मुडेरी गडया, बड़ेलाल यादव, ग्राम मुगलपुरा, राम नेवास उपाध्याय (ब्लाक प्रमुख) भटहट, इन्द्रजीत हरिजन ग्राम प्रधान बनकट, तथा ग्राम प्रधान के लड़के व कुछ अन्य लोग नाम पता अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया । विवेचना के दौरान अभियुक्त राम निवास उपाध्याय ब्लाक प्रमुख भटहट व राजेन्द्र भारती दिनांक 26-12-89 को, इन्द्रजीत हरिजन दिनांक 05-01-90 को बन्दी बनाये गये । अभियुक्त बृज मोहन तथा अभियुक्त बड़ेलाल यादव द्वारा दिनांक 05-01-90 को न्यायालय में आत्मसमर्पण किया गया । अभियुक्त राम निवास, राजेन्द्र तथा इन्द्रजीत के विरुद्ध आरोप प्रमाणित होने पर दिनांक 31-12-89 को आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया । शेष अभियुक्त राम सेवक, रामाज्ञा, बड़ेलाल तथा बृज मोहन के विरुद्ध भी आरोप प्रमाणित होने पर उनके विरुद्ध दिनांक 05-01-90 को आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया ।

जनपद गोण्डा के पचपेड़वा थाने की पुलिस द्वारा तस्करों से सांठ-गांठ के आरोप एवं सईदुल रहमान की हत्या की सी0 आई0 डी0 द्वारा जांच की मांग

40—श्री अकबर हुसैन बाबर—

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 8-3-88 जिसकी प्राप्ति की सूचना अर्ध शा0 प0 सं0-एम0 एल0 ए0-284/88 गो0-7 द्वारा दी गई और जो जनपद गोण्डा के पचपेड़वा थाने की पुलिस की तस्करों से सांठ गांठ के संबंध में है, का पूरा ब्योरा क्या है ? क्या इस पत्र की प्राप्ति के बाद सईदुल रहमान की हत्या कर दी गई है और हत्या का आरोप पुलिस पर लगाया गया है ? यदि हां, तो हत्या का आरोप पुलिस पर लगाया गया है ? यदि हां, तो हत्या के मामले की जांच किस के द्वारा करायी जा रही है ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

मा0 विधायक के पत्र दिनांक 08-03-88 की प्रति संलग्न है ।

जी हां ।

इस सम्पूर्ण हत्याकाण्ड की विवेचना अपराध अनुसंधान विभाग को अभिदिष्ट कर दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ 167 पर)

जनपद फैजाबाद के गवाह मो0 रफीक को मारने पीटने के सम्बन्ध में दिए गए पत्र पर कृत कार्यवाही

41—श्री अकबर हुसैन बाबर—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 13-1-89, जिसकी प्राप्ति की सूचना 21 पत्र सं0—ए0 एस0 टी0 86/89, दिनांक 16 जनवरी, 1989 द्वारा ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक फैजाबाद ने दी है तथा जिसमें गवाह रफीक को मारने पीटने का आरोप है, पर जांच की कार्यवाही पूर्ण हो गयी है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है तथा उसके आधार पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां ।

मु0 अ0 सं0 529/88 धारा 395 की विवेचना से अभियुक्त में आया जिसे दिनांक 6-1-89 को गिरफ्तारी के दौरान मामूली चोट आई, जिसका उल्लेख रोजनामचा आम में भी पाया गया । अनावश्यक रूप से मारने पीटने सम्बन्धी आरोप प्रमाणित नहीं हुये । शेष अभियुक्तों के विरुद्ध विवेचना जारी है ।

जनपद वाराणसी के पिण्डारा में कृषि मण्डी के निर्माण का प्रस्ताव

42—श्री ऊदल—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले में कृषि मण्डी समिति ने पिंडरा में एक कृषि मंडी खोलने का सर्वेक्षण किया है और जमीन का भी चयन कर लिया है? यदि हां, तो पिंडरा में कृषि मंडी अब तक न खोलने का क्या कारण है? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी?

श्री मुलायम सिंह यादव–

मै0 ट्रान्सलाग कन्सलटेन्ट, अहमदाबाद से उप मण्डी स्थल पिंडरा के निर्माण हेतु सर्वेक्षण कराया गया है। भूमि का विधिवत चयन नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला हरदोई के ग्राम महरी में बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेदकर की मूर्ति अराजक तत्वों द्वारा तोड़े जाने के विरुद्ध शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही

43–श्री राम पाल वर्मा–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिवराम पुत्र श्री जुल्लीदास निवासी ग्राम महरी थाना बघौली जिला हरदोई का प्रार्थना पत्र माह मार्च, 1989 में मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है जो उसी गांव के कुछ अराजक तत्वों द्वारा बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेदकर की मूर्ति तोड़े जाने व उससे संबंधित थाना बघौली में दर्ज अपराध संख्या 41/79 दिनांक 29-3-89 पर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के थाना माल की पुलिस द्वारा श्री मैकू पुत्र श्री काली चरन निवासी ग्राम सैदापुर की की गई पिटाई की सी. आई. डी. द्वारा जांच की मांग

44–श्री वीर अभिमन्यु सिंह–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री मैकू पुत्र श्री काली चरन निवासी ग्राम सैदापुर थाना माल जिला लखनऊ को पुलिस द्वारा पीटे जाने की सी0 आई0 डी0 जांच कराये जाने की मांग के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र के साथ श्री मैकू का प्रार्थना पत्र दिनांक 4-4-1989 को तत्कालीन मा0 मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ था? यदि हां, तो क्या उक्त मामले की सी0 आई0 डी0 द्वारा जांच कराकर उचित कार्यवाही कर ली गयी है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव–

श्री मैकू का प्रार्थना पत्र दिनांक 4-4-89 प्रश्नकर्ता के पत्र के साथ प्राप्त होना नहीं पाया गया किन्तु अन्य स्रोतों से शासन को प्राप्त हुआ है।

विचारोपरान्त प्रश्नगत प्रकरण की जांच अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा कराये जाने का औचित्य नहीं पाया गया।

जनपद फैजाबाद के राजे सुल्तानपुर में कतिपय व्यक्तियों की पुलिस द्वारा पिटाई की जांच

45–श्री अकबर हुसैन बाबर–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 12-11-87 जो राजे सुल्तानपुर जनपद फैजाबाद की पुलिस द्वारा हंसराज आदि को अकारण मारे पीटे जाने के सम्बन्ध में था और जिसकी प्राप्ति की सूचना जनवरी, 1988 को अर्द्ध शा0 प0 सं0-एम0 एल0 ए0-1032/88 गो0-7 द्वारा दी गयी थी पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? जांच किस अधिकारी द्वारा कराई गई और उसका क्या परिणाम आया है?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्रश्नगत पत्र की जांच तत्कालीन क्षेत्राधिकारी टाण्डा द्वारा की गयी । जहां तक माननीय सदस्य द्वारा रामबदल एवं रामकुमार पर विस्फोटक एक्ट के अन्तर्गत फर्जी मुकदमों की शिकायत का सम्बन्ध है, जांच से रामकुमार व रामबदल को स्थानीय पुलिस द्वारा पकड़ा जाना सही पाया गया । उक्त दोनों अभियुक्तों का 5 एक्सप्लोसिव सब्सटेन्स एक्ट के अन्तर्गत चालान कर न्यायालय को प्रेषित कर दिया गया है ।

माननीय विधायक के शिकायती पत्र में अन्य बिन्दुओं का जहां तक प्रश्न है, उनके सम्बन्ध में जांच आख्या के अनुसार स्थिति संलग्न सूची में प्रस्तुत है ।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ 168 पर)

जनपद आजमगढ़ में अधिवक्ता पुलिस संघर्ष पर गठित गुरू शरण लाल आयोग की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने की मांग

46–श्री अमर नाथ यादव–

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय एकता आन्दोलन के अध्यक्ष अशोक तिवारी ने तत्कालीन मुख्य मंत्री को पत्र देकर आजमगढ़ में अधिवक्ता पुलिस संघर्ष पर गठित गुरुशरण लाल आयोग की रिपोर्ट सदन पटल पर रखे जाने का अनुरोध किया था? यदि हां, तो उस संदर्भ में क्या कार्यवाही हुई?

श्री मुलायम सिंह यादव–

ऐसा कोई पत्र श्री अशोक तिवारी की ओर से प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नैनीताल क्लब द्वारा कतिपय वर्षों में सामानों की नीलामी से सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध कृत कार्यवाही

47–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नैनीताल क्लब में वर्ष 1986-87, 1987-88 में कितनी कीमत का सामान नीलाम किया गया? क्या उक्त नीलाम सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त किया गया? यदि नहीं, तो इससे सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध शासन ने क्या कार्यवाही की?

श्री मुलायम सिंह यादव–

वर्ष 1986–87, 1987–88 में नैनीताल क्लब में कोई भी नीलामी नहीं की गयी।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राज्य सम्पत्ति विभाग में व्यवस्थाधिकारियों के पास कई पद होने का आरोप

48–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सम्पत्ति विभाग में कितने व्यवस्था अधिकारियों के पास एक से अधिक पद हैं? इसका औचित्य क्या है?

श्री मुलायम सिंह यादव–

राज्य सम्पत्ति विभाग में ऐसा कोई व्यवस्था अधिकारी नहीं है जिसके पास एक से अधिक पद है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री मोहन चन्द्र पाण्डेय वरिष्ठ व्यवस्थाधिकारी नैनीताल के स्थानान्तरण की मांग

49–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि श्री मोहन चन्द्र पाण्डेय वरिष्ठ व्यवस्थाधिकारी नैनीताल की तैनाती नैनीताल में सात वर्ष से ऊपर हो गयी है? यदि हां, तो उनका स्थानान्तरण कब तक किया जायेगा?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां।

श्री मोहन चन्द्र पाण्डेय, वरिष्ठ व्यवस्था अधिकारी का स्थानान्तरण मुख्यालय किया जा चुका है।

श्री मोहन चन्द्र पाण्डेय वरिष्ठ व्यवस्थाधिकारी द्वारा हल्द्वानी में बनायी गयी कोठी की लागत तथा पी0डब्लू0डी0 द्वारा आहरित किराये की जानकारी

50–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री मोहन चन्द्र पाण्डेय वरिष्ठ व्यवस्थाधिकारी के द्वारा हल्द्वानी में बनायी गयी कोठी की अनुमानित लागत क्या है? उसका कितना हिस्सा पी0 डब्लू0 डी0 हल्द्वानी द्वारा किराये पर लिया गया है? उसका कितना मासिक किराया पी0 डब्लू0 डी0 द्वारा भुगतान किया जाता है?

श्री मुलायम सिंह यादव–

श्री मोहन चन्द्र पाण्डेय, वरिष्ठ व्यवस्था अधिकारी द्वारा हल्द्वानी में बनाये गये मकान की अनुमति लागत लगभग 1.83 लाख रुपया है। पी0 डब्लू0 डी0 हल्द्वानी द्वारा उसका 1321 वर्ग फीट हिस्सा किराये पर लिया गया है। पी0 डब्ल्यू0 डी0 हल्द्वानी द्वारा उक्त भाग का किराया 1.50 पैसा प्रति वर्ग फीट के हिसाब से भुगतान किया जाता है जो रु0 1981.50 पैसा है।

नैनीताल क्लब में खाने का मीनू तथा बिल आदि का व्यवस्थापक द्वारा प्रमाणित किये जाने की मांग

51–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नैनीताल क्लब में खाने का मीनू तथा बिल आदि वहां तैनात व्यवस्थापक कैन्टीन द्वारा प्रमाणित किया जाता है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव–

नैनीताल क्लब हेतु व्यवस्थापक कैन्टीन का कोई पद स्वीकृत नहीं है। खाने का मीनू तथा बिल आदि व्यवस्थापक द्वारा प्रमाणित कराये जाने का कोई प्राविधान नहीं है।

जनपद फैजाबाद के सदस्य श्री अकबर हुसैन बाबर पर हुए प्राणघातक हमले की जांच

52–श्री अकबर हुसैन बाबर–

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 8-1-89, जो उप पुलिस महानिरीक्षक फैजाबाद को सम्बोधित है जिसमें प्रश्नकर्ता के ऊपर हुए प्राण-घातक हमले के गवाह को पुलिस द्वारा मारने पीटने और उसे 6-1-89 को अपराध संख्या 529 थाना कोतवाली फैजाबाद में झूठा फंसाकर मारने पीटने की शिकायत की गयी है और जिस पर उप पुलिस महानिरीक्षक फैजाबाद ने अर्ध0 शा0 पत्र-का सी0 3 (6215) 88 ए-एल-2/3/6 दिनांक 9-1-89 द्वारा ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक फैजाबाद को जांच कर एक पखवारे में आख्या देने का आदेश दिया था, पर जांच पूरी हो गयी और उप पुलिस महानिरीक्षक को आख्या भेज दी गयी है ? यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जांच से कोई पुलिस कर्मी दोषी नहीं पाया गया था, अतः किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री त्रिलोकी निवासी ग्राम सिभौली विकास खण्ड अकबरपुर जनपद फैजाबाद के बैल की बिजली के करेन्ट से मृत्यु तथा दी गयी क्षतिपूर्ति

53–श्री अकबर हुसैन बाबर–

विधान सभा के प्रथम सत्र वर्ष 1989 पाचवें बुधवार के प्रश्नकर्ता के अता0 प्र0 सं0–49 के उत्तर के संदर्भ में क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री त्रिलोकी निवासी ग्राम सिभौली विकास खण्ड अकबरपुर जनपद फैजाबाद को अब तक क्षतिपूर्ति न देने का क्या कारण है और इसके लिए दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

अभी तक मृतक बैल के मालिक श्री त्रिलोकी द्वारा बैल की क्रय रसीद तथा शव विच्छेदन आख्या परिषद् को उपलब्ध नहीं करायी गयी है फिर भी क्षति का अनुमान लगा-कर परिषद् द्वारा 2,000 रुपये (रूपये दो हजार) की अनुग्रह राशि की स्वीकृति परिषद् के कार्यालय ज्ञाप सं0–147 ई0ए/सं0वि0 (ओ0-18)/90 दिनांक 8-1-90 द्वारा प्रदान कर दी गयी है । मृत बैल के स्वामी श्री त्रिलोकी द्वारा उपरोक्त अभिलेख अब तक न उपलब्ध कराये जाने से क्षतिपूर्ति का पेमेन्ट नहीं हो सका है इसलिए कोई अधि-कारी दोषी नहीं है ।

नैनीताल क्लब के वरिष्ठ व्यवस्थाधिकारी द्वारा कई पदों का धारण किया जाना

54–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस समय नैनीताल क्लब में वरिष्ठ व्यवस्थाधिकारी के पास कितने पदों का कार्यभार है ? उक्त पद धारक को एक से अधिक पद के कार्य सौंपे जाने का क्या औचित्य है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

25-12-89 तक नैनीताल क्लब में एक वरिष्ठ व्यवस्था अधिकारी कार्यरत थे । नैनीताल क्लब में व्यवस्था अधिकारी का पद रिक्त होने के कारण उक्त तिथि तक वरिष्ठ व्यवस्था अधिकारी अपने पद के साथ-साथ व्यवस्था अधिकारी के पद का कार्य भी देख रहे थे ।

राज्य सम्पत्ति विभाग के नैनीताल क्लब में व्यवस्थापक एवं व्यवस्थाधिकारियों की संख्या तथा उनका कार्य विवरण

55–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस समय राज्य सम्पत्ति विभाग के अधीन नैनीताल क्लब में कितने व्यवस्थापक एवं व्यवस्थाधिकारी हैं, उनके कार्यों का विवरण क्या है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

25-12-89 तक नैनीताल क्लब में एक वरिष्ठ व्यवस्था अधिकारी, एक व्यवस्था अधिकारी एवं कैन्टीन सुपरवाइजर व एक व्यवस्थापक थे । 25-12-89 से उक्त स्थल पर दो व्यवस्था अधिकारी व एक व्यवस्थापक कार्यरत हैं । एक व्यवस्था अधिकारी क्लब परिसर का कार्य तथा एक व्यवस्था अधिकारी क्लब परिसर के बाहर की सम्पत्ति का कार्य देखते हैं । व्यवस्थापक, व्यवस्था अधिकारी क्लब परिसर की सहायता करते हैं । वरिष्ठ व्यवस्थाधिकारी स्थानान्तरित हो गये हैं ।

राज्यसम्पत्ति विभाग के वरिष्ठ एवं मुख्य व्यवस्थाधिकारियों को मुफ्त किराया आवास की सुविधा

56–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सम्पत्ति विभाग में कार्यरत वरिष्ठ व्यवस्थाधिकारी एवं मुख्य व्यवस्थाधिकारियों को किराया मुक्त आवास की सुविधा है ? यदि नहीं, तो क्या ये लोग अपने आवासों का किराया जमा करते हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

राज्य सम्पत्ति विभाग में वरिष्ठ व्यवस्थाधिकारी एवं मुख्य व्यवस्थाधिकारी के पद नव सृजित पद हैं । महत्वपूर्ण अतिथि गृहों जैसे यू0 पी0 भवन, यू0 पी0 निवास, नैनीताल क्लब तथा राज्य अतिथि गृह का कार्य संचालन वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कराये जाने का प्रस्ताव अभी विचाराधीन है । किराया मुक्त आवास की सुविधा का प्रश्न भी इन अधिकारियों के दायित्वों एवं कर्त्तव्यों के आधार पर तय किया जायेगा । नीति विषयक यह निर्णय विचाराधीन है ।

जनपद मुरादाबाद के थाना भोजपुर में अभियोग की सी0 आई0 डी0 द्वारा जांच

57–श्री मोहम्मद रिजवानुल हक–

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मु0 अ0 सं0 19/89 धारा 302/201 आई0 पी0 सी0 दिनांक 15-1-89 सम्बन्धित थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद अभी तक वर्क आउट नहीं हुआ ? यदि हां, तो उसे कब तक वर्क आउट करा देंगे ? क्या मंत्री जी मुकदमा वर्क आउट न होने पर दोषी अधिकारी को दण्डित करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत अभियोग की विवेचना के मध्य संदिग्ध व्यक्तियों तथा विभिन्न अपराधों में बन्दी बनाये गये अभियुक्तों से पूछताछ की गयी परन्तु हत्या का कोई सुराग नहीं मिल सका ।

मामले की गम्भीरता को देखते हुए शासन द्वारा इस अभियोग की विवेचना अपराध अनुसंधान विभाग को अभिदिष्ट कर दी गई है ।

जनपद मुरादाबाद के भोजपुर थाने के थानाध्यक्ष द्वारा हरिजन उत्पीड़न सम्बन्धी शिकायत की जांच

58–श्री मोहम्मद रिजवानुल हक–

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद के थानाध्यक्ष द्वारा हरिजनों के उत्पीड़न सम्बन्धी शिकायत दिनांक 2-5-89 को इस थाने धारक नगला निवासी श्री हर प्रसाद ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद से की है ? यदि हां, तो क्या शिकायत पर जांच की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्राप्त सूचना के अनुसार हर प्रसाद निवासी धारक नगला थाना भोजपुर, जनपद मुरादाबाद ने दिनांक 4-5-89 को डी0 आई0 जी0 मुरादाबाद को एक प्रार्थना पत्र दिया था जो उसने दिनांक 5-5-89 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद को लाकर दिया । इस प्रार्थना पत्र में पुलिस के विरुद्ध लगाए गए आरोप जांच से प्रमाणित नहीं हुए । प्रार्थी ने भी विवेचना के मध्य विवेचक को दिए गये अपने लिखित बयान में उल्लेख किया है कि उसने कुछ गांव वालों के कहने में आकर प्रश्नगत प्रार्थना पत्र दे दिया था । उसे पुलिस से कोई शिकायत नहीं है ।

श्री सरफराज ग्राम ठीकरी जिला मुरादाबाद के यहां घटित डकैती की घटना की विवेचना

59–श्री मोहम्मद रिजवानुल हक–

क्या गृह मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि दिनांक 30-3-89 को रात्रि 2.30 बजे श्री सरफराज हुसैन पुत्र श्री फैय्याज हुसैन निवासी ग्राम ठीकरी थाना भोजपुर जिला मुरादाबाद के यहां सशस्त्र डकैती हुई थी जिसमें डाकुओं ने फायरिंग करके लूट पाट की थी ? यदि हां, तो क्या मुकदमा लूटपाट का न लिखकर राहजनी का लिखा गया है जिसका मु0 अ0 सं0 81/89 धारा 394 आई0 पी0 सी0 है और जो वर्क आउट भी नहीं किया जा सका ? क्या पंजीकरण में लापरवाही बरतने वाले दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्न गत लूटपाट की घटना दिनांक 30-3-89 का होना नहीं पाई गई बल्कि दिनांक 10-3-89 को घटित होना पायी गयी । इस संबंध में प्रार्थी श्री सरफराज पुत्र फय्याज हुसैन जनपद मुरादाबाद ने दिनांक 10-3-89 को थाना भोजपुर पर अपनी तहरीर में 4 बदमाशों द्वारा असलहे के साथ घर में घुसकर गोली मारने

की धमकी देकर लूटपाट करने की सूचना अंकित कराई जिसके आधार पर थाना भोजपुर पर मुकदमा अ0 सं0 81/89 धारा 394 आई0 पी0 सी0 के अंतर्गत 4 अज्ञात सूरत शिनाख्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया ।

यह मुकदमा सही धारा के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है । शेष का प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद मुरादाबाद के भोजपुर के थानाध्यक्ष के द्वारा किये गये अनियमित कार्यों की जांच

60–श्री मोहम्मद रिजवानुल हक–

क्या गृह मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा संस्तुति श्री मिया जानसेठ चेयर मैन टाउन एरिया भोजपुर मुरादाबाद एवं अन्य के शिकायती प्रार्थना-पत्र दिनांक 26-4-89 पर जिलाधिकारी मुरादाबाद ने भोजपुर के थानाध्यक्ष की अनियमित कार्यों की जांच का आदेश दिया है ? यदि हां, तो जांच अधिकारी किसको नियुक्त किया गया ? क्या उनके द्वारा की जा रही जांच रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

श्री हरीराम सिंह भाटी पुलिस उपाधीक्षक चंदौसी को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया । जांच से प्रार्थना पत्र में लगाए गए आरोपों में कोई सत्यता नहीं पाई गई ।

अतएवं जांच रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

श्रीमती मीना कुमारी ग्राम बहेंड़ुआ जनपद जौनपुर की भूमि को कतिपय व्यक्तियों द्वारा फर्जी बैनामा कराने का आरोप एवं कृत कार्यवाही

61–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 3 नवम्बर, 1988 को प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित पत्र संख्या 719/88 जिसमें श्रीमती मीना कुमारी ग्राम-बहेड़ुआ थाना-रामपुर जनपद-जौनपुर की जमीन को वहीं की प्रतिमा देवी व बबऊ प्रसाद द्वारा फर्जी बैनामा करा लिये जाने की शिकायत की गयी है ? उन्हें मिला है यदि हां, तो शासन द्वारा उस पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या उक्त फर्जी बैनामा रद्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो उसमें कौन-कौन से व्यक्ति दोषी पाये गये तथा शासन द्वारा उनको क्या दण्ड दिया गया ? क्या शासन द्वारा उस जमीन के देख-रेख कर्ता की सुरक्षा हेतु कोई व्यवस्था की गयी ? यदि नहीं, तो कब तक कर दी जायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्राप्त सूचनानुसार प्रश्न में उल्लिखित आशय का प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 719/88 दिनांक 3-1-88 नहीं वरन् 2-11-88 प्राप्त हुआ है । शासन द्वारा उक्त पत्र की जांच क्षेत्राधिकारी, मड़ियाहू से कराई गयी तो विदित हुआ कि दोनों पक्षों के बीच फर्जी बैनामे का विवाद दीवानी न्यायालय में चल रहा है । बैनामा रद्द किए जाने से संबंधित मुकदमा मुंसिफ जौनपुर के न्यायालय में अभी भी विचाराधीन है । तनावपूर्ण स्थिति के दृष्टिगत स्थानीय पुलिस द्वारा निरोधात्मक कार्यवाही की जा चुकी है तथा प्रतिपक्षी की बन्दूक जमा करायी जा चुकी है ।

जनपद गढ़वाल में नयार घाटी के ग्रामों की विद्युत व्यवस्था ठीक कराये जाने की मांग

62–श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि उप खण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण उप खण्ड चतुर्थ (निर्माण) कोटद्वार, गढ़वाल के पत्रांक 545/सी-2 दिनांक 7-9-88 द्वारा महामंत्री जनपद विकास समिति को अवगत कराया गया था कि नयार घाटी के ग्रामों की विद्युत व्यवस्था ठीक कराने के लिए नयी 11 के0 वी0 लाइन आड़ल छोटा से विलखेत तक के निर्माण के लिए दिनांक 6-9-88 को टेण्डर निकाल दिये गये हैं ? यदि हां, तो प्रश्नगत 11 के0 वी0 लाइन के निर्माण के संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है और कब तक इस लाइन के निर्माण होने की सम्भावना है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

लाइन के निर्माण हेतु दिनांक 13-1-89 को ठेकेदार के साथ अनुबन्ध करके दिनांक दिनांक 28-1-89 को कार्य शुरू कर दिया गया है । लाइन की कुल लम्बाई 5,87 कि0 मी0 है जिसमें से अब तक कुल 2·4 कि0 मी0 लाइन का निर्माण तार खीच कर पूर्ण किया जा चुका है ।

लाइन के निर्माण के लिए आवश्यक तार की कमी के कारण कार्य में अवरोध आ गया है । लाइन का पूर्ण होना धन एवं संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के ग्राम अलासू के विद्युतीकरण की योजना विषयक कार्यवाही

63–श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड कलजीखाल के ग्राम अलासू का विद्युतीकरण करने हेतु स्व0 श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा के पत्र संख्या एल0 डी0/3200/88, दिनांक 26-2-88 द्वारा तत्कालीन पर्वतीय विकास मंत्री और दिनांक 5-9-88 द्वारा तत्कालीन मुख्य मंत्री उत्तर प्रदेश को लिखा गया था ? यदि हां, तो ग्राम अलासू के विद्युतीकरण हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गयी है और कब तक ग्राम अलासू के विद्युतीकरण होने की सम्भावना है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

ग्राम अलासू वर्तमान में चल रही स्वीकृत योजनाओं में विद्युतीकरण हेतु सम्मिलित नहीं है । ग्राम अलासू को विकास खण्ड कलजीखाल की आगामी योजना में सम्मिलित कराकर यथाशीघ्र इसका विद्युतीकरण करा दिया जायेगा ।

अधीक्षण अभियन्ता विद्युत वितरण मण्डल श्रीनगर को जनपद विकास समिति गढ़वाल द्वारा प्रदत्त शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही का विवरण

64–श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि जनपद विकास समिति, गढ़वाल के पत्रांक जनपद/16/विद्युत/88-89 दिनांक 29-4-88 द्वारा जनपद

पौड़ी गढ़वाल की विद्युत समस्याओं के संबंध में अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, श्रीनगर, गढ़वाल को लिखे गए पत्र में उन उनतीस पत्रों का हवाला दिया गया था, जिन पर की गयी कार्यवाही की जानकारी जनपद विकास समिति गढ़वाल को प्राप्त नहीं हो पायी है ? यदि हां, तो जनपद विकास समिति गढ़वाल के उक्त दिनांक 29-4-88 के पत्र में सन्दर्भित उनतीस पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है और कृत कार्यवाही की जानकारी न कराये जाने के कारण क्या है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद विकास समिति गढ़वाल का सन्दर्भित पत्रांक जनपद–16-विद्युत-88-89 दिनांक 29-4-88 विद्युत वितरण मण्डल श्रीनगर में आया प्रतीत नहीं होता ।

दिनांक 29-4-88 तक जनपद विकास समिति गढ़वाल के कुल पांच पत्र दिनांक 23-6-87, 16-1-1988, 22-2-88, 2-3-88 तथा 26-3-88 उपरोक्त कार्यालय में प्राप्त हुए थे । जिनमें मुख्यत: निम्न समस्याओं का वर्णन किया गया था :–

1–गैठी छेड़ा तथा उमरासू पावर हाउस को पुन: चालू करना ।
2–बाड्यू ग्राम में तीन फेस लाइन का डालना ।
3–ग्राम-अलासू का विद्युतीकरण ।
4–बाड्यू तथा धनयार में एक अतिरिक्त तार की व्यवस्था (मार्ग प्रकाश हेतु) ।
5–ग्राम सभा बाँठा के उपग्राम का विद्युतीकरण ।

उपरोक्त समस्याओं के समाधान हेतु प्रयास किए गए तथा जो कार्यवाही की गयी वह संक्षेप में निम्न प्रकार है :–

1–गैठी छेड़ा तथा उमरासू विद्युत गृहों के मुख्य ट्रान्सफार्मर बिजली गिरने से काफी वर्ष पूर्व क्षतिग्रस्त हो गए थे । उमरासू पावर हाउस जिसकी क्षमता 100 कि0 वाट (2×50) थी वह स्थानीय विद्युत भार को नहीं वहन कर पा रहा था । अत: इसका दुबारा चलाना तकनीकी दृष्टिकोण से उचित नहीं है ।

गैठी छेड़ा विद्युत गृह की क्षमता 200 कि0 वाट है । इसमें 200 कि0 वाट की मशीन लगी है । इस पावर हाउस की विद्युत नहर तथा मुख्य ट्रान्सफार्मर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए थे । तथा कई वर्षों से पावर हाउस बन्द होने के कारण मुख्य मशीनें भी खराब हो गयी है ।

ट्रान्सफार्मर को ठीक कर दिया गया है । तथा मशीनों को ठीक करने के लिए मेसर्स ज्योति लि0 दिल्ली से सम्पर्क किया जा चुका है । अन्य कार्यों के सम्पादन हेतु कार्यवाही की जा रही है । वांछित धन की उपलब्धता होने की दशा में इस पावर हाउस को चालू कराने का प्रयास किया जायेगा ।

2–बाड्यू में तीन फेस लाइन ही बिछाई गई है । ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में स्वीकृत लाइन लम्बाई के अनुसार पूर्ण की गयी है ।

3–ग्राम अलासू स्वीकृत ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में सम्मिलित नहीं है । अत: इसको नई योजना में (100% विद्युतीकरण योजना) सम्मिलित कर अगले वर्षों में विद्युतीकृत करने का प्रयास किया जायेगा ।

4–स्वीकृत योजना के अनुसार ही तीन फेस की लाइन बिछाई गई है ।

5–बॉन्ध के उप ग्राम के विद्युतीकरण के लिए सर्वे की गयी थी तथा मानक के अनुसार राजस्व रिटर्न न होने के कारण विद्युतीकृत नहीं किया जा सका ।

अब भविष्य की विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत ही इसको विद्युत उपलब्ध की जा सकती है ।

हरदुआगंज ताप विद्युत परियोजना कासिमपुर (अलीगढ़) में भूमि विस्थापितों को अनियमित रूप से नियुक्ति देने के संबंध में कार्यवाही

65–श्री कल्यान सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि हरदुआगंज ताप विद्युत परियोजना, कासिमपुर (अलीगढ़) के भूमि विस्थापितों को विभिन्न परिषदीय कार्यालयों के अन्तर्गत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर सेवायोजन प्रदान करने हेतु श्री एच0 बी0 सिंह उपसचिव, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् सचिवालय के स्तर से वर्ष 1988 व 1989 में अनधिकृत एवं अनियमित रूप से नियुक्ति के आदेश निर्गत किए गए हैं ? यदि हां, तो कुल कितने लोगों की नियुक्तियां की गयीं तथा नियुक्त लोगों के नाम क्या हैं ? क्या यह सही है कि अवैध रूप से नियुक्ति संबंधी सभी पत्रावलियां विद्युत परिषद् मुख्यालय के कार्मिक 9 (बी) अनुभाग से संबंधित है ? यदि हां, तो शासन/परिषद् श्री एच0 बी0 सिंह, उपसचिव एवं कार्मिक 9(बी) के अनुभाग अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां, यह सत्य है कि हरदुआगंज ताप विद्युत परियोजना, कासिमपुर (अलीगढ़) के भूमि विस्थापितों को विभिन्न परिषदीय कार्यालयों के अन्तर्गत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर सेवायोजन प्रदान करने हेतु श्री एच0 बी0 सिंह, उप सचिव, उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् सचिवालय के स्तर से परिषद् में उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 1988 में अनधिकृत एवं अनियमित रूप से नियुक्ति संबंधी आदेश निर्गत किए गए हैं ।

कुल 40 (चालीस) लोगों की नियुक्तियां परिषद् के संज्ञान में आयी है जिनके नाम/विवरण संलग्न तालिका में उपलब्ध हैं ।

जी नहीं, केवल 15 (पन्द्रह) ऐसे अनाधिकृत पत्र विद्युत परिषद् मुख्यालय के कार्मिक–9 (बी) अनुभाग से संबंधित हैं जिनको निर्गत करने के निर्देश श्री एच0 बी0 सिंह, उप सचिव ने उस कार्यविधि में दिए जिस समय वे कार्मिक–9 (बी) अनुभाग के नियंत्रक अधिकारी थे और कार्मिक–9 (बी) अनुभाग उनके अधीनस्थ था । इन पत्रों का संबंध कार्मिक–9 (बी) अनुभाग से मात्र इसलिए है कि श्री एच0 बी0 सिंह द्वारा यह श्रुतिलेख (डिक्टेटेड लेटर्स) कार्मिक–9 (बी) अनुभाग के "डिस्पैच रजिस्टर" से उनके द्वारा निर्गत कराये गये थे ।

जी हां, श्री एच0 बी0 सिंह, उप सचिव को स्थानान्तरित कर दिया गया है एवं उनके विरुद्ध उपर्युक्त अनियमितताओं के संबंध में समुचित कार्यवाही परिषद् द्वारा प्रारम्भ की जा रही है । अनुभाग अधिकारी कार्मिक–9 (बी) अनुभाग इस प्रकरण में लिप्त नहीं पाए गए । अतएव उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का कोई प्रश्न नहीं उठता है ।

(देखिए नत्थी 'ब' आगे पृष्ठ 70 पर)

श्री ए0 के0 दुबे ग्राम–बेलासदा, सुल्तानपुर के साथ थानाध्यक्ष कोतवाली देहात सुल्तानपुर द्वारा अभद्र व्यवहार संबंधी शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही

66–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री ए0 के0 दुबे ग्राम बेलासदा, थाना कोतवाली देहात सुल्तानपुर का शिकायती पत्र श्री राज किशोर सिंह, एम0 एल0 ए0 के दिनांक 11-7-89 के उपरिपत्र के साथ प्राप्त हुआ है जिसमें थानाध्यक्ष थाना कोतवाली देहात सुल्तानपुर द्वारा श्री दुबे के साथ अभद्र व्यवहार की शिकायत की गयी थी ? यदि हां, तो श्री दुबे की सुरक्षा हेतु सरकार द्वारा कौन-कौन से प्रबन्ध किए गए हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

पुलिस अधीक्षक, सुल्तानपुर एवं पुलिस अधीक्षक अभिसूचना की रिपोर्ट के अनुसार श्री दुबे की जान को कोई खतरा नहीं है फिर भी दिनांक 10-12-88 से 16-12-88 तक उनके सुल्तानपुर प्रवास के दौरान सुरक्षा के आदेश शासन द्वारा दिए गए थे ।

श्री शैलेन्द्र कुमार एवं श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय तथा अन्य कतिपय सदस्यों को आज की कार्यवाही तक निलम्बित किए जाने का प्रस्ताव

(श्री शैलेन्द्र कुमार, श्री बृजेन्द्र सिंह और श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय सदन के फ्लोर पर आ गए)

श्री अध्यक्ष–

संसदीय कार्य मंत्री जी, मैं श्री शैलेन्द्र कुमार को इंगित करता हूं, श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय को भी इंगित करता हूं, आप प्रस्ताव करें ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधान सभा सदस्य श्री शैलेन्द्र कुमार, श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय को आज की कार्यवाही के लिए निष्कासित किया जाय ।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि माननीय सदस्यों के निष्कासन का जो प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने किया है वह पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(श्रीमती प्रेमवती तिवारी, श्री इम्तियाज मोहम्मद खां, श्री मुरलीधर मुनीम, श्री राम आधार मिश्र, श्री अफजाल अंसारी, श्री लटूरी सिंह, श्री पंचानन राय, श्री अकबाल हुसैन, श्री रामपाल सिंह एडवोकेट, श्री मुईद अहमद, श्री प्रमोद कुमार, श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह तथा नरेश चन्द्र अग्रवाल आदि भी सदन के फ्लोर पर आ गए और जोर-जोर से बोलने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया ।)

श्री अध्यक्ष–

जितने माननीय सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गए हैं, उन सभी को मैं इंगित करता हूं ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जितने माननीय सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गए हैं, उन सभी को आज की कार्यवाही से निलम्बित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि जितने माननीय सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गए हैं, उन सभी को आज की कार्यवाही से निलम्बित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री शैलेन्द्र कुमार, श्रीमती प्रेमवती तिवारी, श्री बृजेन्द्र सिंह, श्री इम्तियाज मोहम्मद खां, श्री मुरलीधर मुनीम, श्री राम औतार मिश्र, श्री अफजाल अंसारी, श्री लटूरी सिंह, श्री पंचाननराय, श्री अकबाल हुसैन, श्री रामपाल सिंह एडवोकेट, श्री प्रमोद कुमार, श्री मुईद अहमद, श्री नरेशचन्द्र अग्रवाल तथा श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह, सदन के फ्लोर पर खड़े हुए नारे लगाते रहे जिससे सदन में पुनः धोर व्यवधान उत्पन्न हो गया ।)

श्री अध्यक्ष–

यह सदन 10 मिनट के लिए स्थगित किया जाता है । मार्शल निर्देशों का पालन करें ।

(तत्पश्चात् 12 बजकर 22 मिनट पर सदन की कार्यवाही 10 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी गयी । 12 बजकर 32 मिनट मार्शल ने सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 12 बजकर 45 मिनट तक के लिए बढ़ा दिया है । 12 बजकर 45 मिनट पर मार्शल ने पुनः सूचित किया कि अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 1 बजकर 15 मिनट तक के लिए और बढ़ा दिया है । 1 बजकर 15 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सूचित किया कि अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 1 बजकर 25 मिनट तक के लिए और बढ़ा दिया है । 1 बजकर 25 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने पुनः सदन को सूचित किया कि सदन का स्थगन 1 बजकर 40 मिनट तक और बढ़ा दिया गया है । 1 बजकर 40 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने पुनः सदन को सूचित किया है कि सदन का स्थगन 1 बजकर 50 मिनट तक के लिए और बढ़ा दिया है । 1 बजकर 50 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सदन को पुनः सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 1 बजकर 55 मिनट तक के लिए और बढ़ा दिया है । 1 बजकर 55 मिनट से 2 बजे तक लगातार घण्टी बजती रही । तदोपरान्त सदन की कार्यवाही 2 बजे श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।)

निलम्बित सदस्यों की वापसी तथा अल्पसूचित तारांकित प्रश्न 2 से संबंधित बन्दूकों आदि के लाइसेंसों पर लगाए गए प्रतिबन्धों को हटाकर सच्चरित्र नागरिकों को लाइसेन्स दिए जाने के संबंध में आज ही चर्चा कराये जाने का प्रस्ताव

*नेता विरोधी दल (श्री नारायण दत्त तिवारी)–

श्रीमन् मैं क्षमा चाहता हूं कि अनिवार्य कारणों से मैं प्रातः काल यहां आपकी सेवा में उपस्थित नहीं हो सका, मुझे इसका खेद है । आज यहां पर , , जो घटना चक्र

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जो कार्यवाही हुई, उसके बारे में सूचना मुझे अपने सहयोगी सदस्यों द्वारा मिली और श्रीमन् आपने कृपा करके इस संबंध में मुझे अवगत कराया । इस सम्पूर्ण प्रकरण के संबंध में मेरा यह निवेदन है कि यह प्रकरण समाप्त किया जाय और सदन की कार्यवाही जैसा कि हम सभी चाहते हैं कि नियमानुसार चले, वह चले । जो भी कार्यवाही हुई है, उस कार्यवाही को समाप्त किया जाये और संसदीय परम्पराओं के अनुसार यह सदन चले, यह मेरा आग्रह होगा और जिस प्रश्न के बारे में आज यहां पर यह हुआ, उसके उत्तर से सदस्य पूर्णतः सन्तुष्ट नहीं थे, आपने कृपा कर आधे घन्टे की चर्चा का जो निर्णय दिया है, मुझे आशा है कि हमारे उन सदस्यों को जो अपना उत्तर न मिलने से असन्तुष्ट रहे, उस संबंध में उनकी जिज्ञासा की शान्ति होगी और उस प्रकरण का समाधान होगा । मेरा यह भी आग्रह होगा कि निलम्बन की कार्यवाही है, उसे नियमानुसार समाप्त करने की संसदीय कार्य मंत्री आपके निर्देशानुसार कार्यवाही करें ।

*संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल अगर प्रातः होते तो यह स्थिति न आती, उनकी उपस्थिति से वंचित रहे, इसलिए यह दृश्य उपस्थित हुआ और जैसा कि नेता विरोधी दल ने सुझाव दिया है, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि आज जिन माननीय सदस्यों को सदन की सेवा से निलम्बित किया गया है, उनका निलम्बन वापस हो ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि जो निलम्बन आज माननीय सदस्यों का किया गया है, उसे वापस ले लिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्व सम्मति से स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रस्ताव सर्व सम्मति से स्वीकार हुआ है, निलम्बन समाप्त हुआ ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

माननीय नेता विरोधी दल ने चर्चा की बात की थी, तो आज ही चर्चा कराने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सुरेन्द्र विक्रम सिंह का इस संबंध में प्रस्ताव आया है . . . (व्यवधान)

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी–

मान्यवर, बी0 ब्लाक में जान लेवा पानी आ रहा है (एक शीशी में पानी दिखाते हुए ।)

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता विरोधी दल जी, आप अपने सदस्यों का आचरण देख लें । मैं व्यवस्था देने जा रहा हूं और वह खड़े हो गये । माननीय नेता विरोधी दल ने इच्छा व्यक्त की है और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने उसे स्वीकार किया है, इस कारण मैं आज के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न सं0-2 के संबंध में यह निर्णय देता हूं कि इस विषय पर आज ही आधे घन्टे की चर्चा हो ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री ईश्वरशरण विद्यार्थी–

मान्यवर, दारुल शफा "बी" ब्लाक में यह जानलेवा पानी आ रहा है.

श्री अध्यक्ष–

यहां जान जा चुकी है उस पर निधन का निर्देश हो रहा है (व्यवधान) माननीय नेता विरोधी दल यह मुझसे बार-बार कहा गया है कि कांग्रेस के सदस्यों को सुनने का अवसर नहीं देते , मैं क्या करूं माननीय सदस्य बिना अनुमति के इस तरह खड़े होकर बोलने लगते हैं । निधन के निर्देश पर बोलने के लिए कह रहा हूं (व्यवधान) माननीय प्रमोद कुमार जी अभी जो यहां पर विचार व्यक्त किये गये उसके संदर्भ में यह कहना चाहूंगा कि सभी आदरणीय दलों के नेताओं से भी कहूंगा कि अपने दल के सदस्यों को समझायें और सदन की व्यवस्था से अवगत करायें और उनको नियंत्रित करते रहें । इधर और उधर दोनों तरफ के सदस्यों के लिए यह बात कह रहा हूं ।

(2 बजकर 5 मिनट)

श्री प्रमोद कुमार–

संभवत: वह यह प्रस्ताव सुन नहीं पाये इसलिए बोलने लगे ।

विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री श्याम सिंह के निधन पर शोकोद्गार

*संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मुझे बड़े खेद के साथ माननीय सदन को यह सूचित करना पड़ रहा है कि हमारे साथी और इस विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री श्याम सिंह जी का निधन 12 अगस्त 89, को प्रात: 6 बजे एक लम्बी बीमारी के बाद हो गया । उनका जन्म 21 जुलाई, 26 को हुआ और उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से स्नातक की शिक्षा पायी थी । मान्यवर, श्याम सिंह जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में से थे और 1942 में वह दो माह कारावास में रहे । आजादी की लड़ाई के बाद वह सरकारी सेवा में रहे । सरकारी सेवा से त्यागपत्र देकर वह 1980 में इस विधान सभा के लिए जनता (एस) पार्टी से निर्वाचित हुए । इस प्रकार 5 वर्ष तक उन्होंने इस सदन की सेवा की । आज वह हम लोगों के बीच में नहीं हैं । उनके निधन से न सिर्फ बिजनौर जनपद को क्षति हुई बल्कि पूरे प्रदेश की राजनीति में रिक्तता आई है । आपसे अनुरोध है कि हमारी ओर से और हमारे दल की ओर से एवं पूरे सदन की ओर से श्री श्याम सिंह जी के शोक संतप्त परिवार तक संवेदना भेजने का कष्ट करेंगे ।

*नेता विरोधी दल (श्री नारायण दत्त तिवारी)–

श्रीमन्, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने हमारे दिवंगत सहयोगी और सम्मानित पूर्व विधायक श्याम सिंह जी के विषय में जो विचार व्यक्त किये हैं मैं भी अपने को उनसे सम्बद्ध करता हूं । श्री श्याम सिंह जी से मेरा बहुत पुराना परिचय था, पड़ोसी जनपद से होने के नाते उनके सामाजिक कार्यकलापों और उनकी संगठन शक्ति से मैं पहले से ही परिचित था । वह प्रखर राष्ट्रीय विचारधारा के एक सक्रिय राजनीतिज्ञ थे और उन्होंने सन् 42 के स्वतंत्रता आंदोलन में प्रभावी भाग लिया । वे लखनऊ विश्वविद्यालय के स्नातक थे उन्होंने पंचायतीराज विभाग के माध्यम से प्रदेश की सेवा भी की थी । श्रीमन्, वह, कर्मठ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और ग्रामीण सेवा के प्रति समर्पित व्यक्ति थे तो ऐसे सहयोगी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

के निधन से जो बिजनौर जनपद और रुहेलखण्ड मंडल को क्षति हुई है उसकी लम्बे समय तक पूर्ति होना कठिन है। मेरा भी आपसे आग्रह है कि हमारे दल की ओर से हार्दिकतम संवेदना उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें।

श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने और मा0 नेता विरोधी दल ने जो शोकोद्गार श्री श्याम सिंह जी के संदर्भ में व्यक्त किये हैं उनके साथ मैं अपने और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि हमारे दल की भावनायें उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

*श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

मान्यवर, श्याम सिंह जी के निधन से मुझे और मेरे दल के सदस्यों को हार्दिक दुख है। इस संबंध में जो संवेदनायें संसदीय कार्य मंत्री जी ने और नेता विरोधी दल एवं नेता बी0जे0पी0 ने व्यक्त की है उससे मैं आपने और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि उनके शोक संताप्त परिवार तक शोक संवेदना भेजने की कृपा करें।

श्री राज किशोर सिंह–

मान्यवर, श्याम सिंह जी हम लोगों के बीच में नहीं रहे। उनके निधन से मुझे और मेरी पार्टी को बहुत कष्ट है। मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी ने और नेता विरोधी दल, नेता बी0जे0पी0, नेता सी0पी0 ने जो उनके प्रति भावनायें व्यक्त की हैं मैं उनसे अपने और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि मेरी और मेरे दल की शोक संवेदनायें उनके शोक संतप्त परिवार तक भेजने की कृपा करें।

*श्री राम लखन वर्मा–

मा0 अध्यक्ष महोदय, स्व0 श्याम सिंह जी हमारे बीच में नहीं रहे हैं, उनके निधन से मुझे और मेरी पार्टी को बहुत दुख है। मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से आपसे निवेदन करूंगा कि उनके परिवार तक हमारी शोक संवेदनायें पहुंचाने की कृपा करें

*श्री देव कुमार यादव–

मान्यवर, जो मा0 श्याम सिंह के संबंध में संसदीय कार्य मंत्री, मा0 नेता विरोधी दल और अन्य दलों के नेताओं ने जो विचार व्यक्त किये हैं मैं उनसे अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि हमारी संवेदनायें उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यगण, श्री श्याम सिंह भूतपूर्व सदस्य विधान सभा से मेरा व्यक्तिगत परिचय रहा और मेरे साथ 1980 में इस विधान सभा के वह सदस्य भी रहे थे। मैं ऐसा समझता हूं कि वह ऐसे थे जिन्हें कृषि के विषय में अत्यधिक जानकारी थी और सदन के कार्य में वे बहुत रुचि लिया करते थे, उनके निधन से निश्चित ही हमारे बीच

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

से एक ऐसा व्यक्ति बिछुड़ गया जिसकी पूर्ति जनपद बिजनौर में कठिनाई से होगी ।

मा0 नेता सदन, मा0 नेता विरोधी दल, मा0 नेता भारतीय जनता पार्टी, मा0 नेता कम्यूनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट (मा0), नेता बहुजन समाज पार्टी एवं अन्य मा0 नेताओं ने जो भावनायें संवेदनायें व्यक्त की हैं मैं आप सब की भावनाओं को सदन की ओर से और अपनी ओर से उनके परिवार को पहुंचा दूंगा । अब हम 2 मिनट मौन खड़े होकर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे ।

(दिवंगत आत्मा के सम्मान में सभी सदस्य 2 मिनट मौन खड़े हुए ।)

विधायक निवास बी ब्लाक, दारुलशफा में पीने के पानी में प्रदूषण होने के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष–

अब मद संख्या–(4)

*श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी–

माननीय अध्यक्ष जी, पहले मेरी एक बात आप सुन लें । कल रात में 9 बजे, जहां मैं दारुलशफा बी ब्लाक में रहता हूं, वहां के नल पर मेरे क्षेत्र का ठहरा हुआ एक लड़का एक गिलास पानी पीने गया और जब उसने पानी पिया तो उसके बाद वह बेहोश हो गया, गला उसका चोक हो गया । हालत बिगड़ती देखकर उसे उलटी कराई गई तो उसके पेट से काला-काला निकला । फिर नल में गड़बड़ी देखी गई कि नल में तो कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, तो पाया गया कि उससे बराबर काला पानी आ रहा है । तो विधायकों के रहने जैसे महत्वपूर्ण स्थान पर पानी में ऐसा प्रदूषण रहता है । यह ऐसा पानी किस तरह से आ रहा है, क्या पाईप फटने से आ रहा है या और कोई वजह है, सरकार इसकी जांच कराए ? इस तरह अब दुबारा विधायक के जीवन से खिलवाड़ न होने पाए, इससे हमारी आप रक्षा करायें ।

श्री अध्यक्ष–

मैं भी उसी ब्लाक में रहता हूं, नगर विकास मंत्री जी से चाहूंगा कि वह इस ओर विशेष ध्यान दें, जिससे माननीय सदस्यों की और मेरी भी रक्षा हो जाए ।

श्री मुईद अहमद–

मान्यवर, इस तरह की ध्यान देने वाली एक और हमारी बात है । जो हम लोग डालीबाग स्थित मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं, उनके चारों तरफ नाला है, जिसमें से बहुत मच्छर उस भवन में आते हैं, इसलिए आप सरकार से कह दें कि वह मलेरिया विभाग से कहकर वहां दवा छिड़कवा दें ।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, मंत्री जी इस ओर भी ध्यान दे दें ।

नियम 301 की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 17 जनवरी, 1990 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 78 सूचनाएं प्राप्त हुईं । प्राप्त सूचनाओं में से निम्नांकित

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सदस्यों की सूचनाएं अग्राह्य की गई है, क्योंकि वह नियमानुसार नहीं पाई गई । शेष 67 सूचनायें स्वीकार की गई चूंकि सूचनायें अधिक है, इसलिए यह पढ़ी हुई मानी जायें ।

सर्वश्री अर्जुन सिंह यादव, श्री अनिल कुमार, शिव प्रताप शुक्ल, श्रीमती पुष्पा देवी श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री ऊदल, श्री रियाज अहमद, श्री दौलत राम, श्री निरवेन्द कुमार, श्री सुबास चन्द्र और कृष्ण स्वरूप वैश्य की सूचनायें अग्राह्य की गई है ।

स्वीकृत सभी सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गई जो इस प्रकार है–

जनपद देवरिया की चीनी मिल रामकोला के बन्द किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री पूर्णवासी–

[मान्यवर, मैं आपके अनुमति से आदरणीय सदन के संज्ञान में एक अत्यन्त महत्व-पूर्ण विषय को लाना चाहूंगा ।

देवरिया जनपद के रामकोला स्थित गंगेश्वर चीनी मिल के प्रबन्धकों ने जानबूझकर मिल मरम्मत के बहाने मिल को बन्द कर दिया है । क्षेत्र में गन्ने की अधिकता को देखते हुए अन्य चीनी मिलों को आवंटित किया गया लेकिन मिल मालिक ने विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से मिलकर पुन: इस आवंटन को निरस्त कराकर वापस ले लिया ।

मिल बन्द होने के कारण सैकड़ों टन गन्ना मिल परिसर में पड़ा हुआ है । किसानों में घोर असन्तोष है । लगता है कि क्षेत्र का गन्ना ऐसे ही रह जायेगा ।

अत: लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सदन और सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए क्षेत्र के गन्ने का दूसरे मिलों को आवंटित करने तथा प्रबन्धक गंगेश्वर चीनी मिल रामकोला के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने की मांग करता हूं ।]

लखनऊ खण्ड ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के अधिशासी अभियन्ता द्वारा की जा रही मनमानी के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को लाना चाहता हूं ।

मान्यवर, शासन की नाक के नीचे लखनऊ खण्ड ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के एक अधिशासी अभियंता द्वारा अपने अधीनस्थ अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों का शोषण एवं उत्पीड़न किया जा रहा है उदाहरण के लिए लखनऊ खंड के एक ट्रेसर का नाम लिया जा सकता है जिसे उक्त अधिकारी द्वारा अपनी तानाशाही की सनक के तहत जान से मारने की धमकी दी गयी है । जिससे वह लगभग विक्षिप्त स्थिति में है और विभाग के समस्त कर्मचारियों में भयंकर आक्रोश व्याप्त है जिससे किसी भी समय भयावह स्थिति उत्पन्न हो सकती है जिससे शासन की कार्य क्षमता एवं नेकनीयती पर प्रश्न चिह्न लगाया जा रहा है ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

उक्त अधिकारी शासन पर अपनी धाकड़ घूसपैठ की बात कहकर आये दिन विभागीय अधीनस्थ कर्मचारियों का उत्पीड़न कर रहा है । इस आशय की नोटिस सदन के संज्ञान में इससे पूर्व भी लायी जा चुकी है ।

अतः मेरी आपके माध्यम से स्पष्ट मांग है कि ऐसे शासन की नीतियों के विरोधी अधिशासी अभियंता को उसके पूर्व क्रियाकलापों जैसे कि प्रखंड उरई के अंतर्गत कालपी में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का छात्रावास तथा प्रशासनिक भवन जोकि धराशायी होने की हालत में है को दृष्टिगत रखते हुए एवं वर्तमान की सनकी के लिए अवश्य ही दण्डित किया जाना उचित होगा ।]

उत्तर प्रदेश सचिवालय डिस्पेंसरी के प्रभारी डा0 पंचम सिंह द्वारा दवाइयों के विवरण में धांधली व मनमानी किये जाने के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री हरिशंकर तिवारी–

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से शासन का विशेष रूप से स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान सचिवालय परिसर में स्थित एलोपैथिक डिस्पेन्सरी की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, सचिवालय एलोपैथिक डिस्पेन्सरी के प्रभारी डा0 पंचम सिंह के नेतृत्व में सचिवालय कर्मचारियों की सुविधाओं के लिए आवंटित लाखों रुपये के बजट को निगला हड़पा जा रहा है । डिस्पेन्सरी के प्रभारी द्वारा चिकित्सा अनुभाग–2 के शासनादेश 3422-सेक-2/5-85 दिनांक 12 अगस्त, 1985 का खुला उल्लंघन किया गया है । एल0 पी0 दवाओं के लिए रोगी को सीधे क्रय आदेश दिए गए हैं, एक सप्ताह से अधिक एक-एक महीने की दवा एक साथ लिखी गयी है, महंगी-महंगी दवाइयां पर्चों में लिखकर हेराफेरी की गयी है । पर्चों पर ओ0 पी0 डी0 नं0 नहीं डाला गया है, न ही पर्चों पर औषधि वितरण पुस्तिका का नं0 ही डाला गया है साथ रोगी किस विभाग में कार्यरत है का उल्लेख नहीं किया गया है ? टी0 बी0 जैसी संगीन बीमारी के लिए आवश्यक जांच व टी0 बी0 रजिस्टर का नं0 डाले बिना ही दवा दी गयी जो लोग सचिवालय से बाहर कार्यरत हैं उन्हें अधिकारों का दुरुपयोग करके दवा दी गयी ये मान्यवर महज इसलिए किया गया कि लाखों रुपये के बजट को अवैधानिक तरीके से लूटा जा सके और लूटा गया । मान्यवर, आज भी सचिवालय के कर्मचारियों को दवा नहीं मिल रही है, सबस्टीट्यूट दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं, स्टोर से प्राप्त होने वाली दवाओं का कोई खास असर नहीं हो रहा है । एल0 पी0 की दवाइयां मिल नहीं रही हैं प्रभारी का व्यवहार भी असंतोषजनक है । प्रभारी व डिस्पेन्सरी के भ्रष्टाचारों के लिए चिकित्सा विभाग द्वारा की गयी जांच (15-4-89 को) के परिणाम प्रभारी द्वारा अपने प्रभाव से दबा दिये गये हैं ।

अतः मान्यवर से अनुरोध है कि प्रभारी डिस्पेन्सरी को हटाकर उच्च स्तरीय जांच कराई जाये अन्यथा ऐसे भ्रष्ट अधिकारी शासन के रुपये को खुलेआम लूटते रहेंगे ।

मान्यवर, यह एक लाके महत्व का प्रश्न है अतः इसको नियम 301 के अंतर्गत लाकर चर्चा करने की अनुमति प्रदान करें ।]

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद बाराबंकी के परगना दंवा के ग्राम मानपुर राह में ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जों के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री अकबर अली–

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से आदरणीय सदन के संज्ञान में एक अति लोक महत्व का प्रश्न लाना चाहता हूं । ग्राम मानपुर राह, परगना दंवां, तहसील नवाबगंज, जिला बाराबंकी में खसरा संख्या 61, 65, 67, 70, 80, 99, 101 पर सवर्णों के अवैध कब्जे हैं जिनके संबंध में लोकप्रिय सरकार ने अवैध कब्जों को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है । परन्तु यह प्रक्रिया अत्यन्त मन्द गति से चल रही है जिसके कारण वर्ष से ज्यादा समय होने वाला है अभी कब्जे हटाये नहीं जा सके हैं । खसरा नं0 101 गांव का आम रास्ता है इस पर कब्जा होने से सारे गांव के लोगों का आवागमन बाधित हो रहा है । खसरा नं0 67 जिस पर पहले कोल्हू लगता है, अवैध कब्जे के कारण गांव के लोग कोल्हू नहीं लगा पा रहे हैं क्योंकि ग्राम में अन्य कोई स्थान नहीं बचा है । अत: मेरी विशेष मांग है कि अन्य जमीनों से कब्जे यथासमय हटाए जाते रहे परन्तु विशेष रूप से खसरा नं0 101 जो रास्ता है और खसरा नं0 67 जो कोल्हू लगाने की जमीन है उससे अनधिकृत कब्जों को शीघ्र ही हटवाया जाय और कब्जे हटवाने की प्रक्रिया में तेजी लायी जाय । मेरी यह भी मांग है कि जब यह जमीन अवैध काबिजदारों से खाली करा ली जाय तो सर्वप्रथम इसको गरीबों/हरिजनों में वितरित किया जाय तथा जिन लोगों ने जमीनों पर अवैध कब्जे किये हैं उन पर भारी अर्थ दण्ड भी लगाया जाय ताकि गांव की जनता सुखचैन से रह सके और वर्ग संघर्ष की नौबत न आये ।]

प्रदेश के सभी कर्मचारियों को बोनस दिये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री रामकरन आर्य–

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक अति महत्वपूर्ण लोक महत्व का प्रश्न आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं मान्यवर, राज्य कर्मचारियों को प्रत्येक वर्ष बोनस दिया जाता है, इसके संबंध में नियम है कि 2500 रु0 तक कुल परिलब्धियां पाने वालों को बोनस का लाभ प्राप्त होगा और जो उससे अधिक वेतन प्राप्त कर रहे हैं उनको बोनस नहीं दिया जायेगा । शासन की नीति के कारण राज्य कर्मचारियों में अत्यन्त रोष एवं क्षोभ व्याप्त है ।

इसलिए मेरी मांग है कि प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को बोनस दिया जाय । जिन कर्मचारियों का वेतन 2500/-रुपये से अधिक है, उनको कुछ कम धनराशि बोनस के रूप में दी जा सकती है, लेकिन बोनस का बिल्कुल न दिया जाना किसी भी प्रकार तर्क-संगत नहीं है । इसलिए प्रत्येक कर्मचारी को बोनस दिया जाय जो शासन द्वारा भेद-भाव की नीति अपनायी गयी है, उसको समाप्त किया जाय ।]

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद बुलन्दशहर के स्याना क्षेत्र के किसानों के गन्ने की बिक्री न हो पाने के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री इम्तियाज मोहम्मद खां--

मान्यवर; मैं आपकी आज्ञा से लोक महत्व के प्रश्न को माननीय सदन के समक्ष रखना चाहता हूं ।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र स्याना-जनपद बुलन्दशहर के ग्राम परवाना-रतनपुर, माजराखान-पुर, पाली परतापुर, भगरौली, खिजरपुर, मानपुर, सूरजपुर वीकरी, बादशाहपुर तलाब विकास खण्ड जहांगीराबाद, के किसान भी चीनी मिल को अपना गन्ना आपूर्ति नहीं कर सकते । इस कारण उपरोक्त ग्रामों के किसानों को आर्थिक हानि पहुंच रही है । इसका कारण है कि 18 वर्ष पूर्व उपरोक्त ग्राम पन्नी शुगर मिल के कार्य क्षेत्र में थे । पन्नी शुगर मिल एक प्राचीन मिल है और अपने सम्पूर्ण क्षेत्र के गन्ने की पिराई करने में असमर्थ है । इससे पूर्व उपरोक्त मिल के अन्य गावों का गन्ना भी अनूप शहर मिल से संबद्ध किया है ।

मेरा आपसे अनुरोध है कि अनूपशहर चीनी मिल से गन्ना आपूर्ति की व्यवस्था करवा कर ग्राम सीकरी या ईलना गन्ना क्रय केन्द्र पर उपरोक्त ग्रामों की गन्ना आपूर्ति सुनिश्चित करवाने का कष्ट करें ।]

उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग इलाहाबाद द्वारा कृषि अर्थशास्त्र के प्राध्यापकों के चयन में की गयी अनियमितताओं के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री दयाराम भास्कर--

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान तथा माननीय सदन का ध्यान अत्यन्त गंभीर विषय की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि कृषि अर्थशास्त्र के प्राध्यापक के लिए उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग इलाहाबाद में 4 से 8 दिसम्बर 89 तक इन्टरव्यू के तहत हुआ था जिसमें जातिवाद को प्राथमिकता देकर चयनित कर लिया है जो कि अत्यन्त अनियमित कार्य किया गया है ।

यह कि उक्त कृषि अर्थशास्त्र के विषय हेतु 80 अभ्यर्थी बुलाये गये थे पत्र सं0 केवल 7 थी परन्तु 23-12-89 को जो परिणाम घोषित किया गया उसमें केवल एक ही जाति के अलावा अन्य कोई भी जाति का अभ्यर्थी नहीं लिया गया । चूंकि चेयरमैन महोदय भी उक्त जाति के थे । इसी कारण से उन्होंने अपनी जाति के ही लोगों को रखा है । इस प्रकार से गड़बड़ी व अनियमित कार्य से पिछड़ी जाति व अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को काफी धक्का लगा है ।

मैं आपके माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि सरकार प्रकरण की जांच करावें और किये गये अनैतिक चयन को तत्काल निरस्त कराने का आदेश देने का कष्ट करें ।]

नोट :-- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद इलाहाबाद के चायल निर्वाचन क्षेत्र में पीने के पानी का संकट उत्पन्न होने के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री शैलेन्द्र कुमार–

[मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से लोक महत्व के सूचना को माननीय सदन के समक्ष रखना चाहता हूं । मेरे इलाहाबाद निर्वाचन क्षेत्र चायल विकास खण्ड चायल, नेवदा एवं मूरतगंज के अंतर्गत आने वाले लगभग 250 ग्रामों में जिनमें 1200 मजरे भी, इन सभी ग्रामों में पेयजल का घोर संकट है । लगभग सभी ग्रामों एवं मजरों के ज्यादातर कूप सूख गये हैं । ग्रामीणों में असंतोष व्याप्त है और पेयजल संकट के कारण कभी भी कोई गम्भीर घटना घट सकती है, जिसका प्रभाव कानून व्यवस्था पर भी पड़ सकता है । इस संबंध में स्थानीय अधिकारियों को भी अवगत करा दिया गया है । यदि शासन ने अविलम्ब ध्यान देकर पेयजल संकट को दूर करने की व्यवस्था नहीं की तो स्थिति और भी विकराल हो जायेगी ।

अतः अविलम्ब लोक महत्व को ध्यान में रखते हुए मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि जल निगम द्वारा अधिक से अधिक हैण्ड पम्प पाईप लगवाने की कृपा करें तथा सूखे कूपों की सफाई की व्यवस्था करने की कृपा करें । जिससे उपरोक्त समस्या का निराकरण हो सके ।]

जनपद गाजियाबाद की तहसील मोदी नगर में तापीय विद्युत परियोजना में कृषकों की अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा न दिये जाने के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री राजपाल त्यागी–

[मान्यवर, मैं एक अत्यन्त अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न मा0 सदन के संज्ञान में लाने की अनुज्ञा चाहता हूं ।

मान्यवर, वर्ष 1985 में जनपद गाजियाबाद की तहसील मोदीनगर के ग्राम सरना, खुर्रमपुर एवं हिसाली की भूमि का अधिग्रहण राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा प्रस्तावित परियोजना हेतु किया गया था । इतना ही नहीं बिना कोई मुआवजा दिये उपरोक्त ग्रामों की भूमि पर एन0 टी0 पी0 सी0 का नाम खसरा एवं खतौनी में चढ़ा दिया गया । अब एन0टी0पी0सी0 की उक्त इकाई के निर्माण हेतु भूमि का चयन तहसील दादरी में करके निर्माण प्रारम्भ कर दिया गया है जिसे कई वर्ष हो चुके हैं । किन्तु अभी तक भी उपरोक्त ग्राम की भूमि से एन0टी0पी0सी0 का नहीं काटा गया है । भूमि किसानों की है और नाम एन0टी0पी0सी0 का है और कब्जा एन0टी0पी0सी0 का ही है ।

मान्यवर, इस कारण किसानों को न तो सहकारी समिति और ना ही भूमि विकास बैंक कर्ज दे रहे हैं समस्त ग्रामवासी निरीह हालत में वर्षों से इसी प्रकार की जिन्दगी जी रहे हैं । इस संबंध में कई बार आन्दोलन हुए हैं अभी पिछले दिनांक 5 दिसम्बर, 89 को एक आन्दोलन हुआ था सारे ग्राम निवासियों में रोष व क्षोभ व्याप्त है और कोई भी बड़ी घटना हो सकती है ।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

अस्तु इस सदन के माध्यम से मेरी मांग है कि किसानों की भूमि का या तो मुआवजा ब्याज सहित दिया जाय अन्यथा तबसे आज तक का फसलों का मुआवजा एवं क्षतिपूर्ति की जाय । यदि एन0टी0पी0सी0 को उक्त भूमि को आवश्यकता नहीं है तो इकाई का नाम काटकर किसानों का नाम चढ़ाया जाय ।]

जनपद देवरिया की सेवरही स्थित चीनी मिल द्वारा गन्ना काश्तकारों का शोषण किये जाने के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री कासिम अली–

[मान्यवर, जनपद देवरिया की सेवरही स्थित चीनी मिल हमारे क्षेत्र की आर्थिक स्थिति की रीढ़ है । गन्ना बाहुल्य इलाका होने के कारण 80 प्रतिशत से अधिक लोग गन्ना और उससे संबंधित काम काज से अपनी रोटी रोजी चलाते हैं ।

उक्त फैक्ट्री ने नवम्बर, 89 के आखिरी सप्ताह में पेराई कार्य शुरू किया जर्जर कबाड़ यह मिल प्रतिदिन लगभग 11 हजार कुन्तल (औसतन) पेर रही है और प्राय: बन्द हो जा रही है ।

तरया व सेवराही गन्ना क्षेत्र के अंतर्गत कुल 73 लाख कुन्ताल गन्ना है पेराई क्षमता की दृष्टि से जुलाई 90 तक भी यह मिल सम्पूर्ण गन्ना पेर सकने में सर्वथा असमर्थ है जो गन्ना काश्तकारों के साथ घोर अन्याय है ।

आवश्यकता है गन्ना काश्तकारों को राहत देने के लिए अन्य चीनी मिलों की इस क्षेत्र का गन्ना आवंटित किया जाय ।

ज्ञातव्य है कि यहां के किसानों का आर्थिक शोषण बिहार के मढ़ौरा सासामुसा, हरखुआ, हथुआ सिधवलिया, आदि चीनी मिलों के एजेन्टों द्वारा किया जा रहा है कम तौल एवं कम भुगतान के कारण किसानों के रीढ़ की हड्डी टूट रही है ।]

फैजाबाद जिलान्तर्गत क्षेत्र मिल्कीपुर की अम्बेनी गंज बाजार की सड़कों की दुर्व्यवस्था के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

डा0 बृजभूषण मणि त्रिपाठी–

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान जनपद फैजाबाद में अपने विधान सभा क्षेत्र के अम्बेनी गंज बाजार की ओर दिलाना चाहता हूं जहां बाजार सार्वजनिक निर्माण विभाग के मार्ग पर स्थित है मार्ग की स्थिति इस समय इतनी खराब है जहां पानी भरा रहता है लोग पानी से बचने के लिए सड़क पर जहां पानी नहीं रहता उससे चलते हैं., मार्ग की खराबी के कारण कई दुर्घटना भी हो चुकीं । अभी हाल में ही दिनांक 13-1-1990 को इसी बाजार में सालिक राम हरिजन का 5,6 वर्ष का लड़का ट्रैक्टर ट्राली से दबकर मर गया, उक्त बाजार में लगभग 1000 हजार लोग रहते हैं । मार्ग न बनने से सदैव जन जीवन का भय बना हुआ है ।]

नोट:– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

लखनऊ के महानगर स्थित रहीम नगर क्षेत्र में सड़क एवं बिजली व्यवस्था कराये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री राम प्रसाद सिंह–

[मान्यवर, मैं प्रक्रिया नियमावली के नियम 301 के अन्तर्गत निम्न विषय सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं । मुहल्ला रहीमनगर (महानगर लखनऊ) में श्री स्वामी नाथ वर्मा राजकीय ठेकेदार एवं श्री जे0 पी0 सिंह के मकान के सामने की पक्की सड़क के आगे ढलान पर श्री ए0 के0 चटर्जी एवं श्री डे के मकान के सामने कच्ची सड़क जो पन्द्रह फीट चौड़ी और लगभग 200 फीट लम्बी है उस पर मकान बने हुये हैं । यह आगे कम चौड़ी होकर आगे तक निकल गयी है । इस पर रहने वाले तथा मुहल्ले वालों का बरसात में कीचड़ के कारण अंधेरे में निकलना मुश्किल हो जाता है । उस कच्ची रोड पर बिजली के खम्भे लगे हुये हैं परन्तु स्ट्रीट लाइट की कोई व्यवस्था न होने के कारण वहां की जनता में अत्यंत रोष व्याप्त है । अतः आप से मेरा अनुरोध है कि इस कच्ची सड़क जो 15 फीट चौड़ी और 200 फीट लम्बी है को पक्का कराने एवं उस पर स्ट्रीट लाइट लगवाने के आदेश शासन को देने का कष्ट करें ।]

पत्रकार श्री राजपति यादव का अपहरण किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती शारदा देवी–

[महोदय, दिनांक 12 जनवरी, 1990 की रात्रि जिला जनता दल कार्यालय गोरखपुर मेरे आवास में घुस कर अधिशासी अभियंता के चहेते गुन्डों ने पी0 डब्लू0 डी0 में 25 लाख रुपया हड़पने की शिकायत करने वाले पत्रकार श्री राजपति यादव को उठा ले जाने जैसे घृणित कार्य करने वाले अधिशासी अभियन्ता के निलंबन की कार्यवाही के सम्बन्ध में आपका ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करना चाहती हूं कि उक्त अधिशासी **अभियन्ता राज बहादुर सिंह पी0 डब्लू डी0 गोण्डा में निलम्बित थे** । 5 माह पूर्व गोरखपुर की प्रान्तीय खण्ड में पहुंच कर 25 लाख रुपया हड़पे । उसकी शिकायत लिखने वाले पत्रकार राजपति यादव को 12-1-90 की रात्रि 9 बजे जिला जनता दल कार्यालय में मेरे निवास से उसके 3 गुन्डे उठा ले जाने का असफल प्रयास किये । इस मामले में पुलिस अभियन्ता यादव गुन्डों को नहीं पकड़ पायी । इसमें धारा 452, 504, 506 का मुकदमा दर्ज है । गोरखपुर पुलिस जातिवाद में फंसी है । अतः उपरोक्त अविलम्बनीय लोक महत्व के इस गम्भीर प्रश्न को आपके संज्ञान में लाकर इसे स्वीकृत किये जाने की मांग करती हूं ।]

जनपद बाराबंकी के कतिपय ब्लाकों में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत घोटाला किये जाने के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री सुन्दर लाल (बाराबंकी)–

[महोदय, जनपद बाराबंकी के विकास खण्ड हैदरगढ़, त्रिवेदीगंज तथा सिद्धौर के अधिसंख्य ग्राम सभाओं में जवाहर रोजगार योजना के तहत प्राप्त धनराशि को फर्जी मस्टर-रोल बनाकर भुगतान दर्शाया गया है तथा जो मजदूर काम भी किये उनको मजदूरी का

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया

भुगतान भी नहीं किया गया है । साथ ही विकास कार्यों में खर्च न करके सरकारी धन को हड़प लिया गया है । पुरानी सड़कें व नालों पर पुनः भुगतान कराया गया है । लोक महत्व के इस महत्वपूर्ण विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुये उच्च स्तरीय जांच की मांग करता हूं ।]

जनपद देवरिया में ब्लाक भलुअनी के सहकारी गोदामों से क्रय की गयी यूरिया के छिड़काव से फसलों की बरबादी के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री मुक्ति नाथ–

[महोदय, इस सदन के माध्यम से शासन का ध्यान देवरिया जनपद के ब्लाक में सहकारी गोदामों से वितरित किये गये यूरिया खाद के छिड़काव से भीषण बरबादी के तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं । प्रान्तीय सहकारी संघ रसायनिक खादें खरीद कर जिलों को वितरित किया और उसका जिन-जिन इलाकों में छिड़काव हुआ, वहां की फसल पूरी तरह बरबाद हो गयी, इस प्रकार से हजारों एकड़ की रबी की फसल बरबाद हो गयी और खास तौर से भलुअनी ब्लाक के किसानों की तबाही हुई है । ऐसा कहना है कि निजी व्यापारियों से सांठ-गांठ कर के सहकारी कर्मचारियों द्वारा खाद में मिलावट की गयी । हमारी मांग है कि इस खाद घोटाले कांड की उच्च स्तरीय जांच करायी जाये और दोषी अधिकारियों को दन्डित किया जाये और जिन किसानों की फसल बरबाद हुई है, उन्हें मुआवजा दिया जाये ।]

जनपद आगरा में अशुद्ध जलापूर्ति तथा व्याप्त गन्दगी के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री किशन गोपाल–

[महोदय, मैं आपका ध्यान आगरा में अशुद्ध पेयजल आपूर्ति तथा नगर में सर्वत्र व्याप्त गन्दगी जिसे माननीय नगर विकास मंत्री स्वयं देख चुके हैं की ओर आकर्षित किया जाता है । इससे आगरा नगर की जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है । इसलिए यह अवलम्बनीय है । लोक महत्व का विषय है । इस पर आधा घन्टे की चर्चा तुरन्तु आवश्यक है और मंत्री महोदय इसका तुरन्त जबाब देने का कष्ट करें ।]

जनपद वाराणसी के गंगापुर क्षेत्र में सिंचाई व्यवस्था हेतु नलकूपों के निर्माण कराये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री राज किशोर सिंह–

[मान्यवर, वाराणसी जनपद के गंगापुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत खण्ड विकास क्षेत्र आराजी लाइन्स के ग्राम पाण्डेयपुर, बहोरनपुर (माधोपुर) दीपापुर, बंगालीपुर (ताल) कठीपुर, ढढोरपुर, कृष्णदत्तपुर, चक मातल देई (दक्षिण), नरैचा-बेलाँड़ी, कर्नाडाडी (पश्चिम) खेवसीपुर, नरोत्तमपुर, सरौनी, गहरपुर, अतरसुइया, गौरवलहिया, कपरफीरवां, काशी विद्यापीठ ब्लाक के गांव बरवरिया, ऊंचगांव (दक्षिण) बच्छांव, कोटवां, सेवापुरी ब्लाक के गांव मुइली, दयापुर (तुदुई) अमरीपुर, पूरे, पिंडरा ब्लाक के ग्राम सैरा, कृष्णापुर डिंधिया, कोईरीपुर, निमाहताल, हरहुआ ब्लाक के ग्राम दासेपुर महादेवपुर (चन्दीपट्टी) डंगरपुरवा चक्का आदि गांवों में सिंचाई के साधनों के अभाव

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

में हजारों एकड़ भूमि असिंचित रह जाती है जिससे किसानों को अपूरणीय क्षति हो रही है ।

बहुत लम्बे अर्से से उपरिसंदर्भित गावों के किसान नलकूप की मांग करते आ रहे हैं किन्तु सिंचाई विभाग की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया गया । जिला योजना में धनाभाव के कारण नलकूपों का निर्माज होना सम्भव नहीं है ।

यदि नलकूपों के निर्माण की व्यवस्था नहीं होगी तो किसानों को भुखमरी का शिकार होना पड़ेगा । किसानों में आक्रोश व्याप्त है ।

अतएव इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना सदन के संज्ञान में लाते हुए उपरोक्त गांवों में नलकूप निर्माज की शासन से मांग करता हूं ।]

लखनऊ चौक पुलिस द्वारा जनता के उत्पीड़न के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री अकबर हुसैन बाबर–

[मान्यवर, पिछले दो वर्षों से वर्तमान पुलिस इन्सपेक्टर कोतवाली चौक (लखनऊ) के अत्याचार से जनता त्रस्त है । सैकड़ों लोगों को मारा पीटा गया है और जाली मुकदमों में फसाया गया है । उक्त पुलिस इन्सपेक्टर पर जनता दल के कार्यकर्ता श्री अक्षयवर मल्ल की हत्या का भी आरोप था जिस पर कि पिछली विधान सभा में काफी हंगामा हुआ था । उक्त पुलिस इन्सपेक्टर ने मोलवीगंज के निवासी श्री मो0 हलीम पुत्र श्री अब्दुल गफूर व उनकी पत्नी शबनम को मारा पीटा और झूठे मुकदमे में फंसाया । क्षेत्रीय विधायक श्री रविदास मेहरोत्रा के साथ भी उक्त इन्सपेक्टर द्वारा दुर्व्यवहार किया गया । इन्सपेक्टर द्वारा जनता के उत्पीड़न से स्थिति बड़ी विस्फोटक हो गयी है और किसी भी समय अशान्ति फूट सकती है ।

मैं माननीय अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाते हुए उक्त इन्सपेक्टर के विरुद्ध अब तक की गयी शिकायतों की प्रथम सूचनाएं पंजीकृत कर इन्सपेक्टर को थाने से तत्काल हटाकर उच्चस्तरीय जांच और विवेचना करायी जाये ।]

प्रदेश के राजकीय चिकित्सालयों में रिक्त पदों को भरे जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री राम बचन धूसिया–

[मान्यवर, प्रदेश के राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों में चिकित्साधिकारी के सैकड़ों पद वर्ष 1984 से ही रिक्त चल रहे हैं । होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों के चयन का मामला गत 6 वर्षों से लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद में लम्बित है । भारत सरकार की नीति के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर तृतीय चिकित्साधिकारी के पद होम्योपैथी आयुर्वेद-यूनानी चिकित्सकों को सुलभ थे जिन्हें समाप्त किया जा रहा है ।

होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों के चयन में डिप्लोमा की तुलना में डिग्री को "बेटेज" दिया जाता है, जबकि दोनों के पाठ्यक्रम समान हैं तथा केन्द्रीय होम्योपैथिक परिषद् नई दिल्ली द्वारा दोनों को समान मान्यता प्रदान की गयी है । सरकार की इन

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

नीतियों के परिणाम स्वरूप होम्योपैथिक चिकित्सकों के सम्मुख बेरोजगारी की गम्भीर समस्या पंदा हो गयी है ।

लोक महत्व के इस प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर होम्योपैथिक चिकित्सकों के साथ न्याय की मांग करने हेतु माननीय अध्यक्ष की अनुज्ञा चाहता हूं ।]

जनपद अल्मोड़ा में पेयजल संकट के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्रीमती सरस्वती तिवारी–

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना माननीय सदन में देना चाहती हूं । अल्मोड़ा नगर विगत काफी समय से भीषण पेयजल संकट के कारण त्रस्त है जिस कारण नगरवासियों में घोर असंतोष व्याप्त है । इस नगर को 1952 में कोसी पम्पिंग पेयजल योजना से लाभान्वित किया गया था लेकिन बड़े खेद का विषय है कि इसके रखरखाव पर शासन द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया जिस कारण पूरी पेयजल लाइनें अधिकांशत: खराब पड़ी रहती है तथा विद्युत आपूर्ति की बाधा शासन के आदेशों के बावजूद भी आये दिन बनी रहती है । जिस कारण पानी की आपूर्ति भी पूरे नगर में बाधित रहती है । इससे पूर्व नगर में पानी की आपूर्ति हेतु पिण्डर नदी से पेयजल योजना प्रस्तावित थी जिससे अल्मोड़ा नगर सहित जनपद की 70 प्रतिशत आबादी लाभान्वित होती तथा इस योजना से पंम्पिग में खर्च होने वाली विद्युत की बचत होती तथा रखरखाव में भी कम खर्च होता लेकिन इस योजना पर सरकार द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है । पूरा नगर भीषण पेयजल संकट से ग्रसित है तथा जनता में भयंकर क्षोभ है ।

अत: मैं आपके माध्यम से शासन का ध्यान इस महत्वपूर्ण पेयजल संकट को हल करने के लिए वर्तमान कोसी पेयजल योजना की मरम्मत व रखरखाव तथा प्रस्तावित पिंडर पेयजल योजना को शीघ्र कार्यान्वित कराने हेतु व्यवस्था करने के लिए आकर्षित करती हूं ।]

जनपद आजमगढ़ की सदर तहसील में नहरों में पानी की कमी से फसलों की क्षति होने के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री यशवन्त–

[मान्यवर, आजमगढ़ जनपद की सभी नहरों में चालू वर्ष 1989-90 में पानी की आपूर्ति इतनी कम रही कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र मुबारकपुर आजमगढ़ में शारदा नहर की आजमगढ़ राजबहा में पानी टेल तक नहीं गया । आजमगढ़ राजबहा सहित इसकी सभी माइनर में किसानों को फसल के आवश्यकतानुसार कभी पानी नहीं मिलता है । किसानों को पानी की आवश्यकता नहीं रहती है तो नहर की क्षमता से अधिक पानी आ जाने से फसल बर्बाद होती है ।

मुबारकपुर विधान सभा क्षेत्र के किसान पूरी तरह से बेकार नहर प्रणाली से ऊबकर आन्दोलन भी किये हैं । नहर पाटने की धमकी भी दिये है । नहर में समय से पानी न आने और नहर पाटे जाने की घोषणा से उत्पन्न अव्यवस्था की आशंका की अविलम्बनीय लोक महत्व की संस्था की ओर आदरणीय सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए आवश्यक कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

प्रदेश के कृषि विभाग के कर्मचारियों को केन्द्र के समान वेतन दिये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

[महोदय, उत्तर प्रदेश सरकार ने सिद्धांतः यह स्वीकार कर लिया है कि प्रदेश कर्मचारियों को केन्द्र के समान वेतन दिया जायेगा, परन्तु कृषि कर्मचारियों को यह वेतन-मान उपलब्ध नहीं कराये गये जिसके फलस्वरूप 26 हजार कृषि कर्मचारियों ने दो माह तक हड़ताल की जिससे काम प्रभावित होने के साथ ही प्रदेश सरकार का करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ परन्तु उनको अभी भी केन्द्र सरकार के समान वेतन दिये जाने की घोषणा नहीं की गयी जब कि यह मांग पूरी तरह न्यायोचित है । मेरी सरकार से यह मांग है कि कृषि कर्मचारियों को तत्काल केन्द्र के समान वेतन दिये जाने की घोषणा करे ।]

जनपद प्रतापगढ़ में बकुलहई नदी द्वारा जल भराव से फसलों की बुआई प्रभावित होने के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री बाबू लाल सरोज–

[मान्यवर, मैं प्रतापगढ़ जनपद की कुण्डा तहसील में बकुलहई नदी के किनारे बसे हुये हजारों किसानों की हजारों एकड़ जमीन की तरफ ध्यान आकृष्ट करना चाह रहा हूं । जहां पर बकुलहई नदी में नहरों का बहुत अधिक पानी आ जाने के कारण जल भराव हो गया है और वहां के किसान अपनी हजारों एकड़ जमीन की रबी की बुवाई करने से बंचित रह गये हैं । नहरों के पानी से बकुलहई नदी में बाढ़ सी आ गयी है और थोड़ी बहुत बोई हुई फसल जलप्लावित हो गयी है । गांवों में बाढ़ सी आ गयी है । मैं विकास खण्ड बिहार व बाबागंज ब्लॉक के लाखों लोग जो रबी की बुवाई से बंचित हो गये हैं के परिवार भुखमरी के कगार पर आ गये हैं ।

मान्यवर, मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर शासन से आशा करता हूं कि नहरों का पानी बकुलहई नदी में जाने से रोका जाये ।]

ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम की समीक्षा की समन्वय समिति के पदाधिकारियों को हटाये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री अमर मणि–

[मान्यवर, सदन का ध्यान लोक महत्व के इस विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम की समीक्षा हेतु शासन द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण समन्वय समिति का गठन किया गया था । इसके सदस्य विभागीय सचिव तथा एकमात्र गैर सरकारी व्यक्ति अध्यक्ष होते हैं । सत्ता परिवर्तन होने के कारण अध्यक्ष के समिति से पृथक होते ही संबंधित विशेष कार्याधिकारी को भी हटाया जा रहा है । इससे समिति के कार्य में बाधा होगी । दिसम्बर, 1986 से अध्यक्ष एवं स्टाफ के यात्रा भत्ता बिल एवं अन्य व्यय भुगतान ऊर्जा विभाग में लम्बित है तथा वेतन निर्धारण एवं सेवा संबंधी मामलों का भी निस्तारण अब तक नहीं किया गया है । मेरी स्पष्ट जानकारी है कि किन्हीं कारणोंवश संबंधित उप सचिव तथा अधिकारियों द्वारा समिति संबंधी अध्यक्ष के पत्रों को अनुचित ढंग से दबाया जाता रहा है तथा उदासीनता बरती जाती रही है । ऐसी

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

स्थिति में समिति का कार्य प्रभावित होने के साथ ही काफी अर्से से लम्बित व्यय भुगतान एवं अन्य मामलों का निस्तारण शीघ्र संभव न हो सकेगा ।

अत: अनुरोध है कि समिति के अध्यक्ष के पत्रों को दबाये जाने तथा व्यय भुगतान व अन्य मामलों में उदासीनता बरते जाने की जांच किसी प्रशासनिक सेवा के अधिकारी से कराने भुगतान शीघ्र किये जाने एवं भुगतान व अन्य मामलों के निस्तारण तक समिति के विशेष कार्याधिकारी को समिति में ही तैनात रखे जाने हेतु निर्देश शासन को जारी करने की कृपा करें ।]

जनपद सीतापुर के खैराबाद तथा परसेंडी ब्लाकों में सिंचाई साधनों के अभाव के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

[महोदय, विकास खण्ड खैराबाद, परसेंरी, जिला-सीतापुर में सिंचाई के साधनों का अतीव अभाव है । रहीमाबाद पम्प कैनाल, दहेलिया एवं माइनर के छोर पर पानी बिलकुल नहीं पहुंचता । इस क्षेत्र को खारिज कर तथा अन्य समीपवर्ती क्षेत्र में जहां कोई राजकीय सुविधा नहीं है, उसे मिलाकर राजकीय नलकूप लगाने की मांग कई अवसरों पर की जाती रही है । परन्तु कोई परिणाम नहीं निकला । अभी पिछले महीने सीतापुर विश्व बैंक परियोजना, शारदा प्रणाली तथा नलकूप खण्ड के अधिशासी अभियन्ताओं ने डच योजना हेतु एक प्लान भी तैयार किया, परन्तु भय है कि पूर्व योजनाओं की भांति उसका भी वही परिणाम न हो ।

अत: हमारी मांग है कि उपरोक्त इलाके सहित परसेंडी में कसरैला, दहेलिया तक एक कलस्टर बनाकर राजकीय नलकूप लगाये जायं ।]

जनपद अल्मोड़ा में द्वाराहाट ब्लाक के डोटल गांव में निर्बल वर्ग आवास व जवाहर रोजगार योजना में की गयी धांधली के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रवीन्द्र कुमार सिंह–

[महोदय, निवेदन है कि मैं आपके माध्यम से नियम 301 के अन्तर्गत इस सदन के संज्ञान में एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूं ।

महोदय, ग्राम डोटल गांव ब्लाक द्वाराहाट जनपद अल्मोड़ा के अधीन निर्बल वर्ग आवास जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु अनुदान स्वीकृत किये जाने के संबंध में किशन राम पुत्र स्व0 श्री भौनराम जो कि एक हरिजन अभ्यर्थी व ग्रीन कार्ड धारक है को उक्त योजना में लाभान्वित करना सर्वथा उचित था लेकिन वहां पर ग्राम प्रधान व कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा उक्त योजना का लाभ ग्राम सभा की मीटिंग में पास कर, किसी अनुपयुक्त अभ्यर्थी को देना शासन की नीतियों तथा नियमों का पूर्णतया उल्लंघन है । इस संबंध में कई पत्र जनता दल के पूर्व मा0 नेता विरोधी दल, उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा भी भेजे जा चुके हैं लेकिन इसका लाभ समुचित व्यक्ति को नहीं दिया जा रहा है जो कि हरिजनों के लिये खुले आम नीतियों के खिलाफ है ।

अत: मैं इस महत्वपूर्ण लोक अविलम्बनीय महत्व के प्रश्न को जो कि सरकार की नीतियों के खिलाफ हरिजनों की पूर्णतया उपेक्षा है को इस माननीय सदन के संज्ञान में

नोट:–[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

आपके माध्यम से इस सूचना के तहत लाना चाहता हूं ताकि यह माननीय सदन इस विषय पर अपना सही निर्णय देकर उचित अभ्यर्थी को नियमानुसार भवन निर्माण योजना से लाभान्वित कर सके ।]

जनपद इलाहाबाद के शास्त्री सेतु के फीस उगाही ठेकेदार के विरुद्ध भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मयंकर सिंह–

[मान्यवर, इलाहाबाद जनपद के नेशनल हाईवे मार्ग–2 पर शास्त्री सेतु के फीस उगाही ठेकेदार सिंह एसोसियेट के विरुद्ध शासन में शिकायतें थीं तथा निर्धारित दर से अधिक वसूली करने की शिकायत पर अधिकारियों द्वारा जांच की गयी, जो सही सिद्ध पायी गयी थी तथा सिंह एसोसियेट ब्लैक लिस्टेड भी किये गये थे तथा तमाम विभागीय बकाया न दिये जाने पर सम्भवत: जुर्माना भी किया गया था, जो बकाया व जुर्माना लगभग 38 लाख रुपये था । श्री सिंह एसोसियेट को कमिश्नर स्तर से 10 लाख रुपये की छूट दी गयी थी, जिसे पूर्व शासन ने निरस्त कर दिया था । अब पुन: राजनैतिक दबाव व भ्रष्ट माध्यमों के द्वारा शासन स्तर से सिंह एसोसियेट को 10 लाख रुपये की छूट दे दी गयी है, जो सर्वथा अनुचित है । अत: इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना की ओर इस माननीय सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि इस अवैधानिक तरीके से 10 लाख की छूट दिये जाने तथा सिंह एसोसियेट के विरुद्ध शिकायतों की जांच करके समुचित कार्यवाही करने का कष्ट करें ।]

जनपद फिरोजाबाद के चूड़ी व्यवसाय के मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी निर्धारित किये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

[मान्यवर, आप अवगत हैं कि फिरोजाबाद में कांच एवं चूड़ी उद्योग में कार्यरत श्रमिकों की मजदूरी न्यूनतम वेतन अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत अभी तक तय नहीं की गयी । इस कारण चूड़ी जुड़ाई, झलाई, सदाई, चूड़ी प्रकइया, चिनइया, चूड़ी कटाई एवं गोदामों में कार्यरत मेलमेन तथा कांच के प्रतिष्ठानों में सेवारत विभिन्न श्रेणी के मजदूरों के न्यूनतम वेतन अब तक तय न करना यह अपने आप में एक अभिशाप है और श्रमिकों का शोषण और अहित है । सदन में मैंने इस ओर शासन का अनेक बार ध्यान आकर्षित किया, सरकार ने आश्वासन दिये, लेकिन आज तक न्यूनतम वेतन तय नहीं हो सका । न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत बाजार में कीमतों के बढ़ते स्तर को देखते हुये जीवन निर्वाह के लिये न्यूनतम मजदूरी वर्तमान भावों पर तय करना अवश्यभावी प्रक्रिया है । श्रम विभाग के अधिकारी सेवायोजकों से नाजायज, साज किये हुये हैं । इस कारण मजदूरों के न्यूनतम वेतन तय न होने से उनका भारी अहित और शोषण हो रहा है । कठोर श्रम और काच और चूड़ी पर सेवारत श्रमिकों पर केमिकल की दुर्गन्ध से अनेक बीमारियां पैदा होकर वे जीर्णशीर्ण हालत में क्षय रोग, दमा, खांसी और अंखों की गिरती रोशनी के शिकार होते जा रहे हैं । चूंकि वेतन की स्थिति इतनी खराब है, जिससे उनका भरण पोषण होना ही असंभव है ।

ऐसी दशा में तुरन्त न्यूनतम वेतन निर्धारण की प्रक्रिया और दोषी श्रम अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की अपेक्षा करता हूं ।]

नोट:–[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद फैजाबाद के बीकापुर क्षेत्र के खराब राजकीय नलकूपों को ठीक कराये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संत श्रीराम द्विवेदी–

[मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं फैजाबाद जनपद की बीकापुर ग्रुप की आधे से अधिक राजकीय नलकूपों के बन्द पड़े रहने के कारण किसानों के समक्ष उत्पन्न गम्भीर संकट के अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं ।

प्राप्त सूचना के अनुसार यांत्रिक खराबी विशेषकर नकली (घटिया) वियरिंग के प्रयोग के कारण जो नलकूप चले भी, वह घंटे दो घंटे में ही बन्द हो गये । वियरिंग लगाने के लिये नलकूपों का मोटर खुलवाकर केन्द्रीय वर्कशाप लाया जाता है, जिसमें किसानों को महीनों वर्कशाप का चक्कर लगाना पड़ता है । वर्कशाप में इतनी लापरवाही है कि मोटर में दूसरे प्रकार का रूटर फिट कर दिया जाता है, जिससे साइड पर पहुंचते ही मोटर जल जाता है । 90 प्रतिशत नलकूपों में स्टार्टर नहीं हैं, सीधे मेन स्वीच के कारण भी मोटरें जल जाती हैं, जो स्टार्टर लगाये गये हैं, वह घटिया व नकली कम्पनियों के हैं ।

अभी तक आधे क्षेत्र में गेहूं की बुवाई नहीं हो पायी है, जो किसान आने-पौने थोड़ा बहुत बोये हैं, उन्हें पहली सिंचाई का पानी न मिल पाने के कारण किसानों के समक्ष गम्भीर संकट उत्पन्न है ।

मान्यवर, नालियों, साइफन व हौज की दुर्दशा के कारण जो थोड़े से नलकूप चल रहे हैं, उनसे खेतों तक पानी नहीं पहुंच पाता है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हो रहा है ।

कृपया सरकार को निर्देशित करें कि बीकापुर ग्रुप की खराब नलकूपों को युद्धस्तर पर तुरन्त ठीक करायें तथा इसके लिये जिम्मेदार अधिकारियों को दंडित करायें ।]

जनपद प्रतापगढ़ के थाना मान्धाता में दो सगे भाइयों की हत्या व आतंक के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम स्वरूप वर्मा–

[मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से निम्नांकित अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं ।

ग्राम–कुल्हीपुर थाना-मान्धाता, जिला प्रतापगढ़ में 10 नवम्बर, 1989 को श्री जगलाल मौर्य व छत्रपाल मौर्य दो सगे भाइयों की हत्या 5.30 बजे दिन को पांच मुल्जिमानों ने गोली मारकर कर दी, जिसकी रिपोर्ट मकतूल के पिता ने लिखायी । इससे मुल्जिमान नाराज हो गये और मकतूल के शेष तीन भाइयों का कत्ल करने पर आमादा हैं । तीनों भाई गांव छोड़कर रिश्तेदारी में भागे-भागे फिर रहे हैं । थाना प्रभारी को जानमाल की सुरक्षा की दरख्वास्त दी गयी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुयी और तीनों की जान खतरे में है ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को मैं माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाना चाहता हूं, ताकि इन तीनों की प्राण रक्षा हो सके ।]

नोटः–[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद मुरादाबाद की तहसील सम्भल को जिला बनाये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शफीकुर्रहमान बर्क–

[मान्यवर, सम्भल प्राचीनकाल से ही एक ऐतिहासिक व धार्मिक स्थान रहा है मुगल बादशाहों से पहले सम्भल राजा पृथ्वीराज की राजधानी रहा है । फिर इसको बाद मुगल बादशाहों ने अपने दौर में सम्भल को अपना सूबा बनाया । सम्भल में पृथ्वीराज का किला तथा हिन्दू-मुस्लिम तीर्थ स्थान इसके ऐतिहासिक महत्व को उजागर करते हैं तथा सम्भल हिन्दू-मुस्लिम एकता का प्रतीक है । इस समय सम्भल सिटी की आबादी लगभग दो लाख है ।

जिला मुरादाबाद कमिश्नरी बन चुका है, परन्तु इसमें सिर्फ तीन जनपद ही सम्मिलित हैं । यानि मुरादाबाद, रामपुर और बिजनौर ऐसी दशा में मुरादाबाद की कमिश्नरी में अभी एक जिला और बढ़ना अति आवश्यक है । जिला मुरादाबाद की तहसील-सम्भल ही हर एतबार से जिला बनने के योग्य है तथा व्यापार का एक प्रसिद्ध केन्द्र है । जबकि सम्भल की यह बदकिस्मती है कि जनता की अत्यधिक मांग तथा सार्वजनिक प्रदर्शनों के उपरान्त भी सम्भल को आज तक जिला न बनाया जाय । चुनाव के दौरान भी जनता दल के मंच से जनता की मांग पर सम्भल को जिला बनाने के आश्वासन दिये गये । स्थिति दिन-प्रतिदिन गम्भीर होती जा रही है ।

अत: इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सरकार के संज्ञान में लाकर मांग करता हूं कि सम्भल को अविलम्ब जिला घोषित किया जाय ।]

जनपद गोरखपुर के पनियरा क्षेत्र में राप्ती नदी पर रेगुलेटर बनाये जाने में लापरवाही के सम्बन्ध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री मनपत सिंह–

[मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय की ओर आदरणीय सदन और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा ।

गोरखपुर जनपद के निर्वाचन क्षेत्र पनियरा में वर्ष 1981 से राप्ती नदी पर रेगुलेटर बन रहा है, वह अभी तक तैयार नहीं हो पाया । इसमें कारण भ्रष्टाचार के संबंध में जन प्रतिनिधियों ने बराबर विभाग का ध्यान आकर्षित किया, किन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुयी और शायद इसी प्रतिशोध में विभागीय अधिकारियों ने काम पूरा न करने का मन बना लिया है ।

अत: इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर आदरणीय सदन का ध्यान आकर्षित करते हुये तत्काल इसको पूरा करने एवं भ्रष्टाचार की जांच कराने की मांग करता हूं ।]

आगरा महानगर में पीने के पानी में प्रदूषण होने के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री हरद्वार दुबे–

[मान्यवर, विगत एक दशक से आगरा की जनता को दूषित पेयजल पीने के लिए प्राप्त होता चला आ रहा है । आगरा का जल संस्थान कच्चे पानी को शुद्ध करके पीने

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

योग्य करने में सक्षम है, जबकि आगरा की जनता को पानी उपलब्ध होने का एकमेव साधन यमुना नदी है । यमुना नदी का सम्पूर्ण पानी दिल्ली में रोक लिया जाता है तथा आगे की यमुना नदी में दिल्ली, नफजलगढ़, गाजियाबाद, फरीदाबाद के सीवर का पानी बहता है तथा वही पानी आगरा में जल संस्थान अपनी क्षमता के अनुरूप शुद्ध करने के प्रयास से पीने हेतु पूर्ति करता है । इस पानी में इतने अधिक रसायनिक पदार्थ डाले जा रहे हैं, जिसके कारण आगरा की 10 प्रतिशत जनता जीसिया रोग से पीड़ित हो रही है तथा यदि अधिक दिनों तक इसे डाला गया, तो आगरा की आधी जनसंख्या इस पानी को पीने से मृत्यु का कारण बनेगी । आगरा नगर में हाहाकार मचने लगा है तथा जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है ।

अतः मैं मांग करता हूं कि आगरा की जनता को पीने के शुद्ध पानी उपलब्ध कराने की तुरन्त व्यवस्था करने का कष्ट करें ।]

जनपद इलाहाबाद के शहर पश्चिमी क्षेत्र तथा चायल क्षेत्र में पीने के पानी का संकट उत्पन्न होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अतीक अहमद–

[महोदय, इलाहाबाद जनपद के निर्वाचन क्षेत्र शहर पश्चिमी के दोआबा क्षेत्र के चायल ब्लाक के ग्रामीण एवं उप नगरीय क्षेत्रों में पीने का पानी का अभाव एवं जल आपूर्ति समस्या दिनोंदिन गम्भीर होती जा रही है । बार-बार उस क्षेत्र के निवासियों द्वारा इस गम्भीरतम समस्या की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया एवं जन प्रतिनिधियों द्वारा इस दिशा में किए गए अथक प्रयासों के बावजूद भी इस क्षेत्र के प्रमुख कस्बे सल्लाहपुर मंदर, असरावल तथा उनके इर्द-गिर्द के लगभग 50 से अधिक गांवों के निवासियों को पीने के पानी की इस गम्भीर समस्या से रात दिन जूझना पड़ रहा है । इस 25 वर्ग किलोमीटर के आबादी वाली क्षेत्र में एक भी पानी की टंकी अथवा भूगर्भ जलाशय नहीं है । विभागीय कर्मचारियों द्वारा इस दिशा में अभी तक कोई कदम भी नहीं उठाया गया है । गर्मी के दिनों में सारा क्षेत्र पानी के अभाव में रेगिस्तान जैसा नजर आता है । जन-महत्व के इस गम्भीर मामले को सदन के संज्ञान में लाते हुए मेरा अनुरोध है कि दोआबा क्षेत्र के सल्लाहपुर, असरावल तथा मंदर में एक-एक पानी की टंकी शीघ्र लगाए जाने हेतु विभागीय मंत्री को निर्देशित करने की मांग करता हूं ।]

जनपद इलाहाबाद के बारा विधान सभा क्षेत्र में इन्दिरा तथा निर्बल आवास निर्माण योजना में घोटाले के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम दुलारे सिंह–

[महोदय, जनपद इलाहाबाद के जसरा, शंकरगढ़, कौंधियारा, चाका विकास खंडों में इन्दिरा एवं निर्बल आवास योजना के अन्तर्गत आवंटित धन का दुरुपयोग और गबन हुआ है । भवन निर्माण नहीं के बराबर है ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को आप तथा सदन के संज्ञान में लाते हुए सरकार से मांग करता हूं कि सरकार इस संबंध में तत्काल स्पेशल जांच बैठाकर जांच रिपोर्ट के आधार पर भ्रष्ट पाए जाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करें ।]

जनपद बरेली के आंवला क्षेत्र में डिग्री कालेज खोले जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री श्याम बिहारी सिंह–

[महोदय, बरेली जनपद के आंवला कस्बे में भूतपूर्व प्रधानमंत्री एवं भू0पू0 मुख्य मंत्री ने डिग्री कालेज खोलने की वर्ष 1989 में घोषणा की थी । उक्त कालेज की आंवला में बहुत आवश्यकता है क्योंकि गरीब हरिजन एवं पिछड़े वर्गों के लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कहीं भेज नहीं पाते हैं । इस कालेज के खुल जाने से हरिजन एवं पिछड़े वर्गों को विशेष राहत मिल जायेगी । शासन में बरेली जनपद से संस्तुति होकर आया है कि जिला परिषद् बरेली की बिल्डिंग और जमीन शिक्षा विभाग को परिवर्तित कर दिया जाये लेकिन शासन यह मामला लटकाये हुए और छात्रों की पढ़ाई में बहुत असुविधा है ।

अतः मैं मांग करता हूं कि आंवला जनपद बरेली में तत्काल डिग्री कालेज खोले जाने का निर्देश दें ।]

बरेली महानगर के मलूकपुर चौराहे पर स्थित मंदिर निर्माण के मामले में सांसद एवं अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों की अनावश्यक गिरफ्तारी से उत्पन्न आक्रोश के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 दिनेश जौहरी–

[महोदय, 17/18 सितम्बर, 1989 की रात्रि बरेली नगर के मलूकपुर स्थित चौराहे पर स्थित मंदिर के निर्माण के मामले में तत्कालीन पुलिस अधीक्षक (नगर) श्री कश्मीर सिंह ने 22 निर्दोष लोगों को जिसमें पूर्व राज्य मंत्री स्व0 श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल, गायत्री शक्ति पीठ के धर्मगुरु श्री प्रेमशंकर जेटली, श्री राजवीर सिंह व संतोष गंगवार (दोनों वर्तमान सांसद) आदि शामिल हैं, को गिरफ्तार कर पुलिस लाईन्स ले गए वहां सभी को बुरी तरह मारा और क्राइम नम्बर 227 आफ 1986 के तहत धारा 147/511/553/332/323/504/505/205/427 एवं 7 क्राइम कानून संशोधन के तहत चालान कर दिया जिसका मुकदमा आज भी जे0 एम0 तृतीय बरेली की अदालत में चल रहा है उक्त प्रकरण व निर्दोष प्रतिष्ठित नागरिकों पर गत 3 वर्षों से चल रहे मुकदमों से नागरिकों में बेहद रोष एवं असंतोष है ।

अतः हम मांग करते हैं कि उक्त मुकदमें वापस लिए जाएं व इस कृत में लिप्त तत्कालीन पुलिस अधीक्षक (नगर) के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाए ।]

जनपद बलिया के बिल्थरा रोड कस्बे में नयी तहसील मुख्यालय की स्थापना की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शारदानन्द अंचल–

[मान्यवर, बलिया जनपद के मुख्यालय से 60-65 किलोमीटर दूर स्थित सीयर व नगरा विकास खाडों के नागरिक काफी दिनों से निरन्तर बिल्थरा रोड को मुख्यालय मानकर नयी तहसील गठित करने की मांग किया है । कई बार लोगों ने अनशन-प्रदर्शन भी किया है बिल्थरा रोड में तहसील बनाने के क्रम में उप कोषागार की स्थापना सरकार

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

सरकार ने पहले ही कर दिया है सीयर विकास खण्ड की 105 व नगरा विकास खण्ड की 110 ग्राम सभाओं से संबंधित मौजों को ही मिलाकर बिल्थरा रोड तहसील को क्षेत्र पूर्ण हो जाना है बिल्थरा रोड में दस से अधिक बैंक, सब-डाकघर, 20 से अधिक स्कूल, बड़ी रेल लाइन, मण्डी-क्रय विक्रय संघ, सहकारी संघ, नहर हेतु तथा यहां रोडवेज डिपो तथा तापीय विद्युत गृह प्रस्तावित है बिल्थरा रोड तहसील के लिए उपयुक्त स्थान है ।

अतः आपके माध्यम से माननीय सदन व सरकार के संज्ञान में इस लोक महत्व के मामले को लाते हुए बिल्थरा रोड में प्राथमिकता के आधार पर नयी तहसील की स्थापना की मांग करता हूं ।]

जनपद अलीगढ़ के इगलास तहसील में राजकीय कन्या हायर सैकेण्ड्री स्कूल खोले जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बृजेन्द्र सिंह–

[मान्यवर, मैं इस सदन का ध्यान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ की तहसील इगलास में स्वीकृत राजकीय कन्या हायर सैकेन्ड्री स्कूल न खोले जाने से उत्पन्न कठिनाई की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं ।

तहसील इगलास अलीगढ़ जनपद की सबसे महत्वपूर्ण तहसील है । विकास की दृष्टि से यह तहसील पिछड़ी हुयी है, लड़कियों की शिक्षा के लिए आज भी कोई समुचित प्रबन्ध नहीं है । अभी तक तहसील इगलास में कोई कन्या विद्यालय नहीं था । विगत दिनों शासन ने एक राजकीय कन्या हायर सेकेण्ड्री स्कूल खोले जाने की स्वीकृति प्रदान की है तथा प्रधान अध्यापिका की नियुक्ति भी लगभग एक वर्ष पूर्व हो चुकी है लेकिन खेद है कि अभी तक उक्त विद्यालय का न तो कोई भवन निर्माण हो पाया है और न ही किराया का भवन उपलब्ध हो सका है । जिससे आज तक पठन पाठन का कार्य शुरू नहीं हो सका, जिससे पूरे क्षेत्र में छात्राओं एवं अभिभावकों में काफी असन्तोष है और स्थिति अत्यन्त विस्फोटक बनी हुयी है ।

अतः मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न का सदन के माध्यम से सरकार से तत्काल प्रभावी कार्यवाही करके विद्यालय खोले जाने की मांग करता हूं ।]

जनपद बरेली से पीलीभीत मार्ग पर नवाबगंज स्थान पर राजकीय बस स्टापेज की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गोंदन लाल गंगवार–

[महोदय, बरेली से पीलीभीत जाने वाली रोडवेज की बसें नवाबगंज बस स्टेशन पर न रुक कर सीधे बाई पास से चली जाती है । जनता को इससे बेहद परेशानी होती है । अक्सर इस मार्ग को लेकर धरना व प्रदर्शन होते रहे हैं । दिनांक 20-8-89 को बस स्टेशन नवाबगंज में प्रदर्शन के दौरान विवाद बढ़ गया, कुछ असामाजिक तत्वों ने तोड़-फोड़ करा दी व रोडवेज कर्मियों एवं नागरिकों के बीच मारपीट हो गयी और पुलिस ने 22 लोगों के खिलाफ मुकदमे कायम कर दिये, जिसमें अनेक निर्दोष लोग शामिल हैं । इससे जनता में बेहद रोष है ।

नोट :--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

अतः मैं मांग करता हूं कि नवाबगंज बस स्टेशन पर प्रत्येक बस को रोका जावे एवं 20-8-89 को पुलिस द्वारा नागरिकों पर कायम किये गये मुकदमें वापस लिये जावें ।]

यू0 एच0 एम0 चिकित्सालय कानपुर में एक्सरे प्लान्ट को अप्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा चलाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम ललित चौधरी–

[महोदय, मैं एक अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं ।

यू0 एच0 एम0 चिकित्सालय, कानपुर के एक्सरे विभाग में प्रशिक्षित एक्सरे टेक्नीशियन्स की नियुक्ति होने के बावजूद मशीनों का संचालन व रख-रखाव अप्रशिक्षित डार्क रूम असिस्टेंट तथा वार्ड ब्वाय से कराया जाता है, जिससे कीमती मशीनें अधिकतर खराब हो जाती हैं तथा एक्स-रे भी स्पष्ट नहीं आते, मरीजों का उपचार भी गलत रिपोर्ट के आधार पर हो जाता है, जिससे जन-मानस में अति रोष एवं कुण्ठा है ।

मान्यवर प्रशिक्षित एक्स-रे टेक्नीशियन का कार्यभार अप्रशिक्षित ई0 सी0 जी0 टेक्नीशियनों को दिया गया है, जिससे सरकारी शुल्क के रख-रखाव में भी आशंका उठ रही है । कई बार इस संबंध में विधान सभा में प्रश्न भी हुए हैं ।

मान्यवर, उक्त तथ्य मैं सदन के संज्ञान में लाकर चाहूंगा कि एक्स-रे का कार्य प्रशिक्षित एक्स-रे टेक्नीशियन्स से कराया जाय, जिससे जनता में व्याप्त रोष कम हो सके तथा उनके जीवन से खिलवाड़ न होने पाये ।]

प्रदेश के सम्भागीय परिवहन कार्यालयों में गैर तकनीकी अधिकारियों द्वारा मोटर वाहनों के फिटनेश तथा चालक लाइसेन्स दिये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बाल चन्द्र मिश्र–

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान उ0 प्र0 में सम्भागीय परिवहन कार्यालय में गैर तकनीकी अधिकारियों द्वारा मोटर वाहनों की फिटनेश तथा चालक लाइसेंस दिये जाने की ओर आकर्षित करते हुए कहना चाहता हूं कि उ0 प्र0 के 62 जिलों में से 32 जिलों में गैर तकनीकी अधिकारी मोटर वाहनों के फिटनेश तथा चालक लाइसेंस दे रहे हैं, जिससे उ0 प्र0 में मार्ग दुर्घटनाओं एवं वायु प्रदूषण में भारी वृद्धि हो रही है । नियमतः व्यवसायिक वाहनों की स्वस्थता प्रमाण-पत्र, देने के पूर्व गाड़ी में इंजन से लेकर हर चीज की जांच की जाती है, परन्तु गैर तकनीकी अधिकारियों के प्रमाण-पत्र देने की जांच में तकनीकी खामियों की जांच नहीं हो पाती है । प्रदेश में तकनीकी अधिकारियों के 136 पद हैं, जबकि मात्र 53 तकनीकी अधिकारी ही कार्यरत हैं । अतः मैं लोकहित में चालक के माध्यम से गैर तकनीकी अधिकारियों द्वारा दिये जा रहे स्वस्थता प्रमाण-पत्र एवं चालक लाइसेंसों को दिये जाने पर रोक लगाई जाये तथा खाली स्थानों को भरा जाये ताकि होने वाली मार्ग दुर्घटनाओं पर रोक लग सके ।]

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

लखनऊ शहर को विद्युत आपूर्ति व्यवस्था में गड़बड़ी के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम कुमार शुक्ल–

[महोदय, लखनऊ प्रदेश की राजधानी है, वहां आज बिजली की व्यवस्था दयनीय स्थिति में है । दिन में 8-8 घंटे, दिन और रात्रि में बिजली गायब रहती है । परिणाम स्वरूप यह राजधानी लगभग प्रतिदिन अंधेरे में डूब जाती है । इसी का परिणाम है कि लखनऊ में अपराध बढ़ गये हैं । पानी की सप्लाई चिन्ताजनक हालत में पहुंच गयी है । लखनऊ निवासी बूंद-बूंद पानी के लिये तरस रहे हैं । बार-बार शिकायत करने के पश्चात् भी बिजली की सप्लाई में सुधार नहीं हुआ है ।

अत: हमारी मांग है कि लखनऊ में बिजली सप्लाई के संकट को शीघ्र दूर किया जाय, ताकि आने वाली गर्मी के दिन में पानी और बिजली की सप्लाई सुनिश्चित की जा सके ।]

लखनऊ महानगर की अलीगंज स्थित आवास विकास कालोनी तथा शेखूपुरा एवं कुर्सी रोड के बीच स्थित भूमि पर अवैध कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अशोक कुमार सिंह–

[महोदय, मैं आपके माध्यम से शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाना चाहता हूं कि अलीगंज (लखनऊ) स्थित आवास विकास परिषद् की शेखूपुरा कालोनी तथा कुर्सी रोड के बीच स्थित परिषद् की खाली भूमि पर कतिपय असामाजिक तत्वों ने पिछले कई वर्षों से कब्जा कर रखा है तथा झुग्गी-झोपड़ी बना कर स्थायी रूप से रहने लग गये हैं । इन असामाजिक तत्वों के कारण यहां प्राय: मार-पीट और चोरी की घटनाएं होती रहती हैं । ये तत्व कटिया फंसाकर बिजली का उपयोग भी करते हैं तथा पानी की लाइन काटकर पानी का इस्तेमाल करते हैं तथा शराब पीकर हुड़दंग मचाते हैं और जुवा आदि खेलते रहते हैं, जिससे वहां के निवासियों की विद्युत तथा पानी की आपूर्ति तो प्रभावित होती ही है, गन्दगी का साम्राज्य भी फैला हुआ है और शांति भंग की आशंका रहती है।

अत: आपसे अनुरोध है, इस अवैध कब्जों को हटा कर, रिक्त भूमि को पार्क के रूप में विकसित कराने का कष्ट करें ।]

जनपद सोनभद्र में धान क्रय केन्द्र खोले जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री तीरथ राज–

[महोदय, सरकार द्वारा धान का समर्थन मूल्य 185 रुपये प्रति कुन्तल निर्धारित होने के बाद भी सोनभद्र जनपद का किसान धान के क्रय केन्द्र न खोले जाने के कारण 140 रुपये प्रति कुन्टल बेचने को बाध्य है । किसान बहुत परेशान है और किसानों में भारी असंतोष और क्षोभ व्याप्त हो रहा है ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

अतः मैं मांग करता हूं कि न्याय पंचायत स्तर पर सहकारी समितियों के गोदामों पर धान के क्रय केन्द्र खोलकर किसानों को उचित मूल्य दिलाकर राहत प्रदान करने की कृपा करें ।]

आगरा महानगर की विद्युत आपूर्ति व्यवस्था ठीक कराये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री सत्य प्रकाश विकल–

[महोदय, विगत एक महीने से आगरा महानगर की विद्युत आपूर्ति में अत्यन्त सोचनीय गिरावट आई है तथा अघोषित कटौती, आपूर्ति में हो रहे घोर व्यवधान तथा दुर्व्यवस्था से एक-एक दिन में कई बार, कई-कई घंटों तक बिजली गायब हो जाती है जिसका कुप्रभाव जन-जीवन, जनसेवाओं छात्रों, मरीजों तथा उद्योग व्यापार सभी पर पड़ रहा है । जनता में भारी असंतोष तथा क्षोभ व्याप्त है । अभी 7 जनवरी, रविवार को उस समय भी बिजली गायब रही जब लाखों लोग महाभारत सीरियल देखना चाहते थे । फलस्वरूप जगह-जगह प्रदर्शन व रास्ता जाम हुआ । कमोवेश यही हालत प्रदेश के अधिकांश शहरों तथा जिलों की है और जगह-जगह विद्युत दुर्व्यवस्था से लोग परेशान है । चारों तरफ जनता में यह चिन्ता व्याप्त है कि जब शीतकाल में यह हालत है तो ग्रीष्म काल में जनता को किस दुर्दशा का सामना करना पड़ेगा ।

अतएव अविलम्बनीय लोकमहत्व के इस ज्वलन्त विषय को माननीय सदन के संज्ञान में लाते हुये मैं शासन से मांग करता हूं कि वह आपूर्ति की नियमित और सुचारु व्यवस्था बनाये रखने के लिए सब प्रकार के कदम उठाने की आवश्यक कार्यवाही करें ।]

वाराणसी महानगर में पेयजल संकट उत्पन्न होने के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)–

[महोदय, भारत की सांस्कृति के राजधानी तथा शिक्षा का अति महत्वपूर्ण केन्द्र वाराणसी नगर में शीतकाल में ही पेयजल का भयानक संकट उत्पन्न हो गया है । वाराणसी जल संस्थान की व्यवस्था सिर्फ 6 लाख की आबादी के लिए है जबकि वर्तमान जनसंख्या 15 लाख के आस-पास है । लगे हुए नलकूपों में से आधे खराब हो गये हैं । उनकी मरम्मत की कोई व्यवस्था नहीं है । अधिकांश मुहल्लों में प्रतिदिन एक दो घन्टे ही बहुत कम दबाव पर पानी आता है और पानी लेने के प्रश्न पर मार पीट तथा फौजदारी हो जाती है गलियों में गड्ढे खोदकर उनमें लगे हुए नल से लोग पानी भरते हैं । दूसरी तरफ न्यूनतम जलकर 90 रुपये से बढ़ाकर 360 रुपया कर देने से भयंकर असंतोष की लहर व्याप्त है ।

अतः अविलम्बनीय लोक महत्व की यह समस्या आपके माध्यम से शासन के संज्ञान में लाकर यह मांग करता हूं कि जलापूर्ति व्यवस्था में पर्याप्त सुधार एवं न्यूनतम जलकर पूर्ववत 90 रुपया अविलम्ब किया जाय ।]

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद गोण्डा में कुवांना नदी पर पुल की नीलामी की जमानत धनराशि वापसी के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्रीमती कमला साहनी–

[महोदय, आपके माध्यम से अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन के संज्ञान में लाकर आवश्यक कार्यवाही की मांग करती हू ।

कुवांना नदी पर बना पुल चन्द्रदेव घाट तहसील उतराला गाण्डा का नालामा वर्ष 1983 में हुई थी जिसमें ठेकेदारों द्वारा जमानत, राजस्व के रूप में 59300 रुपये की धनराशि वन विभाग द्वारा जमा कराया गया था तत्पश्चात् ग्राम समाज चन्द्रदीप ने यह कह-कर वाद दायर किया कि घाट ग्राम समाज का है वन विभाग का नहीं है, कब्जा कर लिया इस कारण ठेकेदारों को उक्त घाट पर कब्जा भी नहीं मिल सका और मुकदमें में ठेकेदारों को पार्टी भी नहीं बनाया । उक्त धनराशि की वापसी के संबंध में बराबर लिखने पर भी अभी तक रुपये की वापसी नहीं की गई । जबकि इस संबंध में क्षेत्रीय विधायक के शासकीय पत्र के उत्तर में 1985 में वन मंत्री द्वारा पत्र प्राप्त हुआ कि रुपये की वापसी के संबंध में आवश्यक निर्देश दे दिये हैं, परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाकर जमा कराई गई धनराशि की वापसी ब्याज सहित की आवश्यक कार्यवाही की मांग करती हू ।

जनपद अलीगढ़ के सिकन्दराराऊ क्षेत्र में पेयजल संकट के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी–

[मान्यवर, अलीगढ़ जनपद के सिकन्दराराऊ क्षेत्र में पेयजल का गम्भीर संकट है । सिकन्दराराऊ विकास खण्ड में एटा जनपद की सीमा पर स्थित गांव नौरथा ईसापुर, बरगवां, भिसी, मिर्जापुर, कचौरा, पिपलगंवा, बैरावर अगसौली तथा काली नदी की तलहटी में स्थित ग्राम पंचायत छौंकरा, डडैसरी, खिजरपुर, नीजरपुर, बाजितपुर, सुजावलपुर, नियरा गोकुलपुर, लेहा आलमपुर, पढ़ालू टटी इंडिया, में भू-गर्भ जल स्तर बहुत नीचे गहराई पर चले जाने के कारण सभी कुएं और साधारण हैण्ड पम्प कार्य नहीं कर रहे हैं । दूरस्थ स्थानों पर स्थित राजकीय नलकूपों से पानी लाकर जनता को पीना पड़ रहा है ।

अतः उक्त सभी ग्रामों में इण्डिया मार्का–II हैण्ड पम्प पर्याप्त संख्या में अविलम्ब लगाये जाने की आवश्यकता है ।

अतः उक्त अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय को सदन के ज्ञान में लाकर शासन से कार्यवाही शीघ्र किये जाने की मांग करता हूं ।]

जनपद अलीगढ़ के खैर क्षेत्र में यमुना नदी के कटाव द्वारा ग्रामीणों की क्षति के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री जगवीर सिंह–

[महोदय, जनपद अलीगढ़ के विधान सभाक्षेत्र खैर में टप्पल ब्लाक की सीमा पर

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

यमुना नदी है । यमुना के उस पार हरियाणा राज्य की सीमा लगती है । प्रति वर्ष वर्षा ऋतु में हजारों हेक्टेयर भूमि जमुना के कटान से कटकर हरियाणा राज्य की सीमा में चली जाती है । इस भूमि पर हरियाणा राज्य के कृषक वहां के प्रशासन के सहयोग से बल पूर्वक कब्जा करते चले आ रहे हैं । हरियाणा राज्य ने अपनी ओर सुदृढ़ तट बन्ध निर्मित कर दिये है जिससे यमुना के कटान की धारा उत्तर प्रदेश की सीमा की ओर बढ़ रही है यमुना के कटान से पीपली, घरबरा, महराजगढ़, समसपुर, लालपुर, मिलक, शेरपुर, गिरधरपुर, धारागढ़ी, मालब, रामगढ़ी, पखांदना आदि ग्राम विशेष रूप से प्रभावित हुये हैं । आगामी वर्षा ऋतु में समसपुर, शेरपुर, लालपुर, महराजपुर, गिरधरपुर उक्त गांवों में से आधे गांव कटकर नष्ट हो जायेंगे । इससे जनता में भय और आक्रोश व्याप्त है ।

अतः इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाकर यमुना नदी पर उत्तर प्रदेश की सीमा में तटबन्ध को निर्मित कराने की मांग करता हूं ।]

जनपद जालौन की नहरों में पानी के अभाव के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

चौधरी शंकर सिंह–

[महोदय जालौन जनपद में नहरों ने पूरी तरह से किसानों को पलेवा का पानी भी नहीं दे पाया था कि दिसम्बर माह के अंत में ही सिंचाई अधिकारियों ने घोषणा कर दी कि आगे कोई पानी सिंचाई के लिए नहीं दिया जायेगा । क्योंकि माताटीला बांध में पानी नहीं है । गतवर्ष भी किसानों को पलेवा के बाद नहरों से सिंचाई के लिए पानी नहीं मिला था । इधर जनपद में आधे से अधिक नलकूप खराब पड़े हैं । नलकूप विभाग के अधिकारी कहते हैं कि मोटरों, पम्प आदि इस्पेटर में नहीं है । जबकि विद्युत विभाग कहता है कि उनके पास ट्रान्सफार्मर, केबिल आदि नहीं है । किसान हर तरह से मारा जा रहा है । करोड़ो रुपये की फसलें सूख रही हैं । किसानों में भारी निराशा तथा रोष व्याप्त है ।

मेरा आपसे अनुरोध है कि इस जन महत्व के विषय को सदन में उठाने की मुझे अनुमति दी जाये तथा सरकार को प्रभावी कार्यवाही के निदेश दिये जांय ।]

जनपद मऊ की तहसील मुहम्मदाबाद गोहना अंतर्गत भैंसही नदी के पुल के जर्जर होने से खतरा उत्पन्न होने के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री ओम प्रकाश सिंह–

[मान्यवर, मऊ जनपद के मुहम्मदाबाद गोहना के तहसील के अंतर्गत चिरैयाकोट-मुहम्मदाबाद मोहना मार्ग पर स्थित ग्राम सुल्तानीपुर के पास भैंसही नदी पर पुल इतना जर्जर हो चुका है कि किसी क्षण अचानक धाराशायी होकर भीषण हादसा का कारण बन जाएगा । पुल जर्जर होने की वजह से दिसम्बर, 1989 में बस दुर्घटना में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गयी और बस क्षतिग्रस्त हो गयी ।

मुहम्मदाबाद गोहना तहसील के अधिकांश यात्री इस रास्ते से गुजरते हैं । पुल के जर्जर होने से यात्रियों के जिन्दगी के लिए हर क्षण खतरा बना हुआ है । यातायात व आवागमन के योग्य प्रश्नगत पुल कतई नहीं रह गया है । नये पुल निर्माण के लिए शासन की ओर से कोई पहल न होने से जनता में असन्तोष व्याप्त है ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना सदन में रखते हुए शासन से नये पुल निर्माण की मांग करता हूं ।]

जनपद गोरखपुर में बाला बाबा के घाट पर पुल निर्माण की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

[मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से अविलम्बनीय लोक महत्व के सुनिश्चित विषय की ओर आदरणीय सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। गोरखपुर, महराजगंज और देवरिया सीमा बनाने वाली छोटी गंडक पर बाला बाबा के घाट पर और टेढ़वा काशी छपरा पर पुल बनवाने के लिए जनप्रतिनिधियों की मांग रही है। इस पुल के बन जाने से सैकड़ों गांव का आवागमन ही नहीं ठीक होगा बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार का सम्बन्ध जुड़ जायेगा। गत शासन ने विधान सभा में इसे बनवाने का आश्वासन भी दिया था और उसका आगणन भी तैयार किया गया था। तत्पश्चात् सरकार ने स्वीकृति भी दे दी थी किन्तु अभी तक कार्य शुरू नहीं किया गया इससे लोगों में घोर असन्तोष की भावना व्याप्त हो गयी है।

अतः लोक महत्व के इस सुनिश्चित विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए मैं उक्त दोनों पुलों को तत्काल बनवाने की मांग करता हूं।]

जनपद इटावा की तहसील विधूना में बरसाती जल भराव वाले नालों की सफाई की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री धनीराम वर्मा–

[मान्यवर, जनपद इटावा के विधूना तहसील में पड़ता है सियारी दो ऐसे नाले हैं जो बरसाती मौसम में बाढ़ एवं जल भराव से तटवर्ती सैकड़ों ग्रामों में भयावह स्थिति पैदा कर देते हैं। हजारों एकड़ भूमि में खरीफ की फसलें या तो बोई नहीं जाती हैं या फिर बोई हुई फसलें नष्ट हो जाती हैं। ग्राम दरमंगदपुर, नूरपुरगैली व बराहात पूरा, घुबखरी, उपरेन्डा आदि अनेक ग्रामों का सम्बन्ध बरसाती मौसम में शेष दुनिया से विच्छेद हो जाता है। हजारों प्राणी बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं और मृत्यु के शिकार हो जाते हैं। जिससे लाखों लोग भुखमरी के कगार पर पहुंच गये हैं। बच्चे कुपोषण और अशिक्षा के शिकार हैं।

अतः आपके माध्यम से इस लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर सरकार से अनुरोध करता हूं कि उक्त नालों को अविलम्ब गहरा और चौड़ा करवाया जावे जिससे नालों के निकटवर्ती तालाबों का पानी निकल सके। कृषक अपने खेतों में जायद की फसलें तथा सूरजमुखी, उड़द, मूंग आदि बोकर जीविकोपार्जन कर सकें। और भविष्य में भी छुटकारा पा सकें।]

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद बांदा की तहसील नरैनी के नालों की सफाई कराये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 सुरेन्द्र पाल वर्मा–

[मान्यवर, बांदा जनपद के नरैनी निर्वाचन क्षेत्र में नालों की सफाई न होने से बरसात के दिनों में हजारों लोगों का जनजीवन प्रतिवर्ष बाढ़ के कारण तबाह हो जाता है और खरीफ की फसलें ध्वस्त हो जाती हैं। महुआ ब्लाक के ग्राम नन्दवारा, नौहाई, प्रेमपुर केशरुवा, बहेरी, देवसर, बछेई, रीग, बन्डे, अनथुवा, कलेक्टर पुरवा (रिसौरा) हस्तम, अधिरोरी बडेहा, गोखिया, हड़हा, कबोली, पचोखर, सराई जदीद तथा नरैनी ब्लाक के अतरारुरल, नहरी अकेजवा नीबी, सढ़ा आदि सैकड़ों गांव की खरीफ की फसल ध्वस्त हो जाती है और गांवों के एक तिहाई लोग बेघरबार हो जाते हैं।

अतः मांग करता हूं कि जन जीवन को तबाह होने से बचाने के लिए तथा खरीफ की फसलें बचाने के लिए बाढ़ योजना के तहत धन देकर जल निकास की समुचित व्यवस्था करने का कष्ट करें।]

जनपद इलाहाबाद में राजकीय आस्थान की भूमि पर अवैध कब्जों के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

[मान्यवर, इलाहाबाद में हजारों मध्यम और कमजोर वर्ग के लोग राजकीय आस्थान की भूमि पर अपने सर छुपाने की जगह बनाकर बसे हैं। इसी भूमि पर सैकड़ों राजस्व व अन्य अधिकारीगण पूंजीपति व राजनेताओं ने भी अपने पद व प्रतिष्ठा का दुरुपयोग करके कई एकड़ भूमि हथिया रखा है। इनके पट्टे अत्यन्त सस्ते दर पर किये गये हैं जबकि मध्यम और कमजोर वर्ग के लोगों का भीषण शोषण किया जा रहा है। पिछली विधान सभा के बजट सत्र में माननीय राजस्व मंत्री ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार ''कानूनों का समान संरक्षण'' तथा ''कानून के समक्ष समानता'' के आधार पर जांच कराकर मध्यम और कमजोर वर्ग को संरक्षण देने का आश्वासन दिया था किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी बल्कि लीडर रोड जैसे अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान पर एक पूंजीपति को लगभग 18 बीघा, करोड़ों की भूमि केवल कुछ हजारों पर देने का निर्णय पिछली सरकार कर गयी है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना सदन के संज्ञान में लाकर तत्काल संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार मध्यम और कमजोर वर्ग को भी अध्यासित भूमि पर पट्टे जारी किये जाने की मांग करता हूं।]

प्रदेश में गन्ने की पेराई की समुचित व्यवस्था कराये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री साहब सिंह–

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि इस वर्ष प्रदेश में गन्ने की फसल का जो उत्पादन है उसका 30 प्रतिशत ही चीनी मिलें गन्ने की

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पेराई कर पायेगी तथा गन्ना क्रेशर बहुत ही कम कीमत पर किसानों से गन्ना खरीद रहे हैं। जिससे किसानों को गन्ने का लागत मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है। कृषकों में असन्तोष व्याप्त हो रहा है कि उनका गन्ना खेतों में ही खड़ा रह जाएगा इसके लिए शासन से मांग करता हूं कि सरकारी एजेन्सियों से गुड़ व खाण्डसारी की खरीद हेतु आदेश देने तथा चीनी गुड़ खाण्डसारी का निर्यात हेतु प्रोत्साहन देने का कष्ट करें तथा जिससे सरकार द्वारा निश्चित रेट पर पूरा गन्ना किसानों का खरीदा जा सके। ऐसी भी जानकारी मिली है कि हरियाना की कुछ चीनी मिलें भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से गन्ना आपूर्ति करने के इच्छुक हैं । क्योंकि हरियाना में गन्ने की कमी है यदि ऐसा है तो सरकार इसे जल्दी से अमल में लाने की कृपा करे ।]

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में अराजक तत्वों के प्रभाव से भय एवं आतंक की स्थिति उत्पन्न होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कृष्ण कुमार नवमान–

[मान्यवर, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय इस समय साम्प्रदायिक शक्तियों तथा अराजक तत्वों का शरण स्थल बना हुआ है। तीन माह से तो छुटपुट घटनायें हो ही रही थी परन्तु गत पांच दिन विश्वविद्यालय के परिसर में निरन्तर गम्भीर एवं हिंसक घटनाओं का तांता लगा हुआ है।

1–12 जनवरी को मुरादाबाद से अलीगढ़ आ रही राजकीय बस को अकारण ही जला दिया गया तथा सवारियों मुख्यत: नारियों का उत्पीड़न किया गया।

2–13 जनवरी को भी इसी स्थान तथा पूरे विश्वविद्यालय परिसर पर गुण्डों के गुटों में आपस में ही गोलाबारी लगातार होती रही तथा पूरे क्षेत्र में आतंक फैला रहा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों से भी व्यापक पैमाने पर मारपीट की गई खदेड़ा गया।

3–14 जनवरी को इसी स्थान पर पुन: उपद्रवी तत्व अपना खेल खेलते रहे और दुकानों में आग लगाते रहे।

4–15/16 जनवरी की रात को एक भयंकर बम विस्फोट हुआ।

सारे शहर में आतंक व्याप्त है । स्थिति विस्फोटक है । प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई है। सरकार ने तुरन्त परिस्थिति की नाजुकता को समझकर कारगर कदम नहीं उठाया तो परिस्थिति किसी क्षण कोई भी खतरनाक मोड़ ले सकती है।

अस्तु इस सुनिश्चित अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर शासन और सदन का ध्यान आकृष्ट करता हूं और तुरन्त प्रभावी कार्यवाही करने की मांग करता हूं।]

झांसी नगर की पेयजल समस्या के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रवीन्द्र शुक्ला–

[महोदय, सन् 1981 की जनगणना के आधार पर झांसी नगर में कुल आवश्यकता का एक तिहाई पेयजल उपलब्ध हो रहा है । जबकि आज की जनसंख्या के आधार पर

नोट–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

यह मात्रा केवल एक चौथाई ही होगी। गर्मियों में झांसी नगर में पीने के पानी की विकराल समस्या खड़ी हो जाती है। आसन्न गर्मियों में यह समस्या भीषण रूप ले लेगी। हर वर्ष गर्मियों के पूर्व अस्थाई व्यवस्था की जाती है। झांसी में जलस्तर बहुत घट गया है। मेरी मांग है कि गर्मियों के पूर्व कम से कम 4 ट्यूबवेल एवं 300 हैण्डपम्प गहराई तक बोर कराकर लगाने की व्यवस्था तुरन्त की जाये ताकि गर्मियों में झांसी की जनता राहत की सांस ले सके।]

जनपद सीतापुर के थाना पिसांवा में पुलिस द्वारा उत्पीड़न किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री ओम प्रकाश गुप्ता–

[जनपद सीतापुर में थाना पिसावां के ग्राम बरीहयामऊ में सी0 ओ0 के संरक्षण में पुलिस द्वारा आतंक की स्थिति पैदा कर रखी गयी है। इसरार नामक पेशेवर बदमाश की फर्जी रिपोर्ट को आधार बना कर नाजिम, मुन्ना आदि के घर गिरा दिये गये, घरों में घुस कर सामान उठा लिया गया, औरतों को बेइज्जत किया गया। इसी सी0 ओ0 द्वारा थाना मिश्रिख के चौपरिया के प्रधान नत्था के घर में तोड़फोड़ करके घर से उसे पकड़ा गया और फर्जी मुकदमा बना कर उसका चालान कर दिया गया। इन घटनाओं से क्षेत्र में आतंक व्याप्त है।

सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए तत्काल कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद उन्नाव में राज्य सेक्टर की सड़कों के निर्माण के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हृदय नारायण–

[उन्नाव जिले के विधान सभा क्षेत्र में पुरवा में स्वाधीनता से लेकर अब तक राज्य सेक्टर की कोई सड़क नहीं बनी न ही कोई पुल ही सार्वजनिक निर्माण विभाग ने बनाया है। गत विधान सभा में मैंने क्षेत्र की निरन्तर उपेक्षा से बढ़ रहे जन आक्रोश को विभिन्न नियमों में उठाया था। मगर कोई मार्ग या पुल राज्य सेक्टर से नहीं बनाया गया।

सिर्फ तत्कालीन माननीय मुख्य मंत्री नारायण दत्त तिवारी के सैंडो की सिफारिश पर एक सड़क मंजूर हुई थी। मेरे अनुरोध पर वर्ष 1988-89 को एस0 एन0 डी0 में पुरवा, बनी मार्ग को तत्कालीन सरकार ने सम्मिलित करवाया था।

इस समय उक्त सड़क के अलावा कई जनपदों को जोड़ने वाले महत्वपूर्ण सड़क मौरावां, गुलरिया मार्ग सिर्फ 7 कि0मी0 अधूरी है। उन्नाव लउआ मार्ग सिर्फ हिलौली तक बना है 5 कि0 मी0 अवशेष है। पुरवा, मझिगवां, जगदीशपुर, कंचनपुर मार्ग अति महत्वपूर्ण है। छूलामऊ ग्राम के सामने वर्षों से टूटा पुल व पुरवा बनी मार्ग पर चिरैया नाले के टूटे पुल तत्काल पुनः बनाए जाने योग्य है। उपेक्षा से जनता में नाराजगी है।

अतः अविलम्बनीय लोक महत्व की इस समस्या को आदरणीय सदन के संज्ञान में लाकर आवश्यक कार्यवाही की मांग करता हूं।]

नोट–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मऊ जिलान्तर्गत थाना घोसी में श्री राम सूरत यादव की हत्या होने से जनता में उत्पन्न भय एवं आतंक के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

[महोदय, मऊ जनपद के थाना क्षेत्र घोसी में दिनांक 22 नवम्बर, 89 को लोक सभा एवं विधान सभा के मतदान के दिन घोसी के पूर्व सांसद व उनके सहयोगियों द्वारा मतदान केन्द्र लुदुही इण्टर कालेज पर कब्जा करने की नियत से हथियारों से लैस होकर हमला किया गया जिससे हिंसक घटनाएं घटीं तथा उस घटना के दौरान गोली से घायल होने के कारण कांग्रेसी कार्यकर्ता श्री राम सूरत यादव की निर्मम हत्या घटनास्थल पर हो गयी । घटना की नामजद रिपोर्ट श्री राजकुमार राय व उनके साथियों पर भारतीय दण्ड विधान की धारा दफा 302 के अन्तर्गत घोसी थाने में दर्ज है लेकिन अपराधी सरे आम घूम रहा है । स्थानीय पुलिस ने अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं की है । पूरे क्षेत्र में आतंक फैला हुआ है । सामान्य जनता में भय व्याप्त है ।

अत: इस महत्वपूर्ण मामले को माननीय सदन के संज्ञान में लाने का अनुरोध करता हूं कि तत्काल प्रभावी कार्यवाही की जाय ।]

जनपद पिथौरागढ़ के मुनस्यारी क्षेत्र में परगनाधिकारी द्वारा अनियमितता किए जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शिव बहादुर सक्सेना–

[जनपद पिथौरागढ़ के मुनस्यारी विकास खण्ड का सारा विकास कार्य वहां के परगनाधिकारी की हठधर्मिता के कारण पिछले छः माह से रुका हुआ है । यह अनुसूचित जनजाति का क्षेत्र है । उन्होंने क्षेत्र समिति मुनस्यारी का द्वेष से नियम विरुद्ध तरीके से लिखित बहिष्कार कर रखा है व जिलाधिकारी के आदेश का भी पालन नहीं कर रहे हैं व विपक्ष (इस समय सत्ता पक्ष) के ब्लाक प्रमुख के खिलाफ नियम विरुद्ध तरीके से अविश्वास प्रस्ताव लाने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

अत: मांग करता हूं कि मुनस्यारी विकास क्षेत्र जनपद पिथौरागढ़ का परगनाधिकारी द्वारा बहिष्कार समाप्त कराया जाय और इनकी इस द्वेषपूर्ण कार्यवाही की जांच की जाये ।]

मथुरा नगर में पेयजल संकट उत्पन्न होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रविकान्त गर्ग–

[मान्यवर, पवित्र तीर्थ मथुरा में पेयजल संकट की समस्या गम्भीर है, जाड़े के दिनों में भी पेयजल की आपूर्ति न हो पाने से आम नागरिक के अतिरिक्त हजारों तीर्थ यात्री व पर्यटक परेशानियों का सामना करने को बाध्य हैं । अत: इस गम्भीर विषय को जनहित में उठाया जाना परम आवश्यक है । इस समय अनेक धार्मिक पर्वों के कारण भी हजारों तीर्थ-यात्री भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में पधारे हुए हैं ।

आपके व इस प्रश्न के माध्यम से मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि मथुरा की पेयजल समस्या के तत्कालिक निराकरण हेतु आवश्यक कदम उठाये जायें ।]

नोट:–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद सुल्तानपुर की टाउन एरिया कादीपुर के निकट नाले पर स्थित जर्जर पुल का निर्माण कराये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जयराज गौतम–

[महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदन तथा सरकार का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर आकृष्ट करना चाहता हूं ।

श्रीमन्, लखनऊ-बलिया राजमार्ग पर टाउन एरिया कादीपुर जनपद सुल्तानपुर के निकट नाले पर एक बहुत पुराना पुल है जो कादीपुर तहसील मुख्यालय पर निर्मित है, जो बुरी तरह से जर्जर हो चुका है, तथा बहुत कम जल बहाव के योग्य है । सिंचाई विभाग द्वारा सुल्तानपुर शाखा पर निर्मित लक्ष्मणपुर स्केप इसी पुल से होता हुआ निकाला गया है जो गोमती नदी में मिलता है । चूंकि स्केप का जल बहाव की क्षमता बहुत अधिक है और पुराना जर्जर पुल काफी छोटा होनों के फलस्वरूप तीव्र गति से बहाव के कारण पुल में कटान होता जा रहा है जिसके कारण पुल कभी भी गिर सकता है । जिससे आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर और बलिया मार्ग अवरुद्ध हो सकता है ।

अतः शासन के संज्ञान में लाकर यह मांग करता हूं कि इस जर्जर पुल का निर्माण शीघ्र कराया जाए ।]

जनपद बाराबंकी में विद्युत वितरण खण्ड को संबंधित विद्युत सामग्री शीघ्र उपलब्ध कराये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

[मैं आपकी आज्ञा से एक अत्यन्त महत्वपूर्ण लोक महत्व का प्रश्न सदन के संज्ञान में लाकर कार्यवाही की मांग करता हूं :–

जनपद बाराबंकी के विद्युत वितरण खण्ड को वर्ष 89-90 में विद्युत सामग्री विशेष रूप से पोल व कन्डक्टर न दिए जाने के कारण चयनित गांवों का विद्युतीकरण नहीं हो पा रहा है । नगर व अन्य स्थानों की लाइनें खराब पड़ी है परन्तु सामग्री के अभाव में उनकी मरम्मत नहीं हो पा रही है । इस वर्ष का अन्त हो रहा है परन्तु इस वर्ष व पूर्व के वर्षों के चयनित अनेक गांवों का विद्युतीकरण नहीं हो पा रहा है । बाराबंकी जनपद में विद्युतीकरण का लक्ष्य अन्य जनपदों की तुलना में बहुत कम रहता है । इस वर्ष मात्र 17 गांवों का विद्युतीकरण होना है जिसकी भी सामग्री नहीं है ।

मैं माननीय सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि जनपद बाराबंकी को तत्काल 10 हजार पोल तथा 15 हजार किलोलीटर कन्डक्टर की आपूर्ति करायी जाय विद्युतीकरण का लक्ष्य 48 ग्राम किया जाय ।]

कानपुर महानगर में सीवर जाम होने से गन्दगी तथा पेयजल संकट उत्पन्न होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री वीरेन्द्र नाथ दीक्षित–

[महोदय, कानपुर महानगर में सीवर जाम के कारण गलियों में पानी भरा पड़ा है । जल संस्थान के पास पर्याप्त कर्मचारी तथा आवश्यक साधनों के न होने के कारण

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

सीवर की सफाई व्यवस्था नहीं हो पा रही है नागरिक नारकीय जीवन बिता रहे हैं एवं जानलेवा बीमारियों के फैलने का अंदेशा है यही स्थिति पेयजल के कारण हो रही है लगभग 25 लाख आबादी के इस महानगर में जल पूर्ति व्यवस्था न के बराबर है । कानपुर महानगर केन्द्र को 400 करोड़ रुपया एवं उत्तर प्रदेश सरकार को 160 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष सीधे करों के रूप में देता है लेकिन पेयजल हेतु धन आबंटन नगण्य है पिछले बजट में केवल 24 लाख रुपया आवंटित किए गए थे जबकि सवा करोड़ रुपया की संस्तुतियां की गयी थीं ।

स्थिति को देखते हुए मेरा अनुरोध है कि प्रदेश सरकार को निर्देश दें कि अविलम्ब सीवर सफाई पेयजल हेतु बिगड़े ट्यूबवेलों की मरम्मत हैण्ड पाइपों हेतु अनुदान जल वितरण व्यवस्था हेतु भावी बजट में समुचित धन आबंटन एवं गंगा बैराज को प्रदेश के वार्षिक योजना में सम्मिलित करने हेतु प्रभावी कदम उठायें ।]

कांग्रेस (आई) के सदस्य श्री देव कुमार यादव द्वारा दिनांक 11-1-90 को शोकोद्गार व्यक्त करते समय अपने को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य बताये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

[2 बजकर 20 मिनट]

श्री अध्यक्ष–

नियम 300 के अन्तर्गत 5 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं । माननीय रवीन्द्रनाथ तिवारी जी की और श्री पंचानन राय के विषय में मैं यह कहना चाहूंगा कि पहले तिवारी जी अपनी सूचना के बारे में कुछ विचार व्यक्त करें ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, मेरा औचित्य का प्रश्न माननीय सदस्य बबेरू के संबंध में है.

श्री अध्यक्ष–

एक बात तो मैं आपको बता दूं, आज नेता सदन और नेता विरोधी दल का भी भाषण होना । नेता जी उसका उत्तर देंगे, इसलिए आप थोड़ा ही समय लें ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

जितने में मैं कहता उतना समय आप ले रहे हैं । मेरा निवेदन यह है कि संविधान का आर्टिकिल 188 जो है, उसके अन्तर्गत हमारी नियमावली का नियम–5 बना है, उसमें यह कहा गया है, कि उसके अनुसार माननीय सदस्य पहले यहां शपथ लेते हैं और तद्नुसार एक शपथपत्र फार्म पर दस्तखत करते हैं । संविधान का अनुच्छेद 193 जो है, उसके अनुसार हमारी नियमावली में नियम 6 (ख) बनाया गया है, जिसके अनुसार यह व्यवस्था की गयी है कि सदस्य के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति उस आसन पर नहीं बैठेगा और उसके बाद नियम 7 में यह व्यवस्था की गयी है कि कोई अन्य व्यक्ति जो उस पर बैठेगा, वह दण्ड का भागी होगा और उस पर 500 रुपया प्रति दिन के हिसाब से जुर्माना होगा । और यह भी कहा गया है कि इस सम्बन्ध में माननीय अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा । फिर इसके बाद उत्तर प्रदेश विधान सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियमावली, 1987, जो 28 जून, 1987 से प्रभावी है के नियम 5 (2) को देखें और संविधान (बावनवां संशोधन) अधि-

---

नोट:–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

नियम, 1955 की धारा 6 के अंतर्गत जोड़ी गयी दसवीं अनुसूची के पैरा 2 के सब क्लाज (1) क को देखें, तो उसमें श्रीमन्, यह स्पष्ट है कि अगर कोई सदस्य एक पार्टी के टिकट पर चुनकर आते हैं और उसके अन्यथा कोई घोषणा करते हैं सदन में, तो उनकी सदन की सदस्यता समाप्त मानी जायेगी और इसीलिए वह नियमावली बनी है ।

मैंने 11 तारीख की कार्यवाही का हवाला दिया है अपने नोटिस में, उसमें देखें माननीय सदस्य बबेरू ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपने को संयुक्त भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य कहा । उन्होंने कई कार्यवाहियों में हिस्सा लिया और अपने को संयुक्त भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता के रूप में प्रतिस्थापित किया है । यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के टिकट पर चुनकर आये हैं, तो क्या उन्होंने दल की सदस्यता छोड़ दी है ? क्या उन्हें संयुक्त भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता के रूप में मान्यता दी गयी है । मान्यवर, स्वर्गीय आचार्य नरेन्द्र देव ने पार्टी छोड़ी थी तो उस पार्टी के टिकट पर मिली हुई सदस्यता को भी छोड़ा था, तो उसका भी अपमान है । मैं सही स्थिति जानना चाहता हूं । इनको आपने किस रूप में मान्यता दी है ? माननीय सदस्य बबेरू को जो कांग्रेस पार्टी के टिकट पर वह चुनकर आए हैं, उसका सदस्य मानते हैं या संयुक्त भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का, मुझे यह भी जानकारी है कि उन्होंने इस बारे में आपके कार्यालय में दरख्वास्त भी दी है कि उनको संयुक्त भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का नेता कहा जाए ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, माननीय सदस्य उपस्थित हैं उनसे स्पष्टीकरण दिला दें वह कांग्रेस में हैं या संयुक्त भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में हैं ?

*संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, माननीय सदस्य द्वारा नियम–300 के अन्तर्गत औचित्य के प्रश्न के रूप में यह कहा गया है कि श्री देव कुमार यादव तथा कुछ अन्य सदस्यगण कांग्रेस के टिकट पर निर्वाचित हुए हैं, वे अपने आपको संयुक्त भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं और अध्यक्ष पीठ द्वारा श्री देव कुमार यादव को भाषणों में संयुक्त भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता के रूप में बोलने की छूट दी जा रही है । उन्होंने यह भी कहा है कि माननीय सदस्य के इस आचरण और व्यवहार से प्रक्रिया नियमावली के नियम 5 और 6 तथा संविधान का अनुच्छेद 188, 193 और उत्तर प्रदेश सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियमावली के प्राविधानों का उल्लंघन हो रहा है । प्रक्रिया नियमावली का नियम 5 और संविधान का अनुच्छेद 188 शपथ के संबंध में है और अनुच्छेद–193 में यह व्यवस्था है कि यदि कोई व्यक्ति नियमानुसार शपथ लिये बिना अथवा सदस्यता के लिए अनर्ह होते हुए सदन में बैठता है या वोट देता है तो उससे रुपये 500/- प्रतिदिन जुर्माना वसूल किया जा सकता है। माननीय सदस्य द्वारा शपथ संविधान के प्राविधानों और नियमावली के अनुकूल ली गई है । जहां तक दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता नियमावली के उल्लंघन अथवा उनके अनर्ह होने का प्रश्न है, इसके लिए उस नियमावली में ही प्रक्रिया दी गई है, उसका पालन करके माननीय सदस्य आवश्यक कार्यवाही कर सकते हैं । औचित्य का कोई प्रश्न नहीं बनता है और यह नियम 300 के अन्तर्गत नहीं उठाया जा सकता है । माननीय तिवारी जी तो नियमों के जानकार हैं यह मामला नियम-300 में नहीं आता है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, क्षमा चाहता हूं । मान्यवर, अगर उन्हें दल के नेता या समुदाय के नेता के रूप में मान्यता दी गई, तो वह नियमावली के विरुद्ध होगा । श्रद्धांजलि अर्पित करने में, उन्हें उस रूप में बोलने दिया गया, जितना कि और नेताओं को समय दिया गया । अगर वह दल बदल कर रहे हैं तो उनकी इच्छा पर अंकुश न लगाया जाए यह अलोकतांत्रिक होगा । माननीय सदस्य बबेरू यदि कांग्रेस पार्टी से संबंध विच्छेद करना चाहते हैं, तो उन्हें उससे रोकना उनके मौलिक अधिकारों का हनन होगा । वह कांग्रेस की नीतियों से असन्तुष्ट होकर पार्टी छोड़ना चाहते हैं तो उन्हें अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर दें । वह कोई नयी पार्टी स्थापित करना चाहते हैं । श्रीमन् स्थिति तो स्पष्ट कर दीजिये ।

एक सदस्य–

मान्यवर, स्पष्टीकरण दिलवा दीजिये ।

श्री अध्यक्ष–

मैं किसी माननीय सदस्य को नहीं कह सकता, हर सदस्य को अधिकार है स्पष्टीकरण देने का । मैं अपनी तरफ से नहीं कह सकता ।

मेरी सूची में कांग्रेस के जो सदस्य हैं उसमें उनका नाम दर्ज है । मैं इस प्रश्न को अस्वीकार करता हूं ।

विधान मण्डल सत्र के दौरान सदन के बाहर एक समारोह में मुख्य मंत्री द्वारा मंडल आयोग सम्बन्धी नीति विषयक घोषणा किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री पंचानन राय–

मान्यवर, मेरी दो सूचनायें हैं, कौन सी पढ़ूं ?

श्री अध्यक्ष–

सदन का सत्र चल रहा हो तो मंत्रि परिषद् के सदस्य सरकार की नीति घोषणा सदन के अन्दर ही करें, इस सूचना पर आप बोलें ।

श्री पंचानन राय–

मान्यवर, यह एक परंपरा है कि जब सदन का सत्र चल रहा हो तो नीति संबंधी घोषणायें मंत्रि परिषद् के सदस्यों को सदन के बाहर नहीं करनी चाहिये । माननीय मुख्य मंत्री जी ने सोमवार को सहकारिता भवन में लोधी महासंघ की सभा में कहा है कि मण्डल आयोग की रिपोर्ट लागू करने की हमारी स्पष्ट नीति है । मैं "पायनियर" अखबार से पढ़ना चाहता हूं :–

> "दी चीफ मिनिस्टर वाज एड्रेसिंग ए फंक्शन आर्गनाइज्ड बाई उत्तर प्रदेश लोधी महासंघ एट हेयर आन मन्डे । ही सेड दैट इम्पलीमेन्टेशन आफ मण्डल कमीशन्स रिकमण्डेशन्स वाज अवर ओवियस पालिसी"

श्री अध्यक्ष–

सूचना एक तो समाचार-पत्र के आधार पर नहीं होनी चाहिये दूसरे आप हिन्दी में अनुवाद कर दें ।

श्री पंचानन राय–

मान्यवर, मैंने आधार दे रखा है । मान्यवर, मेरा आग्रह यह है कि पहले संसदीय कार्य मंत्री जो सदस्य खड़े हैं उनको बैठा दें ।

मान्यवर, मैंने आधार दे रखा है कि जो लोग उस सभा में मौजूद थे उन्होंने मुझे बताया और जो दो प्रमुख समाचार पत्र हैं, जो राजधानी से निकलते हैं, "पायनियर" और "नार्दर्न इंडिया पत्रिका" उसमें दिया गया है । माननीय मुख्य मंत्री जी मौजूद हैं, खुद स्पष्ट कर सकते हैं उनकी बात प्रमाणित होगी । उन्होंने उस सभा में भाषण दिया कि मण्डल आयोग की संस्तुतियों को लागू करने की हमारी नीति है । अगर उन्होंने यह भाषण दिया है तो पहले इसकी घोषणा सदन में करनी चाहिये क्योंकि विधान मण्डल का सत्र चल रहा है ।

*संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, माननीय पंचानन राय जो इस सदन के सदस्य हैं वह पिछले दिनों विधान परिषद् के सदस्य रहे हैं और एक वरिष्ट सदस्य हैं । यह मान्यवर, परंपरा है और आपकी पीठ से ऐसे तमाम निर्देश हैं, रूलिंग्स हैं कि अखबार का हवाला देकर कोई भी बात यहां पर नहीं उठायी जा सकती है । मैं ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि जो अध्यक्ष पीठ से रूलिंग दी गयी है 1979--84, उस किताब के पृष्ठ 181 पर दिया गया है कि सदन के बाहर की किसी घटना अथवा समाचार पत्र में प्रकाशित किसी समाचार को लेकर औचित्य का प्रश्न नहीं बनता । मान्यवर, यह स्पष्ट रूलिंग दी गयी है । रही बात इस सूचना की तो मण्डल आयोग की सिफारिशों को लागू करना हमारी नीति है । हमारे चुनाव घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है इसके बारे में और आज भी हम उसी नीति पर कायम हैं । अगर कोई नयी नीति की बात बाहर कर दी होती तो संसदीय परम्पराओं के प्रतिकूल बात होती । लेकिन यह हमारी मान्य नीति है । हम लोगों ने चुनाव भाषणों में कहा है कि हम इसे लागू करेंगे । जनता को हमने इस नीति के बारे में आश्वासित किया है यह कोई नयी बात नहीं है । पंचानन राय जैसे विद्वान सदस्य को जो अविद्वतापूर्ण नोटिस है उसको खारिज कीजिये ।

(व्यवधान)

श्री पंचानन राय–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि माननीय मुख्य मंत्री ने घोषणा की है, किन्तु 11 तारीख को सदन शुरू हुआ है, सदन में घोषणा आज तक नहीं हुई है ।

श्री अध्यक्ष–

शेष सूचनाएं अस्वीकार की जाती हैं ।

उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड लखनऊ की पंचम, षष्टम, सप्तम, अष्टम वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा विवरण (वर्ष-1978-79, 1979-1980, 1980-81 एवं 1981-82)†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

†छापा नहीं गया ।

लिमिटेड, लखनऊ का पंचम, षष्ठम, सप्तम्, अष्टम वार्षिक रिपोर्टें एवं लेखा विवरण वर्ष 1978-79, 1979-80, 1980-81 एवं 1981-82 को कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-ए की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

(श्री कृष्ण कुमार नवमान अपनी सूचना को सुने जाने की मांग करते हुए सदन के फ्लोर पर आ गये) ।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (सातवां संशोधन) नियमावली, 1990 ‡

संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से संसदीय कार्य अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या 15/मन्त्रह-सं-1-90-67 सं-89, दिनांक 10 जनवरी, 1990 के साथ प्रकाशित उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (सातवां संशोधन) नियमावली, 1990 को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (सदस्यों का अनुमेलन) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 1988‡

संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से पंचायती राज अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या 4315-बी/33-2-90-जी-88-यू0 पी0 ए0-33-1961-नियम-1963 संशोधन (4) 1988, दिनांक 1 नवम्बर, 1988 के साथ प्रकाशित उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (सदस्यों का अनुमेलन) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली 1988 जो दिनांक 29 सितम्बर, 1989 को विलम्ब के कारणों सहित सभा के पटल पर रखी गयी थी तथा जिसके सदन के पटल पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि सभा के सत्रावसान एवं विघटन हो जाने के कारण पूरी नहीं हो सकी है को उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद अधिनियम, 1961 की धारा 237 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार पुनः सदन के पटल पर रखता हूं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य जी, आपका पत्र मुझे मिला है, आप अभी थोड़ी देर बाद मुझसे मेरे कक्ष में मिल लें, मैं आपका समाधान कर दूंगा । आप कुछ तो विश्वास करें ।

(तत्पश्चात् श्री कृष्ण कुमार नवमान अपने स्थान पर वापस चले गये)

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1990

सचिव, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि-

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1990, जो विधान सभा द्वारा दिनांक 15 जनवरी, 1990 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 16 जनवरी, 1990 को वापस प्राप्त हो गया ।

---

‡छापी नहीं गयी ।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1990

सचिव, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1990, जो विधान सभा द्वारा दिनांक 15 जनवरी, 1990 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 16 जनवरी, 1990 को वापस प्राप्त हो गया ।

उत्तर प्रदेश मंत्री और राज्य विधान मण्डल अधिकारी और सदस्य सुख-सुविधा विधि (संशोधन) विधेयक, 1990

सचिव, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश मंत्री और राज्य विधान मण्डल अधिकारी और सदस्य सुख-सुविधा विधि (संशोधन) विधेयक, 1990, जो विधान सभा द्वारा दिनांक 15 जनवरी, 1990 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद से बिना किसी संशोधन के दिनांक 16 जनवरी, 1990 को वापस प्राप्त हो गया ।

श्री मुईद अहमद व श्री इम्तियाज मोहम्मद खां द्वारा दी गयी विशेषाधिकार की सूचना के संबंध में जानकारी की मांग

*श्री मुईद अहमद–

मान्यवर, मद संख्या 9 का क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष–

कोई सूचना है मेरे पास?

श्री मुईद अहमद–

कल आपने यह बात कही थी कि मद संख्या 9 आज आयेगा

श्री अध्यक्ष–

आपकी सूचना आई वह सूचना तत्काल उसी विभाग को भेजी जाती है और उससे सूचना मांगी जाती है, उसकी प्रक्रिया यही है । नियम यही है ।

श्री मुईद अहमद–

वह तो सदस्य से संबंधित है (व्यवधान) आज सदन का अंतिम दिन है उसके बाद समय मिलेगा नहीं ।

श्री अध्यक्ष–

बिना जानकारी के आपको कोई निर्णय कैसे दे दिया जाय ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री मुईद अहमद–

मान्यवर, यह तीन दिन पहले दिया जा चुका है, अवमानना का प्रश्न पूरे सदन के विशेषाधिकार के हनन का मामला था, उसको तीन दिन पहले दिया गया था । माननीय सदस्य यहां मौजूद थे उनसे तो आप पूंछ ही सकते थे । नियम 63 और 64 के अन्तर्गत अवमानना और विशेषाधिकार का था । यह पहली बार मैं सुन रहा हूं कि किसी शासन के सदस्य का मामला विभाग में जायेगा जांच के लिए । शासन के सदस्य की जांच उनकी घोषणा की जांच विभाग करे, यह मैं पहली बार सुन रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष–

आप मेरी बात सुनें । जब कोई विशेषाधिकार की सूचना दी जाती है तो अविलम्ब उसको संबंधित व्यक्ति या विभाग के द्वारा भेजा जाता है अविलम्ब उसके स्पष्टीकरण के लिए । तभी उस पर कोई निर्णय होगा या जानकारी होगी । उसे माननीय सदस्य के यहां भेजा गया है जब तक उनका उत्तर न आ जाय, मैं कैसे उस पर निर्णय ले सकता हूं ?

श्री मुईद अहमद–

मान्यवर, अभी माननीय पंचानन राय ने कल के बयान पर 301 में दिया उसी नेचर के, उसी विषय में जो नीति संबंधी घोषणा है वह सदन के चलते बाहर नहीं की जा सकती है और माननीय मंत्री जी ने क्लीअरकट दैनिक जागरण में कहा है, उसी के संबंध में दिया है, तो अवमानना में था उन्होंने 300 में दे दिया ।

श्री अध्यक्ष–

उसको अस्वीकार नहीं किया गया है । उसके संबंधित मंत्री जी के पास उसके उत्तर के लिए भेज दिया गया है । आज सदन का अंतिम दिन है तो वह समाप्त नहीं होगा । वह विशेषाधिकार का प्रश्न आयेगा और उस पर स्पष्टीकरण होगा, उसका उत्तर होगा, उस पर निर्णय होगा ।

श्री इम्तियाज मोहम्मद खां–

मान्यवर, मैंने कल आपके मौखिक आदेशानुसार माननीय राजस्व मंत्री जी के विरुद्ध नियम 63-64 के अंतर्गत विशेषाधिकार अवहेलना तथा अवमानना की सूचना दी थी उसमें मैं नम्र निवेदन के साथ यह पूछना चाहता हूं कि उसमें आपने क्या कार्यवाही की है ?

श्री अध्यक्ष–

मैं नियम 65 "ग" की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं-"ऐसे मामले में सदन का हस्तक्षेप आवश्यक हो : परन्तु यदि शिकायत किसी सदस्य के विरुद्ध हो तो अध्यक्ष अपनी सम्मति तथा ग्राह्यता संबंधी अपनी स्वीकृति देने के पूर्व सदस्य को, सम्बद्ध लेख्यों, यदि कोई हों, के निरीक्षण का अवसर देकर सुनेंगे और आवश्यकता होने पर शिकायतकर्ता को भी सुन सकेंगे ।"

जो बात मैं कह रहा था वह नियम से स्पष्ट है । (व्यवधान)

श्री इम्तियाज मोहम्मद खां–

मान्यवर, मैंने उत्तर प्रदेश में तहसीलों के सृजन तथा पुनर्गठन संबंधी प्रतिवेदन व

प्रस्तावित तहसीलों की सूची की फ़ोटोस्टेट प्रतिलिपि सूचना के साथ दाखिल की है । उसमें क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री अध्यक्ष–

उसमें कार्यवाही हो रही है ।

श्री इम्तियाज़ मोहम्मद खा–

अगले सत्र तक मान्यवर, जीवित रहेगा ?

श्री अध्यक्ष–

हां ।

नरेन्द्र देव कृषि एवं औद्योगिक विश्वविद्यालय फैजाबाद के प्रबन्ध बोर्ड में कार्य करने के लिए विधान सभा के सभा के सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि "यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद के प्रबन्ध बोर्ड पर कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) के अनुसार विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन करें ।"

रुड़की विश्व विद्यालय की सिनेट, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रोद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर, गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रोद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर तथा नरेन्द्रदेव कृषि एवं प्रोद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद के प्रबन्ध बोर्ड में कार्य करने के लिए सदस्यों के नाम निर्देशन हेतु श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव

*सार्वजनिक निर्माण , संसदीय कार्य एवं आबकारी मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, इस संबंध में एक प्रस्ताव मैं मा0 नेता विरोधी दल की सहमति से रख रहा हूं । प्रस्ताव यह है कि "रुड़की विश्वविद्यालय की सिनेट में सदस्यता के लिए चार सदस्यों का और चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर, गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पन्तनगर तथा नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद के प्रबन्ध बोर्ड पर कार्य करने के लिए दो-दो सदस्यों का निर्वाचन कराये जाने के प्रस्ताव इस माननीय सदन में दिनांक 15 जनवरी, 12 जनवरी और 17 जनवरी 1990 को स्वीकार किए गये हैं जिनके संबंध में यह सदन प्रस्ताव करता है कि संबंधित नियमों के उपबन्धों को उस सीमा तक निलम्बित करते हुए जहां तक वे निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित हैं , उक्त सिनेट और प्रबन्ध बोर्डों में कार्य करने के लिए, यथास्थिति, चार और दो सदस्यों का निर्वाचन कराने के स्थान पर मा0 अध्यक्ष , विधान सभा के सदस्यों का नाम निर्देशित करने के लिए यह सदन प्राधिकृत करता है और यह निश्चय करता है कि इस प्रकार नाम निर्देशित सदस्य उक्त निकायों में संबंधित नियमों की अपेक्षानुसार विधिवत निर्वाचित समझे जायेंगे ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नरेन्द्रदेव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय फैजाबाद के प्रबन्ध बोर्ड में सदस्यों के कार्य करने के लिए विधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद के प्रबन्ध बोर्ड पर कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 की धारा 10 की उप धारा (1) के खण्ड (छ) के अनुसार विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन करें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

रूड़की विश्वविद्यालय की सीनेट, चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर, गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पन्त नगर तथा नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय फैजाबाद, के प्रबंध बोर्ड में कार्य करने के लिये सदस्यों के नाम निर्देशन हेतु श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष–

मा0 संसदीय कार्य मंत्री ने जो प्रस्ताव दिया है, उसको मैं आपके सामने पढ़ देता हूं -- रूड़की विश्वविद्यालय की सिनेट में सदस्यता के लिए चार सदस्यों का और चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय , कानपुर, गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पन्तनगर, तथा नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय , फैजाबाद के प्रबन्ध बोर्ड पर कार्य करने के लिए दो-दो सदस्यों का निर्वाचन कराये जाने के प्रस्ताव इस माननीय सदन में दिनांक 15 जनवरी, 12 जनवरी और 17 जनवरी 1990 को स्वीकार किये गये हैं जिनके संबंध में यह सदन प्रस्ताव करता है कि संबंधित नियमों के उपबन्धों को उस सीमा तक निलम्बित करते हुए जहां तक वे निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित हैं, उक्त सिनेट और प्रबन्ध बोर्डों में कार्य करने के लिए, यथास्थिति, चार और दो सदस्यों का निर्वाचन कराने के स्थान पर मा0 अध्यक्ष, विधान सभा को सदस्यों का नाम - निर्देशित करने के लिए यह सदन प्राधिकृत करता है और यह निश्चय करता है कि इस प्रकार नाम-निर्देशित सदस्य उक्त निकायों में संबंधित नियमों की अपेक्षानुसार विधिवत निर्वाचित समझे जायेंगे ।

प्रश्न यह है कि यह सदन उक्त प्रस्ताव से सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।)

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत)†

श्री अध्यक्ष–

मान्यवर, समय को ध्यान में रखते हुए मुझे आपसे यह निवेदन करना है कि आप सब लोगों ने बहुत रुचि से धन्यवाद के प्रस्ताव पर और उसमें आये संशोधनों पर अपने विचार व्यक्त किये । माननीय नेता विरोधी दल के आग्रह पर मा0 नेता सदन ने उसमें अपने विचार व्यक्त करने के लिए ढाई बजे का समय मांगा था । प्रयास किया गया था कि जितने नये मा0 सदस्य आये हैं वे विचार व्यक्त कर लें और दलों के नेतागण भी विचार व्यक्त कर लें । मेरी समझ से अब काफी विचार हो चुका है, मैं मा0 नेता सदन से निवेदन करूंगा कि वह बोलें ।

---

†दिनांक 16 जनवरी, 1990 की कार्यवाही से ।

*मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)–

अध्यक्ष महोदय, 10 जनवरी, 1990 के महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के पर सदन के जिन मा0 सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं और अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर हिस्सा लिया है, मैं उनका बहुत ही आभारी हूं, कृतज्ञ हूं। और उन माननीय सदस्यों का भी मैं विशेष आभारी हूं जिन्होंने अपने रचनात्मक सुझाव दिये हैं। लेकिन मैं विशेष रूप से माननीय नेता विरोधी दल का बहुत-बहुत आभारी हूं जिन्होंने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर अपनी गरिमा और शालीनता के अनुरूप सदन के अन्दर अपने विचार रखे। मैं इसलिए भी उनका आभारी हूं कि माननीय नेता विरोधी दल श्री नारायण दत्त तिवारी जी, जो संसदीय ज्ञान और प्रशासनिक अनुभव के धनी हैं, का लाभ सरकार को इस , इस सदन को मिल रहा है। हम इसलिए भी आभारी हैं माननीय नेता विरोधी दल के कि उनकी सादगी, विनम्रता और संसदीय ज्ञान एवं प्रशासनिक अनुभव का जो लाभ प्राप्त हो रहा है उससे हमारे माननीय सदस्य लाभान्वित हो रहे हैं। जहां एक ओर उत्तर प्रदेश विधान सभा की गरिमा और ऐतिहासिक परम्परायें रही हैं, वहीं यह भी दृष्टांत है कि माननीय नेता विरोधी दल 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और चौथी बार नेता विरोधी दल के रूप में भी हैं। मुझे विश्वास है कि उनके अनुभव, उनके ज्ञान का लाभ और सहयोग भी मिलता रहेगा। लेकिन मान्यवर इतना संसदीय परम्पराओं का ज्ञान होते हुए भी, उन्होंने कुछ बातें ऐसी रखी हैं जो मान्यवर, उनके व्यक्तित्व के अनुरूप नहीं हैं।

माननीय नेता विरोधी दल ने शुरुआत में, जो उनके तीन घंटे का लगातार भाषण हुआ, उसमें उन्होंने कहा कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में भ*ष्टाचार, मंहगाई और नैतिक मूल्यों के अवमूल्यन के बारे में कुछ चर्चा नहीं होनी चाहिए थी। यह अभिभाषण में नहीं होना चाहिए था। साथ ही यह भी कहा कि इस तरह की चर्चायें लगातार 1952 से चली आ रही हैं। मान्यवर, एक तो मैं उनको धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं कि उन्होंने यह स्वीकार किया कि 1952 से लेकर लगातार मंहगाई, भ्रष्टाचार , जो भी सरकार रही है, उसके चलते पलता रहा। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने यह कहा कि इसकी यहां चर्चा नहीं होनी चाहिए थी। मंहगाई की चर्चा , बेईमानी की चर्चा, भ्रष्टाचार की चर्चा, गरीबी और बेरोजगारी की चर्चा अगर इस सदन में, इस फोरम पर नहीं होगी, तो इससे उपयुक्त दूसरा फोरम कहां हो सकता है। यह भ्रष्टाचार और मंहगाई जो हमारे प्रदेश और हमारे देश के निर्बल वर्ग के लोग हैं, गरीब लोग हैं, असहाय लोग हैं, उनको सहन करनी पड़ती है। उन गरीबों, उन मजदूरों की जो मंहगाई और भ्रष्टाचार से त्रस्त हैं, उनके दुख दर्दों की चर्चा इस विधान सभा में नहीं हो सकती है, मैं समझता हूं कि माननीय नेता विरोधी दल के व्यक्तित्व के अनुरूप यह बात नहीं है। यह होनी चाहिए।

नेता विरोधी दल (श्री नारायण दत्त तिवारी)–

मैंने यह नहीं कहा कि चर्चा नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिस संदर्भ में यह

उल्लेख है, वह संदर्भ राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में भी नहीं था । चर्चा होनी चाहिए थी , लेकिन जिस संदर्भ के बारे में कहा गया है, उसके बारे में मैंने कह था ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

चलिये मान्यवर, यह बात हम छोड़ते हैं, उन्होंने नहीं कहा, अच्छी बात है, लेकिन उनके अनुभव से यहां हम लोगों को लाभ होता रहेगा । दूसरी बात कहना चाहता हूं कि आपने दूसरे देशों में यूरोप का उदाहरण दिया और कहा कि तानाशाही जहां पर है, वहां पर भ्रष्टाचार और अधिक है । यह सही है कि जहां तानाशाही है, वहां भ्रष्टाचार और महंगाई ज्यादा है, लेकिन हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, हमारे संविधान निर्माताओं ने तो लोकतांत्रिक परम्पराओं को अपनाया है और हमारे प्रजातंत्र में, हमारे महापुरुषों, हमारे महान नेताओं ने जो कल्पना की थी कि गरीब और अमीर के बीच की खाई दूर होगी, जिससे गरीब मजदूरों को सम्मान मिलेगा, समानता मिलेगी, सम्पन्नता मिलेगी, उससे हम लोग वंचित रह गये । इसी कारण मान्यवर, जहां तक दूसरे देशों का सवाल है, वह अलग चीज है और मैं स्वीकार करता हूं कि तानाशाही में ऐसा हो सकता है लेकिन प्रजातंत्र में महंगाई, भ्रष्टाचार नाम की कोई चीज नहीं होनी चाहिए, इसीलिए महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो लड़ाई लड़ी गयी, जो हमारे महान नेता शहिद हुए हैं, उनकी जो कल्पना थी, उस कल्पना को हम आज तक लागू नहीं कर पाये, यह हमारे लिये शर्म की बात है । इसलिए हम लोगों ने, इस सरकार ने, मंत्रिमंडल के सदस्यों ने और यहां बैठे सारे लोगों ने सबसे पहले कहा कि हम भ्रष्टाचार, जिसकी वजह से नाइन्साफी है, अत्याचार है, के बुनियादी सवाल को सबसे पहले हल करने की कोशिश करेंगे और इसीलिए हमने अपने अधिकारियों से कह दिया है कि जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छा काम करेंगे, उनको हम पुरस्कृत भी करेंगे, लेकिन जो अक्षम हैं और जिन पर बेईमानी के चार्जेज सिद्ध हो चुके हैं, चाहे विजीलेंस के द्वारा हों, चाहे विभागीय जांच के द्वारा हों, उनके खिलाफ हम कार्यवाही करेंगे और उनको जबरन छुट्टी भी देंगे । यह काम शुरू भी कर दिया गया है ।

इस भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए हमने किसी दरोगा पर हाथ नहीं बढ़ाया है, किसी सिपाही पर कलम नहीं चली है, लेकिन हमने आई0 ए0 एस0 और पी0 सी0 एस0 को मुअत्तल कर दिया है और इसका नतीजा आपके सामने आ जायगा । ऐसा इसीलिए किया है कि यह सिद्धान्त रहा है, मान्यता रही है कि भ्रष्टाचार ऊपर से पनपता है । यह भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि अगर भ्रष्टाचार पर चर्चा नहीं होगी, बेईमानी पर चर्चा नहीं होगी तो क्या उसको मौलिक अधिकार से जोड़ दिया जायेगा और उच्च पदों पर बैठे लोगों का आचरण, सार्वजनिक जीवन में बड़े से बड़े नेता, बड़े से बड़ा अधिकारी हो, उसके आचरण से वह अगर संदेह की परिधि में आता है, तो वह उस पद के लायक नहीं है इसीलिए लगातार 1982 से यह मांग की जा रही है कि लोकायुक्त की परिधि में मुख्य मंत्री को भी रखा जाय । इस सदन की भी मांग रही है कि मुख्य मंत्री को लोकायुक्त की परिधि में रखा जाय, उसकी भी जांच होनी चाहिए । इसीलिए मान्यवर, जो अभी तक लिखापढ़ी चल रही थी, वह भी नहीं हुई और हमने ऐलान कर दिया है कि आने वाले सत्र में मुख्य मंत्री को भी लोकायुक्त की परिधि में रखा जायगा ।

मान्यवर, जहां तक दूसरा सवाल है, नेता विरोधी दल ने पूछा है कि सम्पूर्ण क्रान्ति और सम्पूर्ण व्यवस्था परिवर्तन क्या है ? अगर इस सवाल को नेता विरोधी दल ने नहीं, बल्कि विरोध पक्ष के लोगों ने पूछा होता, तो हम मान सकते थे लेकिन नेता विरोधी दल अगर इस सवाल को पूछें कि व्यवस्था परिवर्तन क्या है और सम्पूर्ण क्रान्ति क्या है, तो हम यह दोहराना नहीं चाहते हैं। जो चुनाव हमने लड़ा था, उसके मैनिफिस्टो में कहा था कि हम सत्ता परिवर्तन के साथ-साथ व्यवस्था परिवर्तन भी करेंगे। सत्ता परिवर्तन हुआ, एक मोर्चे पर तो हमारी जीत हो गई, लेकिन अभी दूसरा मोर्चा है व्यवस्था परिवर्तन का। उस व्यवस्था परिवर्तन का मतलब है हम उत्तर प्रदेश की जनता को सामाजिक और आर्थिक न्याय दिलायेंगे। हम इस गलतफहमी में भी नहीं हैं कि जब हम जनता को आर्थिक व सामाजिक न्याय दिलायेंगे तो हमारे सामने कुछ कठिनाइयां नहीं आयेंगी। अभी सदन में मण्डल आयोग की सिफारिशों को लागू करने की बात आई हम यह जानते हैं कि जो लोग हजारों वर्ष से उपेक्षित रहे हैं और जिनकी हिस्सेदारी प्रशासनिक नौकरियों में व सरकार में नहीं रही है, जब हम उनको न्याय दिलाने की बात कहेंगे तो हमें अवश्य कठिनाइयां आयेंगी। इसके लिए हम बचनबद्ध हैं। ऐसे लोगों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए, जैसा कि हमने जनता के बीच में भी कहा है और यहां भी कहना चाहते हैं कि अगर हमारी कुर्सी को भी खतरा हो गया तो हम उसकी भी परवाह नहीं करेंगे। व्यवस्था परिवर्तन का मतलब है, यहां विधान सभा में भाषण देने से नहीं, दूरदर्शन से नहीं और समाचार पत्र पढ़ने से नहीं अपितु खेत में हल चलाता हुआ किसान, फावड़ा चलाता हुआ मजदूर, दुकान में बैठा हुआ दुकानदार, पढ़ाता हुआ टीचर यह महसूस करे कि पिछली सरकार में और इस सरकार में यह अन्तर है। मान्यवर, पिछले सरकार में मुख्य मंत्री हुआ करते थे तो कभी-कभी हजरतगंज के चौराहे पर मुझे भी खड़ा हो जाना पड़ता था तो मैं देखता था कि मुख्य मंत्री की कार निकल जाती थी और लाल बत्ती जलती रहती थी। तो मैं सोचता था कि लोकतंत्र में मुख्य मंत्री के लिए कोई कानून नहीं है। लोकतंत्र में चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे मुख्य मंत्री हो, चाहे गवर्नर हो और चाहे आम नागरिक हो, कानून की नजर में सब बराबर हैं। इसलिए हमने कहा है चाहे हजरतगंज का चौराहा हो या उत्तर प्रदेश में कहीं हो, यदि लाल बत्ती जली है तो हमारी गाड़ी रुक जायेगी और जब हरी बत्ती जलेगी तभी हमारी गाड़ी निकलेगी। यह कोई मामूली सवाल नहीं है। सवाल इस बात का है कि लोकतंत्र में कानून के सामने सब लोग बराबर हैं। हमने अधिकारियों से पूछा कि पिछले मुख्य मंत्री ऐसा क्यों करते थे, तो उन्होंने उत्तर दिया कि सुरक्षा की दृष्टि से। हमने कहा कि इसमें क्या सुरक्षा हो जाती है तो उन्होंने कहा कि अगर गाड़ी खड़ी हो जाय तो कोई हमला कर देगा। माननीय नेता विरोधी दल जी आप तो बहुत ही अनुभवी हैं, आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जिस मुख्य मंत्री को अपनी सुरक्षा की चिन्ता रहेगी वह प्रदेश की सच्ची सेवा नहीं कर सकता है। यह व्यवस्था परिवर्तन है। आपके जो बड़े नेता हैं, उन्हें इस व्यवस्था परिवर्तन से आश्चर्य हो सकता है, लेकिन आपका नहीं होना चाहिए। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं इस आदरणीय सदन के और एक बड़े नेता हैं, आपका एक स्टेट्समैन की तरह आचरण होना चाहिए और भाषण होना चाहिए। जहां व्यवस्था परिवर्तन व क्रान्तिकारी

परिवर्तन की बात कही है, आपको कहीं भी संदेह नहीं होना चाहिए । दूसरी बात आपने कही. . .

श्री नारायण दत्त तिवारी–

क्या मुख्य मंत्री जी को ऐसी सूचना भी आई है कि यह भी आदेश दिए गये कि चाहे लाल बत्ती भी जली हो तो गाड़ी चला दी जाय ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

अगर नहीं था तो मैं आपको जवाब भी नहीं देना चाहता हूं । मैं आपका बहुत आदर करता हूं । जब आप चलते थे तो आपका जो सायरन बजता था, आवाज देता था कि मुख्य मंत्री जी निकल रहे हैं । यह परम्परा लोकतंत्र की नहीं है, यह तानाशाही है।

श्री नारायण दत्त तिवारी–

मान्यवर, मुझे बड़ा खेद है कि माननीय मुख्य मत्री जी को सत्य से परे सूचना दी गई है । इस बात के आदेश दिये गये थे कि सायरन बिल्कुल न बजाया जाय ।

(विरोध पक्ष के कई सदस्यों के खड़े होकर बोलने का प्रयत्न करने से घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि आपके नेता, विरोधी दल उत्तर देने में सक्षम हैं । आप लोग कृपया शान्त रहें ।

श्री नारायण दत्त तिवारी–

यह सायरन बजने या लाल बत्ती वाली सूचना सत्य से परे है ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मैंने स्वयं देखा है, सुना है । आपके आदेश यदि थे तो उनका पालन नहीं हुआ है ।

(विरोध पक्ष के कई सदस्यों के खड़े होने से व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

(नेता विरोधी दल को सम्बोधित करते हुए)

आपने कहा था कि मेरे दल से कोई बिना अनुमति के खड़ा नहीं होगा । आप पहले पीछे मुड़कर देख ले ।

(घोर व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव–

मा0 सदस्यों से निवेदन है कि आपके नेता का कहीं कार्यक्रम लगा है, मैं चाहता हूं कि मेरा भाषण समय पर समाप्त हो जाय ।

(श्री शैलेन्द्र कुमार के खड़े होकर बोलने का प्रयत्न करने से–घोर व्यवधान)

मा0 नेता, विरोधी दल ने कहा कि "समाजवाद" का उल्लेख नहीं किया गया । मैं कहना चाहता हूं कि "समाजवाद" शब्द अभिभाषण में जुड़ा हो या नहीं लेकिन डा0 जय प्रकाश जी, डा0 राम मनोहर लोहिया और आदरणीय चौधरी चरण सिंह इनका

जो सपना था, उसको पूरा करने के लिए हम बचनबद्ध हैं और उसी आधार पर कार्यक्रम चलेगा तथा वही घोषणा-पत्र बनाया है ।

(विरोध पक्ष की ओर से "महात्मा गांधी का नाम नहीं लिया" की आवाज आने पर) महात्मा गांधी का भी है । मान्यवर, कहना चाहता हूं कि जहां नाम लिया जायगा डा0 राम मनोहर लोहिया का, जय प्रकाश जी का, चौधरी चरण सिंह जी का वहां स्वयं ही पता चल जायगा कि ये गांधीवादी नीतियां हैं । लेकिन आप क्या करें आपके तो गांधी दूसरे ही हैं ।

जहां तक आपने कहा कि क्रान्ति के बाद प्रतिक्रान्ति होगी । यह सही है । 1977 में जनता पार्टी के रूप में एक क्रान्ति हुई और इस बार जनता दल के रूप में हो गयी । हम आभार व्यक्त करते हैं उत्तर प्रदेश की जनता का कि उन्होंने एक क्रान्ति की है । कभी-कभी आप पूछते हैं कि क्या क्रान्ति होगी तो जब-जब कांग्रेस हटेगी, जनता दल के रूप में या जनता पार्टी के रूप में क्रान्ति अवश्य होगी । इसलिए प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त करता हूं कि उसने हमें मौका दिया । जहां तक मान्यवर, हमारे नेता विरोधी दल ने कहा कि जनता दल का कोई घोषणा-पत्र था ही नहीं, इस बात को सुन कर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ । जो राष्ट्रीय मोर्चा है उसका भी चुनाव घोषणा-पत्र है और जनता दल उसका एक अंग है, उसमें भागीदार है । राष्ट्रीय मोर्चा का जो चुनाव घोषणा-पत्र है वही जनता दल का भी घोषणा-पत्र है । लेकिन आप इसको स्वीकार नहीं करते हैं शायद चुनाव में व्यस्त रहने के कारण आपने न सुना हो लेकिन फिर भी मैं आपको बतलाये देता हूं कि 9 नवम्बर को और 16 नवम्बर को हमने आकाशवाणी के माध्यम से उत्तर प्रदेश के जनता दल के अध्यक्ष के रूप में अपना चुनाव घोषणा-पत्र प्रसारित किया था और उत्तर प्रदेश की जनता से अपील की थी कि हमारा यह कार्यक्रम है । पिछली सरकार के विपरीत हमारा यह कार्यक्रम है, इसके आधार पर आप हमें वोट दीजिये । यह 9 नवम्बर को और 16 नवम्बर को ब्राडकास्ट हुआ था आकाशवाणी से ।

श्री नारायण दत्त तिवारी–

उसकी एक प्रति मुझे भिजवा दीजियेगा ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मैं दोनों ही प्रतियां 9 नवम्बर की और 16 नवम्बर की दोनों ही भिजवा दूंगा । मैं कोशिश करूंगा कि तत्काल ही इसे भिजवा सकूं, तो इसको भिजवा दूंगा ।

जहां तक आठवीं योजना के बारे में कहा है, यह वही स्थिति है जो कि सन् 1980 में थी । उस समय भी चुनाव हुआ था, जनता पार्टी की सरकार हटी थी और कांग्रेस की सरकार आयी थी । छठी पंचवर्षीय योजना को बदलने का काम आपने किया था उस समय योजना मंत्री भी शायद आप ही थे । आठवीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप कुछ आपने तैयार किया है, लेकिन सरकार बदली है, इसका संकेत मात्र अभिभाषण में होना चाहिए था, जो कि है । अब आगे इसकी रूपरेखा क्या होगी इस पर अभी विचार चल रहा है । सम्पूर्ण रूप से इसे बतलाना सम्भव था ही नहीं क्योंकि अभी इसे हम देख रहे हैं । आपने सुझाव दिया है, पंचवर्षीय योजना बन रही है उसमें आपको तो विचार देना चाहिए । हम आपको विश्वास दिलाते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं

कि आपके जो कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं लोक सभा में, हमारी पार्टी के भी हैं तो जो यह आठवीं पंचवर्षीय योजना बन रही है, चाहे वित्त मंत्री हों, चाहे योजना आयोग के उपाध्यक्ष हों, चाहे मा0 मधु दण्डवते हों या चाहे मा0 राम कृष्ण हेगड़े हों, प्रदेश के हित में आप भी लोक सभा में दबाव डालें तभी उत्तर प्रदेश का भला होगा और मैं आपकी भावनाओं का आदर करता हूं । इसीलिए मान्यवर, जब आपने यह कहा तो हम वित्त मंत्री जी से मिले हैं योजना आयोग के उपाध्यक्ष, श्री राम कृष्ण हेगड़े से मिले हैं और हम उस पर जोर दे रहे हैं।

जहां तक आपने कहा कि हमने 23000 करोड़ रु0 का परिव्यय रखा था, यह सच है, लेकिन उसमें से 10,000 करोड़ रु0 के संसाधन आप नहीं जुटा पाये थे । आपने अपने भाषण में जो कहा, मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता हूं लेकिन यह सही है कि 23,000 करोड़ रु0 में से 10,000 करोड़ रु0 के संसाधन आप नहीं जुटा पाये, आपने इस बात को गुप्त रखा । यदि आपकी सरकार बन गयी होती तो इसके लिए उत्तर प्रदेश की जनता पर टैक्स लगाया जाता । नहीं तो आप यह रुपया कहां से लाते ? उत्तर प्रदेश की जनता पहले ही इस बात को समझ गयी और आपको हटा कर यहां पर जनता दल की सरकार आ गयी । जहां तक सातवीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी की रेखा के नीचे की जनसंख्या के बारे में बात है गरीबी की रेखा से ऊपर उठाये जाने के बारे में जैसा कि आपने कहा कि इस संबंध में हमने बहुत काम किया है, तो इस संबंध में मैं आपके ही आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं कि आपने 18 से 20 प्रतिशत तक लक्ष्य लाने का रखा था, लेकिन वह आप स्वयं देखेंगे कि वर्ष 1977-78 में गरीबी की रेखा का जो प्रतिशत था व 49.7 था जो वर्ष 1983-84 में घटकर 45.8 प्रतिशत ही रह गया और इसके आगे का आपका लक्ष्य था कि आगे के 5 सालों में हम 20 सैकड़ा घटा देंगे, तो जो आंकड़े हमने अभी बताए उसके अनुसार तो 10 सालों में आप 10 प्रतिशत और घटे हैं, तो यह 20 सैकड़ा का लक्ष्य कैसे संभव हो सकता था । हो सकता है यह बात सत्य न हो, कागजी हो, अगर इसे कागजी बात मान भी लिया जाए तब भी यदि आप देखें तो उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश पीछे था और उत्तर प्रदेश की आमदनी पर कैपिटा 5 साल पहले राजस्थान और मध्य प्रदेश से आगे थी, लेकिन आपकी गलत नीति के कारण आप तो बीस सूत्रीय कार्यक्रम के पीछे पड़े रहे और उसे हमेशा रटते रहे हनुमान चालिसा की तरह लेकिन हो उससे कुछ नहीं पाया न लोग गरीबी से ऊपर उठे और न ही किसी की कोई आमदनी बढ़ी जबकि राजस्थान और मध्य प्रदेश सूबों से आगे निकल जानी चाहिये लेकिन आप पीछे हैं, यह आंकड़े आपकी ही सरकार के हैं, जिसे मैं सही मानकर चल रहा हूं कि 5 सालों के अन्दर 20 सैकड़ा लोगों को ऊपर उठायेंगे, लेकिन मेरा यह प्रयास रहेगा कि एक भी व्यक्ति न रहना चाहिए प्रदेश के अन्दर और पूरे देश के अन्दर (मेजों की थपथपाहट)

श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह–

कितने समय तक यह हो जायगा ?

(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव–

देखते रहिए.... (व्यवधान) ..गरीबी की रेखा को नीचे लाने में जन संख्या की ओर भी सोचना होगा, यह एक अलग बात है, यदि इस पर बात होगी, तो भाषण लम्बा

हो जाएगा, वैसे जनसंख्या जितनी बढ़ी है, उतनी पर कैपिटा आमदनी नहीं बढ़ी है, यह तो सब आपकी गलत योजनाओं की देन है और जिन योजनाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए थी उन्हें न देने की नीतियों का कारण है, इन्हीं कारणों व कमियों की वजह से गरीबी बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है और बेईमानी भी अत्यधिक बढ़ी है, यह सारा का सारा गलत नीतियों का कारण है । मैं आपके सामने इसी संबंध का एक उदाहरण देना चाहता हूं परन्तु जैसा कि आपने कहा, मैं आपकी विद्वता में विश्वास करता हूं । 1963 नवम्बर की बात है उद्योग की योजनाओं पर पार्लियामेंट में चर्चा चल रही थी, जिसे पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने प्रस्तुत किया था, जिस पर एक मा0 सांसद ने कहा कि पंडित जी आपकी उद्योग संबंधी गलत नीतियों के कारण ही देश में गरीबो, बेरोजगारी व बेइमानी बढ़ी है, यह लोक सभा की कार्यवाही को मैं देख रहा था, जिससे यह सारी चीजें सामने आयीं । उस पर पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने स्वयं कहा कि हां मुझे आज महात्मा गांधी की याद बहुत आ रही है क्योंकि वह प्रायः कहा करते थे कि देश की तरक्की गांवों से व खेती से होगी, उद्योगों से नहीं होगी.

यह पंडित जी ने स्वीकार किया था, नवम्बर 1963 में लोक सभा में, लेकिन परमात्मा ने उन्हें जल्दी बुला लिया अगर वह और जिन्दा रहते तो उस नीति को बदल देते । 1951 में पटेल जी के नेतृत्व में योजना बनी थी तो गांव और खेती पर खर्चा अधिक रखा गया, लेकिन 1956 में जब योजना बनी तो गांव और खेती पर खर्चा बढ़ाया नहीं गया, बल्कि बड़े कारखानों पर बढ़ाया गया । मैं कहना चाहता हूं कि आपकी गलत नीतियां और नियोजन रहा है, उसके कारण हमारा ठीक से विकास नहीं हुआ है । जहां तक मान्यवर, आपने जो 7वीं योजना का जिक्र किया है, मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता हूं, लेकिन आप ही जिक्र करवाना चाहते हों, तो मैं करता हूं । आपकी घोषणायें हैं, 1253 हो चुकी हैं और उनमें से 35 से 40 सैकड़ा घोषणायें अधूरी पड़ी हैं और कुछ घोषणायें ऐसी हैं, जिनकी वित्तीय स्वीकृति नहीं है और पत्थर लग गये ।

आपने और जो बातें कहीं हैं, उनको मैं लाना नहीं चाहता । मैं नहीं कहता कि हमारी सरकार उनको रोक देगी, लेकिन आप ने ऐसी घोषणायें की हैं, जिनकी वित्तीय स्वीकृति नहीं है और घोषणा कर दी, लेकिन मैं उनका जिक्र नहीं करना चाहता हूं, आप करवाना चाहते हैं । आप बड़े विद्वान हैं, केन्द्र में रहे, वित्त मंत्री रहे और 4-4 बार यहां पर मुख्य मंत्री रहे और आपके जमाने में ऐसा कार्य हो गया कि बिना वित्तीय स्वीकृति लिये ही घोषणा कर दी । 7वीं योजना का पूरा चिट्ठा पढ़ दूं, आप लोग चाहते नहीं होंगे, जब बजट आयेगा तो सुना दूंगा और उसका नतीजा हमारी जनता भोग रही है । धनराशि 7वीं योजना में खर्च हुई है, हमारी ओर से किसी ने नहीं कहा, आपके ही नेता ने कहा कि 85 सैकड़ा पैसा बिचौलियों, दलालों और सरकारी कर्मचारियों या आपकी ओर बैठे लोग खा गये, केवल 15 सैकड़ा विकास के कार्यों में लगा है । यह कहना आपके भूतपूर्व माननीय राजीव गांधी का है ।

श्री प्रमोद कुमार–

भूतपूर्व प्रधान मंत्री हो सकते हैं, राजीव गांधी नहीं ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

क्षमा करें, गलत कह गया । आपके नेता, आपके भूतपूर्व नेता हां सकते हैं । अगर इसी तरह से परेशान करते रहेंगे, डिप्टी स्पीकर नहीं चुनने देंगे, विधान परिषद् में नेता विरोधी दल नहीं चुनने देंगे, तो आपके भूतपूर्व नेता हो सकते हैं । इसलिये माननीय तिवारी जी, यह अच्छा काम नहीं किया । यह सही है कि भ्रष्टाचार बढ़ा है, 85 सैकड़ा नहीं लगा है । यह बात खासकर जो अन्तराष्ट्रीय संस्थायें हैं, उनके सामने हमारी पोल खुल गयी है और मुझे पता नहीं कि वह अब पैसे देंगी या नहीं । जब रिजर्व बैंक को यह पता चल पायेगा कि 85 सैकड़ा नहीं लगा है, तो यह सिद्ध हो जाता है कि दुरुपयोग हुआ है, लेकिन आपके नेता ने ऐसी बात कहकर संकट पैदा कर दिया । मैं इस बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता । किन्तु ऐसा नहीं कहना चाहिए । संसाधनों की कमी और राजकीय खजाने की आपने बात कही । हमने कहा कि खजाना खाली है और यह कटु सत्य है । इसे आपको स्वीकार करना चाहिए । जो आपने किया, मैं उसके कुछ आंकड़े देना चाहता हूं । नेता विरोधी दल की समझ में तुरन्त आ जायेगा । वर्ष 1984-85 में 2,478.56 करोड़ रुपये आयोजनेतर व्यय था जो 1988-89 में बढ़कर 4,726 करोड़ रुपया हो गया । तो जब इस तरह से दो गुना खर्च बढ़ेगा तो फिर प्रदेश का विकास कैसे हो सकता था । आप कहते हैं कि अगर खजाना खाली था तो ओवर-ड्राफ्ट हो सकता था । मैं इस संबंध में ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं । आपने होशियारी की जो व्यय का रुपया था उसे आपने निजी व्यय में डाल दिया और आपने उसको बचाने के लिये वहां पर उसका इस्तेमाल कर दिया । आय नहीं बढ़ी । आपने अपने व्यक्तिगत कोष में डाल दिया और उसके बाद उसे खर्च भी नहीं किया । इस तरह से खजाना खाली है ।

खर्च ज्यादा है और उत्तर प्रदेश के विकास के लिये पैसा नहीं है । आप इस बात को स्वयं जानते हैं कि खर्चा तीन गुना हो गया तो क्या आप नहीं जानते हैं कि खजाना खाली है । उत्तर प्रदेश का रेवेन्यू कितना है । आपको मालूम है कि यह 24 सौ करोड़ रुपया है । राजकीय कर्मचारियों की तनख्वाह के लिये 2700 करोड़ रुपया चाहिए । विकास के लिये आज पैसा नहीं है क्योंकि खजाना खाली है । तनख्वाह के लिये पैसा है । फिजूलखर्ची के लिये पैसा रहा है लेकिन उत्तर प्रदेश के विकास के लिये खजाने में पैसा नहीं है । फिर आप कहते हैं कि रिजर्व बैंक से ओवर ड्राफ्ट कर देते । इसके लिये आपने होशियारी की व्यक्तिगत खाते में पैसा डाल दिया और ओवर ड्राफ्ट नहीं किया । यह आपकी होशियारी थी । उत्तर प्रदेश के विकास के लिये आज खजाना खाली है । यह बड़ी चिन्ता की बात है । यहां के लोगों की पर कैपिटा इन्कम बढ़ाने के लिये, गरीबी की रेखा से लोगों को ऊपर उठाने के लिये आज पैसा नहीं है । कर्जे की काफी के सवाल पर आपको बड़ी चिन्ता है । नेता विरोधी दल को होगी ।.

श्री नारायण दत्त तिवारी–

श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि खजाना खाली है इस शब्द का प्रयोग अगर मुख्य मत्री या मंत्रि-मंडल के वित्त मंत्री करें तो

यह ठीक बात नहीं है । खजाना खाली है और उत्तर प्रदेश के विकास के लिये पैसा नहीं है या कम है, इन दोनों बातों में अन्तर है । प्रदेश और देश का जिस गति से बढ़ाना चाहिए उसके लिये पैसा की आवश्यकता होती है । मैं चाहूंगा कि हमारा जो राज्य का राजस्व है, स्टेट रेवेन्यू है उसका मुख्य मंत्री जी ने पता लगाया । केन्द्रीय सरकार से प्रत्येक 3 माह में इक्साइज, इन्कम टैक्स और दूसरे केन्द्रीय टैक्स से जो राजस्व आता है वह कितना है । इसको आपने देखा ? जब हम अपना नान-प्लान एक्सपेन्डिचर बढ़ाते हैं जो फाइनेंस कमीशन की रिकमन्डेशन के आधार पर जब डिवोल्यूशन होता है वह भी बढ़ जाता है । पिछले 20/30 था 40 सालों में राजस्व व्यय पर्याप्त था । इसीलिये केन्द्र सरकार टैक्सों का हिस्सा प्रदेश सरकार को देती है । उसके आंकड़े भी मुख्य मंत्री जी आप दें । केन्द्र सरकार से इसके लिये कितना रुपया प्राप्त हुआ, ओवर-ड्राफ्ट कहां है, कितना है, यह भी बतायें । यह बड़ा कठिन विषय है । इसको आप देख लें । उनके लिये भी कठिन है मेरे लिये भी कठिन है, सबके लिये कठिन है आज भी कठिन है । आपके लिये ही नहीं आप प्रयास कर रहे हैं, सीखने का कर रहे हैं, मैं इतने दिनों से प्रयास कर रहा हूं सीख नहीं पाया हूं । मैं आग्रह करूंगा जरा और अध्ययन कर लें । यह खजाना खाली है कहने से शासन को बहुत लाभ नहीं होता, हमारा भी कोई लाभ नही होता । इसलिये खजाना खाली है कहने से बचें । क्या आपको पता है इस समय ट्रेजरी में बैलेंस हमारा क्या है, कितने बिल्स हमारे रिजर्व बैंक में हैं वह पता है कितने करोड़ के हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

माननीय इसको भी बता दूंगा, आगे बजट आने वाला है । जितनी आपने सड़कों की घोषणायें की हैं 10 साल में भी वह पूरी नहीं की जा सकती हैं । तो फिर अगर खजाना खाली है न कहें तो क्या कहें । समय आ रहा है देर नहीं कर रहे हैं जल्दी ही सदन बुलायेंगे उसमें एक एक बात रखेंगे जितनी सड़कों की घोषणा की है उन्हें 10 साल तक कोशिश करने के बाद भी पूरा नहीं कर सकते हैं । जहां तक आंकड़ों का सवाल है, आंकड़ों से सरकार नहीं चलती है, सरकार चलती है गांवों की झोपड़ियों में रोशनी पहुंचा कर, उन तक खाना पहुंचा कर । बड़े-बड़े अर्थशास्त्री हो सकते हैं लेकिन बहुत कम पढ़ा लिखा होने के बाद भी कामराज जी मुख्य मंत्री बन गये ।

श्री नारायण दत्त तिवारी–

मैंने तो यह सब कुछ नहीं कहा मैंने तो केवल खजाना खाली होने की बात कही थी । माननीय मुख्य मंत्री जी से कहूंगा अपनी भावना उनके देश में न कहें ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मेरा सीधा मतलब है कि हम विकास करेंगे और आपने जो सुझाव दिये हैं उनका मैं स्वागत पहले कर चुका हूं, उस पर हम चलेंगे । जहां तक सवाल है कर्जा माफी का इसकी चिन्ता नहीं होनी चाहिये आपको, इसलिये नहीं होनी चाहिये आपने स्वयं कर्जा बांटने के लिये ऋण मेला लगाया था तो क्या जो रुपया लिया गया वह पूरा वसूल हो गया है आपको पता होगा । आपकी पार्टी और आपकी सरकार ने दिया था, वह वापस नहीं हुआ । तो जब वह वापस नहीं हुआ तो 10 हजार तो मामूली है । यही नहीं हम 10 हजार के कर्जे माफ करेंगे और साथ जो गरीब हैं जिनको भरपेट भोजन नहीं

मिलता है उनके लिये विचार कर रहे हैं उनकी जमीन कभी नीलाम नहीं की जायेगी, उनके बैलों को छूवा नहीं जायेगा । हम जानते हैं उनकी क्या स्थिति होती है हमने देखा है आपको तो गांव छोड़े बहुत दिन हो गये हैं । मैंने देखा है ऋण लेने वाले की लड़की की जब शादी हो रही होती है तो अमीन आता है बैल पकड़ कर ले जाता है और उसे तहसील में बन्द कर देता है । अब यह नहीं होगा । 1977 में आपको पता होगा जब मैं कोआपरेटिव मिनिस्टर था ऐसे जिन लोगों की जमीन नीलाम हो चुकी थी मैंने वापस कराई थी मथुरा में सरदार सिंह जी को पता है हमने वापस कराई थी । तो हम विचार कर रहे हैं जो गरीबी की रेखा से नीचे हैं जिनको दो बार भरपेट भोजन नहीं मिलता है उनके बैलों को नहीं खोला जायेगा और तहसील में हवालात में बन्द नहीं किया जायेगा जो आज तक होता रहा है ।

दूसरा आपने ऋण के बारे में पूछा रिजर्व बैंक का क्या होगा आप जानते हैं जो केन्द्र तय करेगा उस पर हमें चलना होगा रिजर्व बैंक के संबंध में ।

मान्यवर, विकास के लिए जितना आपने कहा कि बैंकों से सम्पर्क करें तो करेंगे । बैंकों के मैनेजर्स की मीटिंग करेंगे और उनको बुलायेंगे, इस सुझाव के लिए मैं आपका स्वागत करता हूं । उत्तर प्रदेश के विकास की चिंता आपको है, यह ठीक है । आपके बारे में जो राय हमारी पहले थी आपके भाषण से और पक्की हुई है ।

मान्यवर, जहां तक बृद्धावस्था पेंशन का सवाल है कि कैसे करोगे, तो बताना चाहता हूं कि कुछ तो किया है और हम बचनबद्ध हैं चूंकि समाज के, गांव के जो गरीब किसान और मजदूर हैं उनको काम करने के बाद बुढ़ापे में पैसा नहीं मिलता है तो उनको पेंशन देने का इरादा है, हम बचनबद्ध हैं, ऐसा नहीं है कि देने का इरादा नहीं है, यह इसलिए कह रहा हूं चूंकि आपने इस सवाल को यहां उठाया । मान्यवर, सरकारी नौकरी करने वाला चाहे ईमानदार हो या बेईमान, भ्रष्टाचारी हो चाहे जो हो वह अच्छा मकान बना लेता है, उसके लड़के भी नौकरी में आ जाते हैं । चाहे तहसीलदार हो, पी0 सी0 एस0 हो या पुलिस कर्मचारी हो 58 साल की उम्र में रिटायर होने के बाद उनको पेंशन मिलती है लेकिन गरीब किसान और मजदूर को जीवन भर काम करने के बाद बुढ़ापे में पैसा नहीं मिलता है, आपने देखा होगा कि इस तरह की सर्दी में भी 50 फीसदी ऐसे लोग हैं जिनके पास जूते और गर्म कपड़े नहीं होंगे. . . . (व्यवधान)

एक सदस्य–

[xxx] या पहनने के लिए ।

(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव–

आप लोगों को उनके प्रति दर्द नहीं है, आप मुस्करा रहे हैं, आप उनकी गरीबी पर मुस्कराते हैं ।

(व्यवधान)

(समय 3 बजे)

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री मुईद अहमद–

आप पीछे बैठे लोगों को आचरण सिखायें । (व्यवधान) व्यवस्था का प्रश्न है आप चिल्लायेंगे तो मैं नहीं बैठूंगा ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मैं अभी बैठा नहीं हूं ।

श्री अध्यक्ष–

मुईद अहमद आप बैठ जायं । नेता सदन खड़े हैं ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मैं कह रहा था कि वृद्ध लोगों को जिनका कोई सहारा नहीं है उनको पेंशन देंगे ।

मान्यवर, गांवों से चलकर हमारे पास 500-1000 रुपए की आर्थिक सहायता मांगने आते हैं जो गरीब हैं, विधायक उनके लिए कहते हैं, हम भी पहले कहते थे कि गरीब को दे दें, तो 100 रुपया पेंशन उन लोगों को दे देंगे तो कम से कम यहां आने वालों की संख्या तो घटेगी चूंकि 100 रुपए खर्च करके यहां आता है और 500-1000 रुपए से ज्यादा आर्थिक सहायता उनको हम नहीं दे पाते हैं, इसलिए विचार करके जो गरीब 60 साल से ऊपर के हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है, एम0 एल0 ए0 और सरकारी नौकरी करने वालों का वेतन और भत्ते बढ़ाये गए लेकिन यह पहली सरकार है जिसने गरीबों की पेंशन बढ़ाया ।

मान्यवर, नेता विरोधी दल ने कहा कि पूर्वांचल के लिए क्या किया, बुन्देलखंड, मध्य उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पहाड़ के लिए क्या किया, तो उत्तर प्रदेश की जहां तक मिट्टी का सवाल है एक सी है, यदि असंतुलन हुआ है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है, पूर्वांचल का विकास नहीं हो पाया, बुन्देलखण्ड में पानी अभी तक नहीं दे पाए तो इस सबके लिए कौन जिम्मेदार है, तो इसके लिए कांग्रेस सरकार की लगातार जो गलत नीतियां चलती रहीं और आपकी सरकार, जो सरकार चलती रही, वह प्रदेश के पिछड़ेपन की जिम्मेदार है । लेकिन हमने एलान किया है कि सबसे पहले पानी पिलाने का प्रबन्ध करेंगे । जो सरकार पानी नहीं पिला सकती है और जहां पानी दे रही है वहां गंदा पानी दे रही है . . .।

अध्यक्ष महोदय, आपको अनुभव है कि उत्तर प्रदेश में सबसे गन्दा पानी कानपुर पी रहा है . . . (व्यवधान) अब अध्यक्ष महोदय, यही तो शिकायत है कि 60 महीने आप बैठे, और हमें तो अभी बैठे 60 दिन भी नहीं हुए हैं । हमारा इरादा है कि हम उत्तर प्रदेश की जनता को पहले शुद्ध पानी हर एक को पिलायेंगे और चित्रकूट में आने वाले दिनों में, मेले में लोगों को प्यासे मरने नहीं देंगे । जो भी असन्तुलन हुआ है, उसको देखते हुए पिछड़े क्षेत्र में हमें ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, तो उसका हम प्राविधान करेंगे और उनका ज्यादा ध्यान रखेंगे, जिनकी ओर आपने ध्यान दिलाया है । आप चाहते हैं कि 43/44 दिन में ही सारा असन्तुलन दूर हो जाए, तो यह कैसे होगा । हमें अभी 60 दिन भी नहीं हो पाए हैं । रोजगार के अवसर देने की हमारी योजना है . . .

(व्यवधान)

श्री देव कुमार यादव–

मान्यवर, बांदा में डाकुओं का आतंक व्याप्त है, वहां का जन-जीवन खतरे में है, उसे सदन के संज्ञान में लाया जा चुका है । माननीय मुख्य मंत्री जी को वहां पानी पिलाने के लिए बहुत धन्यवाद । लेकिन जीवन की रक्षा भी करने का इसी में आश्वासन दे दें ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मैं अपने साथियों से कहूंगा कि वह (श्री देवकुमार यादव) लिखन्ता-पढ़न्ता में अवश्य कांग्रेसी हैं, लेकिन आधे-आधे हैं, आप भी हमारा साथ देंगे । माननीय देव कुमार यादव जी ने जो सवाल उठाया है, उनको पता है कि उस दिन वह मुलाकात नहीं कर पाए, माननीय नेता विरोधी दल का जो सुझाव था, वह किसी दिन समय ले लेंगे और हम आपकी सारी समस्याओं पर आपसे बात कर लेंगे । और हमने इस संबंध में आदेश भी दे दिए हैं, आप जब वहां पहुंचेंगे तो आपको मालूम हो जायेगा कि वहां पर जांच के लिए पहुंच गया है । आप मन से हमारी ओर तो हैं ही और उधर केवल फंस गए हैं ।

भूमि सेना का भी आपने जिक्र किया, मैंने इसको रखा है, इसको हमारी प्राथमिकता है । भूमि सेना के गठन करने का हमारा इरादा है । आज भी उत्तर प्रदेश में जो खेती लायक भूमि है 172 लाख हेक्टर है और अभी उत्तर प्रदेश में 26 लाख हेक्टर भूमि ऐसी है, जो ऊसर, बंजर और बीहड़ है, जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए । जब इसराइल जैसा देश हरा भरा हो गया है तो वह समस्याएं आपके उत्तर प्रदेश में नही हैं । इसलिए हम भूमि-सेना के द्वारा गरीबी, बेरोजगारी और मजबूरी को मिटाना चाहते हैं । जब तक वह खेती लायक जमीन नहीं हो जायेगी, सरकार पूरी मदद करेगी, उसमें हमारे इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर लगेंगे । इससे हम उनको काम देंगे और खेती लायक जमीन बनायेंगे । उससे आज जो भूमिहीन हैं, बेसहारा हैं, उनको जमीन दी जायेगी और उससे उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी भी खत्म हो जायेगी, और उनकी गरीबी भी दूर हो जायेगी । साथ ही डाकुओं की और आसामाजिक तत्वों की जो समस्या है, आपको जानकारी होनी चाहिए कि पेट्रोल, जीप और पुलिस आदि पर आसामाजिक तत्व को पकड़ने में 4 करोड़ रुपए का खर्च होगा, 4 करोड़ का खर्च आता है । अब वही 4 करोड़ रुपए और जंगल काटने में लगा दिए गए होते और भूमि सेना तैयार हो जाती तो वह अपराधी तत्व जिन्दा या मुर्दा मिल जाते और हजारों एकड़ जो जमीन हमारी बेकार जाती है, बच जाती । हमारी यह नीति है, चलने का रास्ता हमारा यह है । सरकार का संकल्प यह है कि जो भूमिसेना का गठन हो ?

(व्यवधान)

मान्यवर, भूमिसेना गठित होगी तो बेरोजगारी दूर होगी, पैदावार बढ़ेगी अपराध जो बढ़ रहे हैं इसकी समस्या दूर होगी । जहां तक आपने कहा कि आपने जो बजट रखा है वह 60 सैकड़ा और हमने 50 सैकड़ा रखा है । 10 सैकड़ा आपने ज्यादा रखा है ऐसा आपको नहीं कहना चाहिए था । लखनऊ से बाराबंकी जाने वाली जो सड़क बनाई गयी है उससे क्या गांव वालों को फायदा होगा ? औरैया में जो इतना बड़ा प्लान्ट लगाया है क्या वह गांव के लिए है, आप 18 सैकड़ा 20 सैकड़ा से ज्यादा

नहीं दे सके । 60 सैकड़ा बजट कहां चला गया । शायद ही गांव में कोई एसा प्राइमरी स्कूल होगा जो सही तरीके का होगा । किसी स्कूल की छत गिर गयी है, कितने ही बच्चे एसे मर गये हैं । गांव की शिक्षा पर आपने क्या खर्च किया है ?

प्राइमरी स्कूलों के लिए आपने क्या किया है । सिंचाई के लिए आप जगदीशपुर में योजना बनाते हैं तो आप समझते हैं कि गांव का बजट है, गांव का फायदा होगा । आप तो वित्त मंत्री भी रहे हैं । मुख्य मंत्री भी रहे हैं आपको यह नहीं कहना चाहिए था । 60 सैकड़ा आपने रखा है 50 सैकड़ा हमने रखा है । क्या आपके 60 सैकड़ा में गांव के लिए कुछ है ? हमारा 50 सैकड़ा है । छः महीने आप हमको दीजिए, हमने कहा था कि आप 6 महीने बाद समीक्षा कराइएगा । आपने कहा तीन महीने में करायेंगे । पत्रकारों ने भी कहा कि 6 महीने क्या कारण है कि 16908 गांव एसे हैं जहां पेयजल की सुविधा नहीं है । 5248 गांव एसे हैं जो सड़क से जुड़े नहीं हैं ? ग्रामीण क्षेत्रों के शौचालय जो हैं उनकी ओर आपका ध्यान नहीं गया । क्योंकि आप गांव में पैदा नहीं हुए । आपके परिवार की मातायें और बहनें लोटा लेकर गांव में नहीं जाती होंगी । इसलिए आपको यह दर्द नहीं है । दुनियां की महिलाएं पिछड़ी हुई हैं किसी भी वर्ग की वह हों उनके साथ ज्यादती हो रही है । इसीलिए मैंने शौचालय की बात कही । शौचालय की बात इसलिए कही कि सड़कों पर जब गाड़ी चलती है तो रोशनी पड़ती है और गांव में सड़कों के किनारे हमारी मातायें बहनें अपनी मर्यादा बचाने के लिए बीच में खड़ी हो जाती हैं । सूर्यास्त होने के बाद और सूर्य निकलने के पहले वे शौचालय जाती हैं । दिन भर वह नहीं जा सकती हैं और पाखाना उन्हें अपने पेट में रखना पड़ता है इतना जुल्म हो रहा है । अभी तक शौचालय नहीं बन पाए, उनके लिए कोई इंतजाम नहीं हुआ । लेकिन हम प्रयास करेंगे कि हमारी माताओं, बहनों के लिए शौचालय बनें । अगर मैं कह दूं तो बुरा लग जायगा, अगर हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को लोटा लेकर खेतों में जाना पड़ता तो आज उनको गांवों की बहनों की चिन्ता होती ।

(मेजों की थपथपाहट)

श्री शैलेन्द्र कुमार–

क्या वर्तमान प्रधानमंत्री की पत्नी जा सकती हैं ।

(शोर)

श्री मुलायम सिंह यादव–

आपने कहा कि हमारी औद्योगिक नीति क्या है । हमारी औद्योगिक नीति बिल्कुल साफ है । आपको याद होगा, आपने कुछ हिस्सा पढ़ा था आपने चौधरी साहब की पूरी किताब पढ़ी है । उसमें आपने उनकी मदद की है, कुछ आंकड़े आपने भी दिये हैं तो उस किताब में औद्योगिक नीति है । आप आचार्य जी के साथ रहे हैं, डा0 लोहिया जी के साथ और लोक नायक जय प्रकाश जी के साथ रहे हैं, उतना मैं उनके साथ नहीं रहा हूं । हमें तो थोड़ा ही लोकनायक जय प्रकाश और डा0 लोहिया जी के साथ रहने का मौका मिला है । तो हमारी औद्योगिक नीति साफ है कि जो काम हाथ से हो सकता है उसके लिये बड़े बड़े कारखानों की जरूरत नहीं है । जो काम छोटी मशीन कर सकती है उसके लिये बड़े कारखाने लगाने की जरूरत नहीं है । हम बड़े कारखानों के खिलाफ नहीं हैं, अगर बिजली पैदा करनी है तो बड़े कारखाने लगाने पड़ेंगे । अगर रेलें चलानी हैं तो बड़े

कारखाने लगाने पड़ेंगे । अगर एटम बम, जहाज बनाने हैं तो हमें बड़े कारखाने लगाने पड़ेंगे । लेकिन दियासलाई और साबुन तथा कपड़े बनाने के कारखाने लगाने की जरूरत नहीं है । इसलिए नहीं है कि जो हमारे बुनकर भाई कपड़ा बनाते हैं तो जितना कपड़ा 12 बुनकर मिलकर बनाते हैं उतना कपड़ा मशीन में एक आदमी बना लेता है । कपड़े की एक मशीन 11 आदमियों को बेकर करती है । गांधी जी ऐसे ही चरखा लेकर नहीं बैठ गये थे । अगर गांधी जी का नाम लेना है तो गांधी जी की नीतियों को मानना होगा । महात्मा गांधी का बहुत नाम आपकी तरफ से लिया जाता है, शताब्दियां मनायीं गयीं लेकिन उनके बताये गये रास्ते पर आप नहीं चले । आपने कभी सोचा कि गांधी जी चरखा लेकर क्यों बैठे ? क्या उनके पास पैसे की कमी थी या गरीब थे ? एक धोती पहनते थे, नंगे बदन रहते थे क्यों ? क्योंकि उनको पता था कि हिन्दुस्तान की असली तस्वीर यही है, इसलिये चरखा चलाया । उन्होंने कहा था कि हम बड़े देशों की नकल न करें । अमेरिका की नकल न करें, अमेरिका में जमीन ज्यादा है लोग कम हैं वहां पर बड़े कारखानों की जरूरत है । हिन्दुस्तान में जमीन कम है और लोग ज्यादा हैं इसलिये यहां बड़े कारखाने लगाने से बेरोजगारी बढ़ेगी, गरीबी बढ़ेगी ।

हमारे देश और प्रदेश की असली समस्या बेरोजगारी है । आपने सन् 71 में एक नारा दिया गरीबी हटाओ । आपको नारों का ही पता नहीं है कि सही है या गलत । मैं पूछना चाहता हूं कि गरीबी से बेरोजगारी बढ़ती है या बेरोजगारी से गरीबी बढ़ती है इसलिये बेरोजगारी मिटाने का हमारा नारा रहा है । अगर बेरोजगारी हटेगी तो गरीबी अपने आप हट जायगी । आप नारा ही नहीं समझ पाये । हमारी औद्योगिक नीति है कि कुटीर उद्योग धंधों की स्थापना हो, जो हाथ से काम हो सकता है, छोटी मशीनों से काम हो सकता है उसके लिये बड़े कारखानों की जरूरत नहीं है । आप कहते हैं कि हम लोग शहरों के विरोधी हैं । हम लोग शहरों के विरोधी नहीं हैं । उद्योगों में और खेतों में कोई टकराव नहीं है । लेकिन हम सबको यह सोच लेना चाहिये कि कारखाने न ही हों तो खेती हो सकती है लेकिन खेती न हो तो कारखाने नहीं चल सकते हैं । आज 80 सैकड़ा गांव में रहने वाले लोग हैं । अगर किसान की पैदावार बढ़ेगी, कृषि शक्ति बढ़ेगी, तो तिजारत बढ़ेगी और शहर के लोग भी मालदार हो जायंगे । जब हाथ से काम हो सकता है, छोटी मशीनों से काम हो सकता है, उनमें मशीनें नहीं लगेंगी, जिनमें धन कम लगेगा, रोजगार ज्यादा मिलेगा, हमें उस काम को करना चाहिए । पुराना आपका भाषण भी हमने पढ़ लिया है । मजबूरी है, आप बोलते हैं दूसरे के इशारे पर, आप अपनी आत्मा के खिलाफ बोलते हैं ।

जहां तक आरक्षण के बारे में कहा था, आपने जिक्र किया, आरक्षण की नीति के बारे में, हमें बार--बार नहीं दोहराना है । हमने शुरू में कहा और अभी कह रहा हूं, आरक्षण की नीति के बारे में, सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर आरक्षण रहेगा। ये संविधान निर्माता कौन थे ? पंडित जवाहर लाल नेहरू ? मान्यवर, इनके दिमाग में कुछ भी हो, लेकिन वे राष्ट्रीय नेता थे, जातीय नेता नहीं थे । पं0 गोविन्द वल्लभ पन्त राष्ट्रीय नेता थे, जातीय नेता नहीं थे । डा0 भीमराव अम्बेदकर राष्ट्रीय नेता थे, जातीय नेता नहीं थे । मौलाना आजाद साहब या पंडित पंत जी ये राष्ट्रीय नेता थे, जातीय नेता नहीं थे । इन्होंने संविधान बनाया है और आरक्षण का प्राविधान किया है और इसके बावजूद भी जो आर्थिक भेदभाव की बात करते हैं, यह भेदभाव है.. (घोर व्यवधान)

श्री धर्मपाल–

आप ही की पार्टी के उप प्रधान मंत्री चौधरी देवीलाल जी ने अखबारों को बयान दिया है कि आरक्षण आर्थिक आधार पर होगा और आप सामाजिक और शैक्षणिक आधार की बात कर रहे हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि कौन सी बात सही है ?

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अगर इस तरह से खड़े होंगे, तो मैं सदन स्थगित कर दूंगा ।

(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव–

हमारे नेता माननीय प्रधान मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने कहा कि आरक्षण की नीति जो है, वह जारी रहेगी ।

(घोर व्यवधान)

हमारी कथनी और करनी में कोई भेद नहीं है, जिसको हम नेता मानते हैं, उसको मानते हैं और जिसको नेता नहीं मानते हैं, उसको नहीं मानते हैं ।

श्री प्रमोद कुमार–

जो लोग आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात करते हैं, क्या वे लोग अज्ञानी हैं ? माननीय उप प्रधान मंत्री चौधरी देवी लाल ने कहा है कि यदि आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं होगा, तो वह सड़कों पर अनशन करेंगे ।

(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव–

यह अखबारों में क्या-क्या बात छपती है, यह तिवारी जी और हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं । मेरी कथनी और करनी में कोई भेद नहीं है । कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस सरकारें जितनी भी रही हैं, तमिलनाडु में, कर्नाटक और केरल में और आंध्र में, वहां पर आरक्षण का समर्थन करते हैं और उत्तर भारत में आरक्षण का विरोध करते हैं । यह दोहरी नीति सरकार की कभी चलने वाली नहीं है ।

(मेजों की थपथपाहट)

श्री नारायण दत्त तिवारी–

मैं केवल माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि कृपा पूर्वक जो तथ्य है वही मैंने कहे थे । आरक्षण संबंधी नीति क्या है नेशनल फ्रंट की, इसके घोषणापत्र के आधार पर भिन्न-भिन्न नेता भिन्न प्रकार के बयान दे रहे हैं । अपनी आरक्षण नीति हमने कांग्रेस की आरक्षण नीति के संबंध में बताया था, अपनी आरक्षण नीति पर हम कायम हैं सुप्रीमकोर्ट का हवाला दिया था । कृपा करके जो हमारे दल का दृष्टिकोण है उसको दूसरे दृष्टिकोण से न जोड़े । मैंने कहा था कि आरक्षण की नीति नेशनल फ्रंट की क्या है क्योंकि भिन्न नेता भिन्न प्रकार के बयान दे रहे हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे कहा था कि हमारे राष्ट्रीय मोर्चा की नीति साफ है आरक्षण की और मैंने चुनाव घोषणा पत्र में लिखा भी है और उसके प्रति वचनबद्ध भी हैं । मैंने शुरू में कहा था कि अखबारों में मत जाइये, अखबारों में तो क्या-क्या लिखा जाता है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी–

यानि उप प्रधान मंत्री जी ने कोई ऐसा बयान नहीं किया जिसका उल्लेख माननीय सदस्य इलाहाबाद ने किया था ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

यह बयान दिया था प्रधान मंत्री ने ।

श्री प्रमोद कुमार–

ताऊ जी ने क्या कहा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

अब अच्छा रहा जब मान्यवर, हमारे कम से कम नेता चौधरी देवी लाल को ताऊ जी तो कहने लगे । हम आपसे साफ कहना चाहते हैं कि हमारी बात चीत हो चुकी अखबार में आया भी है, चौधरी देवी लाल के बयान के संबंध में कह रहा हूं कि वे मंडल आयोग की सिफारिशों के पूरी तरह समर्थक हैं और बचनबद्ध हैं, इतना हमने जरूर किया है । मण्डल आयोग की सिफारिशें लागू होंगी, मैंने यह साफ कहा और जनता के बीच कहा और फिर कहना चाहता हूं कि चाहे आर्थिक आधार पर गरीबी हो चाहे अगड़ी जाति हो चाहे नीची जाति हो उनको भी न्याय दिया जायेगा, इन्साफ दिया जायेगा, ध्यान दिया जाएगा, यह हमारी नीति है और आर्थिक नीति के बारे में इसलिए कहा कि चर्चा करने का आपको मौका मिलेगा । हम इसलिए इस बात को कह रहे हैं आर्थिक आधार पर आरक्षण सम्भव ही नहीं । अगर यह हो जायेगा तो प्रभावशाली लोग तुरन्त सर्टीफिकेट बनवा लेंगे । हमारी आपकी राय यह है कि इसमें तहसीलदार लिख देगा आमदनी 5 हजार रुपये है और लिख देगा कि 100 रुपये से ज्यादा नहीं है । हम टीचर रहे, हम देखते थे कि लड़कों की हैसियत थी कितने बड़े घर के लोग थे और तहसीलदार से लिखा लिया कि 100 रुपये महीने आमदनी है । यह सम्भव नहीं है अगर सम्भव था तो कर्नाटक में 3 लाख रुपये एम0 बी0 बी0 एस0 की भर्ती पर लिया जाता है छात्रों से डोनेशन . .

(व्यवधान)

श्री अकबाल हुसैन–

वहां तो हेगड़े की सरकार रही ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

थोड़े दिन तो रह रहे हैं आप तो 42 साल रहे हैं ।

श्री अकबाल हुसैन–

हेगड़े साहब तो कर्नाटक के 83 से 88 तक मुख्यमंत्री रहे हैं उनकी सरकार में यह तीन लाख रुपये डोनेशन चलाता था वही हेगड़े साहब अब प्लानिंग कमीशन के उपाध्यक्ष हैं और आपके नेता हैं ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

डोनेशन की प्रक्रिया राम कृष्ण हेगड़े के जमाने से नहीं है । मान्यवर, आज जो आप कहते हैं कि 50 सैकड़ा ऐसा नहीं होना चाहिए पर आप तो कहते हैं कि कर्नाटक, केरल और आंध्र में घोषणा किया कि यह आरक्षण कांग्रेस मुख्यमंत्री देवराज अर्स जब आरक्षण के लिये लड़े तो कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे । मैं स्वीकार करता हूं । आपको

दोहरी नीति के बारे में कहना है कि आपने दक्षिण में 50 फीसदी से ऊपर कर दिया और उसका समर्थन किया और अगर समर्थक थे तो मण्डल आयोग की रिपोर्ट लोकसभा में सन् 1980 में पेश की गयी थी तो रद्दी की टोकरी में क्यों पड़ी रही ? अगर आप आरक्षण देना चाहते थे, पिछड़ों को उठाना चाहते थे, उपेक्षित को उठाना चाहते थे तो मण्डल आयोग की सिफारिश को लागू करना चाहिए था । बड़ी-बड़ी नौकरियों में जो ज्यादा लोग आ गये हैं, उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन 85 फीसदी उपेक्षित लोगों की उपेक्षा ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं की जायगी . . . (व्यवधान) . . . बी0 एस0 पी0 तो हमारा समर्थन करती है । आप कहते हैं कि समान अवसर दे दिया जाय तो एक किलोमीटर आगे खड़े व्यक्ति और एक किलोमीटर पीछे खड़े व्यक्ति से 1-2-3 कह दिया जाय तो आगे कौन निकलेगा ? तो जो आगे खड़ा है, वह आगे निकलेगा । जो तर्क दिया जाता है कि पढ़ाई लिखाई पर ज्यादा पैसा दे दो, यह कुतर्क है । इससे पीछे वाले पीछे रहेंगे । जिस दिन से सब बराबर खड़े हो जायेंगे तो 1-2-3 कह दीजियेगा, तो वह बराबर निकलेंगे । जो यह कहते हैं कि आरक्षण पर जो जाता है, वह नाकाबिल निकलता है तो आप जानिये कि 1978 में एम0 बी0 बी0 एस0 में पिछड़ी जाति के लोगों ने टाप किया है । डाक्टर राम मनोहर लोहिया की मौत डाक्टर की लापरवाही से हुई, वह किस जाति का था । तो उनको बुरा भला कहने से हल नहीं निकलेगा ।

मैं बुरा भला कहने के लिए नहीं कहता हूं, मैं बहस छेड़ने के लिए कहता हूं । अगर इन 85 फीसदी लोगों को सरकारी नौकरी में नहीं लेंगे हैं तो तमाम विदेशी शक्तियां आंख लगाए बैठी हैं । हमको एक जुट होकर काम करना होगा । आज बहुत सी बातें मैं कहना नहीं चाहता, आज ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं, आपका अधिक समय नहीं लूंगा । जहां तक राज्य विद्युत परिषद् की बात कही, मैं पूछना चाहता हूं कि विद्युत परिषद् की आर्थिक स्थिति क्यों खराब हुई ? विद्युत परिषद् आज जिस तरह से है उसके लिए कौन जिम्मेदार है ? आपने कोई कार्यवाही नहीं की । लगभग सात सौ करोड़ रुपया घाटा क्यों है ? आपने पहले क्यों नहीं सोचा ? मैंने तो पहले ही दिन सोचा था । यह सही है कि लड़ना पड़ेगा । सरकार को पूरी तरह से लड़ना पड़ेगा । उसमें आपके सहयोग की जरूरत है । अगर बिजली का सुधार किया जाय तो उत्तर प्रदेश का सुधार हो जाय । सात सौ करोड़ का घाटा हो गया और कोई जिम्मेदार नहीं है । हम कहना चाहते हैं कि जो जिम्मेदार लोग हैं उनको सजा देंगे । हम जानते हैं कि उसमें आपके सहयोग की जरूरत पड़ेगी । मैं कहता हूं कि बिजली सुधारनी है तो सहयोग दीजिए । आज हालत यह हो गयी है कि परिषद् की बिजली 25 पैसा यूनिट है, ऐसा कहां होगा, आप जैसे विद्वान सदन संभवा सरकार में रहे, 25 पैसे परिषद् की बिजली . . . (व्यवधान) . . एन0 टी0 पी0 सी0 में 49 पैसे से खरीदी जा रही है । घाटा क्यों है ? आपने कहा कि 14 घंटे बिजली नहीं दे पाए, कहीं-कहीं दे भी दिया, आपका समय खराब नहीं करेंगे, आंकड़े देने में समय लगेगा, हम स्वीकार करते हैं कि पूरे जिले में पूरे किसानों को 14 घंटे बिजली नहीं दे पाए । लेकिन हमारा प्रयास है, अभी थोड़े ही दिन हुए हैं इस सरकार को, अभी डेढ़ महीना भी पूरा नहीं लेकिन आपको विश्वास दिलाता हूं कि शहरों की बिजली नहीं कटेगी और पूरा प्रयास है कि किसानों को खेती के लिए 14 घंटे बिजली दी जाय । यह होता है कि शहरों में काटकर

के वहां दे देते हैं । कहीं किसी शहर में बिजली कट रही है तो मैंने मना कर दिया । चाहे 4 घंटे रह जाय, हम गल्तियों का सुधार करेंगे, किसी चीज को छिपायेंगे नहीं । जैसा कि पहले होता रहा है । आप 18 घंटे बिजली देने की बात करते रहे और बिजली दे पाये 6 घंटे । हम किसी बात को छिपाने का काम नहीं करेंगे । हमारी कोशिश है कि 14 घंटे बिजली किसानों को मिले और शहरों की न कटने पाये ।

विद्युत परिषद् की जो हालत है, उसमें बहुत लम्बा चौड़ा जिक्र हो जायेगा, आपकी मजबूरी जो कुछ हो, आपने कोई कार्यवाही नहीं करी । यह सरकार कार्यवाही करेगी । इधर के लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं । जब तक भ्रष्टाचार नहीं मिटेगा हम लोग बिजली नहीं दे पायेंगे । इसलिए सख्ती करनी पड़ेगी । बिजली को सुधारने के लिए पक्ष और विपक्ष की बहुत बड़ी जरूरत पड़ेगी सहयोग की अगर सहयोग नहीं मिला तो उत्तर प्रदेश को पूरी बिजली नहीं दे पायेंगे । तमाम विकास रुका हुआ है बिजली की कमी के कारण । टिहरी बांध के विकास की योजना की जो बात है, जो आपके सुझाव हैं, जो आपने विचार रखे, उससे मैं सहमत हूं । मैं कहना चाहता हूं कि इस संबंध में सदन की पूरी भावना हम दिल्ली तक पहुंचायेंगे । हम कोशिश यही करेंगे कि टिहरी बांध चले, जो बहुत बड़ा खर्च हो चुका है वह बेकार न जाय । यह सच है कि टिहरी बांध की वजह से पूरे प्रदेश की जनता आशा लगाये बैठी है बिजली और पानी के लिए । यह सही है कि इलाहाबाद से नहीं, इलाहाबाद से आगे भी पानी जायेगा । टिहरी बांध की वजह से पूरे प्रदेश की जनता आशा लगाये बैठी है बिजली और पानी के मी0 नहर नहीं खुद पाई क्यों नहीं खुद पाई ? पानी नहीं मिला । एक कि0 मी0 नहर खोदने की इजाजत नहीं थी, एक कि0 मी0 नयी नहर नहीं खोद पाये ।

श्री नारायण दत्त तिवारी–

आप यकीन कर लेते हैं इन सब बातों का ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

जो वर्तमान नहरें पानी दे रही हैं, किसी में एक कि0 मी0 नयी खुदी हो । जब-जब हमने मांग की कहा गया कि पानी नहीं है, इजाजत नहीं है । हमारी तमाम दरख्वास्तें इस संबंध में फाइलों में पड़ी होंगी ।

श्री नारायण दत्त तिवारी–

किस नहर की बात कर रहे हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जो वर्तमान नहरें आपकी पानी दे रही हैं, उनमें से अगर हम चाहें कि एक नयी शाखा और निकाली जाय, तो इस नयी नहर को खोदने की इजाजत नहीं थी । क्यों नहीं थी कहा गया कि पानी नहीं मिला ।

मैं आप ही की बात कर रहा हूं । मैं आपका ही समर्थन कर रहा हूं टेहरी बांध नहीं होगा तो नयी नहर हम खुदवा पायेंगे, यह मेरा कहना है । आपका सुझाव माना है, सारे सदन की भावना हम दिल्ली तक पहुंचायेंगे ।

श्री अकबाल हसन उर्फ अकबाल हुसैन–

माननीय मुख्यमंत्री जी एक बात कहना चाहता हूं एक मिनट सुन लें ।

श्री अध्यक्ष–

मुख्य मंत्री जी बैठ जायं तो आप बोल लें ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

आप नोट कर लीजिए, बाद में पूछ लीजियेगा ।

जहां तक राजकीय नलकूपों के बारे में आपने कहा ।

श्री अकबाल हसन उर्फ अकबाल हुसैन–

मान्यवर, एक बात पूछना चाहता हूं ।

(समय 4 बजे)

श्री इम्तियाज मोहम्मद खां–

मान्यवर, पिछली सरकार के जमाने की मुख्य मंत्री जी ने बात कह दी है, इसलिए एक बात पूछना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

आप दोनों ही सदस्य एक साथ खड़े हुए हैं पहले निर्णय कर लीजिए कि कौन बोलेगा ?

श्री अकबाल हसन उर्फ अकबाल हुसैन–

मान्यवर, आपकी आज्ञा से कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने टिहरी बांध के संबंध में स्पष्टीकरण दे दिया । एक सरजू परियोजना है, जो बहराइच, गोन्डा, बस्ती और गोरखपुर जनपद में निर्माणाधीन है, उसमें 10 साल से काम रुका हुआ है और उसमें मुख्य मुद्दा पर्यावरण का लिया गया है ।

श्री इम्तियाज मोहम्मद खां–

मैं माननीय मुख्यमंत्री की जानकारी में एक बात लाना चाहूंगा । पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक नई नहर पूर्ण हो चुकी है, जिसका नाम मध्य गंगा कैनाल है जो अलीगढ़ तक जाती है ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

ठीक है, यह बता दीजिए कि यह नहर कब बनी थी ?

(श्री इम्तियाज मोहम्मद खां तथा अकबाल हुसैन के पुनः खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष–

मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं । जो आप बोलेंगे, उसे कार्यवाही में नहीं लिखा जाएगा, आप अपने स्थान पर बैठें और माननीय नेता सदन भाषण जारी रखें ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मेरा अब भी दावा है कि 5 साल में कोई नहर नहीं खुदी जिसकी यह बात कर रहे हैं, उसकी योजना पहले बनी थी । मान्यवर, जहां तक राजकीय नलकूपों की बात है, पूछा गया उसमें क्या सुधारा गया और घोषणायें तो बहुत हो रही हैं ? मान्यवर, घोषणायें जो हो रही हैं, वह गलत नहीं हो रही है । कुल 29,939 राजकीय नलकूप हैं, उसमें 27 नवम्बर, 1989 तक आपकी सरकार के आंकड़ों के अनुसार 6,719 नलकूप बन्द थे, वैसे इससे ज्यादा बन्द थे, खैर हम मान लेते हैं कि 6,719

ही थे, उसमें से हमने कोशिश करके 3,376 नलकूपों को सुधार लिया है और हम लोगों ने मौके पर अपने अधिकारियों को भेजा, मंत्री जी को भेजा, यह देखने के लिए कि कहां नलकूप बन रहा है और कहां नहीं बन रहा है । हमारे सिंचाई मंत्री भी मौके पर गये और उन्होंने एक जगह बना पाया और एक जगह नहीं बना पाया, मैनपुरी में तो उन्होंने तुरन्त संबंधित व्यक्ति को मुअत्तल कर दिया । तो इस प्रकार इन 40-45 दिन के अंदर 3,376 नलकूप ठीक कर लिये गये, लेकिन इसके बाद भी हमारी कोशिश है कि सारे नलकूप ठीक हों ।

मान्यवर, इन्होंने पुलिस व्यवस्था के बारे में पूछ लिया कि आपकी पुलिस व्यवस्था क्या होगी ? पुलिस के बारे में तो बिल्कुल सीधा-सीधा है कि अपराधी के साथ कैसा व्यवहार किया जाय और भले लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया जाय, यह पुलिस को सीखाना पड़ेगा । नई सरकार के चलते हमने पुलिस के लोगों से कह दिया है कि अपने विचार और अपनी कार्यप्रणाली को उन्हें सुधारना पड़ेगा । पुलिस के द्वारा कितने विधायक पीटे गये हैं और कितनी चर्चायें इस सदन में हुयी हैं, इसीलिए हम पुलिस की व्यवस्था में परिवर्तन करेंगे, उन्हें प्रशिक्षित करेंगे कि अपराधी के साथ उन्हें क्या व्यवहार करना है और भले आदमी के साथ क्या व्यवहार करना है । लेकिन जहां तक सवाल है, पुलिस के मनोबल का, हम उसको गिरने नहीं देंगे ।

लेकिन अगर कोई राजनीतिक हस्तक्षेप की बात आती है, तो वह जन प्रतिनिधियों का अपमान है। कोई ऐसी चीज नहीं है कि हमारा विधायक एस0 पी0 के पास जाता है, दरोगा के पास जाता है, अगर उसकी बात सही है तो उसे जनप्रतिनिधि की बात मान लेनी चाहिए और अगर सही नहीं है, तो नहीं मानना चाहिए और अगर कोई एस0 पी0, आई0 पी0 एस0 यह कहता है कि यह राजनीतिक हस्तक्षेप है, तो मैं इसे राजनैतिक हस्तक्षेप मानने के लिए कभी तैयार नहीं हूं। नौकरशाही में बेईमानी और भ्रष्टाचार इसलिए बढ़ा है कि जब कोई मौका आया तो मुख्य मंत्री साहब खुद ही बोल देते थे कि राजनैतिक हस्तक्षेप को बरदास्त नहीं किया जायेगा। लेकिन हमारा ऐसा नहीं है। हर जन-प्रतिनिधि जनता की तकलीफों को ले जाने का अधिकारी है। दरोगा, एस0 पी0 व कलेक्टर का यह फर्ज होगा कि अगर जन प्रतिनिधि की बात सही है तो उसे माने और अगर सही नहीं है तो न माने। अगर कलेक्टर व एस0 पी0 कहता है कि जनप्रतिनिधि गलत तरीके से दबाव डाल रहे हैं तो हम कभी भी पुलिस के अधिकारियों का मनोबल नहीं गिरने देंगे और गलत काम न करने के लिए हम अपने जन प्रतिनिधि को समझायेंगे भी। लेकिन अधिकारी कहता है कि राजनैतिक हस्तक्षेप हो रहा है तो हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे। हमारे जनप्रतिनिधि यहां पर बैठे हुए हैं, कई माननीय सदस्यों का थाने पर अपमान हुआ है, कचहरियों में अपमान हुआ है। किसी विधायक की उचित मांग के बारे में अगर अधिकारी कहता है कि राजनैतिक हस्तक्षेप हो रहा है तो इससे बच निकलने की हम गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे।

यही व्यवस्था परिवर्तन का मतलब है। हम पुलिस को समझायेंगे कि आप जनता के मालिक नहीं है आप जनता के सेवक हैं। आपकी सरकार में जिस तरह से काम होता रहा है कि ये जनता के मालिक हैं, लेकिन हम कहना चाहते हैं कि लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ी है। चाहे मुख्य मंत्री हो, चाहे नेता विरोधी दल हो या विधायकगण हों, ये सब

जनता के सेवक हैं। ये जितने भी हमारे राजकीय अधिकारी व कर्मचारी हैं जनता के सेवक हैं। हम इस प्रकार की मानसिकता उनमें लाना चाहते हैं। माननीय नेता विरोधी दल ने जहां तक लोकतांत्रिक परम्पराओं व मूल्यों के हनन की बात कही है, मैं कहना चाहता हूं कि आपके जमाने में लोकतांत्रिक परम्पराओं की जितना हत्या हुई है, उतनी किसी भी जमाने में नहीं हुई है। 39 विधान परिषद् की सीटें अभी भी खाली हैं, आपने उन पर चुनाव क्यों नहीं कराये? नगर पालिकाओं के जो चुनाव हुए, वह कैसे हुए? आप क्या उसे भूल गये हैं? यह सारा सदन जानता है और बहुमत में आये हुए माननीय सदस्य इस बात को जानते हैं कि जिला परिषद्, नगर पालिका, नगर महापालिका के चुनावों के लिए हमें यहां बैठना पड़ा था। हमने कहा था कि चुनाव कराईये। आपने इतनी बड़ी पम्परा तोड़ी कि हम 52 विधायकों को पूरे सत्र के लिए सदन से निकाल दिया तब जाकर ये चुनाव हुए। हमारे क्रांतिकारी मोर्चे के 52 माननीय सदस्यों को ढाई बजे रात्रि में, इस सदन का कोई भी ऐसा दरवाजा नहीं था, जहां से पुलिस न निकल-कर आई हो, हमें पी0 ए0 सी0 व पुलिस न पकड़-पकड़ कर बाहर निकाला। इतनी पुलिस आई जितनी डकैतों को पकड़ने के लिए नहीं आती है। मैं यहां सो रहा था। पत्रकारों को बाहर किया गया। ढाई सौ साल के लोकतांत्रिक इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ और एक सही मांग पर जन प्रतिनिधियों को इतनी बड़ी सजा दी गई। आप लोक-तांत्रिक परम्पराओं को तोड़ने की बात कहते हैं? 25 जून को इमरजेन्सी भी लगी थी और 25 जून को हम लोगों को बाहर किया गया था। कोआपरेटिव सोसाइटीज को 2 साल हो चुके हैं, अभी तक आप चुनाव नहीं करा पाये हैं। बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए आपने नामजद कर दिया। आपको चुनाव कराना चाहिए था। आपके जमाने में बहुत लोकतांत्रिक परम्पराओं का हनन हुआ है। आप कहते हैं कि हम जिला परिषद् के अध्यक्षों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के लिए 2 साल की जगह 1 साल क्यों कर रहे हैं? आपको इस पर बहुत एतराज है। जहां हम बैठे हैं इससे बड़ी पंच तो जिला परिषद् है नहीं। यहां पर 6 महीने बाद अविश्वास प्रस्ताव आ सकता है तो उसके लिए एक साल बाद आ जाय तो क्या हो जायगा? यह सरकार बैठी है, इससे बड़ी तो जिला परिषद् है नहीं, इसके खिलाफ 6 महीने के बाद प्रस्ताव आ सकता है तो जिला परिषद् के अध्यक्षों के लिए एक साल क्या बुरा है? मैं ऐसे अनेक उदाहरण दे सकता हूं, जितनी मान्यतायें और मर्यादायें तोड़ी गयी हैं आपकी सरकार द्वारा उतनी कहीं नहीं तोड़ी गयीं। इतने वकील और विधायक कभी नहीं पीटे गये जितने आपके जमाने में पीटे गये हैं। आप परम्पराओं और मर्यादाओं की बात करते हैं—

सूप बोले तो बोले, चलनी भी क्या बोले जिसमें बहत्तर छेद।

(हंसी)

मैं आपका स्वागत करता हूं, आपने जो हमारी सरकार के काम की तारीफ की है उसके लिए धन्यवाद देता हूं। आपने कहा कि पुनर्नियुक्तियां होंगी। आपको कौन मजबूर कर रहा था कि रिटायर लोगों को पुनर्नियुक्तियां देते चले गये। पुनर्नियुक्तियां समाप्त करने के आदेश का जो आपने स्वागत किया है उसके लिए धन्यवाद देता हूं लेकिन मा0 नेता, विरोधी दल से पूछना चाहता हूं कि आपके सामने क्या मजबूरी थी कि इतने बड़े पैमाने पर पुनर्नियुक्तियां कीं ? जो पिछड़े लोग एड हाक नियुक्त हुए घूम रहे हैं, उनके बजाय जिन्होंने जीवन भर नौकरी की, पैसा कमाया, मकान बनवाया, उनको दो साल

का एक्सटेंशन दे दिया गया। बी0 टी0 सी0 पास किया, बुढ़ापा आ गया है, 40-45 साल की उम्र हो चुकी है, उनके लिए आपके खजाने में पैसा नहीं है और जिन्होंने जीवन भर नौकरी की है, उनको दो-दो साल के लिए एक्सटेंशन दे दिया। आपने हमारे आदेश का स्वागत तो किया है लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आपके सामने क्या मजबूरी थी? कौन मजबूर कर रहा था कि इतने बड़े पैमाने पर पुनर्नियुक्तियां करें? शिक्षा नीति के बारे में सवाल छोड़ दिया। दोनों बातें कैसे हो सकती हैं? एक तरफ दोहरी शिक्षा नीति का समर्थन और दूसरी तरफ कहते हैं कि महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में "समाजवाद" शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। माननीय नेता, विरोधी दल से पूछना चाहता हूं कि दोहरी शिक्षा नीति के चलते क्या समाजवाद देश में आ जायगा? इसके चलते क्या कभी झोपड़ी में रहने वाला कलेक्टर और एस0 पी0 बन सकता है? आपने डा0 राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेन्द्र देव, श्री जय प्रकाश नारायण और चौधरी चरण सिंह जी की भावनाओं को ठेस पहुंचायी है दोहरी शिक्षा नीति का समर्थन करके मान्यवर, मैं अब आपके सामने रखना चाहता हूं कि-

श्री शैलेन्द्र कुमार-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता सदन जिस समय बैठ जाते हैं, जब वे बैठ जायं तभी आप प्रश्न करियेगा।

श्री मुलायम सिंह यादव-

मैं बैठ नहीं रहा हूं।

(श्री शैलेन्द्र कुमार अपने स्थान पर खड़े होकर जोर-जोर से बोलते रहे तब मा0 मुख्य मंत्री जी अपनी सीट पर बैठ गये।)

श्री शैलेन्द्र कुमार-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से मा0 मुख्य मंत्री से पूछना चाहता हूं कि दोहरी शिक्षा नीति के बारे में जो इन्होंने आरोप लगाया है विपक्ष की तरफ तो आपके घर में कितने बच्चे पब्लिक स्कूलों में पढ़ रहे हैं? यह स्पष्टीकरण दे दें और कितने बच्चे दून स्कूल के पढ़े हुए हैं? इस बात को कहना नहीं चाहिए।

श्री मुलायम सिंह यादव-

हम जो बोल रहे हैं वह हमारी नीति है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरे एक बेटा है उसको पब्लिक स्कूल में पढ़ाने देने से मैंने इंकार कर दिया है और न वहां पढ़ने देता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना बड़ा, लम्बा भाषड़ मा0 नेता विरोधी दल ने दिया और इतना समय लगाया था शिक्षा नीति और दोहरी शिक्षा नीति के समर्थन में और अंग्रेजी के माध्यम से पढ़ाई के संबंध में। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि आपने राजनीति शुरू कहां से की थी और आज मा0 नेता विरोधी कहां पहुंच गये हैं। संस्कार में तो बदलाव आता नहीं है? मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि अंग्रेजी का वकालत करते-करते आप में अंग्रेजियत के संस्कार कहां से आ गये? आपने तो कैम्प लगाया, मैं भी उस

कैम्प में रहा हूं, भले ही आप तब मुझे जानते न होंगे आचार्य नरेन्द्र देव के सबसे ज्यादा निकट आप आ गये थे–

श्री नारायण दत्त तिवारी–

माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि मुझ में 'अंग्रेजियत' आ गयी है। नेशनल फ्रन्ट में आप देखें कि द्रविण मुनेत्रकड़गम् अंग्रेजी के बारे में, डी0 एम0 के0 के मेनिफेस्टों में यह है। मैंने दूसरे प्रसंग में इस बात को कहा है। शिक्षा के संबंध में अंग्रेजियत शब्द, भिन्न तरीके से, भिन्न पृष्ठभूमि में मैंने रखा है, हो सकता है कि मुख्य मंत्री जी मेरी वह बात सुन न पाये हों इसलिए कृपा करके पहले वे मेरा भाषण देख लें।

श्री मुलायम सिंह यादव–

हो सकता है कि मा0 नेता विरोधी दल भूल गये हों लेकिन आपने यहां तक कहा है कि अंग्रेजी के बिना हमारे यहां के बच्चों को दूसरे देशों में नौकरी नहीं मिलेगी, मैं जानना चाहता हूं कि आप में इतना बदलाव कैसे आ गया है? तो मान्यवर, जैसा कि मैंने सुना है. . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता विरोधी दल सिर्फ अंग्रेजियत शब्द के बारे में कह रहे थे, इसी पर उन्होंने सिर्फ स्पष्टीकरण दिया है।

श्री मुलायम सिंह यादव–

माननीय अध्यक्ष जी, आपका आदेश शिरोधार्य है, लेकिन बात का अहित अवश्य हो जायेगा यदि बात खुलकर न आयी।

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल आचार्य नरेन्द्र देव जी के बहुत नजदीकी रहे हैं, यह भी इस बात से सहमत होंगे मनुष्य के हृदय को ग्रहण होने वाली जो भाषा है, वह मातृ भाषा है, उसी के द्वारा शिक्षा होनी चाहिए। आचार्य नरेन्द्र देव जी ने स्वयं अपनी पुस्तक "युग और विचार" में लिखा था कि––"अब समय आ गया है जब हम को राष्ट्र भाषा के द्वारा ऊंची से ऊंची शिक्षा का आयोजन कर लेना चाहिए, जब राज-काज की भाषा बदल गयी है तब तो यह काम तेजी से होना चाहिए।"

साथ ही मुझे यह भी ज्ञात हुआ है कि मा0 नेता विरोधी दल आचार्य नरेन्द्र देव जी के भक्त थे और हैं, जिन्होंने अपनी शिक्षा गांव से ही प्रारम्भ की थी और सम्भवतः मा0 नेता विरोधी दल ने भी अपनी शिक्षा गांव से ही प्रारम्भ की थी।

(व्यवधान)

एक सदस्य–

चौधरी चरण सिंह जी ने क्या कहा?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सुनिए, आदरणीय चौधरी साहब ने जो कहा कि "भारत में राष्ट्रीयता का अभाव, एक मात्र ऐसी सच्चाई है, जिसके कारण भारत पर अंग्रेज जाति का साम्राज्य सम्भव हो सके।"

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी अपनी पुस्तक "शिक्षा का माध्यम". में उन्होंने कहा कि 12 वर्ष की उम्र तक उन्होंने अपनी मातृ भाषा गुजराती में शिक्षा पायी ।

फिर आगे उन्होंने कहा कि "शिक्षा का माध्यम तो एकदम और हर हालत में बदला जाना चाहिए और प्रान्तीय भाषाओं को उचित व वाजिब स्थान मिलना चाहिए, यह जो काबिले रजा और बरबादी रोज-बरोज हो रही है, इसके लिए तो अस्थायी रूप से अव्यवस्था का हो जाना भी मैं पसन्द करूंगा ।"

फिर आगे हिन्दी नवजीवन पत्र में उन्होंने लिखा कि "विदेशी माध्यम ने हमारे बालकों को अपने ही घर में पूरा विदेशी बना दिया है, यह वर्तमान शिक्षा प्रणाली का सबसे करुण पहलू है । विदेशी माध्यम ने हमारी देशी भाषाओं की प्रगति और विकास को रोक दिया है ।"

इसलिए मैं यह समझता हूं कि कदाचित मा0 नेता विरोधी दल अपने पूर्व व्यक्त मत पर शायद पुनर्विचार करना चाहें तो जिनके यह भक्त थे, डा0 लोहिया के उनकी बात भी बता दूं । डा0 लोहिया ने भी इसी विषय पर यह बात कही है कि "10वीं कक्षा तक अंग्रेजी अनिवार्य करने से विद्यार्थी अंग्रेजी तो नहीं सीख पाता है, परन्तु अपने माता-पिता को गंवार जरूर समझने लगता है ।"

(व्यवधान)

श्री नारायण दत्त तिवारी–

नेशनल फ्रन्ट के मैनिफैस्टो में क्या कहा है, जो डी0 एम0 के0 के भी मैम्बर थे, उसमें क्या कहा है, वह भी बता दीजिए ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मातृ भाषा की ही हमारी शिक्षा नीति है, यही हमारा मैनुफैस्टो है . . . .

(व्यवधान)

आगे मान्यवर, मैं यह कहना चाहूंगा कि क्या रूस ने जो तरक्की की है, वह विदेशी भाषाओं के द्वारा की है, जैसा कि हमारे मा0 नेता विरोधी दल अक्सर कहा करते हैं कि बगैर अंग्रेजी के तरक्की नहीं हो सकती है और चीन जो हमसे बाद में आजाद हुआ है, क्या उसने भी तरक्की विदेशी भाषाओं के आधार पर ही की है और इसी प्रकार से जापान जो सबसे आगे निकल गया है क्या उसने भी तरक्की अपनी मातृ भाषा में काम करके नहीं की है? मान्यवर, आपको शायद पता नहीं है या आप जानते हुए भी भूल जाते हैं । हमारे, उसी दिन, देश का अपमान हो गया जब रूस के आये नेता ने अपनी भाषा में भाषण दिया और हमारे देश के नेता ने अंग्रेजी में दिया । यह मान्यवर, आपको आभास कैसे हो गया कि अंग्रेजी के माध्यम से ही तरक्की हो सकती है ? हमारा पूरा संकल्प है दोहरी शिक्षा नीति के खिलाफ और जब तक यह चलेगी तब तक झोपड़ियों में रहने वाले, खेती करने वाले और गांव में रहने वाले लोगों के बच्चे कलेक्टर और एस0 पी0 नहीं हो सकते हैं । यह दुर्भाग्य है कि 42 साल के बाद भी एक भी किसान का बेटा या गांव के रहने वालों का बेटा 18 सैकड़ा बड़ी नौकरी में न पहुंच पाया हो, जबकि 80 सैकड़ा लोग गांव के रहने वाले हैं । इसीलिये आपके यहां भीड़ लगती है, हमारे यहां लगती है । इसका कारण यह है कि आज किसान का कोई बेटा कलेक्टर या एस0 पी0 नहीं है, गरीब का बेटा नहीं है ।

विधायक के यहां पर जगह नहीं रहती है, गांव के लोग लेटे रहते हैं । यह जानकर अफसोस होगा अगर बेइमानी और ईमानदारी पर चर्चा शुरू कर दें तो पब्लिक स्कूल में पढ़े लोग ज्यादा बेईमान और देशद्रोही हैं । गांव के लोग कम बेईमान हैं । जो विदेशों में दौलत जा रही है, तो वह पब्लिक स्कूल में पढ़े लोगों द्वारा जा रही है। गांव के लोगों ने, लखनऊ के लोगों ने कम किया है और पब्लिक स्कूल में पढ़े लोगों ने ज्यादा किया है, चाहे वह आई0 ए0 एस0 हो, मंत्री हो, मुख्य मंत्री हो या प्रधान मंत्री हो ।

(घोर व्यवधान)

श्री इम्तियाज मोहम्मद खां–

मान्यवर, मैं पब्लिक स्कूल का पढ़ा हूं । मुझे बेईमान कहा है । मुझे बेईमान कहा है ।

(व्यवधान)

मैं अवमानना की सूचना दे रहा हूं ।

(घोर व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव–

मैंने इम्तियाज साहेब के लिए नहीं कहा। जो माननीय सदस्य को बुरा लगा, मैंने ज्यादा शब्द कहा है । मैंने इम्तियाज साहेब के लिए नहीं कहा । अच्छा ठीक है, अभी सामने आ जा रहा है, पूरा का पूरा आ जायेगा चाहे बोफोर्स की दलाली हो या विदेशों में धन जमा करने का मामला हो ।

(कई सदस्यों के खड़े होकर एक साथ बोलने से सदन में घोर व्यवधान हो गया ।)

आपका हाथ इसमें नहीं है । फिर आप क्यों बोल रहे हैं ? . . .

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि अंग्रेजी माध्यम जब तक रहेगा तब तक हमारे गांवों में रहने वाले लोगों के बेटे, किसानों के बेटे उच्च पदों पर नहीं पहुंच पायेंगे । महात्मा गांधी ने कहा है कि हिन्दुस्तान गांवों में बसा है । सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी कहा है कि हमारी खेती और गांव ही हमारी संस्कृति है । महात्मा गांधी ने यहां तक कहा है कि जो मां-बाप अपने बेटों को अंग्रेजी के भाव पढ़ाते हैं, सिखाते हैं वे देश-द्रोह करते हैं, देश के साथ अहित करते हैं । यह महात्मा गांधी ने कहा है ।

श्री प्रमोद कुमार–

कहां लिखा है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

आप पढ़ लीजिये ।

श्री प्रमोद कुमार–

किस किताब में लिखा है, आप बता दें ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप पढ़ लीजिये ।

(व्यवधान) । आप क्या बोलेंगे ? मैं 5–6 मिनट ही बोलूंगा । बाद में आप सवाल कर लें । अभी तो मैं आपके पक्ष में ही बोल रहा हूं । आप गांवों से आये हैं, मेहनती हैं, हमारा समर्थन करें । श्रीमन्, हम दोहरी शिक्षा नीति के खिलाफ हैं । इसको समाप्त करने के लिए हमारा प्रयास है । मैं उधर के माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि आप इसमें हमारी सहायता कीजिये, आप भी किसानों के बेटे हैं ।

(व्यवधान)

श्री नारायण दत्त तिवारी–

एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

नेता विरोधी दल खड़े हैं, आप लोग बैठ जायं ।

श्री नारायण दत्त तिवारी–

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी, मैं चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री होने के नाते उनका एक स्थान है, उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने कहा था कि देशद्रोह कर रहे हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

देश का अहित कर रहे हैं, यह कहा था । जिसके माने हैं देशद्रोह ।

श्री नारायण दत्त तिवारी–

देश का अहित करते हैं, देशद्रोही हैं । यह क्या बात हुई ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

देश का और राष्ट्र का अहित करते हैं ।

श्री नारायण दत्त तिवारी–

मैं आग्रह करूंगा, हमें अंग्रेजी से मोह नहीं है । यह एक व्यावहारिक बात है। यहां कई भाषायें पढ़ी और बोली जाती हैं । हिन्दी राष्ट्र भाषा है, उर्दू भाषा है और 14 अन्य भाषायें जहां सिखाई जाती है वहीं पर अंग्रेजी न सीखने पर हमारे बच्चों को कम्पटीशन में कितनी कठिनाई होती है, नुकसान होता है, यह भी आप जान लें। मुख्य मंत्री जी इसको दुबारा देख लें और ठीक कर लें तो उचित होगा ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

अध्यक्ष महोदय, नेता विरोधी दल को अपनी बात नहीं समझा पा रहा हूं । सार्वजनिक जीवन में अंग्रेजी का प्रचलन, राजकाज में अंग्रेजी का प्रचलन, इसके हम खिलाफ हैं । हमारी सरकार इसके लिए प्रयास कर रही है । अंग्रेजी पढ़ने के हम खिलाफ नहीं हैं । अंग्रेजी का अखबार पढ़ने के खिलाफ नहीं हैं । आपने कहा कि इतने अखबार हैं । लेकिन उस पर हम नहीं जाना चाहते हैं और कहना चाहता हूं कि अंग्रेजी माध्यम से राजकाज और सार्वजनिक जीवन से अंग्रेजी समाप्त हो दूसरी भाषा कोई हो उर्दू, तमिल बंगाली सब बहने हैं वह हमारी भाषा हैं लेकिन अंग्रेजी नहीं (व्यवधान) जो लोग अंग्रेजी बहुत अच्छी बोलना जानते हैं मेरी चुनौती है सही अंग्रेजी नहीं जानते हैं। हिन्दुस्तान में 2–4 लोग ही सही अंग्रेजी बोलना जानते हैं यह बात आ चुकी है । बड़े-

बड़े लोगों को मैं जानता हूं। एक बार यह बात आई थी तीन लोगों के बारे में, जिनको इसका घमण्ड है बाकी सही अंग्रेजी नहीं बोलना जानते हैं । लेकिन अंग्रेजी बोलने का शौक है ।

जहां तक माननीय नेता विरोधी दल ने अल्पसंख्यकों के बारे में कहा तो मैं कहना चाहता हूं कि इस सरकार का पूरा प्रयास है जो भय उनमें व्याप्त है वह भय दूर किया जायेगा । इसलिए पहले दिन ही हमने ऐलान किया कि अगर किसी जिले में दंगा होगा तो वहां का कलेक्टर वहां का एस0 पी0 जिम्मेदार होगा, दरोगा नहीं होगा । इसलिए सरकार का पूरा प्रयास है कि अल्पसंख्यकों के मन में जो भय और आतंक व्याप्त है उसे दूर किया जायेगा । इस प्रकार का कोई दंगा बरदास्त नहीं किया जायेगा । 1984 में जो कानपुर में प्रधान मंत्री की हत्या के दूसरे दिन हुआ या हल्द्वानी या बनारस में अल्पसंख्यकों पर जुल्म हुआ और उसके बाद जो भी रंगनाथ कमीशन की रिपोर्ट आई है उसके आधार पर अगर बड़े से बड़ा आदमी होगा तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी । इसीलिए हमने व्यवस्था परिवर्तन की बात कही है अगर कोई उत्तर आता है लेखपाल के यहां से जो सवालों का उत्तर आता है मैंने अपने मंत्रियों से कहा है अगर यह साबित हुआ कि लेखपाल या दरोगा के यहां से आया है तो इसके लिए वह जिम्मेदार नहीं होंगे उसकी जिम्मेदारी डी0 एम0 और एस0 पी0 की होगी । इसलिये व्यवस्था परिवर्तन हम चाहते हैं ।

मैं ज्यादा लम्बे भाषण में नहीं जाता आपने भी दूसरे कार्यक्रम में जाने की बात की, मैं तो आधे घंटे में भाषण खत्म करना चाहता था और पहले भी बोलना चाहता था डेढ़ बजे शुरू हो जाय, चाहता था लेकिन नहीं हो सका । सरकार ने जो रास्ता चुना है व्यवस्था परिवर्तन का जो एलान किया है उसमें आपका सहयोग चाहिए, सारे सदन का सहयोग चाहिए । हम चाहते हैं कि प्रदेश का विकास हो उसे आप भी चाहते हैं इसलिए आपका सहयोग, सब का सहयोग मिलेगा सब की वह जिम्मेदारी है ।

इस बार सदन में जो भी भाषण हुए हैं चाहे माननीय नेता विरोधी दल का हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता का हो या मार्क्सवादी पार्टी का हो या दूसरी पार्टी का हो, बी0 एस0 पी0 का हो सभी माननीय सदस्यों ने रचनात्मक सुझाव दिये हैं । माननीय नेता विरोधी दल ने बहुत रचनात्मक सुझाव दिये हैं उन पर चलने का हम प्रयास करेंगे । मैं पुनः सदन के सभी माननीय सदस्यों का विशेषकर नेता विरोधी दल का आभार व्यक्त करता हूं जो उन्होंने माननीय राज्यपाल के अभिभाषण में हिस्सा लिया । इतना कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता विरोधी दल आपको उत्तर भाषण में कुछ कहना है, आप अपने संशोधन वापस लेंगे ।

*श्री नारायण दत्त तिवारी–

काफी प्रश्न हो चुके हैं, कुछ बातें माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहीं, उसका उल्लेख करना चाहता हूं । पहली बात यह कि जब हम बाहर किसी प्रकार की चर्चा करते हैं तो खाली खजाना कहना बहुत बड़ी बात होती है । श्रीमन्, कुछ बातें यहां ऐसी कही

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

गयी थीं जिनका समाधान आवश्यक था, मुझे खेद है कि मुख्य मंत्री जी ने उनका पूरा स्पष्टीकरण नहीं दिया । खजाना जैसा हम समझते हैं जो जेब में होता है तो वैसा नहीं है, सरकारी खजाना वैसा नहीं है । सरकारी खजाना कभी खाली नहीं रहता है और उसके तरीके हैं, खजाने को नियंत्रित किया जाता है, वह खाली नहीं रहता है। तो खजाना खाली है कह देने से इसका असर मूल्यों पर और मनोबल पर पड़ता है । इसलिए आग्रह करूंगा शासन स्तर पर इस संबंध में अधिक गहराई में जाकर विवेचना करें । श्रीमन्, मुख्य मंत्री जी से अपेक्षा करता हूं कि इस संबंध में नेतृत्व करें ऐसे प्रश्नों की गहराई से मंथन और चर्चा होनी चाहिए चूंकि शासन स्तर पर खजाना खाली है कह देने से कार्य करने वालों का मनोबल और शासन में जो व्यय कर रहे हैं, दिनप्रतिदिन जो सार्वजनिक काम चल रहे हैं उन पर असर पड़ता है । इसलिए शासन की ओर से यह नहीं कहना चाहिए कि खजाना खाली है चूंकि कार्यों पर खर्च भी करते जा रहे हैं, नये-नये व्यय भार भी उठाते जा रहे हैं इसलिये शासन की तरफ से यह कह सकते हैं कि साधन, संसाधन कम हैं, खजाना खाली है, यह बात किसी शासन के लिए मर्यादित नहीं है । मान्यवर, यह अवसर नहीं है कि विवरण में जाया जाये । मैं अपनी जानकारी कुछ ज्यादा होने के कारण, यहां दिखाना नहीं चाहता, चूंकि इससे सम्बद्ध रहा हूं, इसलिए यह उद्धरण करना चाहता हूं तो उसको बुरा नहीं मानना चाहिए । यदि स्पष्टीकरण थोड़ा देते हैं तो बुरा मानने की जरूरत नहीं है । श्रीमन्, मैं फिर कह देना चाहता हूं कि खजाना खाली नहीं है बल्कि उसको नियंत्रित किया गया था, जो व्यय हो रहा था । ऐसा नहीं कि सारा व्यय एक साथ हो जाये चूंकि बहुत सी योजनाएं 10 वर्षों में पूरी होंगी और जैसा कि मुख्य मंत्री जी ने कहा बहुत सी योजनायें दीर्घकालीन और अल्पकालीन योजनायें हैं । इसलिये महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर हमने संशोधन का प्रस्ताव रखा चूंकि हमारी नीतियों के स्थान पर आप क्या रखना चाहते हैं, उसका स्पष्टीकरण चाहते थे क्योंकि अभिभाषण में उनका उल्लेख नहीं है । अभिभाषण में समाजवाद का शब्द होता लेकिन सम्पूर्ण क्रांति लाना है किन्तु उसका भी अभिभाषण में उल्लेख नहीं था । श्रीमन्, इसका भी उल्लेख नहीं था कि दोहरी शिक्षा नीति की जगह पर क्या शिक्षा नीति होगी ?

श्रीमन्, फिर निवेदन करूंगा कि इस संबंध में जो नेशनल फ्रंट का घोषणा पत्र है उसका सही भाष्य तक नहीं किया गया । अंग्रेजी का विरोध नेशनल फ्रंट के मेनीफेस्टो में नहीं है लेकिन यह भावना आप डालेंगे कि अंग्रेजी पढ़ना पाप है और देश के हित में नहीं है । अंग्रेजी का मैं पक्षधार नहीं हूं लेकिन पब्लिक स्कूल में पढ़े लोगों को बेईमान कहेंगे यह ठीक नहीं है, वह ठीक से काम नहीं कर सकते, यह कहना ठीक नहीं है । श्रीमन्, शासन की तरफ से एक वक्तव्य पढ़ा कि बुद्धिमानों की जरूरत है, बुद्धिजीवियों की जरूरत नहीं है । हो सकता है कि वह भी गलत बयान छपा हो लेकिन इस तरह के बयानों से शासन की मर्यादा नहीं बढ़ती है । मैंने अखबार में पढ़ा है लिखा था कि इंटेलेक्चुअल्स की जरूरत नहीं है केवल बुद्धिमानों की जरूरत है ।

श्री मुलायम सिंह यादव--

यह सही है। मान्यवर, अखबार के माध्यम से तो नहीं, लेकिन इस पर बहस हो, कोई

बातचीत हो, विचार-गोष्ठी हो तो आज भी मेरी यह राय है कि बुद्धिमान और बुद्धिजीवी में अंतर है और मैं यह बिलकुल सच्चाई के साथ कहना चाहता हूं कि अभी तक कुछ बुद्धिजीवियों का दिमाग साफ नहीं है, लेकिन गांवों में झोपड़ी में रहने वाले का दिमाग आज भी साफ है । इसलिए मैंने कहा है कि बुद्धिजीवी के साथ-साथ बुद्धिमान बनो । जितना बुद्धिजीवियों ने इस देश का अहित किया है उतना किसी ने नहीं किया है । यह मैंने कहा है और यदि इसके लिए आप कोई विचार गोष्ठी रखेंगे तो हम उसमें बहस भी करेंगे ।

श्री नारायण दत्त तिवारी–

मैंने मुख्य मंत्री जी का इसमें नाम नहीं लिया था, लेकिन वह कह रहे हैं कि उन्होंने कहा था तो मैं स्वीकार कर लेता हूं । फिर भी अब मैं उनसे कहूंगा कि कृपा करके वह इस पर विचार कर लें, यह मेरी उनको सलाह होगी कि वह इस कथन पर विचार कर लें, और वह इतनी पोजीशन लेंगे तो यह हमारे और उनके लिए उचित नहीं होगा । स्थित जगह ले लेंगे कि हम सबके लिए ऐसा कह दें तो यह ठीक नहीं होगा । आप अभी बहुत कुछ कह गये हैं "व्यवधान" आप कहने के लिए स्वतंत्र हैं । मैं आपको रोक नहीं सकता हूं, लेकिन बड़े भाई होने के नाते केवल आपको सलाह दे सकता हूं । मैं आपको सलाह नेता विरोधी दल होने के नाते नहीं दे रहा हूं, एक शुभचिन्तक होने के नाते भी दे रहा हूं । यह जो मैंने संशोधन रखा है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, मैं समझता था कि उसकी भावना को उन्होंने स्वीकार कर लिया है और जो स्वीकार नहीं किया है उसको कल स्वीकार कर लेंगे, आने वाले दिनों में स्वीकार कर लेंगे । इसलिए मैं चाहूंगा कि मेरा यह संशोधन स्वीकार कर लिया जाए ।

*श्री अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, (व्यवधान) मैंने अपने राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर इधर और उधर से प्रस्तुत विचारों को गम्भीरतापूर्वक सुना । नेता विरोधी दल ने और हमारे अन्य नेताओं ने जो भी धन्यवाद प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त किये हैं, उनसे मान्यवर, ऐसा लगता है इधर और उधर के बैठे हुए सभी दलों के सदस्य, माननीय राज्यपाल के अभिभाषण में जो हमारी सरकार का नीति व कर्तव्य हैं, उससे पूरी तरह सहमत हैं । मात्र औपचारिकता के नाम पर कुछ साथियों ने उसमें संशोधन प्रस्तुत किए हैं । लेकिन इस क्रांतिकारी नीति वक्तव्य से कोई भी माननीय सदस्य प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता है । आज हमारे उधर बैठे साथियों को कठिनाई यह है कि उनको पिछली सरकार कोई भी इस प्रकार के क्रांतिकारी कदम नहीं उठा सकी है, इतने जनहितकारी कदम नहीं उठा सकी है। 10 हज़ार तक का कर्जा काश्तकार का माफ होगा और हमारी सरकार ने जो यह भी संकल्प लिया है कि 60 वर्ष की आयु से ऊपर के बृद्धों, विधवाओं और विकलांगों को पेंशन मिलेगी, यह कोई जनहितकारी कार्य पिछली सरकार नहीं कर सकी है, इसलिए उस पर उन्होंने संशोधन रखने का काम किया है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हमारी सरकार ने ग्रामीण विकास पर 50 प्रतिशत व्यय करने का जो लक्ष्य रखा है, उस पर नेता विरोधी दल ने कहा कि 60 प्रतिशत हम खर्च करते थे । इसमें उन्होंने यह भी जोड़ दिया है जो बड़े-बड़े उद्योगों और तापीय विद्युतगृहों के लगने पर खर्च किया गया है । अपने भाषण में शब्दजाल फैलाना और लफ्फाजी करना हमारे साथियों को अच्छी तरह मालूम है । और हमारी पिछली सरकार ने प्रदेश की कुल आय का 50 प्रतिशत भी गांवों पर खर्च करने का संकल्प रखती, तो उससे गांवों में निश्चित रूप से परिवर्तन आ गया होता । मैंने नेता विरोधी दल का भाषण गौर से सुना, उन्होंने-पूर्वी अंचल के विकास पर अपनी चिन्ता व्यक्त की है, लेकिन आज तक उनके द्वारा उस पर कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई ? निरन्तर सत्ता में रहने के बाद भी वहां पर पूंजीनिवेश इतना कम क्यों रहा, जहां पर आबादी का घनत्व सबसे ज्यादा है । हमारा पूंजी का निवेश सबसे कम रहा है । इसका कारण यह है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश पिछड़ा रहा है । हमारी सरकार की प्राथमिकता होगी प्रदेश का सर्वांगीण विकास हो, समदृष्टि होगी सरकार की, जो उत्तर प्रदेश के जिले पिछड़े हैं उनके लिए विशेष योजनायें बनाई जायेंगी ।

श्री अध्यक्ष–

कृपया समाप्त करें ।

श्री अशोक बाजपेयी–

इन्हीं शब्दों के साथ सरकार की तरफ से माननीय राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण पढ़ा है, उस पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव मैंने रखा है उसमें पक्ष और विपक्ष के साथियों ने धन्यवाद के प्रस्ताव पर परोक्ष और अपरोक्ष रूप से जो सहमति दी है उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं, और यह भी कहना चाहता हूं कि जो नेता विरोधी दल ने संशोधन का प्रस्ताव रखा गया है उसको कृपया वापस लेने की कृपा करें और इसे सर्वसम्मति से पास होने दें । इन्हीं शब्दों के साथ जिन माननीय सदस्यों ने इस अभिभाषण पर अपने विचार व्यक्त किये और अपने क्षेत्रों की समस्या के बारे में बताया उनको धन्यवाद देता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिए धन्यवाद के प्रस्ताव में नेता विरोधी दल द्वारा जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है उससे सदन सहमत है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष–

इसके अतिरिक्त अन्य संशोधन भी, जो उपस्थित किये हुए माने गये हैं, अस्वीकृत समझे जायेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि यह सदन श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने राज्य विधान मण्डल के एक साथ समवेत् दोनों सदनों के समक्ष दिनांक 10 जनवरी, 1990 को दिया है, कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

वक्तव्य की प्रतियां न बंटने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

(समय 5 बजे)

(मद संख्या-14 पुकारे जाने पर ।)

श्री पंचानन राय–

माान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । माान्यवर, वक्तव्य की प्रतियां अभी तक हमें उपलब्ध नहीं हुई हैं । सदन में बंटी ही नहीं हैं और अभी तक प्राप्त भी नहीं हुई हैं । हो सकता है शिक्षा मंत्री जी के पास हों, लेकिन सदस्यों को नहीं मिली हैं ।

श्री अध्यक्ष–

बांटी जा रही हैं ।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 17-1-1990 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 11 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। श्री सुन्दर लाल (बाराबंकी), श्री केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री रविकांत गर्ग, श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री गजराज सिंह, श्री दौलतराम एवं श्री छोटेलाल, श्री हरिशंकर तिवारी, श्री श्याम देव राय चौधरी, श्री अमरनाथ यादव, श्रीमती प्रेमवती तिवारी, श्री परमाई लाल तथा श्री अचल सिंह। इसमें से तीन सूचनायें श्री सुन्दर लाल (बाराबंकी), श्री केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री रविकांत गर्ग यह सूचनायें मैंने स्वीकार की हैं । क्योंकि आज सदन का अन्तिम दिन है । इसलिए मैं इन सूचनाओं को शासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए उनके पास भेज रहा हूं ।

(मुख्य मंत्री के पास एक सदस्य के खड़े होकर कुछ वार्तालाप करने पर)

एक सदस्य–

माान्यवर, मुख्य मंत्री जी का कार्यालय है या विधान सभा ?

श्री अध्यक्ष–

यह तो माननीय सदस्यों को सोचना चाहिए । माननीय सदस्यों को नियंत्रण रखना चाहिए ।

प्रदेश के सहायता प्राप्त महाविद्यालयों तथा माध्यमिक विद्यालयों में तदर्थ आधार पर नियुक्त शिक्षकों के विनियमितीकरण के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

शिक्षा एवं युवा कल्याण मंत्री (श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी)–

मा0 सदस्य ने यह सूचना दी है कि महाविद्यालयों तथा माध्यमिक विद्यालयों---।

एक सदस्य–

इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए ।

श्री अध्यक्ष–

पढ़ा हुआ माना जाता है ।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

[प्रदेश के सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में कार्यरत उन सभी तदर्थ शिक्षकों, जो कठिनाई निवारण आदेशों के अन्तर्गत दिनांक 3-1-1984 तक नियुक्त किये गये थे, का विनियमितीकरण वर्ष 1985 में कर दिया गया था । अब केवल उन्हीं तदर्थ शिक्षकों का विनियमितीकरण शेष है जिनकी नियुक्ति दिनांक 3-1-1984 के उपरान्त की गई है । ऐसे सभी शिक्षकों की सेवाओं के विनियमितीकरण के प्रकरण का शासन द्वारा सहानुभूतिपूर्वक परीक्षण किया जा रहा है ।

जहां तक अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत तदर्थ अध्यापकों की सेवाओं के विनियमितीकरण का प्रश्न है, तत्कालीन मुख्य मंत्री जी ने निम्नांकित श्रेणियों के अध्यापकों को विनियमित किये जाने की घोषणा की थी :–

(1) उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड अधिनियम, 1992 के अन्तर्गत जारी किये गये प्रथम कठिनाई निवारण आदेश दिनांक 31-7-1981 की व्यवस्था के अनुसार मौलिक पदों पर प्रोन्नत किये गये उन सभी अध्यापकों की सेवायें विनियमित कर दी जायेंगी, जो निरन्तर सेवा में कार्यरत रहे हों ।

(2) अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में सी0 टी0 वेतनक्रम में कार्यरत उन सभी अध्यापकों की सेवाओं को विनियमित कर दिया जायगा, जिन्होंने यथासंशोधित प्रथम कठिनाई निवारण आदेश दिनांक 31-7-1981 के अन्तर्गत दिनांक 12-6-1985 के पश्चात् मौलिक रिक्तियों में सीधी भर्ती से नियुक्त होकर दिनांक 13-5-89 तक कार्यभार ग्रहण कर लिया था ।

(3) उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 की धारा 18 के अधीन मौलिक रिक्तियों में पदोन्नत अथवा सीधी भर्ती से प्रशिक्षित अभिस्नातक (सी0टी0 व बी0टी0सी0) वेतनक्रम, प्रशिक्षित स्नातक वेतनक्रम (एल0टी0) तथा प्रवक्ता वेतनक्रम में दिनांक 31-7-1988 तक नियुक्त और निरन्तर कार्यरत अध्यापकों की सेवाओं को विनियमित किया जायगा ।

अब इस घोषणा के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में विधिक कार्यवाही की जा रही है

श्री पंचानन राय–

मान्यवर, मैं यह स्पष्टीकरण चाहता हूं कि महाविद्यालयों में कार्यरत जो अध्यापक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित अहर्ता रखते हैं, मौलिक पदों के प्रति नियुक्त हैं उनके विनियमितीकरण के बारे में शासन की क्या नीति है ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

मान्यवर, बहुत स्पष्ट इस विधेयक में लिखा है कि ऐसे सभी शिक्षकों की सेवाओं के विनियमितीकरण के प्रकरणों का शासन हवारा सहानुभूति पूर्वक परीक्षण किया जा रहा है ।

श्री पंचानन राय–

मान्यवर, उच्च शिक्षा सेवा आयोग इन पदों पर साक्षात्कार कर चुका है तो क्या

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

माननीय मंत्री जी उच्च शिक्षा सेवा आयोग से अनुरोध करेंगे कि जब तक निर्णय न हो जाय तब तक उनका रेजल्ट घोषित न किया जाय ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि इसमें हम सहानुभूति पूर्वक परीक्षण करवा रहे हैं तो इस समय इन सारी स्थितियों की विवेचना भी हम करवा रहे हैं ।

श्री पंचानन राय–

मान्यवर, मैंने पूछा है कि आयोग रेजल्ट घोषित कर देगा तो इन जगहों पर नयी नियुक्तियां हो जायंगी उसके बाद परीक्षण क्या करेंगे ? मैं जानना चाहता हूं कि जब तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच जाते हैं तब तक आयोग से अनुरोध करेंगे कि रेजल्ट घोषित न किया जाय ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

इस पर हम विचार करा लेंगे ।

श्री पंचानन राय–

मान्यवर, मंत्री जी ने क्या उत्तर दिया है ।

श्री अध्यक्ष–

मैं तो समझता था कि आप संतुष्ट हो गये । मैं मंत्री जी से कहूंगा कि उत्तर दोहरा दें ।

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

मान्यवर, मैंने निवेदन किया था कि मैं विचार करा लूंगा ।

जनपद आगरा के तहसील एत्मादपुर के कई गांवों में पेयजल संकट उत्पन्न होने तथा थाना बड़हलगंज, जिला गोरखपुर की पुलिस द्वारा श्री निर्विकार त्रिपाठी की हत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में होने वाले वक्तव्यों का स्थगन

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या 16 और 17 के संबंध में मेरा कहना है कि इसमें वक्तव्य नहीं आया है । मैं शासन से चाहूंगा कि इसके बारे में सूचना मंगा लें । यह वक्तव्य आगामी सत्र में ले लिए जायेंगे । यह लैप्स नहीं होंगे यह मेरा इसमें निर्णय है ।

उ0 प्र0 गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, 1990

सचिव, विधान सभा–

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 153 के अंतर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, 1990, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 16 जनवरी, 1990 को पारित किया गया था तथा श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और दिनांक 16 जनवरी, 1990 को विधान परिषद् सचिवालय में प्राप्त हुआ था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 17 जनवरी, 1990 को वापस प्राप्त हो गया है ।

बन्दूकों आदि के लाइसेंसों पर लगाये गये प्रतिबन्धों को हटाये जाने विषयक आज की कार्य-सूची के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न 2 नत्थी (क) के संबंध में नियम 49 के अंतर्गत चर्चा

श्री अध्यक्ष–

बन्दूकों आदि के लाइसेंसों पर लगाये गये प्रतिबन्धों को हटाये जाने तथा सच्चरित्र नागरिकों को उनकी प्रार्थना पर लाइसेंस प्रदान किये जाने के विषय में दिनांक 17 जनवरी,

1990 को पूछे गये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 नत्थी (क) के संबंध में श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह द्वारा दी गई सूचना पर उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 49 के अंतर्गत आधे घंटे की चर्चा स्वीकार की गयी है। चर्चा आरम्भ करें।

*श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह–

मान्यवर, मैं आभार प्रकट करता हूं कि आपने इस पर बोलने की आज्ञा दी। नये लाइसेंस मिलना बंद है और लाइसेंसों के नवीनीकरण पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। इसमें दिक्कत यह हो रही है कि जब यह लाइसेंस धारी किसी शूटिंग प्रतियोगिता में जाना चाहते हैं तो लाइसेन्स जिले भर का रह गया है तो वह कैसे जा पायेंगे ?

(मुख्य मंत्री के पास कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यगण, कृपया बैठ जायं।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, उधर के माननीय सदस्य इधर चले आते हैं, क्या किया जाय ?

श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह–

मान्यवर, जो लाइसेंसधारी नेशनल राइफल एशोसिएशन आफ इण्डिया, नई दिल्ली के सदस्य हैं, उनको कारतूस अथवा हथियार कैसे मिल पायेगा ? कारतूस अथवा हथियार का जो विदेश से कोटा आता है, वह जिले के लाइसेंसधारियों को कैसे मिल सकेगा ? ऐसी स्थिति में वह केवल समस्त भारत के लाइसेंसधारी को ही मिल सकेगा। मान्यवर, आज वह सुविधा समाप्त कर दी गयी है। दूसरी बात यह है कि जो शूटिंग प्रतियोगिता में भाग लेते रहे हैं, वह प्रतियोगिता दूसरे प्रदेशों में भी होती है, तो वे अपने जिले का लाइसेंस लेकर कैसे जायंगे, जब तक कि उनके पास आल इण्डिया का लाइसेन्स नहीं होगा ? अगर किसी लाइसेन्सधारी की रिश्तेदारी दूसरे जिले में है, और उसके साथ, बहू–बच्चे भी जाते हैं, तो वह अपने जिले का लाइसेंस दूसरे जिले में कैसे ले जायगा और उसकी क्या सुरक्षा आर्म से हुई ? इसलिए मेरा निवेदन है कि नवीनीकरण हेतु जिलाधिकारी प्रार्थना-पत्र लें और चाहे वह प्रदेश का लाइसेन्स हो, चाहे भारत का और जिलाधिकारी उसको एक रसीद दे दें लाइसेन्स प्राप्ति की और जिलाधिकारी स्वयं सरकारी जांच से नवीनीकरण हेतु उत्तर प्रदेश का लाइसेंस लखनऊ और भारत का लाइसेंस दिल्ली भेज दें अपनी संस्तुति के साथ और जब वह रिन्यु होकर आ जाय, तो लाइसेंसधारी को उपलब्ध करा दें।

कुछ अवैध लोग लाइसेंस लेकर फिर रहे हैं, उन्हें पुलिस पकड़ती नहीं है और यह कहावत चरितार्थ हो रही है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। अनेक लाइसेन्स-धारी दूसरे सूबों से लाइसेंस बनवा लाए हैं। उनमें अनेक लाइसेंस मेरी जानकारी के हिसाब से फर्जी हैं। उसकी जांच करवाई जाय। यह नियम बना दिया जाय कि भारत के लाइसेन्स का, प्रदेश के लाइसेन्स का क्या नियम है। मैं प्रदेश सरकार से आग्रह करता हूं कि भारत सरकार को अपनी संस्तुति इस विषय में भेजें और वहां से

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आदेश प्राप्त होने पर लाइसेंसधारियों को अवगत करा दें । मान्यवर, कुछ लाइसेंस-धारी कत्ल के मुलजिम हैं, जिन्होंने 4-4, 6-6 कत्ल किए हैं और लाइसेंस लिए हुए घूम रहे हैं और आज तक पुलिस उनका लाइसेंस नहीं जमा करा पायी है । इससे कानून-व्यवस्था जर्जर हो रही है ।

(श्री शैलेन्द्र कुमार के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

नियम के अनुसार जो प्रस्ताव रखता है, वह पहले बोलता है, उसके बाद माननीय मंत्री जी जवाब देते हैं, तब माननीय सदस्य प्रश्न पूछते हैं और माननीय मंत्री जी जबाब देते हैं ।

*नियोजन एवं कारागार मंत्री (श्री शतरुद्र प्रकाश)—

मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है । इसमें तीन पहलू तो बहुत महत्वपूर्ण हैं । एक पहलू तो यह है कि जिन लोगों ने पहले लाइसेंस लिए हैं हथियारों के, उनका नवीनीकरण और दूसरा है कि कुछ लोगों को अपनी रक्षा के लिए हथियारों की जरूरत है और उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए हथियार दिया जाय और तीसरा यह है कि इस संबंध में जो पुरानी परिपाटी, पुराना नियम चल रहा है, उस संबंध में जो आज परिस्थिति पैदा हो गयी है, राज्य सरकार की क्या सीमाएं हैं और राज्य सरकार उसमें क्या कर सकती है ये तीन महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, श्रीमन् ।

मान्यवर, जहां तक मैं समझता हूं कि इस समय जो परेशानी आ रही है वह पहले नम्बर पर यह है कि जिन लोगों को पुराने लाइसेंस मिले हैं उन लोगों का नवीनीकरण उस सीमा तक नहीं हो पा रहा है जिस सीमा तक लाइसेंस मिला था जैसे कुछ लोगों को आम आदमी को पूरे देश के लिए लाइसेंस मिला था । अब जो 24 जनवरी, 89 को भारत सरकार ने आयुध नियमावली 1962 में संशोधन जो किया है वह संशोधन करने के बाद अब यह तय कर दिया है कि जिलाधिकारी जिले के अन्दर या प्रदेश स्तर पर या प्रदेश के कुछ हिस्सों के लिए वह भी कुछ व्यक्तियों के लिए और राज्य सरकार राज्य की सीमा के अन्तर्गत और पूरे देश के लिए केन्द्र सरकार लाइसेंस दे सकती है ।

मान्यवर, केवल लाइसेंस देने की बात नहीं है बल्कि जो नवीनीकरण है उसके संबंध में यह साफ नियमावली में उल्लेख कर दिया गया है कि सम्पूर्ण भारत में प्रभावी अनुज्ञप्ति को केन्द्र सरकार के गृह मंत्रालय के पूर्व अनुमोदन से अनुदत्त यह नवीकृत किया जायेगा । मान्यवर, अब इतना स्पष्ट नियमों में प्राविधानित होने के बाद राज्य सरकार की कुछ सीमाएं हो गयी हैं । राज्य सरकार पूरे तौर पर चाहती है कि नागरिक की पूरी सुरक्षा की जाय और कानून व्यवस्था के अन्तर्गत पुलिस को जैसा करना है वह किया जाय । जो लोग अपनी रक्षा के लिए हथियार चाहते हैं वह दिया जाय । हुआ यह कि पिछली सरकार ने जो 2-4 अपनी कार्यशैली के कारण जो फैसला लिया है उसका हमको कुछ नतीजा भुगतना पड़ रहा है, यह सच्चाई है जिसको मैं कहना नहीं चाह रहा हूं । 1985 में जब वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने टेलेक्स के द्वारा एक प्रतिबंधित आदेश जारी करवा दिया था और यह आदेश जारी करा दिया था जिलाधिकारियों को ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

यह आपका सूक्ष्म भाषण है, बाद में अन्तिम भाषण होगा ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मैं तो सूक्ष्म बता रहा हूं लेकिन कुछ माननीय सदस्य गुस्सा हो जायेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

भाषण का प्राविधान इसलिए होता है कि शायद माननीय सदस्य सन्तुष्ट हो जायं और न बोलें ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

अगर इजाजत दें तो बतायें ।

मैंने आपके सामने यथास्थिति रख दी बेहतर होगा माननीय सदस्य अपनी राय व्यक्त करें उसके बाद में मैं अपनी बात कहूं ।

*श्रीमती सिया दुलारी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि बांदा जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है और वहां पर अपराध की स्थिति चरम सीमा तक पहुंच गयी है वहां के अपराधों को देखते हुए वहां के अच्छे लोगों को नये लाइसेंस मंत्री जी दिलवायेंगे, इसके साथ ही साथ इस जिले को संवेदनशील घोषित करेंगे ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि यह पूरा सदन आज सुबह से ही इस विषय में गम्भीर रूप से चिन्तित है और अपने मनोभावों को मा0 सदस्य प्रकट करना चाहते हैं । इसीलिए आपने सदन में चर्चा का अवसर भी दिया है । मान्यवर, हमारे मंत्री जी के जो विचार है उनके विचार में और माननीय सदस्यों के विचार में बहुत अंतर नहीं है लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि विचारों में आदान-प्रदान में कुछ व्यवधान पड़ गया और उस व्यवधान के कारण कुछ बातें साफ नहीं हो पायी हैं, मैं उन बिन्दुओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । इसके दो पहलू हैं । एक तो लाइसेंसों का नवीनीकरण, उसमें तो केन्द्र सरकार के कुछ निर्देश आ गये हैं जिनका पालन करना अनिवार्य है । उसमें ये अपनी ओर से कुछ जोड़ घटा नहीं सकते हैं । लेकिन ला एण्ड आर्डर स्टेट का सब्जेक्ट होता है और अपने प्रदेश में किसको हथियार दे, किसको न दे, इसका मानक शासन तय करता है । शासन तय कर तो स्पष्ट चीज सामने आ जाय । आपने पहले ही एक महिला सदस्य आदरणीय सिया दुलारी को बोलने का अवसर दिया । उन्होंने अपने जिले की ओर ध्यान दिलाया । मा0 मुख्य मंत्रीजी ने भी कहा कि पिछली सरकार ने एक डकैत को पकड़ने के लिए 4 करोड़ रुपया खर्च किया, लेकिन वह पकड़ा नहीं जा सका क्योंकि पुलिस के लोग पिछली सरकार की शह से उससे मिल गये थे । मैं एक बात कहना चाहता हूं कि शासन कृपा करके एक नीति स्पष्ट करें । जो अच्छे चरित्र वाले लोग हैं, चाहे अधिकारी हों या किसान हों या शांतिप्रिय नागरिक हों, उनको लाइसेंस

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दिलाना चाहिए । आपको पुलिसिंग का रवैया देखना चाहिए जो कि प्रदेश में बहुत कम है ।

कितनी पुलिस है और उसे हथियार दिये हैं । आप देखेंगे कि लाइसेंस देने की प्रक्रिया अब भी जरूर कायम है लेकिन इस पर पुनर्विचार करना चाहिए । मैं पिछली सरकार की एक बात को कहना चाहूंगा कि एक समय कार्बाइन का लाइसेंस बन्द करने का प्राविधान आया था, उसको भी पुनरीक्षित करने पर सरकार को विचार करना चाहिए और यथोचित को लाइसेंस देना चाहिए । यह मेरा निवेदन है, मेरा विचार है । मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि नवीनीकरण के संबंध में जैसा कि मा0 नेतागण ने कहा, नवीनीकरण का स्वरूप ऐसा कर दीजिए कि लोगों को लखनऊ और दिल्ली न जाना पड़े । जो लोग जिले के स्तर पर लाइसेंस लेना चाहते हैं या नवीनीकरण चाहते हैं तो उनको जब तक कि उनका लाइसेंस नवीनीकरण होकर न मिल जाय, तब तक के लिए पक्की रसीद दे दें और दिल्ली के लिए भी ऐसी व्यवस्था करा दें कि कलेक्टर के यहां से ही यह काम हो जाय । इन्हीं शब्दों के साथ लाइसेन्स चरित्रवान एवं आवश्यकता प्रद नागरिकों को दें, इस बात पर जोर दे रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष–

मेरी इच्छा है कि इसमें मा0 नेतागण अपने विचार रख दें । आज कितनी बार सदन स्थगित रहा । इसमें सबकी भावनाएं आ जायं तो अच्छा है । (व्यवधान) आधा घंटे का समय है । कांग्रेस से 2-3 नाम दे दिये जायं तो मैं उनको बुला लूं । सब खड़े हो जायेंगे तो किसको बुलाऊंगा । आप दो तीन नाम दे दें ।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

मान्यवर, आपने कहा कि सभी लोगों के विचार आ जांय और नेतागण बोल लें । मान्यवर, मा0 कल्याण सिंह जी को पहले ही दो बार मौका मिल चुका है, क्या उसके बाद भी मा0 अध्यक्ष जी उनकी भावनाएं नहीं जान सकें? क्या अब तक इनकी भावनाओं की जानकारी नहीं मिल सकी?

श्री अध्यक्ष–

मैंने आपकी बात सुन ली । मैं इस चर्चा में पहली बार उनको सुन रहा हूं । आपको हर विषय पर अपने विचार व्यक्त करने हैं । मेरा दुर्भाग्य है कि सब लोगों को कैसे सुन सकूंगा ? आप मेरा सहयोग करें, मैं आपका करूंगा ।

श्री कल्यान सिंह–

मान्यवर, मैं बहुत संक्षेप में और बहुत ही कम समय में दो बातें कहने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

श्री अध्यक्ष–

आप दो नाम भेज दें ।

श्री कल्यान सिंह–

मान्यवर, इस समस्या के दो खण्ड हैं । एक यह है कि उत्तर प्रदेश के अन्दर नये लाइसेंसों के ऊपर जो रोक लगी हुई है, वह रोक अभी है । अभी का तात्पर्य यह है कि आज भी कोई वृद्ध हो गया है तो उसका हस्तान्तरण हो सकता है । अगर कोई लाइसेंसी मर गया तो उसके बेटे के नाम हस्तान्तरित हो सकता

है । किसी के यहां डकैती पड़ गयी है तो उसे लाइसेंस दिया जा सकता है कहीं कत्ल हो गया तो वहां दिया जा सकता है । रोक भी लगी है रोक नहीं भी लगी है । नतीजा यह हो रहा है कि बहुत छोटा सा क्राइटेरिया तो ऐसा है कि लाइसेन्स अनुमन्य है। लेकिन प्रदेश का जो आम नागरिक है जीवन की सुरक्षा के लिए जिसे लाइसेंस चाहिए अच्छा नागरिक है चरित्रवान है उनको लाइसेंस नहीं मिल पा रहा है उस तथाकथित रोक के कारण से । आज परिणाम यह सामने आ रहा है कि जो अच्छे नागरिक हैं उनको जब लाइसेंस नहीं मिल रहा है तो वे नम्बर 2 का हथियार खरीदने के लिए विदश हो रहे हैं। वह लाठी से तो बदमाश के कट्टे का मुकाबला कर नहीं सकते। प्रातःकाल भी इस पर चर्चा हुई, मैं शासन से इस सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि लाइसेंस देने पर जो रोक लगी हुई है उस रोक को हटायें । डयू वेरिफिकेशन के बाद अच्छे नागरिकों को लाइसेंस देने की प्रणाली फिर से चालू करायी जाय । प्रातः काल भी इस पर बहुत सी बातें हुई और उस पर सरकार की ओर से उत्तर दिया जा रहा यह समझा गया कि नवीनीकरण के ऊपर केन्द्रीय सरकार ने कोई अधिसूचना जारी की होगी या कोई एक्ट बना होगा इसलिए स्टेट गवर्नमेंट उसमें कुछ नहीं कर सकती है । मैं ऐसी धारणा में था कि यदि ऐसा है तो सरकार के सामने वाकई में कठिनाई है ।

मान्यवर, उस चर्चा के पश्चात् मुझे गृह मंत्रालय केन्द्रीय सरकार के एक परिपत्र की प्रतिलिपि मिल गयी है । मैं आपकी अनुमति से उसे माननीय मंत्री जी को पढ़कर सुनाना चाहता हूं । जो कुछ भी आप कह रहे हैं वह कठिनाई बिल्कुल है नहीं । यह अंग्रेजी में है । मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से इसे पढ़े दे रहा हूं इसका हिन्दी अनुवाद भी कर दूंगा। यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय का है, पत्र का जिस्ट ही बता दूं । यह पत्र संख्या-बी-11026/24/87-ए आर एम एस नई दिल्ली, दिनांक 28 अप्रैल, 1989 का है । ध्यान रहे कि 24 जनवरी के बाद का है, जो अधिसूचना जारी की गयी, अप्रैल आता है जनवरी के बाद । मान्यवर प्रदेश की ओर से बहुत सी ऐसी एप्लाकेशंस थी जो केन्द्रीय मंत्रालय के लिए संदर्भित की गयी कि इनके नवीनीकरण को अखिल भारतीय कर दिया जाये । स्पष्ट कहा है उन्होंने :—

रीफर टिस मिनिस्ट्रीज लेटर आफ इवेन नम्बर डेटेड 30यथ जनवरी, 1989 रिगार्डिन्ग सरटेन एमेन्डमेन्ट्स कैरेड आउट-इन आर्म्स रूल्स 1962 वाइड गजट नोटीफिकेशन जी0 एस0 आर0 नम्बर 52 (ई) डेटेड 24थ जनवरी, 1989 । वन आफ दी सैलेन्ट फीचर्स आफ सेड एमेंन्डमेन्ट इज दैट स्टेट गवर्नमेंट/यू0 टी0 एडीमिनिस्ट्रेशन आर टू रिन्यू आर्म्स लाइसेन्स हैविंग वैलिडिटी थ्रोआउट इण्डिया ओन्ली विथ दी प्रीवियस एप्रूबल/कनसेन्ट आफ सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट इन मिनिस्ट्री आफ होम एफेअर्स ।

24 जनवरी, 1989 को जो अधिसूचना जारी हुई है उसमें केन्द्र के पूर्व अनुमोदन को देखते हुए अखिल भारतीय स्तर पर लाइसेंस नवीनीकरण किया जा सकता है । लेकिन जो महत्वपूर्ण अंश है, वह कहते हैं :—

स्टेट गवर्नमेंट/यू टी एडीमिस्ट्रेशन आर फारवर्डिंग एप्लीकेशन्स इन रिस्पेक्ट आफ रेन वाल आफ सच आर्म्स लाइसेन्सज एल्सो दोज ग्रान्टेड प्रियर टू इशू आफ सेड अमेन्डमेंट आई0 ई0 24 जनवरी, 1989 ।

उनका कहना यह है कि स्टेट गवर्नमेन्ट से वह एप्लीकेशन भी केन्द्र को एप्रूवल के लिए जा रही है, जिनका लाइसेंस 24 जनवरी, 1989 के पहले स्वीकार किया गया था ।

यह इसमें स्पष्ट किया है, केन्द्रीय सरकार ने क्लेरीफाइड दैट सच आर्म्स लाइसेन्सेज में बी रिन्युड बाई स्टेट गवर्नमेन्ट/यू टी एडमिनिस्ट्रेशन विदाउट सीकिंग प्राअर एप्रूवल आफ दिस मिनिस्ट्री । इन केस स्टेट गवर्नमेंट आर आफ ओपिनियन टू रिस्ट्रिक्ट एरिया आफ वेलिडिटी आफ एनी लाइसेन्स हैविंग वेलिडिटी थ्रूआउट इन्डिया मैटर में बी रिफर्ड टू दिस मिनिस्ट्री विफोर प्रोसीडिंग फरदर बाई स्टेट गवर्नमेन्ट्स । इस प्रकार मान्यवर, केन्द्रीय सरकार ने स्पष्ट कह दिया है कि 24 जनवरी, 1989 से पहले जो लाइसेन्स स्वीकार हो गये हैं, उनका नवीनीकरण करने का अधिकार राज्य सरकार को ही है, इसमें केन्द्रीय सरकार को संदर्भित करने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है ।

मुझे अफसोस इस बात का है कि माननीय मंत्री जी को गृह विभाग ने सारी पत्रावली तो पेश कर दी, लेकिन जो इतना महत्वपूर्ण डाकूमेंट है, उसको पेश ही नहीं किया । इसमें स्पष्ट दिया है कि ऐसा कोई झंझट नहीं है और 24 जनवरी, 1989 के पहले के लाइसेन्सों के नवीनीकरण पर सेन्ट्रल गवर्मेंट का अप्रूवल लेने की कोई आवश्यकता नहीं है इसका अधिकार स्टेट गवर्नमेंन्ट को स्वयं है । तो मान्यवर, मैं चाहता हूं कि इस प्रपत्र के संबंध में माननीय मंत्री जी आज ही सदन में घोषणा करें कि केन्द्रीय सरकार ने जो प्रपत्र भेजा है, उसके अनुसार इसका अधिकार राज्य सरकार को है, और वह जिलाधिकारी को इसका अधिकार दें कि जिन अच्छे लोगों को लाइसेन्स की आवश्यकता है, वह उसकी संस्तुति करें । पता नहीं क्यों आज सुबह से इस पर झंझट हो रहा है, मेरी समझ में नहीं आता।

*श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

मान्यवर, अब यह बहुत सीधा-सादा प्रश्न रह गया है, जो बहुत उलझा हुआ था, लेकिन माननीय कल्याण सिंह जी के प्रपत्र दिखाने के बाद अब यह सुलझ गया है, आज ही इस पर मेरी नजर भी गयी, इसमें बहुत स्पष्ट है कि 24 जनवरी, 1989 के पहले के लाइसेंसों का नवीनीकरण राज्य सरकार को ही करना है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहूंगा कि यह अत्यन्त जटिल समस्या है और जो बड़े लोग हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है । लेकिन सरकार की प्रतिबंध लगाने की जो मंशा थी, वह यही कि जो साधारण लोग हैं, जो गांवों में रहते हैं, जिनकी सुरक्षा की ज्यादा जरूरत है, वह लाइसेन्स रिन्यू न करा पायें । क्योंकि जो बड़े लोग हैं, वह तो दिल्ली क्या, लन्दन जाकर भी अपना रिन्यू करा लेंगे, लेकिन इस प्रदेश की 90 फीसदी साधारण जनता के ऊपर यह प्रतिबंध लगा हुआ है और जिसकी वजह से उनको परेशानी उठानी पड़ रही है। मैं चाहूंगा कि यह सरकार आज स्पष्ट रूप से घोषणा करे कि इस प्रतिबन्ध को हटाया जायेगा और जैसे जिलाधिकारी पूर्व में पूरे देश का, राज्य ,का जिले का लाइसेन्सों का नवीनीकरण करते थे, उसी प्रकार अब फिर करेंगे । अगर कोई दिक्कत है, स्टेट गवर्मेंट को, तो वह जिलाधिकारी को अपनी पावर्स डेलीगेट कर सकती है, तमाम जगह ऐसा किया भी गया है ।

दूसरी बात मान्यवर, नये लाइसेंसों के बारे में कहना चाहता हूं । आज भी जो बड़े लोग हैं, उनको होम सेक्रेट्री के यहां से लाइसेंस प्राप्त हुये हैं और आप चाहें तो इसकी इन्क्वायरी करा लें । जब से प्रतिबन्ध लगा है, उसके बाद भी जिनको डी0 एम0

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

एस0 पी0 ने रिकमेंड कर दिया, उनको लाइसेंस मिले हैं, वह कौन लोग हो सकते हैं ? यह वही लोग हैं, जिनके पास पैसा है, एप्रोच है, जिनके पास पहुंच हैं । कांग्रेस सरकार का जो प्रतिबन्ध था वह था कि साधारण आदमी को अस्त्रों-शस्त्रों से वंचित रखा जाय । मैं मांग करता हूं कि सरकार ऐसे मामलों की पिछले 5 वर्षों की जांच करवाये । मैं बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में बराबर लाइसेंस दिया जा रहा है, हमारे बुन्देलखण्ड के माननीय सदस्य कह रहे थे कि वहां लोग मध्य प्रदेश में जाकर 2-4 बीघा जमीन खरीदते है और लाइसेंस बनवा लेते हैं । अगर आप वास्तव में गलत अस्त्रों के ऊपर कन्ट्रोल करना चाहते हैं, तो तमाम ऐसे लाइसेंसी हैं, जो यहां उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, जो गलत हैं, आप उनको निरस्त कराइये । लेकिन अपराध रोकने के नाम पर लाइसेंस पर प्रतिबंध लगाना पहले भी अनुचित था और अगर यह सरकार इसको नहीं खोलती है, तो आगे भी अनुचित रहेगा । मैं उम्मीद करता हूं कि यह सरकार नये लाइसेंस देने की प्रक्रिया शुरू करेगी। क्या अपराधों में कमी आई है ? पिछले 5 सालों में नये लाइसेन्स न देने की रीति बनाई गई और अपराधों में वृद्धि हुई । जिसे यह सरकार भी जानती है । जो गलत लाइसेंस दिये गये हैं, उनका पुनरीक्षण किया जाय और उनको निरस्त किया जाय। जो सुचरित्र के लोग हैं और जो भले लोग हैं, पुलिस तो उनकी रक्षा नहीं कर पा रही है फिर पुलिस कम भी है, उन्हें नये लाइसेंस दिये जायं । मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि जिस तरह से प्रश्नकाल के दौरान इस मामले को उलझाया गया, उस प्रवृत्ति को छोड़ दिया जाय और इस पर सरकार को स्पष्ट निर्णय लेना चाहिए ।

श्री राज किशोर सिंह–

मान्यवर, आज ही इसी प्रकार का एक मामला मेरा भी प्रश्न नम्बर–5 पर लगा हुआ था । यह सवाल पूर्ववर्ती सरकार के सामने भी रखा गया था । जिस तरह से पूर्ववर्ती सरकार के गृहमंत्री जो उत्तर देती थी, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो इस वक्त माननीय शतरुद्र प्रकाश जी गृहमंत्री की भूमिका निभा रहे हैं, ठीक उसी तरह की वाणी में बोल रहे हैं । मैं कहना चाहता हूं कि स्थिति बहुत गम्भीर है । कत्ल हो रहे हैं, डकैतियां पड़ रही है । जिलाधीश ने जिसे रिकमेन्ड किया और होम मिनिस्ट्री से जिसका रिकमन्ड हुआ, उन्हीं को लाइसेन्स दिया गया, लेकिन गांव में जहां कत्ल हो रहा है, बदमाश व गुण्डे लोग डकैती करके निकल जा रहे है, वहां पर लाइसेंस नहीं दिये गये हैं । मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि ज्ञानपुर तहसील के अंतर्गत सुरयांवा के करीब भदोही थाने में एक एडवोकेट श्री समर बहादुर को बदमाशों ने मार दिया । अब उसके भाई को खतरा हो गया है । वह अध्यापक है इण्टरकालेज में, उसे आज तक लाइसेंस नहीं दिया गया । वह यहां तक आया परन्तु किसी ने उसकी सुनी नहीं । जो गांव के लोग हैं, उन्हें लाइसेंस नहीं दिये गये और जो गुण्डे, बदमाश लोग हैं जिन्हें कुछ राजनैतिक दलों का संरक्षण प्राप्त है, विगत 5 वर्षों में उन्हीं को लाइसेंस मिले हैं । मैं कहता हूं कि आप एक तरफ से दूसरी तरफ तक जितने भी लाइसेंस उत्तर प्रदेश के लोगों के पास है, उन सबको रद्द कर दीजिए और सबको जमा करवा दीजिए और फिर नये सिरे से आप लाइसेन्स देना शुरू कीजिए । मंत्रियों के पास सुरक्षा गार्ड हैं, कुछ लोगों के पास गनर्स हैं, परन्तु जो शरीफ आदमी है, जो आतंकित है, उनके पास कुछ नहीं है । मैं मंत्री से कहना चाहता हूं कि आप इस पर विचार कीजिए और ऐसे लोगों को आप लाइसेंस दीजिए और जो अपराधिक तत्वों के हाथ लाइसेन्स चले

गये हैं, मेहरबानी करके उन्हें रद्द कर दीजिए । दूसरी बात है रिनूवल की । आज जनपद में किसी का भी रेनूवल नहीं हो पा रहा है । लोग परेशान है ।

माननीय श्री कल्याण सिंह जी ने गृह मंत्रालय का जो परिपत्र पढ़कर सुनाया है, उससे स्थिति बिल्कुल स्पस्ट हो गई है । जो जनवरी के पहले के लाइसेन्स हैं, उन्हें रेनूवल करने में कोई कठिनाई नहीं है । नये लाइसेंस देने वाली बात होती तो उसमें कुछ कठिनाई है, यह बात समझ में आती । इसमें कोई कठिनाई नहीं है और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह जो रुकावट लगायी गयी है, उसे हटाने के लिए हमारी नई सरकार नये ढंग से, नये आचरण से काम करे और केन्द्रीय सरकार को लिखे कि यह पाबंदियां हटा दी जायं ताकि लोगों को परेशानी न हो । जिलाधिकारी पूरे देश के लिए लाइसेंस दे और गांव से दिल्ली चलो, कौन पहुंचेगा ? लखनऊ पहुंच नहीं पाता है दिल्ली कहां से पहुंचेगा ? यह प्रतिबन्ध हटाकर जिलाधिकारी को अधिकार दिया जाना चाहिए । आज ही माननीय मंत्री जी घोषणा करें । नई सरकार है, नई दुल्हन है, नया काम करे, नया चेहरा दिखाये, नई नीति बनाये । नई नीति के आधार पर नया एलान करिये ताकि जनता को सुरक्षा का एहसास हो ।

श्री अध्यक्ष–

यदि सदन सहमत हो तो इसका समय 15 मिनट के लिए और बढ़ा दिया जाय क्योंकि चर्चा का समय समाप्त हो गया है ।

(व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, इसमें आधा घण्टा समय निर्धारित किया था । हम समझते हैं कि माननीय मंत्री जी का जो अंतिम बयान आना है, उसको सुनने के बाद स्पष्टीकरण करा दीजिए और अधिक समय की इसमें आवश्यकता नहीं है ।

श्री अध्यक्ष–

यदि आम सहमति हो तो 15 मिनट का समय बढ़ा दिया जाय । आप लोग सूक्ष्म में बोलिए ।

(सदन की सहमति से चर्चा का समय 15 मिनट के लिए और बढ़ा दिया गया ।

श्री शैलेन्द्र कुमार–

मैं आपकी आज्ञा से मा0 मंत्री जी से स्पष्टीकरण चाहूंगा । आज सुबह प्रश्नकाल के समय सदन में हंगामा खड़ा हुआ, जैसा कि प्रश्न में कहा गया है कि सच्चरित्र नागरिकों को उनके प्रार्थना-पत्र पर लाइसेंस प्रदान करने हेतु जिलाधिकारियों को क्या निर्देश देंगे ? इलाहाबाद जनपद की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । जैसे ही जनता दल का शासन आया है, अभी शासन की तरफ से एक आदेश हुआ था कि 6 कैटेगरी के लोग जिसमें विधायक, मंत्री, ब्लाक प्रमुख, जिला परिषद् के अध्यक्ष, सदस्य, टाउन एरिया के चेयरमैन को 28 फरवरी तक सुरक्षा गार्ड देने की व्यवस्था की गयी थी, जिनके पास सुरक्षा गार्ड आज भी हैं, जिला परिषद् इलाहाबाद के सदस्य श्री मकसूद अहमद का सुरक्षा गार्ड था, शासन का आदेश था लेकिन जिलाधिकारी/एस0 एस0 पी0 की तरफ से उनके पास से सुरक्षा गार्ड विड्ड्रा करने के लिए आदमी भेजे जा रहे जबकि अभी कुछ दिन पूर्व उनके भाई की हत्या हो चुकी है, मेरी व्यक्तिगत जानकारी है कि उनकी जान को

आज भी खतरा है

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

समय कम है, आप लाइसेंस के बारे में बोलें ।

श्री शैलेन्द्र कुमार–

मैं यह चाहूंगा कि जैसा शासन ने आदेश किया था, गृह विभाग और मा0 मुख्य मंत्री जी ने आदेश किया था, उसी के अनुसार जिनके पास सुरक्षा गार्ड रहे । उनसे 28 फरवरी तक, जब तक का समय बढ़ाया गया है, उनको वापस न लिया जाय । यह भी मांग करता हूं कि जैसे कि लाइसेंस के नवीनीकरण की बात है, इसका सरलीकरण किया जाय । मेरी व्यक्तिगत जानकारी है कि कुछ महीने पूर्व मैंने देखा कि जो प्रभावशाली लोग थे, धनवान थे, पूंजीपति थे, उन्होंने अपने प्रभाव से लाइसेंस प्राप्त कर लिया है । आज पूरे प्रदेश में असुरक्षा की भावना है। इसको देखते हुए क्या सरकार इस संबंध में शीघ्र निर्देश देगी ?

*चौधरी शंकर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं संक्षेप में तीन-चार बिन्दुओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । पहली चीज तो मान्यवर, यह कि मा0 कल्यान सिंह जी ने जो शासना-देश केन्द्र का दिखाया है, उसके बाद स्थिति बिलकुल स्पष्ट हो गयी है । यह इस पक्ष या उस पक्ष की बात नहीं है, जो कुछ भी पांच-छः वर्षों पूर्व में मा0 वीर बहादुर सिंह ने किया है, हमारे विरोधी पक्ष के लोग उस गलती को स्वीकार कर रहे हैं, यह जन मानस की इच्छा है और विपक्ष की भी इच्छा है क्योंकि यह पूरे प्रदेश की परेशानी है।

मैं अपना निजी अनुभव बतलाता हूं कि मेरा कारबाईन का लाईसेन्स दिल्ली गया लेकिन आज तक पता नहीं चला कि वह कहां गया? आर्डिनेन्स के तहत आर्म नियमानुसार कैरी नहीं कर सकते हैं जब तक कि लाइसेंस का रिन्यूवल न हो जाय । एक चीज और इन्ट्रोड्यूस की गयी कि जो सचरित्र न हों, तो सचरित्रता के लिये पहले पुलिस की रिपोर्ट आयेगी और जब तक उसकी रिपोर्ट आयेगी तब तक रिन्यूवल का समय समाप्त हो जायेगा । तो जो नियमों में प्राविधान है कि अगर किसी का चरित्र खराब है या बाद में हो जाता है तो डी0 एम0 के द्वारा लाइसेन्स खत्म कर दिया जाता है । यह गांव के लोगों के शोषण का एक नया दरवाजा और खोला गया है ।

मंत्री जी ने कहा कि इसे गृह सचिव करेंगे । हमारे साथी मौजूद हैं कितनी हीन भावना सहनी पड़ती है कि जब गृह सचिव के यहां जाते हैं तो वे अपना सिर उठा कर ऊपर भी नहीं देखते हैं । बताइये कि क्षेत्र के लोगों को इस प्रकार से कैसे लाइसेन्स दिलाया जा सकता है?इसलिये इस व्यवस्था को माननीय मंत्री जी पूरे प्रदेश की भावना को ध्यान में रख कर पहले वाली प्रक्रिया को, पहले वाले सिस्टम को मान कर चलिये । उन्होंने जो किया है उसकी गलती वे महसूस कर रहे हैं । यदि वे गलती करेंगे तो क्या आप भी करेंगे? यह कैसे चल पायेगा?

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*श्री हरीश कुमार गंगवार–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं उन बातों को नहीं कहूंगा जो और सदस्यों ने कही हैं मैं कहना चाहता हूं कि आर्म्स लाइसेन्स का बिन्दु है तो 1986 के प्रारम्भ में यहां गृह सचिव, श्री माता प्रसाद जी से मैं मिला था तब मैं संसद का सदस्य था तो मैंने उनसे पूछा कि लाइसेन्स बन्द क्यों कर दिया गया? उन्होंने कहा कि शस्त्रों से अपराध बढ़ रहे हैं। इस ग्राउण्ड पर कैबिनेट में डिसीजन हुआ, तो 1982-83 शस्त्रों के द्वारा जो अपराधों की संख्या थी और अब शस्त्रों के द्वारा जो अपराधों की संख्या है इनको देख लीजिये और अगर अब अपराधों की संख्या अधिक निकले तो आप तुरन्त खोल दें।

दूसरी बात हाई कोर्ट का निर्णय हो चुका है कि लाइसेन्स लेना नागरिक का अधिकार है तो इस अधिकार के प्रति आप क्यों कुठाराघात कर रहे हैं। श्रीमन्, देहात में इतने बीहड़ इलाके हैं जहां आप गये नहीं होंगे माननीय मंत्री जी, चाहे जो कानून बना लें, लेकिन जहां 4–6 लाइसेन्सधारी गांव में होते हैं वहां डकैती नहीं पड़ती है। जहां 4 लाइसेन्स अगर किसी गांव में होते हैं, तो वहां पर डकैतियां नहीं पड़ती हैं और जहां पर लाइसेन्सी नहीं होते हैं, वहीं पर डकैतियां भी पड़ती हैं और कत्ल भी होते हैं, इसलिए जहां तक नवीनीकरण का सवाल है, उसे पुराने तरीके पर ही रहने दिया जाए और बीच में एस0 डी0 एम0 व डी0 एम0 की बात कहां से आ गयी (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

ठीक है अब आप बैठिए, आपकी भावना भी वही है जो और लोगों की है, वह मालूम हो गया, अब दूसरों को मौका दिया जाना चाहिए, कृपया बैठें।

श्री हरीश कुमार गंगवार–

मान्यवर, एक बात और कह दूं कि यह जो सेण्ट्रल गवर्नमेन्ट और प्राविंशियल गवर्नमेन्ट का झगड़ा लगाया गया है यह न होना चाहिए क्योंकि सेन्ट्रल गवर्नमेंट भी और प्राविन्शियल गवर्नमेंट भी दोनों गवर्नमेंट आपकी हैं, तो यह झगड़ा भी अब किस रूप में लग सकता है। इसलिए मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि ऐसा न करके वही पुराना तरीके के अनुसार जैसे लाइसेंस मिल रहे थे, वैसे ही लाइसेंस दिए जायं और नवीनीकरण आदि भी किए जायं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इधर उधर की बात न कर बल्कि यह बता (व्यवधान)

...वाह-वाह एक साथ कई आवाजें....

*श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस पर बोलने का समय दिया। मान्यवर, आज जो चर्चा इस समय चल रही है, इसमें दो मुद्दे हैं विशेष रूप से। एक तो नया लाइसेंस दिए जाने का मुद्दा है और दूसरा नवीनीकरण का। जहां तक नवीनीकरण का मामला है, उसे जिला स्तर पर जिलाधिकारी की ही संस्तुति पर्याप्त होनी चाहिए तथा प्रदेशीय स्तर पर संबंधित जिले के संबंधित (अर्थात जिलाधिकारी) अधिकारी की रिपोर्ट आने पर तथा राष्ट्रीय स्तर पर, जहां तक नये लाइसेंस के दिए जाने की बात है, इसकी संस्तुति केन्द्रीय सरकार करे, जहां के लिए लाइसेंस मांगा गया है, वहां की रिपोर्ट संस्तुति संबंधी आने पर, तो इस तरह से लाइसेंस दिए जाने चाहिए। मैं मान्यवर, 22 वर्षों से इसी बात के केसेज कर रहा हूं, अधिकतर मुकदमें जो मैंने देखे हैं वह बिना लाइसेंसी हथियारों द्वारा ही अधिक पाये हैं और लाइसेंसी हथियारों के मुकदमें कम पाए हैं, लाइसेंसी हथियार जो लोग अपने पास रखते हैं वह अधिकतर अपनी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सुरक्षा के लिए ही रखते हैं और उनका प्रयोग वह अपनी सुरक्षा के लिए ही करते हैं न कि अपराध के लिए और आज जैसा कि आप स्वयं देख रहे हैं कि कैसा असुरक्षित माहौल है हिंसा का हर जगह माहौल है, दूसरे राजनीतिक अपराधीकरण कितने हुए हैं, आज के माहौल को देखते हुए अपनी अपनी सुरक्षा बहुत आवश्यक है, तो जिस तरह से आपने एम0एल0एज0 व एम0पीज0 को लाइसेंस दिए हैं, उसी तरह से इस प्रदेश के सम्पूर्ण नागरिकों को भी लाइसेंस मिलने चाहिए और जिन्हें लाइसेंस मिले हुए हैं उनका नवीनीकरण भी उसी तरह से होना चाहिए । इन कार्यों में किसी किस्म के प्रतिबन्ध न लगाये जाने चाहिए अगर ऐसे कोई डायरेक्टिव आपने संबंधित अधिकारियों/विभाग को दिए हों, उसे कृपया वापस ले लें और जैसा कि माननीय शंकर सिंह जी ने हालांकि उस पक्ष में होते हुए, बड़ी निष्पक्षता से, सुदृढ़ता से और दृढ़ता से सच्ची बातें कही हैं, उन पर विचार करें और पिछली सरकार की बात बार-बार कही जा रही है अगर पिछली सरकार किसी बात में कोई कमी रखती है तो क्या उस कमी को आप भी बनाए रखेंगे । इसलिए मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह अनुरोध करूंगा माननीय मंत्री जी से कि वह कृपया इस पर आश्वासन दें कि सदन के विचारों के अनुकूल ही कार्यवाही करेंगे और यदि वह पहले ही इस ओर कुछ निर्देशन किए होते तो शायद यह स्थिति पैदा न होती....

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

मैं आपके माध्यम से नई सरकार से आशा करता हूं और शुभ कामनायें करता हूं कि वह कुछ अच्छे कार्य करे ।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप सभी एक ही बात कह रहे हैं । बिना समय बढ़ाये हुये यह संभव नहीं है। अगर समय बढ़ता नहीं है, तो नहीं लिखा जायेगा ।

(समय 6 बजे)

डा0 दिनेश जौहरी–

[x x x]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

पहले आप समय बढ़वायें, अगर आपको बहुत दिक्कत है, लेकिन जब तक आप समय नहीं बढ़वायेंगे, मैं अनुमति नहीं दूंगा ।

(व्यवधान)

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

[x x x]

श्री राम बचन–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

अगर नहीं चलेगा तो आप बता दें, कैसे चलेगा? आपका कुछ कार्यवाही में नहीं लिखा जायेगा । आप समय बढ़ाने का प्रस्ताव पहले करें ।

(व्यवधान)

नोटः–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

मैं अपनी ओर से 10 मिनट का समय बढ़ाये दे रहा हूं, लेकिन आप समझ लें कि इस बीच में प्रस्तावक को बोलना है और मंत्री जी को उत्तर देना है ।

(व्यवधान)

(चर्चा का समय 10 मिनट के लिए और बढ़ा दिया गया)

श्री अध्यक्ष–

आप बैठें, सदन का समय बढ़ गया है ।

श्री महेन्द्र सिंह भाटी–

रिन्यूवल किया जायेगा या नहीं किया जायेगा ?

डा0 दिनेश जौहरी–

आपने तो मुझे बोलने की आज्ञा दे दी है । अगर लाइसेंस नहीं देंगे, तो जनता रामपुर चली जायेगी और आजम खां के यहां से ले आयेगी । विधायकों को आप लाइसेंस देते हैं तथा अन्य लोगों को भी डकैती पड़ जाने के बाद लाइसेंस देते हैं लेकिन उसमें भी दो तीन साल लग जाते हैं । इसलिये आप समय निर्धारित कर दें कि लाइसेंस के लिये एप्लाई करने के बाद 3 महीने के अंदर लाइसेंस दे दिया जाय । तथा दूसरे प्रदेशों से पंजाब हरियाणा मध्य प्रदेश आदि से लोग लाइसेंस लेकर जो आ रहे हैं उनकी भी चैकिंग कराइये ।

श्री अध्यक्ष–

यह बात आ चुकी है ।

डा0 विनेश जौहरी–

तो मेरा कहना है कि उस पर भी रोक लगनी चाहिये ।

*श्री राम बचन (आजमगढ़)–

अध्यक्ष महोदय मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे पहली बार बोलने का अवसर दिया । आठ दिनों से यहां चर्चा चल रही है बहुत उठक बैठक करने के बाद ही आज अपनी बात कहने का मौका दिया । मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं आप कहते हैं कि हम क्रांतिकारी परिवर्तन करना चाहते हैं, आप कहते हैं कि हम गरीबों के हितैशी हैं, आपकी मंशा गरीबों की सेवा करने की है माननीय मुख्य मंत्री जी का भी बयान हो चुका है । तो आप वही नियम लागू करना चाहते हैं जिससे हम उधर से इधर आये हैं अगर वही आप करेंगे तो भी उधर से इधर आने में देर नहीं होगी। आपसे प्रार्थना है, आपसे निवेदन है कि इस चीज को खतम करिये । जब डकैती हो जाय, जब जान ले ली जाय तब लाइसेंस देने की बात कहते हैं । आपका कलैक्टर क्या जानता है किसको जरूरत है क्या कलैक्टर और दरोगा इतना ईमानदार है जो उसको यह काम दें आप विधायक को इसके लिये नियुक्त करिये जिसको वह लाइसेंस देने की संस्तुति करे उसे दें क्योंकि विधायक अपने क्षेत्र के बारे में जानता है । जिलाधिकारी और दरोगा के बारे में मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि यह सारे के सारे बेइमान हैं यह सही बात है । एम0एल0एज0 को लाइसेंस देने का अधिकार होना चाहिए ऐसा न करने से जनहित की अवहेलना करना चाहते हैं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह–

मान्यवर, मैं अपने सभी साथियों का आभार व्यक्त करता हूं, सभी ने मेरे प्रस्ताव का समर्थन किया । लाइसेंस के नवीनीकरण के लिये सरकार भारत सरकार को लिखे । जो लाइसेंसधारी वृद्ध हो गया हो अगर वह अपने लाइसेंस को ट्रांसफर करना चाहता है उसके लिये अभी प्राविधान नहीं है कि वह ट्रांसफर हो जायेगा अगर लाइसेंस धारी अपने लड़के के नाम या भतीजे के नाम या जो उत्तराधिकारी है उसको ट्रांसफर करना चाहता है तो उसके नाम ट्रांसफर हो जाना चाहिये । तो जो सुझाव माननीय सदस्यों ने दिये हैं नवीनीकरण का अधिकार कलैक्टर को ही होना चाहिये चाहे प्रदेश का हो गा भारत का हो लाइसेंसधारी प्रार्थना पत्र जो दे उसे रसीद दे दें ताकि उसे परेशानी न हो उसके बाद आप चाहे दिल्ली भेजे या लखनऊ भेजें अन्यथा वह लाइसेंस नहीं रख सकता है । मैं सभी सदस्यों को चाहे वह इधर बैठे हैं या उधर बैठे हैं धन्यवाद देता हूं, सभी ने मेरे प्रस्ताव का समर्थन किया है ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, आज इस सवाल पर सदन दलों में बंटा नहीं है, सारे सदस्य एक राय के हैं और सरकार सदस्यों की भावना की कद्र करके ही चल सकती है खासकर हमारी जनता दल की सरकार माननीय सदस्यों की भावना का आदर करके ही चलेगी । (व्यवधान)

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

चलेगी नहीं ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

माननीय प्रमोद कुमार जी, माननीय सुरेन्द्र सिंह जी, माननीय हरिशंकर तिवारी जी माननीय उपाध्याय जी आज उधर अगली कतार में बैठे हैं वह अच्छी तरह जानते हैं मान्यवर 1985 में पहले बार प्रतिबंध लगाया गया और यह 1987 तक चलता रहा और इस बीच कई प्रकार के प्रतिबंध लगाये गये । मान्यवर, प्रतिबन्ध पिछली सरकार ने लगाया और हम यह उचित नहीं मानते हैं कि राज्य सरकार को इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का प्रतिबंध लगाना चाहिए । मान्यवर, इस सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार भविष्य में किसी भी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं लगायेगी । लेकिन नियमों के अनुसार लाइसेंस देने की जो प्रणाली है या लाइसेन्स देने वाले जो प्राधिकृत अधिकारी हैं उनको जनहित में कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये दिशा निर्देश देते रहेंगे और नियंत्रण रखेंगे । मान्यवर, पिछली सरकार ने जिस प्रकार का प्रतिबंध लगाया उस प्रकार का प्रतिबंध हम नहीं लगायेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

श्री कल्यान सिंह जी ने जो नोटिफिकेशन के बारे में कहा था उस पर भी चर्चा करा दें।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, कल्यान सिंह जी नेता हैं और पहले जनता पार्टी की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, वह जब भी कहेंगे तो तथ्यों से युक्त, तर्क संगत बात कहते हैं । मान्यवर, जिस सरकुलर, टेलेक्स का जिक्र उन्होंने किया है, उसकी कापी मुझको आज ही दी गयी है । ठीक है, आप और हम दोनों ही लाभान्वित हुए । मान्यवर, 28

अप्रैल, 1989 को जो टेलेक्स राजीव सरकार ने भेजा वह ऐसा था । जिसको लेकर भ्रम है । मान्यवर वह टेलेक्स यह भेजा कि जिलाधिकारी बिना केन्द्र सरकार की अनुमति के राज्य स्तर, जिला स्तर या राष्ट्रीय स्तर पर लाइसेंस का नवीनीकरण कर सकते हैं और उसके बाद 28 जुलाई, 1989 को, तीन महीने भी नहीं बीते एक और मार्ग निर्देशन भेज दिया । राजीव सरकार के बारे में यहां कहना ठीक नहीं होगा उनके बारे में सभी जानते हैं । मान्यवर, जो मार्ग निर्देशन भेजा है वह अंग्रेजी में है, उसके पैराग्राफ 6 में स्पष्ट लिखा है कि जिलाधिकारी जो लाइसेंसों का नवीनीकरण करेंगे वह जिला स्तर पर और कुछ मामलों में राज्य स्तर पर भी करेंगे और केन्द्र स्तर पर केन्द्र की पूर्व अनुमति अनुमोदन अत्यन्त आवश्यक है । यह निर्देश जुलाई 1989 में आया है जिसको मैं पढ़े देता हूं:-

"इन दी केस आफ लाइसेन्सेज कमिंग अप फार रिन्यूवल दैट इज दू से दी लाइसेन्स व्होच हैड आर रेडी बीन ग्रान्टेड प्राअर दी आफोर मेनसंड अमैन्डमेन्ट्स इन दो आर्म्स रूल्स दी डी0 एम0 शुड इरस्पेक्टिव आफ दी फैक्ट व्हेदर दी अरलीयर लाइसेन्स वाज फार मोर दैन वन डिस्ट्रिक्ट आर फार हॉल आफ दी स्टेट आर फार आल इण्डिया रिस्ट्रिक्ट इट्स वैलिडिटी टू दी जूरिस्डीकेशन आफ दी डिस्ट्रिक्ट ऑन्ली एण्ड रिन्यू दी लाइसेन्सेज

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, यह सदन सवा 6 बजे तक बढ़ाया जाता है।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

इसका मतलब यह है, देवनागरी लिपि में लिखा जाएगा तो यह है कि जिलाधिकारी का क्षेत्राधिकार जिले तक सीमित कर दिया गया है और जो मार्गदर्शन दिये गये हैं, सन् 62 का एक नियम है – आयुध नियमावली, 1962, केन्द्र सरकार का है । 24 जनवरी, 1989 को उसमें संशोधन कर दिया गया है और उसके बाद लाइसेंस की तीन सीढ़ियां बना दी गईं – जिला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर । जिला स्तर के लिए यह प्राविधान कर दिया गया है कि जिलाधिकारी देंगे और जिले से बाहर जाना हो, जैसे कोई बाहर दूसरे जिले में नौकरी करता है, तो इस दिक्कत को दूर करने के लिए यह भी कर दिया गया है कि जिलाधिकारी कानपुर का जहां का लाइसेंस दिया गया है, वह दोनों जिलों का भी लाइसेंस दे देंगे और यह भी कह दिया गया कि परिस्थिति और मामले को देख लिया जाए तो जिला स्तर पर भी दे दिया जाए । राज्य स्तर पर प्रतिबन्ध लगाने की भी कोई मंशा नहीं है... (व्यवधान) कल्याण सिंह जी तो प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, इस समय सदन में भाजपा के नेता हैं, वह हमसे ज्यादा जानकारी रखते हैं, सरकार चला चुके हैं, मैं तो नया हूं और उनके सामने बच्चा हूं, क्या सर्कुलर या टेलेक्स नियम के ऊपर जा सकता है ? अब आप देखें, इसे केन्द्र सरकार का दिवालियापन कहें, उसकी विसंगति कह लें या बेवकूफ बनाने का एक तरीका कह लें । पता नहीं कैसे इनकी सरकार चलती थी, भुगत हम रहे हैं ।

हम यहां बचाव पक्ष के वकील के रूप में नहीं खड़े हुए हैं, जो वास्तविक स्थिति है वही बता रहे हैं, जब तक केन्द्र सरकार पूर्व अनुमति नहीं दे देगी राष्ट्रीय स्तर पर लाइसेंस का नवीनीकरण जिलाधिकारी नहीं कर सकते हैं... (व्यवधान) फिर भी, इसके बावजूद भी जो सर्कुलर यहां पढ़ा गया है... (व्यवधान) और जो कठिनाई राज्य में उत्पन्न हो गयी है, उससे राज्य सरकार अवगत होने के बाद, जिस तरह की जन

भावनाएं यहां सामने आयी हैं उसका सम्मान करते हुए उसके अनुरूप केन्द्र सरकार से इसकी संस्तुति करेगी और मान्यवर, भविष्य में पूरा प्रयास करेगी कि जिन लोगों को सचमुच में लाइसेंस की जरूरत है आत्म सुरक्षा के लिए, जिनको सही रूप में जरूरत है, तो उनको लाइसेंस प्रदान करने का काम भी करेगी । नवीनीकरण के संबंध में मैं समझता हूं कि सारे सदस्यों की भावना का सरकार ने आदर कर दिया है और भविष्य में तदनुसार कार्यवाही करेगी ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय कल्याण सिंह जी और कोई खड़ा हो तो ठीक है, लेकिन आपको तो निरन्तर समय दिया गया और समय बढ़ा दिया गया और वह भी समाप्त हो गया । कल्याण सिंह जी मेरा आपसे निवेदन है कि और सदस्यों की तरह आप व्यवहार न करें । माननीय निरवेन्द्र कुमार जी हैं ? आप उनकी बात पर विश्वास करें जो उन्होंने कहा है । एक भी सदस्य ऐसा नहीं है कि विरोध में बोल रहा हो । जब जन भावनायें एक हैं तो आप क्यों कह रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री हरिशंकर तिवारी–

इस मामले में नहीं कहना है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, इस मामले में नहीं है । यह व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं ।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय कल्यान सिंह जी ने इसमें बहुत समय ले लिया है । इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट न की हो । जितने सदस्य बोले हैं सब एक ही बात बोले हैं ।

(घोर व्यवधान)

श्री हरिशंकर तिवारी–

मान्यवर, मेरी बात इससे संबंधित नहीं है ।

दुधवा नेशनल पार्क, लखीमपुर-खीरी के जंगली जानवरों द्वारा समीपवर्ती गांवों की फसलों को नष्ट किये जाने के संबंध में नियम 49 के अंतर्गत चर्चा

श्री निरवेन्द्र कुमार–

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वन मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराने का कष्ट करें, माननीय मंत्री जी का उत्तर मुझे प्रश्न संख्या–11 पर प्राप्त हुआ । माननीय वन मंत्री जी का उत्तर स्पष्ट नहीं है इस संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय वन मंत्री जी ने हाथियों के बारे में बताया कि स्थायी निवास दुधवा नेशनल पार्क में नहीं

है । मान्यवर, 22 से 30 हाथियों को दुधवा नेशनल पार्क द्वारा आजाद बनाकर रखा गया है जो लोग दुधवा नेशनल पार्क को देखने आते हैं उनको उस पर बैठाकर दिखाया जाता है । इसमें कुछ यह बात भी हो सकती है कि नेपाल के हाथी भी आ जाते हों, जो दुधवा नेशनल पार्क के हाथी हैं उनके द्वारा बिजली के खम्भे गिराये गये, हाथियों के द्वारा किसानों की मृत्यु हुई है दुधवा नेशनल पार्क के जो हाथी हैं व जानवर हैं वह निकल-निकलकर फसलों का नुकसान करते हैं । उनकी वजह से दुधवा नेशनल पार्क में मनुष्यों की हत्याओं का मुआवजा तो दिया गया, लेकिन फसलों का जो नुकसान हुआ उनको मुआवजा नहीं दिया गया, मान्यवर

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री निरवेन्द्र कुमार–

माननीय मंत्री जी यहां जानवर पार्क से निकल कर आ जाते हैं और फसलों को नष्ट करते हैं । मैं वन मंत्री जी से चाहूंगा कि जिन लोगों की फसलें नष्ट हुई हैं उनको मुआवजा दिया जाय । मैं बड़ी विनम्रता से निवेदन करूंगा कि दुधवा नेशनल पार्क के किनारे बंधा बनवा दें जिससे हाथी, पाड़ा, सुअर चीता आदि जानवर खेतों में न आ सकें और बाढ़ का पानी भी खेतों में न आ सके इससे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी ।

श्री अध्यक्ष–

आप कल नहीं थे फिर इसको ले लिया गया । आप अपनी बात कह चुके हैं, आप बैठें

आज के कार्यसूची के मद संख्या 17 से संबंधित थाना बड़हलगंज जिला गोरखपुर की पुलिस द्वारा श्री निर्विकार त्रिपाठी की हत्या किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर शासन द्वारा वक्तव्य न आने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री हरिशंकर तिवारी–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। एजेन्डा में नंबर 17 से संबंधित सूचना मैंने नियम 51 के अन्तर्गत दिया था जिसको वक्तव्य के लिए स्वीकार किया गया था । आज उस पर कोई वक्तव्य नहीं आया । जानबूझकर उस वक्तव्य को टाला गया है। 18 दिसम्बर, 89 को एक निर्दोष छात्र निर्विकार त्रिपाठी की हत्या पुलिस द्वारा कर दी गयी । लेकिन आज तक न तो मृतक के परिवार को कोई आर्थिक सहायता दी गयी है और न दोषी पुलिस वालों को दण्डित किया गया है । मेरा कहना है कि दोषी पुलिस वालों को दण्डित किया जाय और इसकी न्यायिक जांच की जाय । ऐसी घटना जौनपुर में हुई थी तो आर्थिक सहायता भी दी गयी थी तथा दरोगा को तत्काल जेल भेजा गया था ।

श्री अध्यक्ष–

आपका प्रश्न जीवित है । शासन इस ओर ध्यान दे और और कार्यवाही करे ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

(श्री तिवारी से) आप लिखकर भेज दीजिए हम दिखवा लेंगे ।

दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर-खीरी के जंगली जानवरों द्वारा समीपवर्ती गांवों की फसलों को नष्ट किए जाने के संबंध में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा (क्रमागत)

*वन एवं खेलकूद मंत्री (श्री मोहम्मद असलम खां)–

मान्यवर, इस पर आपने आधे घण्टे की चर्चा की अनुमति दी है, आधे घण्टे और हमारे साथियों को सुन लें ।

श्री अध्यक्ष–

नहीं, अब आप बोलें ।

श्री मोहम्मद असलम खां–

मान्यवर, माननीय सदस्य दुधवा नेशनल पार्क के संबंध में अपनी बातें रखीं, मैं इस पर एक-दो बातें कहना चाहूंगा । कुछ बातें मैंने जो जवाब दिया है उसमें आ चुकी हैं । मेरी सूचना है कि वहां हाथियों की स्थायी आबादी नहीं है । नेपाल से कभी-कभी हाथी आ जाते हैं । 1987-88 में हाथियों का एक झुण्ड नेपाल से पीलीभीत वन प्रभाग के जनपद लखीमपुर-खीरी में आ गया । उसमें 8-10 हाथी थे, तो परेशानी वास्तव में उस क्षेत्र में हुई है ।

श्री प्रमोद कुमार–

हाथी भी आपकी तरह हैं ।

श्री मोहम्मद असलम खां–

उसके बाद यह सूचना मिली कि यह हाथियों का झुण्ड नेपाल वापस चला गया । हाथियों के मूवमेंट से दुधवा नेशनल पार्क का संबंध नहीं है । अगर व्यक्तिगत कोई सूचना मिलती है तो वहां हमारे वन अधिकारी हैं तो उसको जरूर दिखवा लिया जायेगा । लेकिन दूसरा जो इसका पहलू था, हाथी, सुअर, चीता, पाढ़ा, सांभर, बारहसिंघा आदि पशु सीमावर्ती क्षेत्र में कभी-कभी प्रवेश कर जाते हैं, सच बात है । लेकिन इन परिस्थितियों को ठीक करने के लिए वहां साढ़े 18 किलोमीटर एक संवेदनशील सीमा जो है, तार का प्राविधान कर दिया गया है और यह प्राविधान और जगहों में भी संसाधन उपलब्ध होने पर करना पड़ेगा । इसके अलावा अगर अन्य कोई कठिनाई है, तो उसको भी दिखवा लेंगे ।

*श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, चूंकि यह इस सत्र का अंतिम वक्तव्य है । जो माननीय मंत्री जी ने कह दिया, सब कुछ स्पष्ट हो गया है । माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने नई दुलहन के उपलक्ष में बोल दिया, उस पर तो हमें बोलना ही है । इस समस्या का समाधान इससे नहीं हो सकता है । माननीय मंत्री जी सभी पक्षों की एक समिति बना दें और वह जाकर मौका देख आये और वह जो राय दे दे, उसी के अनुसार कार्यवाही करा दें । देखने में ऐसा लगता है कि इन्हीं की तरह वे हाथी भी अनियंत्रित हो गए हैं । इसको मान्यवर दिखवा लें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री निरवेन्द्र कुमार–

मान्यवर, माननीय तिवारी जी ने फिर वही प्रश्न रख दिया । इसमें भूतपूर्व मुख्य मंत्री का सरासर दोष है और यह किसानों को भुगतना पड़ रहा है । इसी कारण से हमें आज यह अपने मंत्री जी से गिला करनी पड़ रही है । माननीय मंत्री जी के सामने जो वस्तुस्थिति रखी गयी है, वह सही नहीं रखी गई है । यह साढ़े 18 किलोमीटर तार की फेंसिंग जो बताई गई है, यह अधिकांश फेंसिंग नैपाल के किसानों की फसल की रक्षा करती है, क्योंकि नेपाल के बार्डर पर लगाई गई है । भारत के जो किसान वहां पर रहते हैं, उनकी फसलों की रक्षा यह साढ़े 18 किलोमीटर के तार से नहीं हो सकती है । मैं इनके उत्तर से पूरा संतुष्ट नहीं हूं, परन्तु उम्मीद करूंगा कि इसका निराकरण सुहेली नदी के किनारे बांध बनवा कर फसल की सुरक्षा हो सकती है, पानी के बहाव तथा जानवरों से भी सुरक्षा हो सकती है।

श्री अध्यक्ष–

अब समय समाप्त हुआ ।

सदन को सुचारु रूप में संचालित किये जाने में सहयोग हेतु विधान सभाध्यक्ष/अधिकारियों/कर्मचारियों तथा सदस्यों को आभार

संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, यह इस विधान सभा के प्रथम सत्र या अन्तिम दिन है। सदन अनिश्चित काल के स्थगन का प्रस्ताव लाने के पूर्व मैं सबसे पहले आपके प्रति आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आपने यह लघु सत्र बड़ी ही कुशलता और विद्वतापूर्वक चलाया । आपके सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों का भी सदन की कार्यवाही चलाने में विशेष योगदान रहा । मैं इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं और हमारे माननीय नेता विरोधी दल, अन्य दलों के नेतागण व माननीय सदस्यगणों ने अपने बहुमूल्य विचारों से सरकार को ही नही बल्कि पूरे प्रदेश की जनता को अवगत कराया उससे हम सब लोगों को नये परिपेक्ष्य में कार्य करने में सहयोग मिलेगा । हम उनके भी विशेष रूप से आभारी हैं और बहुत ही शान्तिपूर्वक और हम समझते हैं कि इस सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण में पिछले कई वर्षों के बाद इतने अधिक माननीय सदस्यों ने बहस में हिस्सा लिया । यह भी एक आपके नेतृत्व में कीर्तिमान स्थापित हुआ इसके लिए मैं विशेष रूप से आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने अधिक से अधिक नये और पुराने सदस्यों को बोलने का अवसर दिया जो कि पिछले वर्षों में सम्भव नहीं हो सका था । आप सब लोग भी कुछ कहना चाहते हैं इसलिए मैं फिर अपनी ओर से आपको और माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं ।

*श्री प्रमोद कुमार–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने दल कांग्रेस की ओर से आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं । यद्यपि यह आपका पहला सत्र था उस उच्च आसन पर जिस धैर्य, कार्यकुशलता और निष्पक्षता का परिचय आपने दिया है उसके लिए मैं पुनः अपने दल की ओर से आभार व्यक्त करता हूं । एक बात मैं कहना चाहता हूं शासन से कि इस सत्र

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

के दौरान, मेरी जानकारी में तो ऐसा कुछ नहीं है फिर भी अगर कोई कटुता उत्पन्न हो गयी है तो यह मानकर चलना चाहिए कि यह नया सत्र में नये लोग चुनकर आये हैं। यह सब लोग ज्यादा से ज्यादा जनहित की बात यहां उठाना चाहते थे अगर हमारे सदस्यों ने ऐसा कुछ कहा है तो उनकी भी एक मात्र समस्या है कि जनता की सेवा हो सके, कितनी-कितनी बातें आई हैं । तो अब सत्र समाप्त हो रहा है तो अब खुले मन से, साफ़ दिल से सब कुछ भुलाकर यहां से जायं । आपके माध्यम से सचिवालय के कर्मचारियों को अपने दल की ओर से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि सत्र निर्धारित समय से आगे भी चला और उन्होंने उसमें सहयोग किया। आपके माध्यम से अगर मैं सचिव का आभार नहीं करूंगा तो मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर पाऊंगा इसलिए मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं । इसके साथ ही सभी दलों ने जो सहयोग दिया है उसके लिए मैं सबको आभार व्यक्त करता हूं । एक बात मान्यवर और कहूंगा कि यह बहुत बड़ा प्लेटफार्म है जिसके माध्यम से जनता की समस्या रखी जाती है । मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से अर्ज करूंगा कि जो परम्परा कांग्रेस सरकार ने डाली थी, बाद में हमारे कार्यकाल में थोड़ा समाप्त हुई है कि सत्र को कम से कम 110 दिन जरूर चलायें जिससे यहां भावनाओं का आदान प्रदान हो सके ।

निर्वाचन एवं कारागार मंत्री (श्री शतरुद्र प्रकाश)–

कम से कम 90 में 90 दिन हो जायं ।

श्री प्रमोद कुमार–

तो मैं समझता हूं कि इससे हमारी भावनाओं का आदान प्रदान होता रहेगा और उसमें हम हर बिन्दु पर रचनात्मक सहयोग देते रहेंगे, यह हम विश्वास दिलाते हैं ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यगण आपने जो मुझे धन्यवाद दिया उसके लिए मैं आप सब का आभारी हूं । कुछ कठिनाइयां जो पहले सत्र में अनुभव हुई हैं वह कठिनाइयां ऐसी नहीं हैं जो कभी आती न हों, हमारे बहुत से नये सदस्य थे और वे समझते थे कि यहां पर हमारा बोलना ही अधिकार है । उनको कुछ नियमों की जानकारी नहीं थी इसके बावजूद जो कुछ भी सुचारु रूप से सदन चला उसमें से एक-एक माननीय सदस्य का पूरा सहयोग रहा मैं आप सबके प्रति पुनः आभार व्यक्त करता हूं साथ ही साथ इस विधान सभा के सचिव सहित सभी कर्मचारियों का भी आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने इसके संचालन में पूरा सहयोग दिया ।

श्री देव कुमार यादव, सदस्य, विधान सभा द्वारा जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक, बांदा तथा कतिपय अन्य अधिकारियों के विरुद्ध दिये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आपके बोलने से पहले मैं एक सूचना पढ़ दूं।

श्री देव कुमार यादव, सदस्य, विधान सभा ने जिला मैजिस्ट्रेट, बांदा, पुलिस अधीक्षक, बांदा तथा कतिपय अन्य अधिकारियों के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना

दिनांक 11-1-90 को दी है । माननीय सदस्य का कहना है कि जब दिनांक 5-1-90 को माननीय मुख्य मंत्री जी बांदा गये थे तो माननीय सदस्य अपने 40 साथियों सहित उन्हें ज्ञापन देने जा रहे थे तो उन्हें प्रश्नगत अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार करवा लिया गया जिससे विशेषाधिकार हनन का प्रश्न उत्पन्न हुआ ।

अध्यक्ष पीठ से दिए गए निर्णयों से यह स्पष्ट है कि माननीय सदस्यों के विशेषाधिकार का हनन तभी होता है जब उनके विधायी कार्य में कोई बाधा पहुंचाई जाय । दिनांक 5-1-90 को जब श्री यादव माननीय मुख्य मंत्री को ज्ञापन देने जा रहे थे तब वह विधान सभा अथवा उसकी समिति से संबंधित किसी कार्यवश नहीं जा रहे थे, अतः प्रथम दृष्टया विशेषाधिकार हनन का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त प्रतीत नहीं होता ।

इसके अतिरिक्त विवादित घटना दिनांक 5-1-90 की बतायी जाती है और विशेषाधिकार की सूचना दिनांक 11-1-90 को दी गयी है । इस प्रकार यह विलम्बित भी है ।

उपरोक्त परिस्थितियों में मैं विशेषाधिकार के मामले को उठाने की इजाजत नहीं देता हूं ।

सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किये जाने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आज सदन उठने से पूर्व निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहता हूं :—

"श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जाय ।"

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि यह सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

अब यह सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित होता है।

(इसके बाद सदन 6 बजकर 35 मिनट पर अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया ।)

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
17 जनवरी, 1990

नत्थी 'क'

(देखिये अल्पसूचित ता0 प्र0 सं0 1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1 पर)

अधीनस्थ कृषि सेवा के कर्मचारियों की सात प्रमुख मांगें :—

1—कृषि प्राविधिकों को संगठन द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्यों के आधार पर केन्द्र के समान वेतनमान दिये जाएँ ।

2—टू टायर प्रणाली लागू करते हुए अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग-3 को मृत वर्ग (डाइंग कैडर) घोषित किया जाय ।

3—अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग-1 को राजपत्रित पद घोषित किया जाय ।

4—उत्तर प्रदेश शासन के अन्तर्गत कृषि सेवा से संबंधित समस्त विभागों एवं प्रतिष्ठानों में बेरोजगार कृषि स्नातकों/कृषि डिप्लोमा धारकों की नियुक्ति की जाय ।

5—क्षेत्रीय विकास विभाग के अन्तर्गत समादेश क्षेत्रों को कृषि मंत्रालय के अधीन किया जाय अन्यथा संबंधित कर्मचारियों को 20 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति भत्ता दिया जाय और कृषि निदेशक के स्थापना संबंधी आदेशों का अक्षरश: पालन कराया जाय ।

6—कृषि विभाग में कृषि ट्रेड डिप्लोमा धारियों की ही नियुक्तियां की जायं एवं अवर अभियन्ता पद से श्रेणी-2 में पदोन्नति प्राप्त कर्मचारियों को अपदस्थ कर अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग-1 के कर्मचारियों को पदोन्नति किया जाय ।

7—कृषि प्रसार (टी0 एण्ड वी) अनुभाग में कार्यरत अधीनस्थ कृषि सेवा सम्वर्ग को 20 प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता प्रदान कर प्रसार सेवा को आकर्षक बनाया जाय ।

नत्थी 'ख'

(देखिए तारांकित प्रश्न सं0 1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 14 पर)

श्रेणी "ए" जनपद	श्रेणी "बी" जनपद	श्रेणी "सी" जनपद
1---बांदा	1---बलिया	1---आजमगढ़
2---फतेहपुर	2---बस्ती	2---बदायूं
3---हमीरपुर	3---फैजाबाद	3---बहराइच
4---जालौन	4---झांसी	4---बाराबंकी
5---जौनपुर	5---रायबरेली	5---बुलन्दशहर
6---सुल्तानपुर	6---ललितपुर	6---देवरिया
7---कानपुर देहात		7---एटा
8---अल्मोड़ा		8---इटावा
9---चमोली		9---फर्रुखाबाद
10---पौड़ी गढ़वाल		10---गाजीपुर
11---टेहरी गढ़वाल		11---गोण्डा
12---उत्तरकाशी		12---हरदोई
13---पिथौरागढ़		13---मैनपुरी
14---देहरादून		14---मथुरा
15---नैनीताल		15---मुरादाबाद
		16---पीलीभीत
		17---प्रतापगढ़
		18---रामपुर
		19---शाहजहांपुर
		20---सीतापुर
		21---उन्नाव

विधान परिषद

नत्थी "ग"

(देखिए ता0 प्र0 सं0 8 का उत्तर पीछे पृष्ठ 17 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र 1990 के पहले बुधवार के लिए निर्धारित डा0 सुरेन्द्र पाल वर्मा द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 8 के उत्तर में उल्लिखित सूची

वर्तमान समय में जनपद बांदा में नागरिक एवं सशस्त्र पुलिस का स्वीकृत नियतन निम्नवत् है:---

संवर्ग	इन्सपेक्टर	सहायक इन्सपेक्टर	हेड कान्सटेबिल	कान्सटेबिल
नागरिक पुलिस	4	95	80	712
सशस्त्र पुलिस	1	1	46	204

नागरिक पुलिस बल हेतु पुलिस कमीशन 1960-61, सशस्त्र पुलिस बल हेतु पियर्स कमेटी 1944-45 और यातायात पुलिस बल हेतु दिल्ली पुलिस कमीशन की संस्तुतियों के अनुसार जनपद बांदा में पुलिस के नियतन का मानक निम्नानुसार है :---

संवर्ग	इन्सपेक्टर	सहायक इन्सपेक्टर	हेड कान्सटेबिल	कान्सटेबिल
नागरिक पुलिस	4	110	85	978
सशस्त्र पुलिस एवं यातायात पुलिस ..	1	1	70	314

नत्थी 'घ'

(देखिये अता0 प्र0 सं0 13 का उत्तर पीछे पृष्ठ 25 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र 1990 के 1ले बुधवार के लिए निर्धारित श्री अफजर हुसैन बाबर, विधायक अता0 प्र0 संख्या-13 के संबंध में थाना-राजेसुल्तानपुर थाना-टाण्डा, थाना-जलालपुर, थाना-अकबरपुर और थाना-बेवाना पर श्री पवन पाण्डे गैंग द्वारा की गई वार्ताओं का विवरण ।

''थाना-राजेसुल्तानपुर''

1—मु0 अ0 सं0 151 ए/89 धारा 147/148/149/307/302 भा0 द0 वि0, वादी श्री रामअवध पांण्डे द्वारा बनाम रमाशंकर सिंह, राधेश्याम सिंह, विजय प्रताप सिंह, उमाशंकर सिंह, राम उजागर पाण्डे नामजद अभियुक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया ।

''थाना-टाण्डा''

2—मु0 अ0 सं0 155/89 धारा 147/148/149/302 भा0 द0 वि0 वादी श्री बाबूलाल द्वारा बनाम् (1) रामदुलार (2) सुरेन्द्र (3) महेन्द्र (4) इन्द्राज (5) जंगबहादुर, (6) गिरेन्द्र (7) राजेन्द्र (8) छोटू पाण्डे (9) इरसाद नामजद अभियुक्त हैं जिसने विरुद्ध आरोप पत्र संख्या 28, दिनांक 11-8-89 को न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है ।

''थाना-जलालपुर''

1—मु0 अ0 सं0 117/89 धारा 3 (1) यू0 पी0 गैंगेस्टर अधिनियम वादी श्री इजराहुल हुसैन चेयर मैन, नगर पालिका, जलालपुर द्वारा बनाम अशोक कुमार सिंह उर्फ पप्पू सिंह नामजद अभियुक्त हैं जिनके विरुद्ध आरोप पत्र संख्या 126 दिनांक 27-12-89 को प्रेषित किया जा चुका है ।

2—मु0 अ0 सं0 48/89 धारा 147/148/149/307 भा0 द0 वि0 वादी श्री मोतीलाल मिश्र बनाम अशोक सिंह उर्फ बब्बू सिंह, कैलाश यादव, नरसिंह सिंह, राम चन्दर लोनिया, महेन्द्र सिंह, अम्बिका केवट, हीरालाल के विरुद्ध आरोप पत्र संख्या-35, दिनांक 16-4-89 को न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है । पुनः इस अभियोग की विवेचना सी0 बी0 सी0 आई0 डी0 द्वारा दिनांक 27-4-89 को ग्रहण की जा चुकी है ।

'थाना-अकबरपुर''

1—मु0 अ0 सं0 111/89 धारा 399/402 भा0 द0 वि0 द्वारे वादी श्री मुर्तजा हुसैन, एस0 एस0 आई0, थाना-अकबरपुर, जनपद फैजाबाद बनाम महेन्द्र प्रताप, अम्बिका सिंह, रामचन्द्र के पंजीकृत किया गया, जिसमें विवेचनोपरान्त आरोप पत्र संख्या-27 प्रेषित किया गया है ।

2—मु0 अ0 सं0 314/89 धारा 147/325/323/384/506 भा0 द0 वि0 द्वारा वादी श्री सच्चूमल बनाम छोटे पाण्डे व 5 अन्य लोग सूरत शिनाख्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया, जिसमें आरोप पत्र संख्या 156 न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है ।

3–मु0 अ0 सं0 215/89 धारा 353 भा0 द0 वि0 द्वारा वादी श्री हरिनरायन, सीनियर मार्केटिंग इन्सपेक्टर बनाम राजेश, शिवासयलाल श्रीवास्तव, व 2 अन्य व्यक्ति के विरुद्ध पंजीकृत किया गया जिसमें विवेचनोपरान्त आरोप संख्या 80 दिनांक 19-6-89 को न्यायालय प्रेषित किया गया ।

4–मु0 अ0 सं0 235/89 धारा 307 भा0 द0 वि0/25 आर्म्स एक्ट द्वारा वादी श्री के0 एन0 एन0 पाण्डे एस0 एस0 आई0 बनाम राजेश के विरुद्ध पंजीकृत किया गया, जिसमें विवेचनोंपरान्त आरोप पत्र संख्या 64/89 दि0 6-9-89 को न्यायालय प्रेषित किया गया ।

5–मु0 अ0 सं0 376/89 धारा 3(1) यू0 पी0 गैंगेस्टर एक्ट द्वारा वादी श्री आर0 डी0 रावत निरीक्षक, प्रेम सिंह, उदयभान सिंह, आशू उर्फ सेम्शन के विरुद्ध पंजीकृत किया गया और आरोप पत्र संख्या 1/90 दिनांक 1-1-90 को न्यायालय भेजा गया ।

6–मु0 अ0 सं0 390/89 धारा 147/148/149/307/35 भा0 द0 वि0 द्वारा एस0 एच0 ओ0 श्री आर0 डी0 रावत, बनाम पवन कुमार पाण्डे, दीपक सिंह, गुलाब सजीवन, राम सूरत, रामशंकर सिंह, मदन मोहन, शिव पुजन, अनिल सिंह, मदन मोहन पाण्डे, वीरेन्द्र नाथ के विरुद्ध पंजीकृत किया गया ।

7–मु0 अ0 सं0 331/89 धारा 25 आर्म्स एक्ट वादी श्री आर0 डी0 रावत इन्स0 कोतवाली अकबरपुर, द्वारा बनाम छोटे पाण्डे, शेम्सन उर्फ आंशू विरुद्ध पंजीकृत कराया गया जिसमें आरोप पत्र संख्या 98 न्यायालय प्रेषित किया गया ।

8–मु0 अ0 सं0 352/89 धारा 3(1) यू0 पी0 गैंगेस्टर एक्ट द्वारा वादी श्री आर0 डी0 रावत, इन्स0 कोतवाली अकबरपुर, बनाम छोटे पाण्डे पंजीकृत कराया गया जिसमें विवेचनोपरान्त आरोप पत्र संख्या 62 न्यायालय प्रेषित किया गया ।

9–मु0 अ0 सं0 441/89 धारा 307/353 भा0 द0 वि0 द्वारा वादी एस0 आई0 श्री बजरंगी सिंह बनाम अफजल पंजीकृत किया गया ।

10–मु0 अ0 सं0 595/89 धारा 147/148/149/307 भा0 द0 वि0/25 आर्म्स एक्ट 3/5 इन्स0 एक्ट/60 आबकारी अधिनियम/41/411 भा0 द0 वि0 द्वारा वादी श्री आर0 डी0 रावत, इन्स0 अकबरपुर बनाम पवन पाण्डे, राजेश व 4 अन्य लोगों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया ।

11–मु0 अ0 सं0 609/89 धारा 25 आर्म्स एक्ट द्वारा एस0 आई0 श्री मदन सिंह बनाम उदयभान सिंह, शशिकान्त, अशोक सिंह, उर्फ पप्पू सिंह के पंजीकृत किया गया।

"थाना-बेवाना"

1–मु0 अ0 सं0 111/89 धारा 147/148/307 भा0 द0 वि0 वादी श्री देवी सिंह, बनाम उदयभान सिंह, पवन पाण्डे, छोटे पाण्डेय, दिवाकर पाण्डे, राजबहादुर व अन्य तीन व्यक्ति के विरुद्ध पंजीकृत हुआ, जिसमें आरोप पत्र संख्या-63 दि0 25-7-89 को न्यायालय प्रेषित किया गया ।

नत्थी 'ङ'

(देखिए अता0 प्र0 सं0 15 का उत्तर पीछे पृष्ठ 26 पर)

विकास खण्ड अजमतगढ़ जनपद आजमगढ़ के 31-12-89 तक अविद्युतीकृत ग्रामों की सूची

क्रम सं0	ग्राम का नाम	कोड संख्या
1	2	3
1–	बरामदपुर	835
2–	सहसपुरा	833
3–	मईया	832
4–	पिपरही	843
5–	जियनपुर	844
6–	दिया पट्टी माफी	845
7–	मुन्जुर	850
8–	पान्डेपुर	855
9–	पिपरी	859
10–	बरानीपुर	858
11–	बलुवा मोहम्मदपुर	856
12–	मिमजुलला कुन्डरा	870
13–	महरौली	872
14–	उदका	869
15–	गोन्दापुर	867
16–	मिश्रपुर	864
17–	मोचीपुर	825
18–	मझोवा उर्फ मो0 पुर	826
19–	फतेहपुर	827
20–	लक्ष्मी रोहुबर	830
21–	चकरौजा	804
22–	जियनपुर	694
23–	चकशाह दानीपाल	695
24–	सहरैया वाजिद	685
25–	बक्सनपुर	740
26–	बागईसाइलपुर	763
27–	बक्स पट्टी	753
28–	मैनाथ पट्टी	754
29–	वाजिद पट्टी	768
30–	चक आसिक	769
31–	बाग शाह उस्मान	770

1	2	3
32–	फजुल्लाह काननगो	953
33–	चक भुदना	960
34–	मुरारपुर	947
35–	रघुनन्दनपुर	900
36–	जोत पहाड़पुर	899
37–	भेलुवा बसन्तपुर	896
38–	चकमायी राम	897
39–	ताल सलोना	878
40–	जगदीशपुर	882
41–	चक वेगदासपुर	918
42–	गोवाईपुर	970
43–	जमीन सिरौरा	966
44–	देवारा मौला	838
45–	मुंजार	851
46–	जमीन बभनौली	854
47–	दलतपुर	862
48–	मोहम्मदपुर	863
49–	बृहमपुर	814
50–	हरखौरी	810
51–	कादीपुर	800
52–	खानगाह बहरामपुर	797
53–	हसनपट्टी	792
54–	अंडवाबुद्दीपुर	793
55–	मीन्डी पट्टी	794
56–	चक अजीज	795
57–	रामपुर जलालुद्दीन पट्टी	791
58–	अमलोनी	665
59–	मुहम्मदपुर जमीन मुहम्मदपुर	664
60–	कल्यानपुर	662
61–	छिड़ी जमीन छिड़ी	661
62–	जोतपरोसत्तम	663
63–	वाधुपुर	660
64–	कुदरन तिवारी	659
65–	बरकोठा	657
66–	पही	658
67–	मिर्जापुर	668
68–	करनपुर सरैया	666

1	2	3
69–	गड़ेरी पट्टी	670
70–	नदौरा ता0 मु0 पुर	669
71–	ढसरा	653
72–	जमीन डोरवा	681
73–	कनहैया	680
74–	डोरवा	676
75–	सरायसागर मालताड़ी	678
76–	राजूपट्टी	673
77–	नरौदा तरकरी	671
78–	बगवार	672
79–	सिकन्दरपुर हसनपुर	693
80–	सुल्तानपुर	697
81–	सोहरहया हाफिज	698
82–	देवापार	690
83–	चक रज्जाक	691
84–	कुस्सौली गौर	689
85–	कालिकापुर	684
86–	तुरकौली	688
87–	सुन्दर सराय बल्ली	686
88–	भरौली	737
89–	भटौली	732
90–	नत्थुपुर	733
91–	एनेपुर	734
92–	छत्तरपुर खुशहाल	735
93–	चक छत्तरपुर मु0 समनदरपुर	743
94–	चक छत्तरपुर मु0 चक अजीज	745
95–	बागसुलेमान	760
96–	कस्बा सगड़ी	764
97–	मेंहदीपट्टी	762
98–	टीमल पट्टी	748
99–	मीनीपट्टी लौहरापट्टी	750
100–	मुसलिमपुर	752
101–	कसरा आइमा	749
102–	भेपतपुर	757
103–	गोड़इत पट्टी	869
104–	सैदपुर	680
105–	राजा सैफन पट्टी	693

1	2	3
106–	कुडवा गुरारी	756
107–	मोलनापुर गोरारी	766
108–	आलमपुर	774
109–	टंडवाससफुद्दीन पट्टी	776
110–	वसचूपार बनकट	777
111–	भोलीपुर	778
112–	कोलमा	782
113–	करसड़ा	781
114–	चुगईपुर	786
115–	रसीदाबाद	784
116–	समरूपुर	785
117–	अहिरौली	757
118–	पयागपुर	959
119–	हिरनई	958
120–	महावलगढ़	750
121–	उमरी शेखपुर	951
122–	जमीन शेखपुर	942
123–	गद्दोपुर	941
124–	मडनपुर	940
125–	अमरोहा	939
126–	जमालुद्दीन पट्टी	938
127–	अजगरी	936
128–	कोठिया	937
129–	पनारा अभैनाथ पट्टी	943
130–	आरिफगढ़	944
131–	जहीरुद्दीनपुर	949
132–	कटाई अलीमुद्दीनपुर	906
133–	मानिकपुर	905
134–	अहिरौली	901
135–	वरडीहा	877
136–	बृहभौती बेनी	875
137–	बालीपुर	881
138–	नरहनखास	893
139–	जमीन नरहन	895
140–	सुखमदुत्तनगर	891
141–	अठनाऊ	892
142–	तिवारी पट्टी	889

1	2	3
143–	कपारगढ़	887
144–	जमीन कपारगढ़	888
145–	नथ्थनपुर	926
146–	एक्वन डांड	927
147–	कथरा जमीन कथरा	920
148–	उरहंस	916
149–	तिलखी	934
150–	भटौली	933
151–	सालेहपुर	935
152–	छपरा सुल्तानपुर	932
153–	मौलिया	928
154–	खारा रस्तीपुर	929
155–	चक जोवन	930
156–	हरई इस्माइलपुर	931
157–	अलियाबाद कटाई	968
158–	शेखमौली करतारपुर	967
159–	भुवना बुजुर्ग	961
160–	पनसवदा	963
161–	दिलसादपुर	971
162–	भुवना खुर्द	972
163–	बागपुर	973
164–	गोंजिया	678
165–	चुनुगपार	789
166–	बैरी डांड	860
167–	मुसलमानपुर	948
168–	जमीन बेलारी	917
169–	महरूपर	969
170–	सिकरौर	965
171–	फजुलहा जहिरुल्लाह	964
172–	विशुनपुर	962
173–	दाम महुला	936

नत्थी 'च'

(देखिए अता0 प्र0 सं0 16 का उत्तर पीछे पृष्ठ 26 पर)

31-12-89 तक अविद्युतीकृत ग्रामों की सूची

विकास क्षेत्र—हरैया

तहसील—सगड़ी

क्रम सं0	ग्राम का नाम	कोड संख्या
1	2	3
1—	मधईपुर खास	389
2—	दवारा इस्माइलपुर	129
3—	अराजी नौबरार करखिया किता	121
4—	आराजी नौबरार करखिया प्रथम	122
5—	करखिया रुस्तम सराय	127
6—	बन्जरिया खास	126
7—	गहजीगंज	124
8—	रोशनगंज	120
9—	गोहठा	106
10—	दवारा करीमगंज	110
11—	उरदिहा	110
12—	दवारा करताराम दूबे	130
13—	दवारा रामसरन दूबे	131
14—	दवारा श्रीनगर	133
15—	दवारा श्रीनगर	134
16—	दवारा गरीब दूबे	136
17—	दवारा खास राजा	138
18—	चक्की हाजीपुर	139
19—	पढ़ना	142
20—	सुरदाहपार	143
21—	इक्वन डाउ	144
22—	बालाजानी	146
23—	छवरापुर	257
24—	अधारा सलेमपुर	261
25—	भदौरा मकरैनी	26
26—	बांका	267
27—	बुढ़नपट्टी	268
28—	अमन पट्टी	274
29—	मानिकपुर	273

1	2	3
30–	सोनारा	272
31–	जमुआरी	276
32–	सुरकांली	275
33–	गुन्दनपुर	282
34–	सिकन्दरपुर	281
35–	भागीपुर	280
36–	बातन	249
37–	देवरिया	246
38–	नौली	222
39–	टेकुवागाथी	212
40–	खिजौली पट्टी	210
41–	चकचिपसेन	205
42–	जमालुद्दीन पट्टी	190
43–	किरही मंजर	186
44–	कान्तीपुर	183
45–	जमील वेलकुडी	178
46–	बेदपुर	177
47–	बेदोली	173
48–	परसुरामपुर	175
49–	रोल्हुआर	174
50–	कल्यानपुर	167
51–	मक्खोपुर	164
52–	पहाड़पुर	163
53–	पोखरा	160
54–	सिवान	158
55–	टारी	225
56–	रेवारुद्र	156
57–	रामपुर देवारा	155
58–	परसिया	150
59–	चक्कगगीपुर	148
60–	सुवड़िया सुल्तानपुर	151
61–	बोनहरा मुतालिका	292
62–	छपरा रेनापार	291
63–	धनसिंहपुर	288
64–	करीमउल्लहा पट्टी	287
65–	मखालिस पट्टी	283

1	2	3
66–	अजगरा मगवीं	285
67–	करखिया	128
68–	गोनहा	105
69–	सालेहाबाद	109
70–	सूजाचक	110
71–	दंवारा संगम दूबे	118
72–	खेतापुर	145
73–	बंआबारी	258
74–	बगवार	256
75–	दंवरिया मु0 वधावर	259
76–	रसूलपुर	262
77–	ककरोछी	260
78–	शाहडीह	265
79–	आराजी अजगरामशकीं	270
80–	अजगरामशकीं	269
81–	एवखीपुर	248
82–	खजौली नकीव	279
83–	सपहा चांद	253
84–	चिलविलीदानचिलविली	252
85–	ऊसरी	247
86–	बातन	244
87–	मऊ कुतुबपुर	243
88–	अजीवा	233
89–	कुरसौली यादव	234
90–	जाजपुर	237
91–	तुरकौली	275
92–	बहाबनपुर	235
93–	भुइयापार	236
94–	चांदपार	242
95–	जमीन चांदपार	241
96–	गंगापुर	240
97–	जमंवा भुराव	299
98–	जमुवां सागर	230
99–	हरैया जमीन हरैया	222
100–	मझरिया	229

2		3
101–	पुरा बाल नरायन	228
102–	भकुरा चांदी	227
103–	कठुई	226
104–	बछुउर खास	221
105–	सरगहां सागर	219
106–	जमुनी मान	220
107–	इटौली	217
108–	इसरापुर	214
109–	बृहमौली ध्यान	216
110–	टेकुवा गांधी पट्टी	212
111–	सचिरादानशनिचरा	223
112–	गडौरा मझौरा	209
113–	बालापुर	208
114–	सवेरा कुर्द	206
115–	चकलाल चन्द	204
116–	बहरीपुर	201
117–	करैला	196
118–	बर्जला गागेपुर	197
119–	जमीन बर्जला	119
120–	मनिका डीह	200
121–	हंसपुर	194
122–	भौंसाड़	187
123–	सिरही	185
124–	अखैइपुर	182
125–	रसूलपुर	176
126–	शंकर पुर	179
127–	पिहार	174
128–	हससपुर	171
129–	गोडौली	166
130–	तेलापुर	159
131–	गागेपुर	149
132–	जैदपुर	339
133–	कुदरपुर	170
134–	भोपतपुर	169
135–	सुखवनपट्टी	245

1	2	3
136–	टारी	225
137–	बछउर खुर्द	211
138–	अन्नतपुर	198
139–	बनावे	191
140–	खोरघाट	189
141–	मनोरथपुर दुबौली	184
142–	महरौली	181
143–	बेलकुंडा	180
144–	पहाड़पुर	165
145–	सेठाकोली	161
146–	बनियापुर	157
147–	रैचनपट्टी	147
148–	देवारा शिवबंश सिंह	116

प्रेस परिषद अधिनियम

नत्थी 'छ'

(देखिये अता0 प्र0 सं0 17 का उत्तर पीछे पृष्ठ 27 पर)

31-12-89 तक अविद्युतीकृत ग्रामों की सूची

विकास क्षेत्र बिलरियागंज

तहसील–सगड़ी

क्रम सं0	ग्राम का नाम	कोड संख्या	खम्बे गाड़े जाने का दिनांक
1	2	3	4
1.	सिमरा तिवारी	480	
2.	सिमरा बढ़ई	481	31-3-89 तक
3.	रौसनंड	477	31-3-89 तक
4.	कादीपुर तिवारी	492	
5.	जदँरा पिपरी	484	
6.	जमुआ जोलहा	486	
7.	बनरही	471	
8.	दवेई रसूलपुर	469	31-3-89 तक
9.	कपसा	465	31-3-88 तक
10.	चकमोआजल	498	
11.	कुआदवे चकपट्टी	497	
12.	जमीनशान्ती	490	31-3-89 तक
13.	अठई पुर	509	31-3-89 तक
14.	चकमिजुली	507	
15.	शैदपुर	517	
16.	बेलहरा	505	
17.	सैदपुर	502	
18.	सरायधानी	519	
19.	नरायनपुर	452	
20.	कोलहड़ो खुर्द	460	31-3-89 तक
21.	सुरजीपुर	429	
22.	कादीपुर मानपुर	447	
23.	वसिला	530	31-3-89 तक
24.	गोसरीपट्टी	531	
25.	अमरौला कास	719	
26.	चकअमरौला	717	
27.	बलिया कल्यानपुर	713	31-3-89 तक

1	2	3	4
28.	परसोत्तमपुर	705	
29.	असरफपुर	703	
30.	जलालुद्दीनपट्टी	729	
31.	चकवेनी राय	725	
32.	जियासपुर	721	
33.	सहाबुद्दीन	566	
34.	इस्माइलपुर गोरिया	574	
35.	होलपुर	580	
36.	सुल्तानपुर	572	
37.	औरा भार	613	
38.	देवरिया माफी जोप	623	31-3-89 तक
39.	मदुआपार	650	31-3-89 तक
40.	लक्ष्मनपुर	645	
41.	वारी	642	31-3-89 तक
42.	बीवीपुर	641	
43.	हरघरपुर	640	
44.	भिखट्टी	632	
45.	सैदौली गरधौलवार	631	31-3-89 तक
46.	नाथूपुर	637	31-3-89 तक
47.	फीरदापुर	636	31-3-89 तक
48.	सरायनबाजार	402	
49.	बसीरपुर	584	
50.	अमकोलही	476	
51.	कादीपुर तिवारी	482	
52.	हीरराम पुर	475	
53.	पचखोरा	474	31-3-89 तक
54.	कादीपुर हरवेश	485	
55.	अहसनपुर	488	
56.	जिगिनाकरमपुर	489	
57.	जमुवा हरिराम	487	
58.	फूलेहरा	464	
59.	वजीं	466	
60.	शाहपुर मौलानी	501	
61.	शोधनपट्टी	500	
62.	मधुवन	499	

1	2	3	4
63.	सौरा	492	
64.	शान्ति	491	
65.	वेगपुर	493	
66.	जुलाहापुर	494	
67.	टंडवा	510	
68.	मौटया रेहड़ा	508	
69.	बस्ती उग्रहपट्टी	503	
70.	जमीन फरेदा	504	
71.	तलाई	506	
72.	टुबरनवजुर्ग	512	
73.	बाकीपुर सोनहरिया	511	
74.	पांडे पोखर	514	
75.	मोहद्दीनपुर	515	
76.	खैरुद्दीनपुर	516	
77.	बुल्हपुर	518	
78.	टुबरहनखुर्द	520	
79.	जल्लूपुर	521	
80.	राघवपुर	522	
81.	गद्दपुर	523	
82.	चक फरेदा	453	
83.	देवारा दामोदरपुर	455	
84.	सोहारी	457	
85.	खरगपुर	458	
86.	पहाड़पुर	456	
87.	कपसा	463	
88.	ककेहड़र बुजुर्ग	461	
89.	मल्लूपुर	462	
90.	भलुवाई	432	
91.	बरामदपुर	435	
92.	खानपुर भगतपट्टी	433	
93.	जगमलपुर	436	
94.	खानकाह	437	
95.	हारीपुर	438	
96.	देवा विन्दवल	442	
97.	तोहफापुर	441	

1	2	3	4
98.	पाती बुजुर्ग	445	
99.	पाती खुर्द	446	
100.	हरखुपुर	449	
101.	गंगापुर	450	31-3-89 तक
102.	पांडेपुर	451	
103.	पहलवानपुर	525	
104.	मेसौंरा	527	
105.	सेथरी	528	
106.	सियरहा	529	
107.	झांसी	522	
108.	लगरपुर	535	
109.	तेजापुर	536	
110.	विजरवा	534	
111.	रामपुर मुबारक पट्टी	720	
112.	अमरौला दूबे	718	
113.	गढ़वाल	715	
114.	धरसन्द	459	
115.	नुरुद्दीनपुर	710	
116.	केशवपुर महमूदपट्टी	708	
117.	जमुवा हीराम	707	
118.	बढ़ई डडंड	706	
119.	छिछोरी	730	
120.	मोहिद्दीनपुर	727	
121.	चक बेनीराम	725	
122.	फुलवरिया	722	
123.	भुवारामपुर पट्टी तडनरायन	723	
124.	पटवध	724	
125.	भवरामपुर पट्टी नेकराय	540	
126.	सादी पट्टी	541	
127.	गोडसरी पट्टी अंगदराय	542	
128.	चांदपुर	544	31-3-89 तक
129.	मानपुर	543	
130.	पटवध कौतुक	545	31-3-89 तक
131.	शेखपुर	547	
132.	चक तांफापुर	551	

1	2	3	4
133.	मोहम्मदपुर	554	
134.	अंडाखोर	555	
135.	कोठिया	556	
136.	कुथींपुर	557	
137.	विजयापुर	559	
138.	मदनापार	560	
139.	बछौला	561	
140.	हेगईपुर	544	
141.	गुलवा गौरी	570	
142.	चिनहाड़ी	569	
143.	जैगहा	568	31-3-89 तक
144.	शान्तिपुर	583	
145.	मजीदपुर	577	
146.	बडीहारी खास	579	
147.	जलाल पुर	575	
148.	गद्दोपुर	573	
149.	लगड़पुर	582	
150.	ककरही जसकरन	605	
151.	ककरही दुलार	604	
152.	नसीरपुर	607	
153.	बरोही फतेहपुर	608	
154.	केशवपुर	611	
155.	ऊंचाडीह सलेमपुर	609	31-3-89 तक
156.	मठ मोहन	612	
157.	रसूलपुर नन्दलाल	614	
158.	पड़री परानपुर	617	
159.	हाजी पट्टी	618	
160.	जमीन पड़री	626	
161.	मठ विश्वम्भर	627	
162.	कांखभार	624	
163.	तोंदुआ	619	
164.	देवरिया अवसेद	622	
165.	तुर्क पुडरी	651	
166.	कन्धरापुर	649	
167.	डीहा	648	

1	2	3	4
168.	पीतला गाँसपुर	647	
169.	वरौली दिवाकर पट्टी	643	
170.	पलिया	646	
171.	हिरनई गुल्लीगढ़	639	
172.	चालाकपुर	635	
173.	सलाउद्दीनपट्टी	630	
174.	माठाकरमनाथ पट्टी	629	
175.	जमीन रसूलपुर	633	
176.	अवती	526	
177.	वसीरपुर	584	
178.	पारा	615	
179.	ओरा	644	
180.	चक मलूक	513	

अधिशासी अभियन्ता,
वि0 वि0 ख0, द्विवतीय,
आजमगढ़।

विद्युत परिषद

नत्थी 'ज'

(देखिये अता0 प्र0 सं0 40 का उत्तर पीछे पृष्ठ 38 पर।)

अकबर हुसैन बाबर,
विधायक,
अकबरपुर ।
सदस्य विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

सील

32-बी ब्लाक,
दारुलशफा,
लखनऊ ।
दिनांक 8-3-88

माननीय गृह मंत्री,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

मान्यवर, पिछले दो वर्षों से जिला गोण्डा पचपेड़वा थाने की पुलिस विवाद का विषय बनी है । पिछले दो वर्षों में सत्ता और विपक्ष दोनों ने इस थाने के पुलिस पर बड़े गम्भीर आरोप लगाये हैं। मेरी दृष्टि से श्री मुर्तहसन संजय विचार मंच के कार्यकर्ता का एक पर्चा गुजरा है जिसकी एक प्रति संलग्न कर रहा हूं। आज भी ये शिकायत बनी हुई है. जिस थाने से सप्ताह में दो बार नेपाल भैंसों की तस्करी कराई जाती है । इस प्रकार नाजायज ढंग से भैंसें सड़क पार कराने के लिए पुलिस कई-कई हजार रुपये ले रही है। इस बात की भी शिकायत है नेपाल से लौंग और इलेक्ट्रानिक गुड्स की ट्रक पर लाद कर तस्करी कराई जाती है । इस बात की भी शिकायत मिली है कि इस थाने की पुलिस स्वयं डकैतियों में भी भाग लेती है । आश्चर्य की बात यह है कि जो भी राजनैतिक कार्यकर्ता इन मामलों को उठाता है उसे किसी न किसी मुकदमें में जेल की हवा खानी पड़ती है । जहां तक मुझे मालूम है मुस्ते हसन भी शिकायत करने के बाद जेल भेजा गया । यही दशा इस थाने के निवासी सैयद रहमान की भी हुई । मुझे बताया गया है कि इस थाने पर नियुक्त पुलिस का स्टाफ पुलिस अधीक्षक गोण्डा का सबसे अधिक विश्वास पात्र है आज तक किसी भी अधिकारी को कोई भी सजा नहीं दी गई। यदि बहुत दबाव में किसी को हटाया गया तो ऐसी जगह पर नहीं रखा गया कि जहां तस्करी से आमदनी न कर सकें । (तुलसी सिंह थानाध्यक्ष को पचपेड़वा से हटाकर तुलसीपुर थाने पर नियुक्त किया गया) इस पूरी पृष्ठ भूमि में जनपद गोण्डा के पुलिस अधीक्षक का सत्यनिष्ठा बड़ी संदिग्ध दिखाई देती है। भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार का विरोध करने वालों का बिना पुलिस अधीक्षक के सहयोग के संभव नहीं है। अब तक जो शिकायतें की गई हैं उसकी जांच पुलिस अधीक्षक गोण्डा के माध्यम से की गयी है तस्करी से करोड़ों रुपया कमाने का आरोप है। हरिजनों का उत्पीड़न और पुलिस पर डकैती कराने का ये गम्भीर आरोप है। इस संबंध में की गई शिकायतों की प्रति संलग्न है।

कृपया इसकी जांच अपराध अनुसंधान शाखा भ्रष्टाचार निवारण संगठन द्वारा कराने का आदेश दें ।

कृत कार्यवाही से मुझे भी अवगत करावें ।

सधन्यवाद,

भवदीय,
ह0/अकबर हुसैन बाबर,
विधायक,
अकबरपुर ।

नत्थी 'झ'

(देखिए अता0 प्र0 सं0 45 का उत्तर पीछे पृष्ठ 40 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र 1990 के 1ले बुधवार के लिए निर्धारित श्री अकबर हुसैन बाबर, विधायक द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-45 में अंकित शिकायती-पत्र दिनांक 12-11-87 पर की गयी कार्यवाही का विवरण प्रश्न के उत्तर में उल्लिखित सूची

जांच आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि तथ्यों का पता किया गया तथा अभिलेख देखे गये जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि दिनांक 3-9-87 को श्री पी0 के0 श्रीवास्तव, उ0 नि0 कुछ पुलिस कर्मचारियों के साथ थाना क्षेत्र के अन्तर्गत गस्त हेतु जा रहे थे, रास्ते में उन्हें मुखबिर की सूचना मिली कि ग्राम चोरमरा के पास श्री बदल केवट व श्री रामकुमार 2-2 अदद देशी बम (हथगोला) के साथ पकड़े गये थे, जिनके विरुद्ध थाना राजे सुल्तानपुर में मु0 अ0 सं0 117/व 118/87 धारा 5 विस्फोटक अधिनियम कायम हुआ। इस संबंध में वर्तमान थानाध्यक्ष श्री वी0 डी0 अरुण का कहना है कि उक्त दोनों व्यक्ति ग्राम कम्हरिया के रहने वाले है और उनके गांव में जाने का यह मार्ग नहीं है । इसके अतिरिक्त अन्य व्यक्ति की वहां उपस्थिति की पुष्टि नहीं हो पा रही है ।

जांच से यह बात सही पायी गयी कि ग्राम कम्हरिया के सरजू नदी के किनारे की जमीन संबंधी विवाद काफी समय से चला आ रहा है । यह जमीन वहां के ठाकुरों की थी जो सीलिंग में निकल गयी बतायी जाती है । इस सीलिंग में निकली भूमि पर थी जो सीलिंग में निकल गयी बताथी जाती है । इस सीलिंग में निकली भूमि पर अधिकान्शत: लोगों को आवंटित कर राजस्व विभाग द्वारा कब्जा दिला देने की बात बतायी जाती है ।

जांच से यह भी पाया गया है कि ग्राम कम्हरिया में अधिकांश केवट जाति के व्यक्ति रहते हैं, जिनकी शराब बनाने व पीने की प्राय: शिकायतें रहती हैं । विधायक जी ने अपने पत्र में होली के दिन जिस घटना का उल्लेख किया है, इसके संबंध में उल्लेखनीय है कि दिनांक 16-3-87 को थाना राजे सुल्तानपुर के कर्मचारीगण कां0 नि0 योगेन्द्र गिरी व कानि0 त्रिवेणी प्रसाद दो होम गार्ड के साथ होली त्योहार के अवसर पर क्षेत्र में गये थे। करीब 3 बजे वे ग्राम केवटहिया-कम्हरिया पहुंचे । केवटहिया के केवट लोग कम्युनिस्ट पार्टी का झंडा लेकर उन्हें यह कहते हुए खदेड़ लिए कि आज भी ये लोग शराब पकड़ने आ रहे हैं । लोगों ने ईंट पत्थर चलाया, कर्मचारियों की साइकिल भी ले लिए तथा उन्हें चोटें पहुंचायी, जिसके संबंध में मु0 अ0 सं0 30/87 धारा 147/332/336/504/379 भा0 द0 वि0 कायम हुआ । तदोपरान्त कर्मचारियों की साइकिलें व कपड़े बरामद किये गये। इस अभियोग में 10 अभियुक्त प्रकाश में आये जिन्हें बन्दी बनाया गया तथा नामजद अभियुक्त हाजिर अदालत हुए और जिनके विरुद्ध आरोप पत्र संख्या-18 दि0 30-3-89 को न्यायालय प्रेषित किया गया। इस अभियोग में श्री बदल व रामकुमार का नाम नहीं आया है। चूंकि विधायक जी ने अपने पत्र में यह भी उल्लेख किया है कि श्री रामबदल व राम कुमार का कुछ पूर्व अपराधिक इतिहास है इसलिए उनका चालान कर

दिया गया और पूर्व अपराधिक इतिहास के विषय में विधायक जी का कहना है कि उन्हें कम्हरिया के प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा रंजिशन फंसाये जाने का प्रयास किया जाता है। इस संबंध में श्री राम बदल केवट पुत्र छोटू केवट निवासी कम्हरिया थाना राजे सुल्तानपुर का अपराधिक इतिहास निम्न है :–

1–मु0 अ0 सं0 148/87 धारा 396 भा0 द0 वि0 थाना-अतरौलिया. आज़मगढ़ ।

2–मु0 अ0 सं0 117/87 धारा 5 एक्स-ए थाना राजे सुल्तानपुर।

3–मु0 अ0 सं0 100/87 धारा 457/380 भा0 द0 वि0 थाना-राजे सुल्तानपुर ।

4–मु0 अ0 सं0 110/87 धारा 395/397 भा0 द0 वि0 थाना-जहांगीर गंज ।

(2) राज कुमार का अपराधिक इतिहास–

1–मु0 अ0 सं0 50/82 धारा 395/397 भा0 द0 वि0 थाना- राजे सुल्तानपुर ।

2–मु0 अ0 सं0 11/80 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना-महराजगंज ।

3–मु0 अ0 सं0 100/87 धारा 457/380 भा0 द0 वि0 थाना-राजे सुल्तानपुर ।

4–मु0 अ0 सं0 118/87 धारा 5 एक्स0 ए0 थाना- राजे सुल्तानपुर ।

शिकायती-पत्र में अंकित कम्हरिया के पूर्व जमींदार श्री गुलाब सिंह की रिश्तेदारी जनपद फैजाबाद में नियुक्त उप पुलिस अधीक्षक श्री जगदीश सिंह के यहां बतायी है । इस संबंध में पूछ ताछ करने पर इस बात की पुष्टि नहीं हो पा रही है । जांच आख्या में यह भी उल्लेख किया गया है कि यद्यपि उपाधीक्षक का स्थानान्तरण पहले ही गोरखपुर हो चुका है ।

अनुसूची 'ञ'

(देखिए अता0प्र0सं0 65 का उत्तर पीछे पृष्ठ 48 पर)

हरदुआ गंज ताप विद्युत परियोजना, अलीगढ़ के भूमि विस्थापितों का नियुक्ति सम्बन्धी विवरण

क्रम-संख्या	भूमि विस्थापित का नाम	पद श्रेणी	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम जहां नियुक्ति की गयी
1	2	3	4
	सर्व श्री		
1	राम प्रकाश पुत्र श्री ठाकुर प्रसाद	चतुर्थ श्रेणी	अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत प्रेषण मण्डल, लखनऊ
2	प्रकाशचन्द्र, पुत्र श्री राम लाल शर्मा	चतुर्थ श्रेणी	तदैव
3	सुभाषचन्द्र, पुत्र श्री बाबू लाल शर्मा	चतुर्थ श्रेणी	तदैव
4	राजेश कुमार पुत्र श्री गिरी प्रसाद	चतुर्थ श्रेणी	तदैव
5	रघुबीर सिंह पुत्र श्री बाबू लाल	चतुर्थ श्रेणी	तदैव
6	राम प्रकाश पुत्र श्री रघुराज सिंह	चतुर्थ श्रेणी	अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड 1, मेरठ। (सेवाएं समाप्त की गयी पर न्यायालय के आदेश पर पुनर्नियुक्ति की गयी।)
7	प्रमोद कुमार शर्मा पुत्र श्री राजबीर शर्मा	(अज्ञात)	अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत प्रेषण मण्डल, मुरादाबाद।
8	सुबोध कुमार भरद्वाज पुत्र श्री सुखबीर शर्मा	(अज्ञात)	अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत प्रेषण एवं निर्माण मण्डल, आगरा। (परिषद् निर्देशानुसार सेवाएं समाप्त कर दी गयी।)
9	सुभाष चन्द्र शर्मा पुत्र श्री हरीश चन्द्र	चतुर्थ श्रेणी	अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत प्रेषण मण्डल, मुरादाबाद।
10	कंछो लाल सिंह पुत्र श्री याद राम	चतुर्थ श्रेणी	तदैव
11	अब्दुल शमीम पुत्र श्री अब्दुल करीम खान	(अज्ञात)	तदैव
12	सर्वश्री शिव चरन पुत्र श्री चिरंजी लाल	चतुर्थ श्रेणी	तदैव
13	मकबूल पुत्र श्री छन्नू खान	चतुर्थ श्रेणी	तदैव

1	2	3	4
	सर्वश्री		
14	राम प्रकाश पुत्र श्री नौबत	चतुर्थ श्रेणी	अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत, प्रेषण मण्डल, मुरादाबाद।
15	अफसर अली, पुत्र श्री अली मुहम्मद	चतुर्थ श्रेणी	अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत प्रेषण मण्डल, मुरादाबाद।
16	प्रदीप कुमार, पुत्र श्री बाबू लाल	चतुर्थ श्रेणी	तदैव
17	दिनेश कुमार शर्मा पुत्र श्री महेन्द्र पाल शर्मा	चतुर्थ श्रेणी	तदैव
18	विजय सिंह, पुत्र श्री महाबीर सिंह	दैनिक श्रेणी लिपिक	अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत प्रेषण मण्डल, लखनऊ।
19	राम किशन, पुत्र श्री राम	तदैव	अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत प्रेषण मण्डल, मुरादाबाद।
20	सुरेश कुमार शर्मा, पुत्र श्री आर0 बी0 शर्मा	तदैव	अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत प्रेषण मण्डल, मुरादाबाद।
21	नरेन्द्र कुमार शर्मा, पुत्र श्री देवीराम	चतुर्थ श्रेणी	तदैव (सेवाएं समाप्त की गयी पर न्यायालय के आदेश पर पुनर्नियुक्ति की गयी।)
22	सुरेश चन्द्र शर्मा, पुत्र श्री राजेश्वर प्रसाद शर्मा	अज्ञात	अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत प्रेषण मण्डल, मुरादाबाद
23	प्रेम शंकर, पुत्र श्री राम लाल शर्मा	अज्ञात	तदैव
24	कुंवर पाल सिंह पुत्र श्री नेत राम	चतुर्थ श्रेणी	अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-II' मेरठ। (परिषद् निर्देशानुसार सेवाएं समाप्त की गयी।)
25	सत्य पाल सिंह पुत्र श्री शिव राज सिंह	चतुर्थ श्रेणी	अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-II, मेरठ।
26	केशव देव, पुत्र श्री हर दयाल	चतुर्थ श्रेणी	अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, मोदीनगर।
27	राम बीर सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह	चतुर्थ श्रेणी	तदैव
28	बाबू लाल शर्मा, पुत्र श्री श्रीराम सरन	चतुर्थ श्रेणी	तदैव
29	लखन सिंह पुत्र श्री महावीर सिंह	चतुर्थ श्रेणी	अधिशासी अभियन्ता, विद्युत, वितरण मण्डल, मोदीनगर।
30	जगदीश प्रसाद पौत्र श्रीमती रूपन देवी	चतुर्थ श्रेणी	तदैव
31	राज पाल पुत्र श्री लीलाधर	चतुर्थ श्रेणी	तदैव

1	2	3	4
32	कैलाश शर्मा पुत्र श्री राम जी लाल शर्मा।	चतुर्थ श्रेणी	अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, मोदीनगर।
33	धरम बीर पुत्र श्री गंगा प्रसाद।	चतुर्थ श्रेणी	तदैव
34	चन्द्र प्रकाश पुत्र श्री बुद्धसेन।	चतुर्थ श्रेणी	तदैव
35	झम्मन सिंह पुत्र श्री रोशन लाल	चतुर्थ श्रेणी	तदैव
36	नौबत सिंह पुत्र श्री हठी राम	चतुर्थ श्रेणी	तदैव
37	अखिलेश कुमार गौड़ पुत्र श्री ज्वाला प्रसाद।	चतुर्थ श्रेणी	अधिशासी अभियन्ता, विद्युत परीक्षण खण्ड (नगरीय) गाजियाबाद। (नियुक्ति के पश्चात् सेवाएं समाप्त)
38	योगेश कुमार पुत्र श्री खेमचन्द्र	चतुर्थ श्रेणी	तदैव
39	रमेश चन्द्र पुत्र श्री राम प्रसाद	चतुर्थ श्रेणी	तदैव
40	सुरेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री राजबीर शर्मा।	दैनिक श्रेणी लिपिक	अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, मुरादाबाद।

पो0एस0य्0पी0 ए.ल0 424---वि0 सभा (695)---1990-813।